Eighteenth Series, Vol. XV No. 29

Thursday, April 16, 2026
Chaitra 26, 1948 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session

(Eighteenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XV contains Nos. 21 to 31)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Chander Mohan

Additional Secretary

Nisha Sharma

Director

Narad Prasad Kimothi

Manoj Kumar Pankaj

Joint Director

Anil Kumar Chopra

Deputy Director

© 2026 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Eighteenth Series, Vol. XV, Seventh Session, 2026/1948 (Saka)
No. 29, Thursday, April 16, 2026/ Chaitra 26, 1948 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	9-11
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Historic Achievement Made by India in the Field of Nuclear Energy and Technological Self-Reliance	11-14

PAPERS LAID ON THE TABLE 14-23,174

MOTION RE: APPOINTMENT OF TWO MEMBERS OF RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE 24

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 25-64

(ii) Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 65

(iii) Delimitation Bill, 2026 66

MOTION RE: SUSPENTION OF PROVISO TO RULE 66 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA 67-71

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 2026
AND
UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2026
AND
DELIMITATION BILL, 2026 73-416

Motion to Consider 73-85

Shri Arjun Ram Meghwal 73-84

Shri Amit Shah 73, 211-215

Shri Gaurav Gogoi 85-93

Shri Tejasvi Surya 93-115

Shri Akhilesh Yadav 116-123

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 123-129

Dr. Byreddy Shabari 130-135

Shri Dileshwar Kamait 135-139

Shri Narendra Modi	139-148
Shri Arvind Ganpat Sawant	148-161
Dr. Amol Ramsing Kolhe	161-165
Shri Naresh Ganpat Mhaske	165-169
Shrimati Shambhavi	169-173
Shri K. C. Venugopal	175-183
Ms. Bansuri Swaraj	183-187
Shri Abhay Kumar Sinha	187-191
Shri Lalji Verma	191-193
Shri E. T. Mohammed Basheer	193-197
Shri Subbarayan K.	198-200
Shri Aga Syed Ruhullah Mehdi	200-203
Shrimati Priyanka Gandhi Vadra	203-210
Shri Malvinder Singh Kang	215-217
Shrimati Pratima Mondal	218-223
Shri Tangella Uday Srinivas	223-226
Shri Awadhesh Prasad	226-228
Shri Manish Tewari	228-233
Shrimati Daggubati Purandeswari	234-240
Shrimati Joba Majhi	240-242
Shri Raja Ram Singh	242-245
Dr. Rajkumar Sangwan	245-247
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	247-251

Shrimati Aparajita Sarangi	251-258
Shrimati Lovely Anand	259-262
Shri N. K. Premachandran	262-266
Shri S. Venkatesan	267-272
Dr. Mohammad Jawed	272-276
Shrimati Raksha Nikhil Khadse	276-278
Shrimati June Maliah	278-282
Shri Daroga Prasad Saroj	282-284
Sushri Kangna Ranaut	284-289
Shri Abdul Rashid Sheikh	289-291
Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	291-294
Shri Kodikunnil Suresh	294-298
Shri P. P. Chaudhary	298-306
Shri Devesh Shakya	306-308
Shri Gurmeet Singh Meet Hayer	309-310
Shri Sunil Dattatrey Tatkare	311-313
Dr. Thol Thirumaavalavan	313-317
Shri E. Tukaram	317-319
Shri Shashank Mani	319-323
Shri Rajesh Ranjan	324-326
Shri Asaduddin Owaisi	326-335
Shri Hanuman Beniwal	335-340
Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	340-343

Dr. Alok Kumar Suman	343-346
Dr. Kadiyam Kavya	346-349
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	351-353
Sushri Iqra Choudhary	354-357
Adv. Francis George	357-360
Shri B. Y. Raghavendra	360-363
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	363-367
Shri Durai Vaiko	367-369
Shrimati Bharti Pardhi	369-372
Dr. Indra Hang Subba	372-373
Shri Rajkumar Roat	373-375
Shrimati Mahima Kumari Mewar	375-377
Shri Shreyas M. Patel	378-380
Shrimati Bijuli Kalita Medhi	380-382
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	382-384
Shrimati Kamaljeet Sehrawat	384-386
Shri Ram Shiromani Verma	386-388
Shrimati Kamlesh Jangde	388-389
Shri Shahu Shahaji Chhatrapati	389-391
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	391-393
Shrimati Smita Uday Wagh	393-396
Dr. Prabha Mallikarjun	396-399
Shrimati Anita Nagarsingh Chouhan	399-400

Shri S. Supongmeren Jamir 400-401

Shrimati Manju Sharma 401-404

Shrimati Kriti Devi Debbarman 404-405

Shrimati Roopkumari Choudhary 405-408

Shrimati Anita Subhadarshini 408-409

Shrimati Malvika Devi 409-412

Dr. Lata Wankhede 412-416

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri A. Raja

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, April 16, 2026/ Chaitra 26, 1948 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज़, सभी बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़, बैठ जाइए। क्या आप लोग बिजनेस पढ़ कर नहीं आते हैं? बैठिए।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुःख के साथ सभा को हमारे तीन पूर्व साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री अबू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोक सभा के सदस्य थे।

उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे दो कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के उप-नेता भी थे।

श्री अबू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 08 अप्रैल, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ।

श्रीमती मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा की तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोक सभा की सदस्य रहीं।

वे दो कार्यकाल के लिए राज्य सभा की सदस्य भी रहीं। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रहीं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य भी रहीं तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहीं।

श्रीमती मोहसिना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 09 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ।

श्री हरि नारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोक सभा के सदस्य थे।

उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री राजभर दो कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे।

श्री हरि नारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ।

माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुःख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थीं। सात दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाए, जिससे उन्हें भारत और विदेश में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली।

उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल, 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ।

यह सभा हमारे तीन पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

11.03 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।

11.05 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER

Historic Achievement Made by India in the Field of Nuclear Energy and Technological Self-Reliance

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल, 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम क्रिटिकेलिटी को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यह इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है।

माननीय सदस्यगण, यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि ही नहीं, बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। दो दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट्स के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिलेगी। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री

जी पीएफबीआर के कोर लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की तीन चरणों में परिकल्पना की गई है।

वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है और इसमें बाइ-प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है।

पीएफबीआर के सफल संचालन के साथ ही भारत ने सेकेंड स्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस स्टेज में, हम और अधिक न्यूक्लियर ईंधन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का उपयोग करेंगे। परंपरागत रिएक्टर्स की तुलना में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपनी ईंधन खपत के मुकाबले ज्यादा ईंधन का उत्पादन करने की विशिष्ट क्षमता होती है।

हमारा थर्ड स्टेज थोरियम-यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर होगा। इससे ऊर्जा का सतत् और दीर्घकालिक भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे समय में, जब भारत की ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। हम स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा स्रोत है, जो हमें भरोसेमंद, 24 घंटे और कम कार्बन वाली बिजली उपलब्ध कराता है।

सभी हितधारकों के लिए सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सेक्टर को खोलने के लिए इस सदन ने दिसंबर 2025 में शांति एक्ट पारित किया था। राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के साथ, हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

पीएफबीआर के क्रिटिकेलिटी हासिल करने के साथ ही भारत ने लंबे समय से परिकल्पित इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है।

पीएफबीआर भारत के निरंतर प्रयास, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण साक्षी है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं को भविष्य की अधिक सतत और आत्मनिर्भर न्यूक्लियर ऊर्जा से जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

यह उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी प्रयास के द्वारा हासिल की गई है। यह रिएक्टर इंदिरा गांधी

एटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसमें अन्य भारतीय उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। यह हमारे वैज्ञानिकों के इकोसिस्टम और राष्ट्रीय सहभागिता की शक्ति का गौरवशाली प्रतीक है।

माननीय सदस्यगण, इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, जो जटिल और फ्रन्टीयर टेक्नोलॉजिस को पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित और उपयोग करने में सक्षम है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले और एक सुरक्षित, सतत एवं आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण पर जोर देने वाले देश का विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा पीएफबीआर के सफल संचालन से देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार आसान होगा और हम अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इससे एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजिस, ईंधन साइकिल सिस्टम और हाई-एन्ड इंजीनियरिंग में नए अवसर खुलेंगे।

माननीय सदस्यगण, यह उपलब्धि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत, जो हमारे वैज्ञानिक पायोनियर्स के विज़न को आगे बढ़ाती है। एक ऐसी शुरुआत जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमारी यात्रा को सुदृढ़ करती है। एक ऐसी शुरुआत, जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य के निकट लाती है। यह एक ऐसा पल है जो हमारे समग्र भविष्य को आकार देने और हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने वाली विज्ञान और तकनीकी शक्ति में हमारे भरोसे को मजबूत बनाता है।

पीएफबीआर के नियंत्रित चेन रिएक्शन की पहली चिंगारी केवल ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का भी संकेत है। मैं आज इस सदन की ओर से इस उपलब्धि को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियन्स, इंडस्ट्रीज़ पार्टनर और सभी हितधारकों के समर्पण और परिश्रम की सराहना करता हूं।

सदन तालियां बजा दे, तो इसकी सराहना हो जाएगी।

Hon. Members thumped their tables in approval.

———————

… (व्यवधान)

11.13 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Jitin Prasada, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O. 3522(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2025, containing Corrigendum to Notification No. 51/2024-25 dated 20th January, 2025.

(ii) S.O.3657(E) published in Gazette of India dated 11th August, 2025, regarding port restriction on import of certain goods from Bangladesh to India under ITC(HS), 2022 Schedule-I (Import Policy).

(iii) S.O.3806(E) published in Gazette of India dated 20th August, 2025, making certain amendments in Para 4.61 and Para 4.63 of Foreign Trade Policy-2023.

(iv) S.O.3874(E) published in Gazette of India dated 25th August, 2025, making certain amendments in Import Policy Condition of items covered under Chapter 48 of ITC HS, 2022, Schedule-I (Import Policy).

(v) S.O.3954(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2025, making certain amendments in the Minimum Export Price (MEP) on export of Honey.

(vi) S.O.3966(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2025, making certain amendments in Para 2.03(A) (i) (g) of the Foreign Trade Policy, 2023, laying down enabling provisions for import of inputs, that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs), by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ.

(vii) S.O.4100(E) published in Gazette of India dated 10th September, 2025, making certain amendments in the Export Policy of Animal By-Products.

(viii) S.O.4235(E) published in Gazette of India dated 19th September, 2025, making certain amendments in the Import Policy Condition of ATS-8 covered under Chapter 29 of ITC HS, 2022, Schedule 3–I (Import Policy).

(ix) S.O.4505(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2025, notifying on Revision of SCOMET List under Appendix-3 of Schedule-II (Export Policy), ITC(HS), 2022.

(x) S.O.4345(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2025 regarding Export Policy of Second Generation (2G) Ethanol.

(xi) S.O.4357(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2025 making certain amendments in Export Policy of Non-Basmati Rice under Chapter 10 of Schedule-II (Export Policy) of ITC (HS) 2022.

(xii) S.O.4374(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2025 making certain amendments in the import policy of specific ITC(HS) codes under Chapter 71 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

(xiii) S.O.4499(E) published in Gazette of India dated 1st October, 2025, notifying extension of RoDTEP Scheme for DTA Units beyond 30.09.2025 and Applicability to DTA/AA/SEZ/EOU Exports till 31st March, 2026.

(xiv) S.O.4516(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2025, notifying exemptions for Export of Agricultural Commodities to Bhutan.

(xv) S.O.4517(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2025 making certain amendments in Export Policy of De-Oiled

Rice Bran.

(xvi) S.O.4523(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2025, permitting export of 100 MT of wheat seed (DWR-162) under ITC (HS) code 10019100 from University of Dharwad to Indonesia.

(xvii) S.O.4522(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2025, making certain amendments in Export Policy Condition under HSN 1006 of Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022.

(xviii) S.O.4669(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2025, making certain amendments in Import Policy Condition of specific items covered under Chapter 70, 73, 84 and 85 of ITC(HS) 2022, Schedule-I (import Policy).

(xix) S.O.4662(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2025, making certain amendments in Import Policy Condition of Sulfadiazine API covered under Chapter 29 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).

(xx) S.O.4667(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2025, making certain amendments in Export Policy of Meat and Meat Products.

(xxi) S.O.4699(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2025, making certain amendments in import policy and policy condition of Areca Nuts falling under ITC HS Code 08028090 and 20081991 of Chapter 20 of ITC HS 2022, Schedule-I

(Import Policy).

(xxii) S.O.4700(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2025, syncing of ITC (HS), 2022-Schedule-I (Import Policy) with Finance Act 2025 (No. 07 of 2025) dated 29th March, 2025.

(xxiii) S.O.4701(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2025, making certain amendments in Import Policy Condition of specific ITC (HS) Codes of Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2022 – Schedule-I (Import Policy).

(xxiv) S.O.4928(E) published in Gazette of India dated 29th October, 2025, making partial amendments in Import Policy Condition of Synthetic Knitted Fabrics Covered under Chapter 60 of the ITC (HS), 2022.

(xxv) S.O.5032(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2025, making certain amendments in Export Policy of Red Sanders (Pterocarpus Santalinus).

(xxvi) S.O.5248(E) published in Gazette of India dated 18th November, 2025 making certain amendment in Import Policy of ITC (HS) 71131921 covered under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy).

(xxvii) S.O.5742(E) published in Gazette of India dated 11th December, 2025 making certain amendments in Para 4.63 of Foreign Trade Policy 2023.

(xxviii) S.O.5890(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2025 making certain amendments in Import Policy Condition of specific items covered under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule–I (Import Policy).

(xxix) S.O.6094(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2025 allowing Export of 50,000 MT of Organic Sugar per financial year.

(xxx) S.O.6(E) published in Gazette of India dated 1st January, 2026, making certain amendments for extension of validity of Minimum Export Price (MEP) on export of Natural Honey.

(xxxi) S.O.173(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2026, making certain amendments in Import Policy & policy condition of Low Ash Metallurgical Coke under Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).

(xxxii) S.O.113(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2026, making certain amendments in Import Policy & policy condition of Low Ash Metallurgical Coke under Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (i) to (xxviii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6908/18/26]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

अपने साथी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.224(अ) जो दिनांक 30 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.239(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की छठी किश्त को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.238(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की पांचवीं किश्त को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6909/18/26]

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 258(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या 15/2023-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6910/18/26]

(3) आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 534 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आय-कर (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 31 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर नियम, 2026 जो दिनांक 20 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6911/18/26]

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 31 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.240(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6912/18/26]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 272 (अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हाई स्पीड डीजल ऑयल पर लागू विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर में वृद्धि करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 273 (अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हाई स्पीड डीजल ऑयल पर लागू सड़क और अवसंरचना उपकर की टैरिफ दर में वृद्धि करने के लिए वित्त अधिनियम, 2018 की

छठी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.274(अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत के बाहर हाई-स्पीड डीज़ल तेल के निर्यात पर एसएईडी को बढ़ाने के लिए दिनांक 26 मार्च, 2026 की अधिसूचना संख्या 06/2024-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 275 (अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत के बाहर एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को बढ़ाने के लिए दिनांक 26 मार्च, 2026 की अधिसूचना संख्या 08/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.276(अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत के बाहर हाई-स्पीड डीज़ल तेल के निर्यात पर आरआईसी बढ़ाने के लिए दिनांक 26 मार्च, 2026 की अधिसूचना संख्या 11/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6913/18/26]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shrimati Raksha Nikhil Khadse, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Anti Doping Agency, New Delhi, for the year

2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Anti Doping Agency, New Delhi for the year 2024-2025.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6915/18/26]

———

11.14 hrs

MOTION RE: APPOINTMENT OF TWO MEMBERS OF RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Hon. Speaker Sir, with your permission, I rise to move the following:-

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint two Members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty–Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 in the vacancies caused by the retirement of Shri Saket Gokhale and Shri Bhubaneswar Kalita from Rajya Sabha and communicate to this House names of the Members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा से श्री साकेत गोखले और श्री भुवनेश्वर कालिता की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों पर राज्य सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और इस प्रकार संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

11.15 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 2026*

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले एक बार इंट्रोड्यूज़ हो जाए, उसके बाद मैं सबको पूरा मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): As per Rule 72 under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I rise to object to the Bills introduced by Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Amit Shah.

This Bill is a fundamental attack on the federal structure of the Union of India. The entire country is watching what exactly is the intention of the Government behind the introduction of these Bills.

In 2023, Parliament passed a Bill in both Houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, ensuring 33 per cent reservation for women in Parliament and Vidhan Sabhas. At that point of time, the present Leader of the Opposition in Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition of

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 16.04.2026

the other House, Shri Mallikarjun Kharge, former Chairperson of the Congress Parliamentary Party, Sonia Gandhiji, and all other Opposition leaders asked the Government to enforce the Women's Reservation Bill in Parliament and other Vidhan Sabhas in 2024 itself. ….*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : सुनिए वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, मैं आपको पूरे विषय पर बोलने दूंगा और पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन यह विषय अभी बिल इंट्रोड्यूज़ का है, उस पर बोल लें, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा समय लूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते हैं।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Articles 81 and 82 of the Constitution provide complete protection by fixing seats to States on a representation basis. This Government wants to hijack this constitutional protection. ….*(Interruptions)* The Bill is very clear. ….*(Interruptions)*

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, मेरा एक अनुरोध है। स्पीकर ने कहा है कि आप बोल सकते हैं। मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज़ करने के लिए रूल 72 में जो आप बोलना चाहते हैं, तो वह टैक्नीकल विषय है। आप पूरे इश्यू की डिबेट पर शुरू हो गए हैं। वेणुगोपाल जी यह समय डिबेट का नहीं है। आपने जो टैक्नीकल ऑब्जेक्शन उठाया है, उस पर बोलना है। कंपीटेंसी ऑफ द हाऊस का जो मामला है, आप उसको बताइए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। अभी बिल कोई पास थोड़े ही हो रहा है। आप जितने घंटे चाहेंगे, बोलने के लिए उतने घंटे दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष एक मिनट, गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, why did the Government not implement the Women's Reservation Bill before 2024 elections. ….*(Interruptions)*

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, बिल पुर:स्थापित होना है। मगर बिल की मैरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है। अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है, तो ही वे ले सकते हैं। एक बार बिल पुर:स्थापित होने के बाद ही बिल के मैरिट पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी यह सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुर:स्थापित करना है या नहीं करना है। बिल को पुर:स्थापित करने के लिए टैक्नीकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वे ले सकते हैं। उनको भाषण देने का पर्याप्त मौका मिलेगा, और आप बड़े दयालु हैं, उनको ज्यादा मौका देना, हमको कोई परेशानी नहीं है। और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल है, वह यह कहता है कि वे तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते हैं।

SHRI K. C. VENUGOPAL: What is the procedure of the House, Sir?

माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रोसिजर सुनना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL: You allow me to speak.

माननीय अध्यक्ष : मैंने एलाऊ कर दिया है।

SHRI K. C. VENUGOPAL: The Minister can reply finally.

माननीय अध्यक्ष : यह माननीय गृह मंत्री जी का बिल है इसलिए मैंने उनको मौका दिया है।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Why is Amit Shah ji interfering minute to minute? He can reply, Sir. What is there, Sir? … (*Interruptions*) You can reply. My point is very clear. Sir, there is no mic.

माननीय अध्यक्ष : माइक चालू है। आपका ही माइक बंद होता है, इनका नहीं होता है।

SHRI K. C. VENUGOPAL: The mic is not working. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माइक चालू हैं।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, therefore, we insisted that women's reservation should be implemented in 2024. You brought a Bill that women's reservation will be implemented after the Census and Census after the delimitation. This is done by the Government only, not the Opposition. Now, you are telling that delimitation based on current census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu and Kashmir. How you have completely done the delimitation exercise, the entire country knows that. You want to centralise that delimitation. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, when Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection to the States has been given by the Constitution for 25 years.

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा समय दूंगा।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also, in 2001, extended that protection. Now, you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee.

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको आगे नहीं बोलना है?

SHRI K. C. VENUGOPAL: Your intention is very clear, Sir. Your intention is to hijack the Indian democracy. … (*Interruptions*) Sir, you know about the Indian people's mindset. You are scared of the 2029 elections. You want an escape route to cover up 2029 elections. That is why, you bring an anti-constitutional Bill.

Therefore, I think the Minister has to withdraw this Bill.

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन को पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए जब व्यापक चर्चा हो, तब आप अपने विषय पर बोलें। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। समय की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी सदन नियम-प्रक्रियाओं से चलना चाहिए। आप नियम 72 के अंतर्गत ही ऑब्जेक्शन करें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री धर्मेन्द्र यादव जी।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से, ये जो तीनों बिल आए हैं – संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, परिसीमन बिल और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) बिल, इन तीनों ही बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और संवैधानिक आधार पर विरोध करता हूँ।

देश के संविधान में संसद को पावर इस बात की दी गई है कि हम संविधान की संरक्षा और सुरक्षा करें, लेकिन आज ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना-मरोड़ना और फोड़ना चाह रहे हैं। इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विरोध के कुछ आधार हैं। जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, इसे मैं समझता हूँ कि यह पूरी तरह संविधान की भावनाओं के विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी आपको एक मिनट तो देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, एक मिनट नहीं देंगे। सदन ऐसे नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : महिला बिल की चाशनी के नाम जो हाल कश्मीर का हुआ है, असम का हुआ है, वही हाल पूरे देश का करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका हम सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से पुरजोर विरोध करेंगे।

इस बिल में जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी, तब तक हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। मैं एक बात और

स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाजवादियों से बड़ी महिलाओं की हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी हमारी पार्टी में महिलाओं का प्रतिशत आपकी पार्टी से ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारा सरकार से अनुरोध है कि संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, परिसीमन बिल और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) बिल को वापस लिया जाए और वर्ष 2023 में इस सदन ने महिलाओं के लिए जो बिल पास किया था, उसका अनुपालन किया जाए। उसे देश में लागू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : सब सीनियर सदस्य हैं। सभी को बार-बार रोकने और टोकने का कहेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय हमें रोकते हैं।

… (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, यह इललीगल हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप महिला आरक्षण के खिलाफ हैं? मैं नियम 72 को पढ़ देता हूं। एन.के. प्रेमचंद्रन जी नियम 72 क्या कहता है, मैं पढ़ कर सभी को स्पष्ट कर देता हूं। यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए, तो अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य, प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा।

परंतु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकती है।

परंतु यह भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है।

श्री किरेन रिजिजू : जिन्होंने रूल 72 में नोटिस दिया है, उन्हें टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मैं विनम्रता से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी से कहा

गया कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। रूल 72 के अंदर इस तरह की असंवैधानिक बात ये न बोलें। ... (व्यवधान) धर्म के नाम पर यहां रिजर्वेशन नहीं हो सकता है।... (व्यवधान) यह संविधान में नहीं है। ... (व्यवधान) इस तरह की बात न करें।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महिला विधेयक को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं?

श्री किरेन रिजिजू : सर, इन्हें पूरे देश की महिलाओं के लिए बात करनी चाहिए। ये मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों करते हैं? यह राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको महिला विधेयक को लेकर जल्दबाजी क्यों है? हम महिला विधेयक के पक्ष में हैं। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी, तो हम सभी लोग जाति गणना मांगेंगे। जाति गणना होगी, तो हम आरक्षण मांगेंगे। इसीलिए आप लोग धोखा दे कर आना चाहते हैं।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी ने बोला है, उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे किए गए हैं, जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है? मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जनगणना का काम शुरु हो चुका है और जारी है। उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना की मांग करेंगे। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार जाति की जनगणना का निर्णय ले चुकी है। ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, उसमें बैकवर्ड का कॉलम नहीं है।

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए, मैं बताता हूं। जाति के साथ ही यह जनगणना हो रही है।

माननीय सदस्य धर्मेंद यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है।

समाजवादी पार्टी की चले तो वह घरों की भी जाति तय कर दे। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी तो उसमें जाति का कॉलम रखा है। यह मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जनगणना जाति की जनगणना के साथ ही होने वाली है।

तीसरी बात, आपने कहा है कि नियम 72 हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस पर ही बोलने की इजाजत देती है। उसका उपयोग करके धर्मेन्द्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण के बारे में कही है। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देता है। मैं फिर से सरकार का संकल्प बताना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही है। हो सकता है कि उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी के लिए आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती हैं?

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी, डिबेट में आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे।

श्री अमित शाह : मान्यवर, समाजवादी पार्टी अपनी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अखिलेश यादव : किसी को हर्ट न करे, वह बात मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकते हैं। आपको डिबेट में बोलने का

पर्याप्त मौका मिलेगा। आप डिबेट के समय में सारा विषय रखिएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Sir, I rise on behalf of the All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 for two reasons.

The first reason is that Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the Government. This creates uncertainty and allows the Government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth and by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Saheb whose birth centenary we celebrated this week.

Secondly, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Articles 82 and 170 for the Lok Sabha and Vidhan Sabha. This Bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting the obligation into political choice. Women should be elected to the additional seats, for example, the All India Trinamool Congress always fields more than 33 per cent women candidates, even before the Bill was passed in 2023 and women will be elected to the additional seats created through reservation, without cutting the number of seats held by existing male MPs. This is chauvinism, anti-democratic and unconstitutional. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि सदन के सभी माननीय नेता बिल की डिबेट के समय में मत प्रकट करेंगे तो देश समझ जाएगा, इसलिए पूरी डिबेट के समय में अपना मत प्रकट करें। कृपया अभी केवल बिल की विधायी क्षमता पर ही अपना मत प्रकट करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी इन्हें समझा देंगे। एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, आप रूल पर ही बोलिएगा। अगर आप भी रूल पर नहीं बोलेंगे तो बाकी सदस्य उसको ठीक नहीं समझेंगे।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill on the following six grounds and that too the Constitutional grounds. I am questioning and challenging the Constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this Bill. According to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the Bill.

Number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women's reservation, but it is meant for the delimitation. This is the basic objection we are raising. The hon. Home Minister is always talking about the women's reservation. As per the Constitutional provision, this House unanimously, except two hon. Members, passed the Women's Reservation Bill as per the 2023 Act. So, that has become the part and parcel of the Constitution, and that is in existence. The same Home Minister has moved the Bill or the Government has moved the Bill and that was unanimously passed except two Members who have voted against it. So, that Bill is in existence. … (*Interruptions*)

These are all technical points. The Statement of Objects and Reasons

should be in consonance with the contents of the Bill, which is also a legislative practice. Here, it is missing in Para 6. Kindly see Para 6 that Shri K. C. Venugopal has just pointed out, namely 'the next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time'. Sir, whether the Government is not aware that the delimitation process as well as the census process will take time. So, after the delimitation, the Women's Reservation Bill can be made practicable only by 2034.... (*Interruptions*) Another very important point. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप तो पूरे बिल पर डिबेट करने लगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरे बिल पर डिबेट के समय मैं बोलने के लिए सबको पूरा समय दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आप अपनी बात एक सेकेंड में बोल दें।

... (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, मैं एक मिनट में बोल दूंगा। मैं हिन्दी में बोलूंगा। ... (व्यवधान)

Article 81(3) is the cardinal Constitutional point in this case. According to that, which census is to be taken for considering the population will be as per the Constitution. It is a Constitutional obligation and mandate. Now, the Government is changing that Constitutional mandate that as per the law, which is determined by the Parliament, with simple majority. ... (*Interruptions*) Sir, that means the propriety of the Constitution and the mandate of the Constitution is being challenged. ... (*Interruptions*) So, that is also the main objection. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस चीज को ही तो बिल में लेकर आए हैं। इसे ही तो बिल में लाए हैं। आप तो इंटेलिजेंट मेम्बर ऑफ पर्लियामेंट हैं।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I rise to oppose the Bills which have already been sandwiched, and we can call it as a sandwich Bill. … (*Interruptions*) All the three Bills can be called as sandwich Bills because everything is interlinked together. So, the Government has not come forward to see that each and every Bill is put separately. They have sandwiched each and every thing, and everywhere it has got a link. Every speaker of this House would find it very difficult to distinguish between one Bill and another Bill.

First of all, I would say that we are for the Women's Reservation Bill as passed in 2023 in the same Lok Sabha and Rajya Sabha, which is already in the record. Hence, it is not necessary to bring one more Bill. But at the same time, we could insist that the Government should have come forward in 2024, 2025 and 2026. Now, they are lingering the things further as they want to have a delimitation, they want to have a census, and after the census it has to come into force. … (*Interruptions*)

Yesterday, my Leader, in Salem valley, has hoisted a black flag, and at same time he has burned to ashes the Bills proposed by this Government. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने काला झंडा दिखाया, पीला झंडा दिखाया, इससे सदन का क्या लेना-देना है? झंडे दिखाते रहिए।

SHRI T. R. BAALU: At the same time, we would like to clarify that the

opposition to these Bills do not alter our Party's stand for immediate implementation of 33 per cent reservation for women in Parliament and legislatures. So, DMK's stand is very clear. They should not just find fault with it in between, so that things will be very clear. That is why, I am reiterating it. We are for women's reservation and this women's reservation should be taken up forthwith without any further delay.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 because it violates the Parliamentary form of democracy and federalism which are both parts of basic structure of the Constitution.

Sir, this is not about the women's reservation. The main goal is to make South ruled and other areas a ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature.

Federalism is a basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism which is part of basic structure.

The Hindi heartland has 38.1 per cent share. It will increase to 43.1 per cent. Southern States will decrease from 24 per cent to 20 per cent. Why I say this because it is complete destruction of federalism. It also curtails parliamentary democracy. Parliamentary democracy has to be representative. If a voter in Telangana feels that their voting or not voting makes no difference, if decisions are taken in UP rather than Parliament, why will they vote?

Thirdly, it violates your own Direction 19A(2). The Minister has to give seven days' notice of a Motion for introducing a Bill in this House. Similar copies of a Bill to be introduced, need to be given to Members two days before introduction. This is a clear violation of 123(2)b of RPA Act 1951. I call this a corrupt practice. I will be asking for a division for this Bill, and I end by what Sahir Ludhianvi had said, यहां पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी

सर, साहिर लुधियानवी ने कहा है –

'शहंशाहों का गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, इक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक।'

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I strongly oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill. Any constitutional amendment must uphold federalism, democracy, and social justice. However, this Bill raises serious concerns, having been introduced without adequate consultation with State Governments and stakeholders, thereby undermining cooperative federalism.

It is important to recall that the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, namely the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, was passed in 2023. In this context, introducing another amendment raises doubts about the Government's intent, especially amid forthcoming State elections, suggesting political motives rather than democratic commitment. Such significant amendments cannot be rushed. This Bill risks centralising powers and weakening States.

Therefore, I urge the Government to withdraw this Bill. The Bill should come after the Census and then it should be implemented. I once again object to introduction of the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I want Division.

माननीय अध्यक्ष : हां-हां। अभी शुरू तो होने दीजिए। संविधान संशोधन विधेयक के अंदर डिवीजन ही होता है। बिना मत-विभाजन के संविधान संशोधन नहीं होते हैं। आप तो वरिष्ठ नेता हैं।

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सर, डिवीजन चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे कोई परेशानी नहीं है। संवैधानिक रूप से आप डिवीजन मांग सकते हैं। मेरा यह कहना है कि संविधान संशोधन विधेयक में डिवीजन होता ही है, मत-विभाजन होता है। अभी समय मत खर्च करो। यह आपके बोलने का समय रहेगा। इस पर विचार करो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाद में तो मत विभाजन होना ही होना है। आप क्यों समय खर्च करते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको डिवीजन मांगना ही है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओवैसी साहब आज सबसे ज्यादा चिंतित हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश कक्ष (लॉबीज़) खाली कर दिए जाएं -

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट पर बैठिए।

माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी अपनी सीट पर बैठिए, अन्यथा मैं नाम लेकर बोलूँगा कि आप सीट पर नहीं बैठ रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विशालदादा पाटिल, बैठिए।

सुरेश जी, अपनी सीट पर बैठिए।

माननीय महासचिव जी।

ANNOUNCEMENT RE: OPERATION OF AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the points in the operation of the Automatic Vote Recording System.

1. Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says, 'Now Division', the Secretary General will activate the voting button and a **GONG** sound will be heard simultaneously.
3. For voting, only after the sound of the **GONG**; repeat, only after the sound of the **GONG**, hon. Members may simultaneously press the "**VOTE SECURE"** button towards the left side of the multimedia device on the Headphone plate

and

any one of the following buttons fixed on the right side of the Headphone plate

Yes : Below Green colour sticker,

Noes : Below Red colour sticker,

Abstain : Below Yellow colour sticker.

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another **GONG** is heard. 5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i) If buttons are kept pressed **before** the first **GONG**; or

(ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second **GONG**.

6. Hon. Members can actually "**SEE**" the final result after a gap of a few seconds after the second **GONG**.

7. Hon. Members can check their vote on individual result display boards installed on either side of the hon. Speaker's chair, the multimedia device and also on the **Yes/No/ Abstain** button as the case may be.

8. In case vote is not registered or if any Member wishes to change their vote, they may call for voting through slip.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डिवीजन कौन मांग रहा है? सदन में एक सदस्य के अलावा और कोई सदस्य डिवीजन नहीं मांग रहा है।

… (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: हम डिवीजन चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप डिवीजन मांग रहे हैं। ठीक है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

The Lok Sabha Divided

DIVISION **11:55 HRS.**

AYES

*Agrawal, Shri Brijmohan

Agrawal, Shri Damodar

Anand, Shrimati Lovely

Aruna, Shrimati D. K.

Babu, Shri M. Mallesh

Baghel, Prof. S. P. Singh

Balayogi, Shri G. M. Harish

Baluni, Shri Anil

Bambhaniya, Shrimati Nimuben Jayantibhai

Baraiya, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh

* Voted through slip for Ayes.

*Barne, Shri Shrirang Appa Chandu

Baruah, Shri Pradan

Basumatary, Shri Joyanta

*Bhabhor, Shri Jaswantsinh Sumanbhai

Bharadwaj, Dr. Rajeev

*Bharti, Shri Arun

*Bhatt, Shri Ajay

Bhumare, Shri Sandipanrao Asaram

*Bidhuri, Shri Ramvir Singh

Bind, Dr. Vinod Kumar

Bommai, Shri Basavaraj

Chahar, Shri Rajkumar

Chandolia, Shri Yogender

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Chandan

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Dr. Raj Bhushan

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Choudhary, Shri Darshan Singh

* Voted through slip for Ayes.

*Choudhary, Shri Lumbaram

Choudhary, Shri Pankaj

Choudhary, Shrimati Roopkumari

*Choudhury, Shri Phani Bhusan

Chouhan, Shri Shivraj Singh

Chouhan, Shrimati Anita Nagarsingh

Chowta, Captain Brijesh

Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dalal, Shri Mukeshkumar Chandrakaant

Debbarman, Shrimati Kriti Devi

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devi, Shrimati Annpurna

*Devi, Shrimati Malvika

*Devi, Shrimati Veena

Devi, Shrimati Vijaylakshmi

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Ashish

Dubey, Shri Vijay Kumar

---

* Voted through slip for Ayes.

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri Parvatagouda Chandanagouda

*Gadkari, Shri Nitin Jairam

*Gangwar, Shri Chhatrapal Singh

Gond, Dr. Anand Kumar

Gopi, Shri Suresh

Govil, Shri Arun

Gupta, Shri Sudheer

*Gurumoorthy, Shri Maddila

*Haneefa, Shri Mohmad

Jadav, Shri Rajpalsinh Mahendrasinh

*Jadhav, Shri Prataprao Ganpatrao

Jaiswal, Shri Manish

Jangde, Shrimati Kamlesh

*Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Dr. Hemang

Joshi, Shri Pralhad

Kageri, Shri Vishweshwar Hegde

Kalisetti, Shri Appalanaidu

Kamait, Shri Dileshwar

---

* Voted through slip for Ayes.

Karandlaje, Kumari Shobha

Karjol, Shri Govind Makthappa

Kashyap, Shri Mahesh

Kashyap, Shri Suresh Kumar

Khandelwal, Shri Praveen

Kishan, Shri Ravindra Shukla Alias Ravi

Kishore, Shri Jugal

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushalendra

*Kumar, Shri Putta Mahesh

*Kumar, Shri Sunil

Kumaraswamy, Shri H. D.

*Kushwah, Shri Bharat Singh

Lakshminarayana, Shri G.

Lal, Shri Manohar

Lalwani, Shri Shankar

Lodhi, Shri Rahul Singh

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Maharaj, Shri Chintamani

Mahato, Shri Bidyut Baran

---

* Voted through slip for Ayes.

Mahato, Shri Dulu

Mahtab, Shri Bhartruhari

*Majhi, Shri Naba Charan

Makwana, Shri Dineshbhai

*Malhotra, Shri Harsh

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandaviya, Dr. Mansukh

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Mani, Shri Shashank

Manjhi, Shri Jitan Ram

Manjunath, Dr. C. N.

*Mathukumilli, Shri Sribharat

Medhi, Shrimati Bijuli Kalita

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mewar, Shrimati Mahima Kumari

Mhaske, Shri Naresh Ganpat

Mishra, Dr. Rajesh

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Nag, Shri Bhojraj

---

* Voted through slip for Ayes.

*Nagar, Shri Rodmal

Nagaraju, Shri Bastipati

Nagesh, Shri Godam

Naidu, Shri Kinjarapu Rammohan

Naik, Shri Shripad Yesso

*Oram, Shri Jual

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Baijayant

Pandey, Shri Santosh

Panigrahy, Dr. Pradeep Kumar

Pany, Shri Rudra Narayan

*Pardhi, Shrimati Bharti

Parthasarathi, Shri B. K.

Paswan, Shri Chirag

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Dhaval Laxmanbhai

Patel, Shri Gajendra Singh

Patel, Shri Haribhai

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Praveen

---

* Voted through slip for Ayes.

Patel, Shrimati Anupriya

Patil, Shri C. R.

*Patil, Shri Nagesh Bapurao Aashtikar

Patra, Dr. Sambit

Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar

Poojary, Shri Kota Srinivasa

Pradhan, Shri Dharmendra

Prakash, Shri Jai

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasada, Shri Jitin

Purandeswari, Shrimati Daggubati

Purohit, Shri Pradeep

Raghavendra, Shri B. Y.

Rai, Shri Nityanand

Rajender, Shri Eatala

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramesh, Dr. C. M.

Ranaut, Sushri Kangna

Rane, Shri Narayan Tatu

Rani, Dr. Gumma Thanuja

---

* Voted through slip for Ayes.

Rao, Shri Daggumalla Prasada

Rao, Shri Madhavaneni Raghunandan

Rathiya, Shri Radheshyam

Rathva, Shri Jashubhai Bhilubhai

Rawat, Dr. Manna Lal

Rawat, Shri Ashok Kumar

*Rawat, Shri Trivendra Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

*Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

*Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

*Reddy, Shri P. V. Midhun

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

Rupala, Shri Parshottambhai

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Bunty Vivek

*Sahu, Shri Tokhan

Sangwan, Dr. Rajkumar

*Sarangi, Shri Pratap Chandra

---

* Voted through slip for Ayes.

Sarangi, Shrimati Aparajita

Savara, Dr. Hemant Vishnu

Sehrawat, Shrimati Kamaljeet

*Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shri Avimanyu

Shabari, Dr. Byreddy

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajyalaxmi

Shambhavi, Shrimati

Sharma, Shri Alok

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Vishnu Datt

*Sharma, Shrimati Manju

Shettar, Shri Jagadish

*Shihora, Shri Chandubhai Chhaganbhai

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

*Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

*Singh, Dr. Jitendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Dharambir

---

* Voted through slip for Ayes.

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kali Charan

Singh, Shri Kirti Vardhan

*Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh *alias* Lalan

Singh, Shri Rao Rajendra

Singh, Shrimati Himadri

Sivanath, Shri Kesineni

Solanky, Shri Mahendra Singh

Somanna, Shri V.

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Tangella Uday

Subba, Dr. Indra Hang

Subhadarshini, Shrimati Anita

Sudhakar, Dr. K.

Suklabaidya, Shri Parimal

Suman, Dr. Alok Kumar

---

* Voted through slip for Ayes.

Surya, Shri Tejasvi

*Sutariya, Shri Bharatbhai Manubhai

Swaraj, Ms. Bansuri

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

*Tarai, Shri Bibhu Prasad

Tenneti, Shri Krishna Prasad

Thakur, Shri Anurag Singh

*Thakur, Shri Devesh Chandra

*Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Vivek

Thakur, Shrimati Savitri

Tisso, Shri Amarsing

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Shivmangal Singh

Uikey, Shri Durga Das

*Vallabhaneni, Shri Balashowry

Valmiki, Shri Anoop Pradhan

Vanlalhmangaiha, Shri Richard

Varma, Shri Bhupathi Raju Srinivasa

---

* Voted through slip for Ayes.

*Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Verma, Shri Rajesh

Wadiyar, Shri Yaduveer

Wagh, Shrimati Smita Uday

Waikar, Shri Ravindra Dattaram

Wankhede, Dr. Lata

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Giridhari

* Voted through slip for Ayes.

NOES

*Ahirwar, Shri Narayandas

Ahmad, Shri Mian Altaf

Akoijam, Dr. Angomcha Bimol

Anand, Shri D. M. Kathir

Ansari, Shri Afzal

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Arthur, Shri Alfred Kanngam S.

Baalu, Shri T. R.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Barve, Shri Shyamkumar Daulat

*Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Beniwal, Shri Ummeda Ram

Bhadauria, Shri Anand

Bhagare, Shri Bhaskar Murlidhar

*Bharti, Shrimati Misha

*Brahamchari, Shri Satpal

---

* Voted though slip for Noes.

C., Shri Robert Bruce

*Chabbewal, Dr. Raj Kumar

*Channi, Shri Charanjit Singh

Chaudhary, Shri R. K.

*Chaudhary, Shri Ram Prasad

Chaudhry, Shri Varun

Chavan, Shri Ravindra Vasantrao

Chhatrapati, Shri Shahu Shahaji

*Chhotelal, Shri

Chidambaram, Shri Karti P.

Choudhary, Sushri Iqra

*D., Shri Malaiyarasan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Desai, Shri Anil Yeshwant

*Deshmukh, Shri Sanjay Uttamrao

*Dhanorkar, Shrimati Pratibha Suresh

Dinesh, Dr. Bachhav Shobha

*Dohare, Shri Jitendra Kumar

*Eden, Shri Hibi

*Fernandes, Captain Viriato

Gaddam, Shri Vamsi Krishna

* Voted though slip for Noes.

*Gaikwad, Prof. Varsha Eknath

*Gandhi, Shri Rahul

George, Adv. Francis

Ghubaya, Shri Sher Singh

Gogoi, Shri Gaurav

*Gopinath, Shri K.

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Hitnal, Shri K. Rajashekar Basavaraj

Hooda, Shri Deepender Singh

*Hussain, Md. Rakibul

Indora, Shri Kuldeep

*Jatav, Shri Bhajan Lal

*Jatav, Shrimati Sanjna

Jagathrakshakan, Thiru Dr. S.

Jamir, Shri S. Supongmeren

Jawed, Dr. Mohammad

Jothimani, Sushri S.

K., Shri Eswarasamy

*Kale, Dr. Kalyan Vaijinathrao

Kalge, Dr. Shivaji Bandappa

Kang, Shri Malvinder Singh

* Voted though slip for Noes.

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaswan, Shri Rahul

*Kavya, Dr. Kadiyam

Khandre, Shri Sagar Eshwar

Kirsan, Dr. Namdeo

Kolhe, Dr. Amol Ramsing

Kumar, Dr. D. Ravi

Kumar, Shri Manoj

*Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Babu Singh

*Lal, Shri Kishori

*Lodhi, Shri Ajendra Singh

M. S., Shri Tharaniventhan

Madhur, Shri Utkarsh Verma

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

*Maliah, Shrimati June

Malik, Shri Harendra Singh

Mallikarjun, Dr. Prabha

Mani, Shri A.

Manickam Tagore, Shri B.

Masood, Shri Imran

---

* Voted though slip for Noes.

Maurya, Shri Neeraj

Meena, Shri Harish Chandra

*Meena, Shri Murari Lal

Meet Hayer, Shri Gurmeet Singh

Mehdi, Shri Aga Syed Ruhullah

*Mohibbullah, Shri

Mohite-Patil, Shri Dhairyasheel Rajsinh

*Mondal, Shrimati Pratima

*Munda, Shri Kali Charan

Naik, Shri G. Kumar

Nehru, Shri Arun

Nishad, Shri Laxmikant Pappu

Ola, Shri Brijendra Singh

*Owaisi, Shri Asaduddin

P., Dr. Ganapathy Rajkumar

Padavi, Adv. Gowaal Kagada

*Padole, Dr. Prashant Yadaorao

*Pandey, Shri Sanatan

Parambil, Shri Shafi

Parkash, Shri Jai

Patel, Dr. Shiv Pal Singh

---

* Voted though slip for Noes.

*Patel, Shri Naresh Chandra Uttam

Patel, Shri Shreyas M.

*Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar

*Patil, Shri Sanjay Dina

Patil, Shri Vishaldada Prakashbapu

*Porika, Shri Balram Naik

Prakash, Shri K. E.

Prasad, Dr. M. K. Vishnu

Premachandran, Shri N. K.

*Punia, Shri Tanuj

R., Kumari Sudha

R., Shri Sachithanantham

*Radhakrishnan, Shri K.

*Raghavan, Shri M. K.

*Raghuveer, Shri Kunduru

Rai, Shri Rajeev

Raja, Shri A.

*Rajbhar, Shri Ramashankar Vidyarthi

Ram, Shri Amra

Randhawa, Shri Sukhjinder Singh

*Rathor, Shri Rakesh

* Voted though slip for Noes.

Ravi, Dr. Mallu

Reddy, Shri Chamala Kiran Kumar

Reddy, Shri Ramasahayam Raghuram

*Rehman, Shri Zia Ur

Roat, Shri Rajkumar

S., Shri Matheswaran V.

S., Shri Murasoli

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Saroj, Adv. Priya

*Saroj, Shri Daroga Prasad

Saroj, Shri Pushpendra

Sawant, Shri Arvind Ganpat

*Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Selvaganapathi, Shri T. M.

Selvam, Shri G.

Senthil, Shri Sasikanth

*Shakya, Shri Devesh

Shekhar, Adv. Chandra

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Sushri Praniti Sushilkumar

* Voted though slip for Noes.

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Raja Ram

*Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shri Ujjwal Raman

*Singh, Shri Virendra

*Sinha, Shri Abhay Kumar

*Sonwane, Shri Bajrang Manohar

*Soren, Shri Nalin

*Sreekandan, Shri V. K.

Srikumar, Dr. Rani

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shrimati Geniben Nagaji

Thanga, Shri Tamilselvan

Thangapandian, Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Tukaram, Shri E.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

---

* Voted though slip for Noes.

*V., Shri Selvaraj

Vaithilingam, Shri Ve.

*Vasanth, Shri Vijayakumar *Alias* Vijay

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

*Venkaatesan, Shri S.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Lalji

Verma, Shri Ram Shiromani

Vira, Shrimati Ruchi

Waje, Shri Rajabhau Parag Prakash

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

*Wankhade, Shri Balwant Baswant

Warring, Shri Amrinder Singh Raja

Yadav, Shri Aditya

Yadav, Shri Akhilesh

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

*Yadav, Shri Surendra Prasad

*Yadav, Shrimati Dimple

---

* Voted though slip for Noes.

12.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आवश्यकता होगी, तो डिटेल में भी करेक्शन कर सकते हैं।

शुद्धि के अध्यधीन@, मत-विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 251

नहीं : 185

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

@ The following Members also recorded their votes through slip:

Ayes: 207 + S/Shri BrijmohanAgrawal, Shrirang Appa Chandu Barne, Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor, Arun Bharti, Ajay Bhatt, Ramvir Singh Bidhuri, Lumbaram Choudhary, Phani Bhusan Choudhury, Shrimati Malvika Devi, Shrimati Veena Devi, S/Shri Nitin Jairam Gadkari, Chhatrapal Singh Gangwar, Maddila Gurumoorthy, Mohmad Haneefa, Prataprao Ganpatrao Jadhav, Ramesh Chandappa Jigajinagi, Putta Mahesh Kumar, Sunil Kumar, Bharat Singh Kushwah, Naba Charan Majhi, Harsh Malhotra, Sribharat Mathukumilli, Rodmal Nagar, Jual Oram, Srimati Bharti Pardhi, S/Shri Nagesh Bapurao Aashtikar Patil, Trivendra Singh Rawat, Shrimati Sandhya Ray, S/Shri Konda Vishweshwar Reddy, P. V. Midhun Reddy, Tokhan Sahu, Pratap Chandra Sarangi, Sanjay Seth, Shrimati Manju Sharma, S/Shri Chandubhai Chhaganbhai Shihora, Janardan Singh Sigriwal, Dr. Jitendra Singh,S/Shri Pradeep Kumar Singh, Bharatbhai Manubhai Sutariya,Bibhu Prasad Tarai, Devesh ChandraThakur, Gopal Jee Thakur, Balashowry Vallabhaneni and Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava = 251

Noes : 126+ S/Shri Narayandas Ahirwar, E. T. Mohammed Basheer, Shrimati Misha Bharti, S/Shri Satpal Brahamchari, Dr. Raj Kumar Chabbewal, S/Shri Charanjit Singh Channi, Ram Prasad Chaudhary, Chhotelal, MalaiyarasanD., Sanjay Uttamrao Deshmukh, Shrimati Pratibha Suresh Dhanorkar, S/Shri Jitendra Kumar Dohare, Hibi Eden, Captain Viriato Fernandes, Prof. Varsha Eknath Gaikwad, S/Shri Rahul Gandhi, K. Gopinath, Md. Rakibul Hussain,S/Shri Bhajan Lal Jatav, Shrimati Sanjna Jatav, Dr. Kalyan Vaijinathrao Kale, Dr. Kadiyam Kavya, Adv. Dean Kuriakose, S/Shri Kishori Lal, Ajendra Singh Lodhi, Shrimati June Maliah, S/Shri Murari Lal Meena, Mohibbullah, Shrimati Pratima Mondal, S/Shri Kali Charan Munda, Asaduddin Owaisi, Dr. Prashant Yadaorao Padole, S/Shri Sanatan Pandey, Naresh Chandra Uttam Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar Patel, S/Shri Sanjay Dina Patil, Balram Naik Porika, Tanuj Punia, K. Radhakrishnan, M. K. Raghavan, Kunduru Raghuveer, Ramashankar Vidyarthi Rajbhar, Rakesh Rathor, Zia Ur Rehman, Daroga Prasad Saroj, Hamdullah Sayeed, Devesh Shakya, Sudhakar Singh, Virendra Singh, Abhay Kumar Sinha, Bajrang Manohar Sonwane, Nalin Soren, V. K. Sreekandan, Selvaraj V., Vijayakumar *Alias* Vijay Vasanth, S. Venkatesan, Balwant Baswant Wankhade, Surendra Prasad Yadav and Shrimati Dimple Yadav =185

12.15 hrs

(ii) UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2026*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 8

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———————

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 16.04.2026.

12.17 hrs

(iii) DELIMITATION BILL, 2026*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 9

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा हैं, के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन:समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि लोक सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा हैं, के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन:समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

———

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 16.04.2026.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

12.19 hrs

MOTION RE: SUSPENTION OF PROVISO TO RULE 66 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Adhyaksh Mahoday, with your kind permission, I move the following motion:

> "That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill, 2026 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 in as much as these are dependent upon the Constitution (One Hundred and Thirty-first Amendment) Bill, 2026."

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill, 2026 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 in as much as these are dependent upon the Constitution (One Hundred and Thirty-first Amendment) Bill, 2026."

श्री वेणुगोपाल जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, this argument placed by the hon. Minister is completely against the rule. The rule is very clear. It says:

> "A Bill, which is dependent wholly or partly upon another Bill pending before the Assembly, may be introduced in the Assembly in anticipation of the passing of the Bill on which it is dependent."

Here, one Bill is the Constitutional Bill, and another two Bills are not the Constitutional Bills. Clubbing both together will not be a good practice. We cannot allow it. There are consequences. If the Constitution (Amendment) Bill would be defeated, then, what is the point of doing this? This is completely unconstitutional. Therefore, clubbing of these Bills cannot be allowed.

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : वेणुगोपाल जी, आपकी बात पूरी हो गई है। आप बोल चुके हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, आप अपनी बात रखिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस विषय पर व्यवस्था दे रहा हूं।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा टैक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है, उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है, उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो

रूल्स हैं, जो नियम बने हैं, वे अलग-अलग हैं। इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता है। दूसरा, जब डिबेट होती है, तब संविधान संशोधन पर अलग डिबेट होनी चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, ये तीन बिल - एक संविधान संशोधन बिल और दो बिल्स, जो सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उनमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए ये दो कानून जरूरी हैं। इसलिए ये दो कानून साथ में लाए गए हैं। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरत उत्पन्न होती है, उसी के लिए ये दो कानून लाने का सोचा गया है।

जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग-अलग होता है। अभी हम चर्चा एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर एट-लैन्थ में देखें, तो एक ही विषय पर चर्चा होनी है।

जब आप बिल पारित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगी और बिलों पर डिवीजन की जरूरत पड़ी तो अलग होगी। इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन में उनकी सहमति से पास हुए, मगर आज सुबह वह मीटिंग में विरोध करना है, यह तय करके आए थे, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उनको अलाउ थोड़े ही किया है।

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, it is a very important constitutional provision.

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी वकालत मत कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। शशि थरूर जी ने वेणुगोपाल जी को ज्ञान दे दिया है। अगर वेणुगोपाल

जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी बोलते। मैं क्या करूं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको बोलना है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ए. राजा जी, आप बोलिए।

SHRI A. RAJA: Sir, there are two bills. One is a Constitution Amendment Bill and the other is the Delimitation Bill. It is a statutory Bill well within the domain and scope of Parliament. The Constitution Amendment Bill has to go to the President of India and the Delimitation Bill also has to go for the assent of President. Sir, in the Delimitation Bill, you have to seek how the delimitation is going to happen and consequentially, what happens to the Constitution. First of all, the first duty of Parliament is to pass the Delimitation Bill and get the assent. Consequently, the Constitution has to be amended. … (*Interruptions)* It cannot be clubbed together. That is the procedure. … (*Interruptions)* Please go through the rules.

SHRI K. C. VENUGOPAL: That is what Rule 66 talks about.

माननीय अध्यक्ष : मैं अब नियम 66 पर ही डायरेक्शन दे रहा हूं। चूंकि, माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है। सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कर सकती है। इसके पूर्व में कई दृष्टांत हैं। अगर आप चाहेंगे, तो सभी कार्यकालों के एक-एक दृष्टांत को सुना सकता हूं। उसकी एक लंबी सूची है। उनमें संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014, नेशनल ज्यूडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन और उससे पहले संविधान का 98वां संशोधन, जनप्रतिनिधि विधेयक, 1987 हैं। सबके कार्यकाल में अलग-अलग समय पर यह परम्परा रही है। सदन परम्पराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी

चलता है और नियमों में छूट देने की, शिथिलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, there is a point of order.

माननीय अध्यक्ष : इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 66 के परंतुक को संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पर निर्भर होने की सीमा तक परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार तथा पारित करने के प्रस्तावों के संबंध में लागू होने को निलंबित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, मैं सदन का मत लेना चाहता हूं कि आप इस विषय पर कितने घण्टे चर्चा चाहते हैं?

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : आप 18 घण्टे चर्चा कर लीजिए।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा) : सर, 20 घण्टे चर्चा कर लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप रात में अकेले बैठे रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, हमारा अनुरोध है कि सभी सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हुए हैं। आपने पहले ही कह दिया है कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। सरकार की ओर से मैं एक बात रखना चाहता हूं, क्योंकि दो दिन की चर्चा है, तो फिलहाल आज और कल मिलाकर हम 12 घण्टे चर्चा का समय तय करें। 12 घण्टे होने के

बाद समय एक्स्टैंड करने की अथॉरिटी हमने स्पीकर साहब को दे दी है। यह ठीक है।

क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। हम स्पीकर साहब के ऊपर छोड़ देते हैं कि आज कितनी देर तक चर्चा करनी है? यदि सारे मैम्बर्स देर रात तक बैठेंगे तो सरकार सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लम्बी चर्चा करनी पड़ेगी। आप 15 घंटे या 18 घंटे, आप जितने घंटे चाहेंगे, आपको उतने घंटे का समय देंगे और आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देंगे। समय की कमी नहीं रहेगी। सब को समय देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक पार्टी के सदस्य हो, तीन घंटे की चर्चा में आपका समय एक मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 मिनट बोले हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैंने हर विधेयक पर सदन के अंदर सब को पर्याप्त समय दिया है। जब अनुच्छेद 370 का विधेयक पारित हुआ था तो गृह मंत्री जी ने आग्रह किया था कि आप जितना समय देना चाहें, आप दें। इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितनी देर चर्चा करना चाहें, आप चर्चा करें। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक है। इसलिए इस पर व्यापक, डिटेल्ड चर्चा होनी चाहिए। इस पर कल 4 बजे मतदान होगा, ताकि सब को जानकारी रहे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

12.26 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 2026
AND
UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2026
AND
DELIMITATION BILL, 2026

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोक सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा हैं, के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन:समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से

लिखा जाएगा। इसी गरिमामय सदन ने सितंबर, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को पास कर, हमारी मातृशक्ति के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में 33 परसेंट सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी। आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया है।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं, जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368(2)... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये। मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मुझे नाम लेकर बोलना पड़ेगा। आप प्लीज बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे हैं। आप प्लीज बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विशालदादा पाटील जी, यह क्या तरीका है? आपको कई बार समझा दिया है। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जैसे पहले कहा, मैंने अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन जो आइटम नंबर 10 है, आपने रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, उसमें मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आइटम नंबर 11, 12 और 13 पर एक साथ विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368(2) के माध्यम से संविधान को यह शक्ति प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम आवश्यकतानुसार संशोधन कर लोकहित के निर्णय लागू कर सकते हैं। संविधान ने आर्टिकल

368 के तहत यह शक्ति संसद को दी है। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था।

इसका मतलब यह है कि यह मुद्दा वर्ष 1949 से ही चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की बात को संविधान निर्माताओं ने जोर देकर कहा है। उन्होंने जस्टिस को तीन प्रकार का कहा है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए हैं। जो भी सरकारें रहीं, उनके द्वारा उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गईं और उनकी स्पीड व स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं, तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है। उसे 'इज्जत घर' का नाम दिया गया है। पीएम आवास योजना के माध्यम से जब 69 प्रतिशत मालिकाना हक मातृशक्ति को दिया जाता है, तो वह सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है, तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक, यही हमारा सामाजिक न्याय है, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने की थी। हमें समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है, तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मेटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है, तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन प्रदान करने से जब महिलाएं राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती हैं, तो वे सशक्त होने का साहस महसूस करती हैं।

इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे। मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात की है, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करूंगा। अगर आर्थिक न्याय की बात करें, तो योजनाएं पहले भी बनीं, लेकिन जब वर्ष 2014 में मोदी जी आते हैं, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन और परिणामों में एक स्पष्ट बदलाव नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाता, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी योजना, मुद्रा योजना में तो 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन के स्वयं निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनकर महिलाएं आर्थिक योजनाओं में सहभागिता दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सब क्यों संभव हो पाया? यह ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि यह उस दृढ़ इच्छाशक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी है और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब हम राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात की, आर्थिक न्याय की बात की। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लेखित है। पहला शब्द ही न्याय है। हम राजनीतिक न्याय की बात करें, तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को 'राइट टू वोट' दिया। यह राजनीतिक न्याय है, जिसे उन्होंने 'यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी' कहा। महिलाओं की राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेकर 'ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस', जो वर्ष 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी, यह 100 साल का संघर्ष है, उसमें वर्ष 1931 तक सभी महिलाओं के व्यस्क मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। बाबा साहेब का कहना था, “I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अर्थात्, मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहाँ भारत में बाबा साहेब ने

आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहीं दुनिया के विकसित कहे जाने वाले देशों में लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं यूएस का उदाहरण देता हूं। यूएस वर्ष 1776 में आजाद हुआ, लेकिन वहां महिलाओं को मताधिकार मिलने में 144 साल लग गए। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1918 में महिलाओं को मताधिकार तो दिया गया, लेकिन उसे लिमिटेड कर दिया।

जो महिलाएं 30 साल से अधिक उम्र की हों या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखते हों, उनको यह अधिकार दिया। उसके 10 साल बाद वर्ष 1928 में द इक्वल फ्रेंचाइजी एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल्स पेश हुए हैं। ये बिल्स महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेंगे।

सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में खूब कही गई है लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर उसे लागू करने का किसी ने प्रयास किया तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृत काल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर, 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवा कर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्वित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट्स बिल्स लेकर आए हैं। The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित किया गया था, जिसको हम

नारी शक्ति वंदन कहते हैं। जिसको 28 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया है। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल्स 330(ए), 332(ए) और 334(ए) इंसर्ट किए गए थे तथा आर्टिकल 239(एए) में अमेंडमेंट किया गया था ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग वन थर्ड सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सकें। इस संबंध में संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष व अन्य दलों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वूमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि, जो प्रोविजंस 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे उनके अनुसार यह महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रेलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था, जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फीगर के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती है। अगली सेंसस और उसके बाद की डीलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वूमेन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी आज हम जो अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं उनका मूल उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करना है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 172, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 33(ए) में संशोधन का प्रस्ताव है, जो बिल में साफ-साफ उल्लेखित है। The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन जिसमें एससी-एसटी भी शामिल हैं, प्रदान किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड एबव रखना है, न की वर्तमान एलोकेशन आफ सीट्स को प्रभावित करना। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओं की सीट्स हेतु किया जा रहा आरक्षण होरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33 प्रतिशत होने के साथ-

साथ वर्टिकल भी है अर्थात् एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटों में भी 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा । पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेन्थ 815 सदस्यों की होगी । इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कुल 815 सीटों का एक तिहाई है। यह एक सिम्पल-सा फॉर्मूला है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें पुरुष वर्ग को नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो ताकत उस राज्य की है, आने वाले समय में उतनी ही ताकत रहेगी।

वर्ष 2011 की सेंसस के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस रिकॉर्ड है। वर्ष 2025 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में वर्ष 2027 के उत्तरार्द्ध या 2028 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना का उपयोग री-एडजेस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरीटोरियल कॉंस्टीट्युएंसी तथा एससी-एसटी सीटों के एलोकेशन के लिए किया जाएगा। यह हमने अपने बिल के उद्देश्य में भी लिखा है।

आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइलमैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणास्रोत, भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहता हूं। जब 3 अक्टूबर, 2005 को कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कम्बाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान मुंबई विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एपीजी अब्दुल कलाम साहब से एक सवाल पूछा।

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं वह प्रश्न पढ़कर सुनाना चाहता हूं। “What is the future of women in Indian politics when all the political parties are opposing the Women’s Bill?” एपीजी अब्दुल कलाम साहब ने जवाब दिया कि “Definitely, the reservation of 33 per cent sought will come. It is only a matter of time. Success

generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the Bill passed." यह समय आज आ गया है। कलाम साहब ने उस समय कहा था कि समय आएगा और आज वह समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ गया है। यह सदन इसको पास कर रहा है। इसी श्रृंखला में उन्होंने यह भी कहा कि "If women get into the Assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics, instead of political politics, if more women enter the scene." यह सपना अब्दुल कलाम साहब का भी था, जो आज आदरणीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व अगर होगा और हम विकास व निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदार बनाएंगे, तो इसका देश को लाभ होगा। मैं विनम्रता के साथ आज यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विज़न को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है।

महोदय, इस अवसर पर मैं भारत के प्रथम उप प्रधान मंत्री व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पूर्व अहमदाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण की बात कही थी। मैं उनको नमन करना चाहता हूं।

महोदय, महिलाओं को लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में आरक्षण देने संबंधी विषय बहुत लंबे समय से लंबित था। वर्ष 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कमेंट किया था । वर्ष 1981 के नेशनल प्रॉस्पेक्टिव प्लान में भी सभी निकायों में महिलाओं हेतु 30 परसेंट आरक्षण की सिफारिश की थी। 73वां, 74वां संशोधन भी आया, लेकिन लोक सभा व विधान सभाओं में महिला आरक्षण का काम आगे नहीं बढ़ा।

महोदय, जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, सबसे पहले यह बिल 12 सितम्बर, 1996 को श्री एचडी देवेगौड़ा साहब की सरकार के समय संविधान के 81वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया। बहस के बाद इसे गीता मुखर्जी जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय

समिति को सौंप दिया गया। गीता मुखर्जी कमेटी ने 9 दिसम्बर, 1996 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन वर्ष 1996 में 11वीं लोक सभा खत्म होने के साथ ही यह बिल खत्म हो गया। इस दिशा में अगला प्रयास आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 14 दिसंबर, 1998 को संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन 12वीं लोक सभा के खत्म होते ही यह प्रयास भी समाप्त हो गया।

महोदय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगली सरकार द्वारा 13वीं लोक सभा में 23 दिसम्बर, 1999 को संविधान का 85वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति न बनने के कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ सका। इसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा 108वां संविधान संशोधन विधेयक 6 मई, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद 9 मार्च, 2010 को राज्य सभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया, लेकिन लोक सभा में यह बिल पास नहीं हो सका।

जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े और मात्र दो वोट उसके विपक्ष में पड़े। जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। वर्ष 2023 के तौर पर यह लागू हुआ। इसे वर्ष 2023 में लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर, 2023 को राज्य सभा में 214 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के यह बिल पास किया गया। 28 सितंबर, 2023 को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई।

महोदय, चार दशकों के लंबे अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो पायी है। आज हम इस 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से इसे इस महान सदन के समक्ष साकार रूप देने जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत और भारतीयता के शाश्वत संदेश का प्रचार करने वाले स्वामी विवेकानन्द जी का कोट भी मैं यहां पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानन्द जी ने एकमात्र शक्ति के उत्थान का संदेश देते हुआ कहा था।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसे कोट करना चाहता हूँ।

“There is no chance for the welfare of the world unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing.”

हम दो पंखों से उड़ना चाहते हैं। यह नरेन्द्र मोदी जी का सपना है। मुझे विश्वास है कि इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन के लागू होने से भारत, जिसे कभी ‘वैभव भारत’ के नाम से जाना जाता था, की विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और हमारा भारत ‘विकसित भारत’ बनेगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने भी स्वतंत्र, शिक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी की कल्पना करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि महिलाएँ केवल घर तक सीमित नहीं हैं। वे निर्णय लेने, कानून बनाने, प्रशासन करने में सक्षम हैं। वे निडर, जागरूक और प्रगतिशील हैं। महिला समाज को आगे बढ़ाती है।

महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव और गर्व के साथ यह कहना चाहूँगा कि वैदिक काल से आधुनिक काल तक, जब-जब मातृ शक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब-तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपने आपको सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है, जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। रानी नागनिका, कश्मीर की रानी दिद्दा, रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होल्कर जैसी अनेक रानियों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फुले, रमाबाई जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। औपनिवेशिक काल में, आजादी के संघर्ष में भी महिला नेतृत्व ने बढ़-चढ़कर भूमिका निभायी। हम सरोजनी नायडू की बात कर सकते हैं। हम कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भीकाजी कामा, मातंगिनी हाजरा, रानी गाइदिनल्यू जैसी अनेक महिलाओं का नाम गर्व से ले सकते हैं।

महोदय, संविधान सभा में भी 15 विद्वान महिलाओं का योगदान संविधान निर्माण में रहा

था। मैं आज उनको भी इस सदन के माध्यम से शत-शत नमन करना चाहता हूँ। मैं उन सभी महिलाओं का नाम लेना चाहूँगा। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित।

महोदय, यह अमृत काल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत का 'विकसित राष्ट्र' बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जब 'विकसित भारत' का उत्सव मनाया जायेगा तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूँ कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृ शक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें।

महोदय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द है 'We, the people of India'. अर्थात् 'हम भारत के लोग' को कोट करते हुए कहना चाहता हूँ, आप सबको कहना चाहता हूँ कि 'हम भारत के लोग', क्योंकि भारत के लोगों ने ही हमें यहां चुनकर भेजा है।

हम भारत के लोग, बन रहा है ऐसा सुखद संयोग,
बनेगा विकसित राष्ट्र, बढ़ेगा सबमें परस्पर सहयोग,
हर आंगन से संसद तक होगी नारी की भागीदारी,
हर निर्णय में उसकी भी होगी पूरी जिम्मेदारी,
ऐसा होगा सुफल संयोग, हम भारत के लोग,
ऐसा बन रहा सुखद संयोग।

आइए हम सब मिलकर दलों से ऊपर उठकर मातृशक्ति को सम्मान देने वाली नारी शक्ति को उनका अधिकार देने वाले इन बिलों का सर्वसम्मति से समर्थन करें और नारी शक्ति को समृद्ध बनाएं।

अध्यक्ष जी, मैं अंत में अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी भी कुछ पंक्तियां रहती हैं।

सर, मैं लेखक भी हूं। मैंने अपनी पत्नी पर किताब लिखी है, 'एक सफर हमसफर के साथ'। मैं उसका लेखक हूं और सब्जेक्ट मेरी पत्नी है। मैं कवि भी हूं, तो नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह भावना बहुत शानदार है।

हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी,
विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी।
अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति, सम्मान का उत्सव है,
पूरा विश्व देखेगा, आज नारी उत्थान का उत्सव।
निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब यह सहभागी,
बहुत लंबी तपस्या से अब यह आशा जागी है।
इन्हें आकाश छूने दो, न इनकी राहों को रोको,
बुलाओ इनको संसद में, महक उठे फूलवारी।
आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी,
विकसित हो रहे भारत की पहचान है, नारी।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप टोकेंगे, तो एक कविता और सुननी पड़ेगी। आप यदि दो बार बोलोगे, तो दो कविता सुननी पड़ेंगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि लोक सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा हैं, के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन:समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री गौरव गोगोई जी।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

मैं आज इस विशेष सत्र में अपनी पार्टी की तरफ से संविधान के 131वें संशोधन के विरोध में बात रख रहा हूं।

सर, हमने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की बात सुनी और उनकी बातों से लग रहा था कि शायद पहली बार सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, इसलिए आज ही हर्ष का दिन है, आज ही उल्लास का दिन है, आज ही पारित हो रहा है और यह पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, उन्होंने ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की। आज से तीन साल पहले आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी उस समय ऐसी ही बातें की थीं। आप यदि दोनों वक्तव्यों को सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा, आज कानून मंत्री जी ने भी 90 प्रतिशत वही वक्तव्य पढ़कर दोबारा सुनाया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय भी हम सबको श्रीगणेश करने के

लिए आह्वान किया था। वर्ष 2023 से पहले पांच बार महिला आरक्षण पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए गए हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सशक्त कदम उठाया है, इस बार हो जाएगा। उस समय भी ऐसी ही बातें थीं और हमने उस समय भी यही बात की थी, जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन आप कृपया महिला आरक्षण को सरल कीजिए, ताकि जिस समय कानून पारित हो, उसी समय महिला आरक्षण लागू हो जाए और 543 सीटों की लोक सभा की जो वर्तमान ताकत है, उस पर लागू हो जाए। उसको परिसीमन के साथ मत जोड़िए। उस समय भी हमने यह बात कही थी और आज भी हम यह बात कह रहे हैं।

लोक सभा में हमारे कांग्रेस दल की नेतृत्वी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन आप इसे परिसीमन के साथ मत जोड़िए। हमने उस समय भी यह गुहार की थी कि महिला आरक्षण को वर्ष 2024 के चुनाव में ही लागू कीजिए।

उस समय हमें आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। आदरणीय गृह मंत्री जी की जो स्पीच है, उस भाषण में ही एक लाइन उन्होंने कही थी, जिसे मैं सदन की इस चर्चा में लाना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे ही लोक सभा चुनाव, 2024 फारिग हो जाएगा, उसके तुरन्त बाद जनगणना होगी, तुरन्त ही परिसीमन होगा और तुरन्त ही महिला आरक्षण लागू होगा। अब इन तीन सालों में ऐसी क्या बात बिगड़ गयी, तीन सालों में ऐसे क्या बदलाव आये? लोक सभा चुनाव के बस दो साल ही हुए हैं। अगर आप इस विधेयक के 'स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रिजन्स' को पढ़ें तो आज सरकार खुद ही यह कह रही है कि जो अगली जनगणना होगी, जो अगला परिसीमन होगा, उसमें काफी समय लगेगा और उसमें काफी डिले होगा। ये दोनों बातें अलग हैं। तीन साल पहले स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया और कहा कि जैसे ही अगली सरकार आएगी, तुरन्त ही जनगणना होगी, तुरन्त ही परिसीमन होगा। आज भी ये कह रहे हैं कि जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी-अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या कितनी है, इससे इसकी शुरुआत

हो गयी है और फिर व्यक्गित जनगणना की शुरुआत होगी। फिर आप अपने ही बिल में यह क्यों कह रहे हैं कि अगली जनगणना, अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा। इसको हम क्या समझें? इससे हम यह समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप वास्तविक रूप में महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। आप बार-बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार की अटकलें ला रहे हैं, ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए, यह और बाद में लागू हो। जो बात आसानी से हो सकती है, जो बात सरलता से हो सकती है, उसमें आप बार-बार पेंचीदा अटकलें लाकर उसमें विलम्ब कर रहे हैं।

अगर आप वर्ष 2023 में हमारी बात सुनते तो वर्ष 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। हम आज भी यह कह रहे हैं कि आप इस महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ मत जोड़िए, आप महिला आरक्षण लाइए। वर्तमान में हमारी जो 543 की ताकत है, आप उसी पर इसे लागू कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। अगर आप इसे वर्ष 2029 में लाना चाहते हैं तो आप कृपया इसे लाइए, पर आप हर बात में जो राजनीति करते हैं, जो सिम्बॉलिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं, यह साफ-साफ आपके इन तीनों बिल्स में दिख रहा है कि आपका यह बिल महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, यह बैकडोर के द्वारा देश का परिसीमन करने का बिल है। यह आपकी मंशा है। यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि परिसीमन की आपकी मंशा है। उस पर आपने बस महिला आरक्षण का एक लेबल लगा दिया है, ढाँचा लगा दिया है। यह कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि आपको यह ढाँचा लगाने के लिए महिला आरक्षण ही मिला, आपकी राजनीतिक मंशा को छिपाने के लिए महिला आरक्षण ही आपकी सुरक्षा कवच बना और कोई दूसरा विधेयक आपको इसके लिए नहीं मिला? इसका मतलब है कि यह करने की आपकी मंशा ही नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें विलम्ब क्यों है? पहली बात तो इस बात पर शंका होती है कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, नहीं तो आप तुरन्त इसको लेकर आते। दूसरी जो शंका मन में पैदा होती है, वह यह है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 2023 और 2026 के बीच में एक ही अंतर है। वर्ष 2023 में भी आपकी सरकार थी। वर्ष 2026 में भी लोगों ने आपकी

सरकार बनाई।

13.00 hrs

वर्ष 2023 में आपने कहा कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण होगा। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, जनगणना से पहले हमें महिला आरक्षण लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या फर्क आया? फर्क सिर्फ इतना ही आया कि पूरे इंडिया अलाएंस और विभिन्न विरोधी दलों के दबाव में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने आपकी सरकार से विमर्श किया कि आपको जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी करनी पड़ेगी। इसका उल्लेख आपने एक प्रेस रिलीज के द्वारा फरवरी महीने में किया। आपने दबाव में आकर ऐसा किया। आप इसके पक्ष में नहीं थे। इस प्रेस रिलीज से पहले कई बार सदन के अंदर और सदन के बार हम पर क्या-क्या आलोचना नहीं हुई। कभी अर्बन नक्सल, कभी देशद्रोही, क्या-क्या नहीं हमें कहा गया। आप देश का बंटवारा चाहते हैं। ऐसा आरोप हम पर लगाया गया। आपने खुद देखा कि देश के लोग, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। आप विवश होकर जाति जनगणना लेकर आए हैं। आप जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। आप इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। अभी भी समय है। वर्ष 2026 है। आप कह रहे हैं कि आपका काम शुरू हो गया है। आपने यहां पर क्यों लिखा है कि कंसीडरेबल टाइम लगेगा और हमारी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन है, वह डिले हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। आपका उद्देश्य साफ-साफ राजनीति है। इसे मैं पढ़ देना चाहता हूं। The next Census and consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed Bill is to operationalise one-third reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published Census.

यह क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हैं? आप इस बिल में संख्या लेकर आए हैं कि क्लॉज-3 में, आर्टिकल 81 ऑफ कंस्टीट्यूशन में संशोधन आना चाहिए। इसमें 850 मेम्बर होने चाहिए। यह संख्या कहां से आया? यह संख्या किसने निर्धारित की? क्या यह संख्या सरकार ने निर्धारित की? इसीलिए, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने-आप ऐसा कर रही है। संविधान में लिखा हुआ है कि वर्ष 2026 में जो सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा । आज सरकार संविधान के आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रही है कि हमें सेंसस के लिए नहीं रुकना है। आपने अपने आप चुन लिया कि संख्या 850 करना है। यह संख्या कहां से आया? क्या यह संख्या नागपुर से आयी, किसी शाखा से आयी, यह कहां से आयी? क्या कोई सरकारी दस्तावेज है, क्या कोई पार्लियामेंट्री पेपर है, क्या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है? यह संख्या 850 कहां से आयी? क्या यह आसमान से टपकी है? यह कहां से आयी, यही हम जानना चाहते हैं।

इसीलिए, हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस नहीं है । सरकार अपने आप कैसे तय कर सकती है कि पार्लियामेंट के सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए? क्या बिना सेंसस के सरकार अपने आप ऐसा कर सकती है? हमें बार-बार पता चलता है कि आप डिलिमेटशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं । इसके लिए आपकी मंशा नहीं थी । हमारे संविधान के जो निर्माता थे, डिलिमिटेशन किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक हथियार के रूप में निर्माण करना, उनका ऐसा मंशा नहीं था। डिलिमिटेशन की मंशा थी कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन और सुशासन के लिए हम अपने विधानसभाओं और लोक सभा क्षेत्रों का ऐसा करें, ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले और सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को एक निजी और काफी निम्न स्तर की राजनीति के रूप में इसे बनाया गया।

मैं दो प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। इनमें एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा असम है। दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन किया गया। एक प्रदेश में क्या हुआ है? जब आपने जम्मू-कश्मीर का परिसीमन किया, तो वहां आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया। वहां पर आपने वर्ष 2011 के सेंसस का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जब आपने असम का परिसीमन किया, तो वहां पर परिसीमन का दायित्व खुद चुनाव आयोग ने ले लिया। वहां पर परिसीमन किस सेंसस के आधार पर हुआ, वहां वर्ष 2001 के सेंसस के आधार पर परिसीमन हुआ।

आप सोच सकते हैं कि भारत में 21वीं सदी में वर्ष 2022 से 2023 में लगभग एक-डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में भारत के दो प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है, जिनमें एक प्रदेश में वर्ष 2011 के सेंसस के आधार पर और एक में वर्ष 2001 के सेंसस के आधार पर किया। इनमें एक जगह पर डिलिमिटेशन कमीशन और एक जगह चुनाव आयोग है। इससे साफ-साफ पता चलता है कि यह डिलिमिटेशन किसी प्रकार से आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी राजनैतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपनी राजनैतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए डिमिलिटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

डिमिलिटेशन का तात्पर्य क्या था? डिलिमिटेशन का तात्पर्य यह था कि हर क्षेत्र चाहे लोक सभा क्षेत्र हो, चाहे विधान सभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि असम में क्या हुआ? असम में एक लोक सभा क्षेत्र में 14 लाख लोगों की जनसंख्या है और एक लोक सभा क्षेत्र में 26 लाख लोगों की जनसंख्या है। आप यह किसकी सुविधा देख रहे हैं। यह आम नागरिकों की सुविधा नहीं हो सकती है, क्योंकि 26 लाख लोगों की जनसंख्या वाला लोक सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। वह न तो प्रशासनिक रूप से और न सुशासन रूप से किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है।

सर, ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक विधान सभा में कहीं चार जिला परिषद हैं और कहीं दो जिला परिषद हैं। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक जिला पंचायत में दस वार्ड हैं, उनमें से दो

वार्ड एक विधान सभा में, तीन वार्ड दूसरी विधान सभा में और तीन वार्ड चौथी विधान सभा में हैं। क्या यही परिसीमन है? अफसोस की बात है कि इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसे अमेरिका में जेरिमैंडरिंग कहते हैं । यह कम्पलीट पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन है । एक जियोग्राफिकल कंटिगुइटी होती है । डिलिमिटेशन में एक चीज जियोग्राफिकल बिसाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिसिएंशी होती है। इसमें जियोग्राफिकल कंटिगुइटी होनी चाहिए, लेकिन आपने आज ऐसे क्षेत्र बनाए हैं कि एक नदी के इस पार है और एक गांव पहाड़ के उस पार है। यह किसलिए है? यह किस प्रकार का जियोग्राफिकल कंटिगुइटी है? आप मैप देखिए। यही चीज असम में और जम्मू-कश्मीर में की गई है।

यही आप महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में करना चाहते हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है । यह दुख की बात है कि आप महिला आरक्षण के नाम पर इस प्रकार से महिलाओं का राजनैतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। आप भारत के देवी-देवताओं की बात करते हैं। भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हैं। डिमिलिटेशन, यह आपकी मंशा है। मैंने खुद यह देखा है और आज यह कहीं न कहीं शंका है कि आप एक तरफ महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी शंका यह है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। तीसरी शंका यह है कि आप डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, बल्कि खुद के हित में करते हो। चौथी शंका यह है कि आप संविधान को धीरे-धीरे कमजोर कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल-81 में लिखा हुआ है कि अगला जो सेंसस होगा, उसमें वर्ष 2026 का उल्लेख है कि जब सेंसस पब्लिश होगा, तो उसके आधार पर डिलिमिटेशन में आगे बढ़ेंगे।

आज आप इस महिला आरक्षण बिल के द्वारा संविधान को भी कमज़ोर कर रहे हैं। वर्ष 2026 की बात जो आर्टिकल 81 में है, आप उसको भी कमज़ोर कर के कह रहे हैं कि जब सदन कोई कानून लाएगा, तब उस कानून में जिस सेंसस की बात होगी, उस सेंसस के आधार पर हम परिसीमन करेंगे। मतलब जो बात संविधान में लिखी है, जिस बात को चाहे किसी दल की सरकार आए, उस बात को अमल करना है, आपने उस संवैधानिक सुरक्षा को कम कर के एक ऐसा कानून

लाना चाहते हैं कि सदन में जिसकी ताकत है, सदन में जिसका बल है वह निर्धारित करेगा कि किस सेंसस के आधार पर परिसीमन हो। वाह! क्या बात है? तो यह किस प्रकार से संविधान के पक्ष में है। यह बिल महिला विरोधी है, यह बिल जाति जनगणना विरोधी है, यह बिल संविधान विरोधी है, यह बिल पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में है।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश में राज्यों का जन्म हुआ तो उस समय जनसंख्या नहीं देखी गई थी, भाषा को देखा गया था। भाषाओं के आधार पर एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गनाइज़ेशन हमारे प्रदेशों का हुआ था। कहीं-कहीं जो हमारी एथनिसिटी है, नॉर्थ-ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं, उनको पता है कि वे एक बड़े ग्रेटर असम के पार्ट में हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको अपना परिचय बचाना था, अपनी भाषा का परिचय, अपनी एथनिसिटी का परिचय, अपनी परंपरा का परिचय और इसीलिए ग्रेटर असम से, ग्रेटर नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटीयर से निकल कर उन्होंने अपने सैप्रेट स्टेटहुड की मांग की। जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जनसंख्या कम हुई। आज वह जो मांग उन्होंने की, अपने परिचय की, अपनी स्वाधीनता की, अपनी भाषा की, अपनी जाति की, अपनी परंपरा की, आज उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उनकी ताकत कभी उतनी होगी नहीं कि सदन के अंदर कोई नागालैंड का हो कर अपनी आवाज़ बुलंद रखे। कोई अरुणाचल प्रदेश का हो कर अपनी आवाज़ बुलंद रखे। कोई मिज़ोरम का हो कर अपनी आवाज़ बुलंद रखे। आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे प्रांत हैं, जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, गोरखा की एक मांग है, वे सैप्रेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। आज जब वे सैप्रेट स्टेट होंगे तो उन्हीं की जो जनसंख्या है, उसके कारण उनको कमज़ोर किया जाएगा। जिस विषय पर हमारे के.सी. वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रधान मंत्री हैं – स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने हमारे पूरे फेडरल संतुलन को बचाने के लिए पॉप्युलेशन सेंसस में फ्रीज़ डाला था, वर्ष 1976 और वर्ष 2001 में। आज आप उनसे भी बड़े हो रहे हैं। आप खुद को कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा जी से अपने आपको बड़ा समझते हो, लेकिन अब आप स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आपको बड़ा समझने लगे हो। आप अपने आपको बड़ा स्टेट्समैन समझते हैं। जो आज यह पापुलेशन की

बात है, संतुलन की बात है, जिसको हमें काफी बारीकी से समझना है, फेड्रल स्ट्रक्चर के बैलेंस को पकड़ने के लिए सारे प्रदेशों के मुख्य मंत्री, सारे दलों के साथ बातचीत करनी है, आप महिला आरक्षण के नाम पर सबको बुलडोज़ कर रहे हो। हम दोबारा आपको कह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण लाइए, हम इसके विरोध में नहीं हैं, महिला आरक्षण लाइए, लेकिन इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए और इसको सरल कीजिए, आसान कीजिए, लागू कीजिए। महिला आरक्षण के द्वारा आप अपनी राजनीतिक रोटियों को मत सेकिए। मैं दोबारा कोशिश करूंगा, परिसीमन को ले कर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिन सवालों का जवाब, जिन मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने किया है और काफी बारीकी से, काफी संतुलन करने में वे सफल हुए हैं।

उस संतुलन को आप अपनी राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए मत बिगाड़िए। राहुल जी ने कई बार कहा है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। इस यूनियन में चाहे स्टेट्स की जनसंख्या की बढ़ी हो या स्टेट्स की जनसंख्या कम हुई हो, जनसंख्या के आधार पर आप उनको राजनीतिक रूप से उनकी ताकत को कम या ज्यादा मत करिए। सबको तवज्जो मिले और भारत की जो अखंडता है, वह अमर रहे तथा भारत हमेशा सशक्त रहे। इसीलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और आप इस प्रकार से बुलडोज न करें। महिला आरक्षण बिल की बात की जाए तो आप उसको इस ढाँचे से निकालकर एक सरल बिल लाइए। आप हमारे सुझाव को कबूल कीजिए।

13.16 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

आपके द्वारा इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर जातिगत जनगणना, गैर संघीर ढाँचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak in this very important debate.

Sir, today is really a historic day as, the women of India, who have been waiting for almost 40 years for their rights and for their due to participate in the

national policy making process, will finally get their share. The Narendra Modi Government, by the three Bills which have now been introduced, is not only going to fast track the Women's Reservation Bill and its applicability from 2029, but it is going also to write a new chapter in the development journey of India. By far, it is giving the *nari shakti* of this country a vocal, visible, credible and tangible representation in the nation building process for the first time. On behalf of all the women of this country, I would want to congratulate and thank the Prime Minister, Shri Narendra Modi, for these three very important and historic Bills that are fast tracking and catalysing the participation of women in the country's politics.

Sir, the Women's Reservation Bill started in 1996 and is now finally being seen crucially in 2026. In this 30-year journey, it has seen a chequered history.

HON. CHAIRPERSON: Let the House be in order.

SHRI TEJASVI SURYA: At least, half a dozen times, the Bill was introduced and on one pretext or the other, especially the parties who are now in Opposition delayed it, disrupted it, and ensured that the Bill does not see the light of the day. We still remember when the Bill was introduced in an earlier Government's tenure, the leaders from Samajwadi Party and the RJD tore up the Bill in this House and said that the Women's Reservation Bill will pass only over their dead bodies. The country remembers this kind of emphatic opposition that they gave to the Women's Reservation Bill at that time.

यह अटका रहा था। 30 सालों तक अटका रहा था। आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'

बिल जो पारित हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण हुआ है।

Chairman, Sir, even today, the Opposition has now come up with a new argument, a new pretext to further stall and further disturb and oppose the application of the Women's Reservation Bill. The new pretext that they have come up with is the vacuous and baseless opposition to the delimitation exercise. When the *Nari Shakti Vandana Adhiniyam* was passed in 2023, it was passed unanimously. All political parties agreed that the *Nari Shakti Vandana Ahiniyam,* the Women's Reservation Bill, will be applicable after a Census and a delimitation is undertaken.

This is the mandate of the Constitution that everybody voted for. Today, the Opposition has taken a u-turn. They are now opposing the fast-tracking of this Bill for the 2029 elections, and, are saying, "We want to oppose this because we do not want the delimitation exercise to take place."

Hon. Chairperson, Sir, I come from the South of the country, the Southern State of Karnataka, just like you who represents Kerala. Over the last three days, we have seen a systematic misleading propaganda by certain Members of the Opposition in the most irresponsible and anarchic fashion to mislead the people in the South of India. Let me make it very clear. If at all there was anything, even an ounce of injustice, in the proposals that the Government has made and has brought to the Parliament, even if there was an ounce of injustice to the South of India, I, as a proud Kannadiga, would have been the first to oppose such kind of a proposal. I have gone through the

proposal that the Government of India has brought, the Modi Government has brought. I am saying this not as a Member of the BJP but I am saying this after thoroughly examining all the three proposals; that other than the practical proposal that the Modi Government has brought for delimitation of seats in the country, we – from the South of India and from the smaller States of India, that have controlled our population – could not have got a better deal than this. This is the best deal that the Narendra Modi Government has provided.

Hon. Chairperson, Sir, through you, very briefly, I want to explain to the House and to the country the constitutional framework that governs the delimitation exercise. My learned friend Gaurav Gogoi *ji* was, in his speech, mentioning that we are bringing the delimitation exercise through the backdoor. I want to make it very clear to him that the delimitation exercise is not a backdoor exercise that the BJP is doing. This is a Constitutional mandate of Article 81 and Article 82. We are only purely following what the Constitution asks us to do. There are three primary Articles that govern the exercise that we are now conducting. Article 81, Article 82, and Article 330A of the Constitution provide for women's reservation. Let us examine all the three Articles briefly and summarily to understand what the Articles essentially say.

The first Article 81 determines the total number of seats. It also says that the total number of seats meant for the Lok Sabha, the House of the People, must be divided across the country in such a manner that the ratio between the number of total seats and the population of the State is so far as practicable the same for all States. This is the first requirement. The second requirement

of Article 81 is that within the States, the territorial constituency shall be divided in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted is as far as practicable same within the State. This is the mandate of Article 81.

Now, as you are aware, hon. Chairperson, Sir, Article 81 and Article 82, by operation of the 42nd Amendment, which was carried forward again by the 2001 Amendment, froze the number of seats in the Lok Sabha to 543 with a leeway to expand it to 550 seats. Why was this done? In 1997, when this was first discussed, the population in the country had not stabilized. Therefore, a compromise formula was taken so as not to penalize the Southern States which have performed well in population control; let us freeze the number of seats. The same thing continued even in 2001. In 2001, while considering this Bill, the then Law Minister Arun Jaitley *ji* said on the floor of the House that the National Population Policy also envisages that the year 2026 shall be the year in which the population of the country would hopefully stabilize. Therefore, what was true till 2001, is sought to be frozen till the year 2026, that is, the year in which we anticipate hopefully that the population figure in the country would stabilize.

This is the motive behind the freezing of the seats in 1971, which was carried forward for another 25 years in 2001. We are now in 2026. The first argument that the Opposition is making is that they do not want the delimitation exercise to take place. This is the most absurd argument.

In 1971, the population of the country was 50 crore; the population of the

country in 2026 is 140 crore. There are assembly constituencies and parliamentary constituencies. Again, I want to take the reference made by a learned colleague, Shri Gaurav Gogoi ji, in his speech. There are certain assembly constituencies in this country which have a population of 26 lakh. There are certain constituencies where a single MP is representing close to 38 lakh people in the country - the population of almost a small nation in Europe. How is this democratic? How is this accountable governance? How can the number of seats that was frozen in 1971 still cater to a population of 140 crore in 2026 for better governance, for better accountability, and accessibility of elected representatives?

Hon. Chairperson Sir, delimitation is not a mere democratic imperative; it is also a constitutional duty that the Narendra Modi Government is finally performing today. I want to contrast this with the proposals that the Congress and the Opposition are creating. The Opposition says, why can you not implement women's reservation as it is on the 543 seats? Why do you not freeze the number of seats? Now, were we to freeze the number of seats, it would defeat the principle in Article 81 of "One Person, One Vote and One Value." This is a very important constitutional principle that the founding fathers of the Constitution have protected. You cannot have a seat where eight lakh or nine lakh people in one parliamentary constituency are compared to another constituency with around 30 lakh people, each represented by one MP; it defeats the very purpose. That is why the Constitution mandated that 2026 shall be the year when delimitation of the seats shall take place. All that the

Government is trying to do is to fulfil this constitutional mandate.

There is a difference between other governments and the Modi Government. Other governments, especially the governments of the Congress Party, have always believed in and practised the politics of postponement. It is the Narendra Modi Government that does not believe in the politics of postponement, but believes in solving the problems of the past.

I would like to give an example. OROP was pending for 40 years; what did earlier Congress governments do? They postponed it. Article 370 was pending for 70 years; what did all these governments do? What was supposed to be a temporary provision, they converted into a permanent provision. What did they do? They postponed it. The Bangladesh and India border swapping deal was pending for almost 40–50 years; what did the earlier governments do? They postponed it. It is the Narendra Modi Government that solved the 70-year-old temporary provision of Article 370 by abrogating it because we do not believe in the politics of postponement. We finally solved the OROP after 40 years because we do not believe in the politics of postponement.

If the Congress were in power today, they may have, as they did in 1971 and in 2001, wanted to take the safe route - the unconstitutional route, the undemocratic route of freezing the 1971 Census equation. Now, the Narendra Modi Government has decided to bring a new equation into the scheme which is going to give more seats to all States, more representation and while doing this, follow the constitutional mandate of delimitation based on the “One Vote, One Value” principle. This, according to me, is the most practical and genius

solution that anybody could have come up with. I welcome this constitutional proposition that the Narendra Modi Government has brought.

Hon. Chairperson Sir, now I want to take a couple of minutes to examine the arguments that the Opposition, and its leaders have made in opposition to these three Bills.

Now, the first thing that they say is, do not do anything, do not bring in the delimitation. Why are you bringing delimitation and connecting it with the Women's reservation?

Now, let me for a minute assume what will happen if we do not do anything today. Article 81, Article 82 and the Nari Shakti Adhiniyam under Article 330A will trigger. Now, what will that do? In 2027, the moment the new census data is published, the delimitation exercise will get triggered and because as of today, Article 81 and Article 82 freezes the number of seats in the country at 553, all across the country, delimitation will have to take place to redistribute the 553 seats among the existing States of the country based on the 2027 population.

Now, what is this scenario going to do? Chairman Sir, you come from Kerala. I want to draw the attention of the country with an instance and example of Kerala. Now, suppose the Government today does not go ahead with delimitation and Article 330A comes into play by force of law, 2027 Census gets published, what will happen then? Look at these numbers, Chairman Sir.

Today, Kerala has 20 Parliamentary seats. If you divide based on 2027

projected population, that is the population of the country and population of Kerala, and divide the 553 seats across the country from North to South, then Kerala will lose six seats. Kerala will have only 14 seats. Now, on these 14 seats, bring one-third representation for women under Article 330A. Now, what is going to happen? In that case, Venugopal Ji will not have a seat. In that case, all those people who are representing the Congress here and opposing this Bill will not have a seat. The present proposal of the Narendra Modi Government is to not only protect the existing seats from encroachment, it is also a proposition to ensure that Kerala does not lose out six seats.

Now, for a minute, I want to assume another thing. Let us not take 2027 Census but let us divide the country's Parliamentary seats on the basis of 2011 Census. Now, what will happen? Based on 2011 Census, if we divide the number of seats, again Kerala will lose five seats. If you take 2011 Census number, Kerala will lose five seats. If you take 2027 Census number, Kerala will lose six seats. What Narendra Modi Government is offering today is additional ten seats to Kerala. This is only gain and no loss. This is why, I say this is the best proposal that one can bring.

Chairman Sir, let me take the example of Tamil Nadu. I am glad that Raja ji has come here.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Tejasvi Surya, can you convince the House how there will be an increase of ten seats and under which provision?

SHRI TEJASVI SURYA: Thank you Chairman Sir, you have asked a very pertinent question. Many questions have come from the Opposition in the last

few days. Both the Delimitation Bill and the Constitution Amendment Bill do not speak of this fifty per cent increase. On what basis, are you saying there is going to be a fifty per cent increase? Is this the question, Chairman Sir?

HON. CHAIRPERSON: Yes, absolutely.

SHRI TEJASVI SURYA: Sir, I would want to draw your attention to Article 81 of the Constitution again. What does the Constitution Article 81 say? Article 81 says, as it reads today, not more than 530 seats chosen by direct election from territorial constituencies in the State and not more than 20 Members to represent Union Territories in such manner as Parliament will provide. In essence, Article 81(1)(a) and (b) essentially gives 550 seats as the total seats that is now frozen.

The interesting part is Article 81(2) where the mandate is that the above said seats, the 550 seats mentioned above, shall be allotted to each State in such a manner that the ratio between the number of population of seats and the total seats and the population of the State shall as far as practicable be same across the State. This is the provision that operates the 50 per cent argument.

Today, what we have done? Instead of 530 Members, we have now increased it to 815 Members for the House of the People seats from the States and increased another 30 for the Union Territories. A 50 per cent increase is what we have given. Now, how will this be operated? When Article 81(2) is applied, the Delimitation Commission will have to conduct the delimitation and the apportionment exercise exactly on the basis of Article 81(2) because it is a

Constitutional mandate, then they will have to reapportion the seats in the only manner possible that is a 50 per cent increase for every State. This is the argument.

Chairman Sir, the problem, is the Opposition does not come prepared for debates, and even if they do come prepared for debates, they behave in a manner as though that they do not understand because the object is not to understand, the object is to oppose for the sake of opposing. I hope I have made myself clear, Chairman Sir.

Chairman Sir, now let us examine the second argument. Now the second argument is that if there is a proportionate increase in 50 per cent of seats for all States, then the States of Southern India will lose out. Rajaji, please listen to me.

I am as much an Indian from the South as you are. The only difference is I do not speak the language of separatism that the DMK practises. I believe that the country from Kashmir to Kanyakumari is one. … (*Interruptions*) Sir, I will strictly stick to the technical portion.

HON. CHAIRPERSON: Just hear me for one second. Please do not make any allegation against a political party.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, please allow me to say as he has mentioned my name.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Tejasvi Suryaji, since you have mentioned Rajaji's name, I will give the opportunity to him after your speech.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA: Rajaji, I want to take your attention.

HON. CHAIRPERSON: See, if you are taking the name of Shri Raja, then I have to give him a chance to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA: You please give him a chance after my speech. I have no objection. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will give him the chance.

Are you yielding?

SHRI TEJASVI SURYA: No, Sir. You can give him a chance after my speech.

Sir, on March 24th, 2026, Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin makes this tweet, and I will read one important sentence from that tweet with which I have full sympathy and support. This is the tweet that M. K. Stalin makes: “It is our consistent stand that the current proportional representation of States should not be disturbed under any circumstances.” This is what he says. I agree with this. I have already made it clear. If at all this Government had brought in a proposal that would decrease the number of seats and my state of Karnataka would be in a loss, I would have been the first to protest it.

Now, what has the Government done in the light of this tweet? What does this tweet say? It says: “The current proportional representation of States should not be disturbed under any circumstances.” I will take you back to this chart. Chairman Sir, now, what is going to happen? We have increased the number of seats to 850 in total. Every State is getting 50 per cent proportionate

increase. As a result of this, Tamil Nadu, which is now at 39, is going to get 59 seats.

Karnataka, which has 28 seats, is going to get 42 seats. Andhra Pradesh, which has 25 seats, will get 38 seats. Telangana, which has 17 seats, will get 26 seats. Kerala, which has 20 seats, will get 30 seats. What is the proportionate increase? It is 52 per cent for Andhra Pradesh, 52 per cent for Telangana, 51 per cent Karnataka, 51.5 per cent for Tamil Nadu and 50 per cent for Kerala. The total share of the South Indian States, which as it stands today, in the total scheme of things on the floor of the Parliament, which is 23.9 per cent, will continue to remain 23.9 per cent after this is passed. I do not understand where is this objection coming from. This is exactly what the Modi Government has done by protecting the proportional representation of States which should not be disturbed. The argument and the demand that Stalin had made, this is the same thing that the Narendra Modi government has done, but today they are out there in Tamil Nadu doing drama by burning this Constitution (Amendment) Bill. Let there be a limit to your hypocrisy, Raja ji. Let there be a limit to the hypocrisy of the DMK.

Chairperson, Sir, now the question is this. What will be the scenario if we do not increase the seats proportionately by 50 per cent? One of the arguments that has been advanced is why do you not simply stick to the numbers of 2011 Census and based on the Census of 2011, without the 543 limit, increase the number of seats. Now, if we were to increase the number of seats purely on the basis of Census of 2011 by not providing a 50 per cent

increase … (*Interruptions)*, this will be the scenario. … (*Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: He is not yielding.

SHRI TEJASVI SURYA: Sir, Tamil Nadu today has 39 seats. If delimitation were to be conducted purely on the basis of Census of 2011, it will be 49 seats. What Narendra Modi Government is giving to Tamil Nadu today is 59 seats, which is 10 seats more than what the opposition is arguing for. Kerala has 20 seats. If only by Census of 2011, if we had done the gerrymandering or the demarcation of the seats, Kerala will get only 3 seats more, that is 23 seats. Kerala today is getting 30 seats. Karnataka today has 28 seats. If only we were to do it according to the population of 2011, Karnataka will get 41. Karnataka is now getting 42 seats. Andhra Pradesh is 25 seats. If we were to do it according to 2011, it would be 33 seats. Today, Andhra Pradesh is getting 37. Whichever way you look at it, if you look at it from the way of 2027 Census, if you look at it from the way of 2011 Census, if you look at it by 543 seats as redistribution or by taking away all of these things and only basing it on population, none of these permutations and combinations is going to give the southern States as best a deal as what Narendra Modi Government has now given by this 50 per cent proportionate increase in the seats formula.

Chairperson, Sir, this is a second question. Chidambaram Sir has put a long article in a tweet yesterday and said “the proportionate voice of the south Indian states will get diluted if there is a 50 per cent rise in the number of seats”. My question is: today, the share of the South Indian States in the overall scheme is 23.7 per cent. It will continue to be 23.7 per cent. How will

the voice of the South get diluted? Secondly, the majority margin, the half way mark today is at 272 seats. If there is going to be a 50 per cent increase in the total number of seats, naturally the half way mark also will jump by 50 percent.

13.44 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

So, this whole argument that the southern States are going to lose because of the proportionate 50 per cent increase, I will say is not only a vacuous argument, it is an illogical argument. It is not only an unconstitutional argument, but most importantly Speaker, Sir, this is a mischievous argument that comes from creating anarchy in this country by misleading the people.

Speaker Sir, now I would want to take a few minutes of the time allotted to me to examine the alternatives that the Congress Party and the Opposition have proposed. Now, there are broadly three alternatives that the Congress Party has proposed. The first alternative is: do not increase the 543 number of seats; let the delimitation exercise or the Nari Shakti Adhiniyam come into force. I have already explained that. First, it is constitutionally impermissible because Articles 81 and 82 demand the value of one vote, one value. Second, if we were to redistribute 543 seats based on the 2027 census or the 2011 census, the proportion of the seats that the southern States today have is going to further get reduced. Therefore, this first argument, the argument of postponing the delimitation exercise or the argument to freeze the number of seats as per 1971, absolutely holds no constitutional value and therefore must be rejected.

Secondly, the argument that the Opposition is making, the Chief Minister

of Telangana has made, is to propose a very interesting hybrid model of linking the population of the State along with the GSDP, the State's *per capita* contribution, and the State's gross development of the State. Now, Speaker Sir, who has advised the Chief Minister of Telangana to make this argument. I can only say that they do not wish him well, because this proposal is laughable at the best and impractical at the worst.

Let me explain why. First, if you will say that the vote of a common citizen in Telangana has more value than the vote of a common voter in Bihar, then you are defeating the constitutional principle of 'One Value, One Vote'. On what basis do you want to do this delimitation exercise in the country? Will the rich get more votes? Will the poor not get votes? Will they not get value for it? … (*Interruptions*) What kind of argument is this? If you will take this argument further, Mukesh Ambani will have one lakh votes and somebody like us will have only one vote. Is this the kind of logic that the Congress wants to build? This argument by this alternative by the Telangana Chief Minister of linking delimitation and number of seats to the GSDP of the State is the most foolish argument anybody can propose. This is unconstitutional. This defeats the value of 'One Man, One Vote' that the Constitution promises. … (*Interruptions*)

Speaker Sir, there is another very important dimension to this. देश की जीडीपी हो या प्रदेशों की जीडीपी हो, वह 10-15 वर्षों तक स्टैगनेंट नहीं रहती है। It is not going to remain constant. Every six months, GDP can go up, GDP can go down. One year GDP will be high, another year GDP will be low. Now, suppose you are going to link delimitation and number of seats with the GSDP

of a State, will Telangana's and other States' number of seats keep getting fluctuated? Today, this year was a good monsoon, GDP was good, so Telangana will have two extra seats. Next year, Tamil Nadu would have bad rainfall, therefore GDP fell down, so Tamil Nadu will lose two seats. Is this the argument? These are the kinds of laughable alternatives that the Congress Party is proposing, and on the basis of this they are misleading the people of this country.

Now, I am coming to the third alternative. The first is not to do anything. The second is something which they are experts at क्योंकि जब आप कॉंग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को देखें, तो they are the practitioners of politics of postponement. हर चीज, जो देश के सामने बड़ा मुद्दा आ जाता है, when they cannot address it, what do they do? उसे पोस्टपॉन कर दो, That is their first reaction. Their first proposal is, postpone it, do not do anything, freeze it, which is unconstitutional.

Further, the Telangana Chief Minister's proposal of linking GSDP to number of seats, which again, like I demonstrated to the Speaker, is the most ludicrous argument.

The third argument that they have given, which I read, is one that my learned friend, hon. Member, Shashi Tharoor ji has made. He has said that there should be a digressive proportionality model as per the European Union Parliament.

Now, while this, true to Shashi ji's nature, sounds very sophisticated, it actually does not make sense in the Indian context. It is because the moment you introduce this principle of digressive proportionality, it once again violates

the principle of ‘one man, one vote, one value’. Then, the larger States in the south of India, like Tamil Nadu and Karnataka, which are today the 6th and 8th most populous States in the country, are going to get a raw deal because of this digressive proportionality argument. Therefore, my submission is that other than this 50 per cent equal proportionate increase to all States – an alternative that Narendra Modi ji has proposed – there is no other option that serves everybody, that is a gain for everybody and a loss for nobody. Therefore, the country as a whole, and especially the Opposition, must welcome this with all responsibility.

Hon. Speaker Sir, the other argument that has come in criticism of this 800-plus seat increase is that if you increase the number of seats of the Lok Sabha to 800-plus, then it will become an unwieldy Lok Sabha. It is argued that the Lok Sabha will be so big that you will not have healthy debates and discussions, and it will become unwieldy. This is the argument that Manish Tewari ji has advanced. In my view, the productivity or the quality of the outcome of a Lok Sabha, or any such body, depends not just on the number of people, but on the quality of debates that take place and the number of sittings that we have. In 1952, when the first Parliament after the General Election convened, the Lok Sabha would sit on an average of 135 days in a year. In the last few years, the average sittings of the Lok Sabha have gradually come down, and in the last term it came down to only 55 days. Why is it so? It is because of the politics of disturbance and disruption that the Opposition is indulging in. Due to this, the productivity is decreasing.

Hon. Speaker Sir, my request to you is this. This is something that you can do in your own remit as the hon. Speaker. When we have now increased the size of the Lok Sabha to 850, we should also proportionately increase the number of sittings of the Lok Sabha to be at least one and a half times more than what we are currently doing. You have started a great tradition by increasing the number of hours allocated to 'Zero Hour'. Many first-time MPs, who till now had no chance to speak in Parliament, got an opportunity because more time was given. My request is that when Parliament becomes an 850-Member body, instead of around 55 sittings per year, if the Lok Sabha were to sit for 125 days, or like in the case of the Japanese Diet, if we were to sit for 150 days, then every single Member representing every constituency will get more than enough time to place the problems of their constituents on the floor of the House. This is something that needs to be done.

Now I also want to explain why the opposition parties, and a few regional parties in the South led by the DMK, are doing so much noise, and why they are shedding tears, which are nothing but crocodile tears. I thank the heavens that in 2026, when the country is doing delimitation, Shri Narendra Modi ji is in power and the Bharatiya Janata Party-led Government will carry it out. If you remember, the way the Congress party-led UPA divided the undivided Andhra Pradesh into AP and Telangana, that partition was done in a worse fashion than the British did during the partition of India and Pakistan. This is the kind of legacy they have.

I want to conclude by bringing to your notice only one important aspect. In

the last 10 years of the Narendra Modi Government, the South of India has enjoyed great support and encouragement for the developmental ambitions of the South. On a conservative estimate, if you compare the devolution of funds from the Centre to the South Indian States in the last 10 years and contrast it with the 10 years of the UPA, on average, every single South Indian State has got not less than 250 per cent more funds from the Narendra Modi Government.

The Narendra Modi Government has also increased the budget for railway lines. The extent of railway electrification that has taken place in the last 10 years under the Modi Government in the Southern States is unprecedented. *…(Interruptions).*

Please look at the Railway Budget. *…(Interruptions)* In Andhra Pradesh, between 2009 and 2014, Rs.886 crore was what they got. The Narendra Modi Government has given Rs.10,000 crores. This is just one instance. *…(Interruptions)* The number of metros in the Southern States has increased. Electrification has increased. The number of railway lines has increased. The number of airports has increased. The total devolution of funds to the South Indian States has increased.

Most importantly, we have not only given the Southern States more money, more rail, and more infrastructure, but, for the first time in the country's history, more than 25 national institutions now allow regional language examinations. If I want to apply for the CRPF, I can write the examination in Kannada or in Telugu, which was not the case when the Congress party was

ruling. We have respected language. We have provided more development, and today, Narendra Modi is also providing more seats and greater proportional allotment to the Southern States by protecting the South's voice in Parliament, on the floor of the House.

I want to conclude with one last point that needs to be addressed. The argument that has been repeatedly made is that the Narendra Modi Government is bringing in this proposal to somehow create a disadvantage for the Southern States. Nothing at all can be further from the truth than this particular assertion. I want to say that we come from the Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party's *sanskar*, our culture, is not to see this nation as *tukde-tukde*. The culture of this party is not to side with those who chant the slogan of *"Bharat Tere Tukde Honge, Inshallah, Inshallah".* This is not the culture of the Bharatiya Janata Party.

The culture of the Bharatiya Janata Party is:

हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दु सरोवरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते॥

जो देश ऊपर हिमालय से नीचे भारत के इन्दू सरोवर तक है, वह पूरा देश जो अखंड है, अविछिन्न है- वह भारत है । This is the commitment of the Bharatiya Janata Party. चाहे वह कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वह कच्छ हो या कामाख्या हो, we will stand for the integrity, sovereignty, and unity of this country, because that is not only a constitutional mandate, but most importantly, the Bharatiya Janata Party's *karyakarta* believes that it is our civilisational duty to protect this country. *…(Interruptions)* This is what differentiates us from parties like the Congress,

which side with *tukde-tukde* forces, and like the DMK, which speaks the language of separatism. *…(Interruptions)*We abhor your politics; we reject your politics. *…(Interruptions)*

In conclusion, I want to say that if the UPA and the Opposition today are going to vote against this most practical, most constitutional, and most inclusive proposition, then for years to come the history of the country will remember the Opposition, and all of you sitting here, as not only opposing the women of this country but also opposing the interests of the Southern States.

I want to emphatically say again, if you reject this, if you vote against this, the people of this country and the women of this country will never forgive you. The people in the South of India will never forgive you, because your politics is not a politics of inclusion, your politics is a politics of anarchy. I sincerely hope that you will honestly examine the merit of this proposition, and also honestly examine the hollowness of your own arguments, and finally vote in support of this historic Bill.

I once again thank Prime Minister Narendra Modi for not only giving a voice finally after 40 years to the women of this country, but most importantly for protecting the interests of all Southern States and all important small States of the country. Thank you, Prime Minister, Sir, thank you for what you have offered to the South; this is the best deal ever possible.

Thank you, Speaker, Sir.

14.00 hrs

SHRI A. RAJA: Sir, an assurance was given by the Chairman that I will be

permitted to react.

Sir, I may be permitted.

Sir, Tejasvi Surya, hon. Member, made a clear allegation that DMK stands for separatism.

In 1971 when Pakistan launched a war, we gave Rs.6 crore which was not matched by any other State to maintain nationalism in the country. In 1999, when Vajpayee was the Prime Minister, Tamil Nadu Government led by Dr. Kalaignar Karunanidhi, gave Rs.100 crore for the Kargil war.

He should not teach nationalism to us. We are for nationalism. The only thing is that we want to keep separate identity when you are imposing Hindi, when you are imposing Sanskrit, when you are not giving due respect for State autonomy.

That is all. Correct your record.

SHRI TEJASVI SURYA: Speaker, Sir, few days ago, the Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin has put out a video.

In that, he has said that if the Central Government did not take the Bills back, they will remind us of 1950s and 1960s.

What does he mean by 1950s and 1960s?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव जी।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य, उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों और माननीय मंत्री जी के वक्तव्यों को भी सुना है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है।

हम लोग अपने नेता की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। उन्होंने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिले, हम लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं। हमारी यह लड़ाई निरंतर चल रही है। कहीं न कहीं यह आरक्षण हमारे पीडीए के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। हमें जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण के माध्यम से नारी को नारा बनाना चाहती है और उसको बदलने की कोशिश कर रही है।

जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, वे उसके मान-सम्मान को कैसे रखेंगे? अगर यह बात गलत है, तो जिस पैरेन्टल संगठन से आप निकले हैं, उस संगठन में मान-सम्मान के लिए कितनी नारियां हैं? आप यह बता दीजिए।

अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से ये सरकार में हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं और बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी, लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, तो जेन्डर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं? हम 146 देशों में से 127वें स्थान पर हैं। अगर हम इनकी खुद की सरकारों को देखें, तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिलाकर सभी सहयोगी दलों के साथ इनकी 21 जगहों पर सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी यह बताये कि जिन 21 जगहों पर सहयोगी साथियों के साथ मिलकर इनकी सरकारें चल रही हैं, उन जगहों पर इनकी

कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई हैं? हालांकि, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वह ...* चीफ मिनिस्टर हैं।

वह भी महिला होने के नाते केवल ...* चीफ मिनिस्टर हैं। ... (व्यवधान) उनके अधिकार कहां हैं? एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वे अधिकार हैं? जो पार्टी अपने आप को अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, पूरे देश में इनके जितने भी विधायक चुने गए हैं, आप बताइए कि उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है? उनकी संख्या 10 परसेंट से भी ऊपर नहीं जा पा रही हैं। क्या वे 10 परसेंट से ऊपर हैं? अगर हम लोक सभा सदस्यों की गिनती देखें, तो लोक सभा सदस्यों की गिनती में से उनकी संख्या कितनी है?

महोदय, जहां हम यह कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, वहीं हमारे भी कुछ सवाल आपके लिए हैं। उससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार लोग यह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अगर हम अपनी बात कहना चाहें, तो डॉ. राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, उनके द्वारा हमेशा महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी देने की बात कही गई है।

मैं उन्हें क्वोट करना चाहता हूं कि "संस्कार का आरंभ महिला से होता है। यदि महिला जागृत है, तो पूरा समाज जागृत हो जाता है।" यह हमारे लोहिया जी ने कहा था। हम लोग जिस विचारधारा पर चल रहे हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, तब तक सामाजिक क्रान्ति अधूरी रहेगी। लोहिया जी ने महिलाओं की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पर निरन्तर बल दिया है। समाज में वास्तविक परिवर्तन उनके योगदान से ही आ पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में सबसे पहले महिला आरक्षण लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया था। जहां हम महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं, वहीं हमारा सवाल यह भी है कि आखिकार भाजपा को महिला

* Not recorded.

आरक्षण के नाम पर इतनी जल्दबाजी क्यों है? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि वह जाति जनगणना को टालना चाहती है।

जाति जनगणना को ये इसलिए टालना चाहते हैं, क्योंकि उससे आरक्षण का सवाल उठेगा। भाजपा और उसके संघी साथी कभी भी आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में 'ए' का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी गिनती में आती हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा चुनावी सच यह भी है कि भाजपा की चुनावी …* अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, ये एसआईआर लेकर आए थे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बड़े करीब से एसआईआर देखा है। वह कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वह एनआरसी का रूप था। एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीए प्रभारी और संगठन के लोगों को, जिन्होंने वोट बचा लिया। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब पहली गिनती में हम लोग वोट बचाने में कामयाब हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी फॉर्म - 7 लेकर आई। उन्होंने फॉर्म - 7 बांटना शुरू किया, लेकिन उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया। जब उस घपले को पकड़ा, तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म - 7 बंद हो गया, फॉर्म - 7 से कोई वोट काटा नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म - 7 काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिससे दस्तखत कराए थे, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ये एसआईआर के बहाने फॉर्म - 7 लेकर आए थे। फॉर्म - 7 पर दस्तखत करवाकर उत्तर प्रदेश में वोट काटे जा रहे थे। जब वह विषय पकड़ा गया, हम लोगों को जब जानकारी मिली, तब हम लोग उसे प्रेस के सामने लेकर आए और चुनाव आयोग से शिकायत भी की। फॉर्म - 7 से वोट कटना रुक गया। लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने

* Not recorded as ordered by the Chair.

उस व्यक्ति के नकली दस्तखत कराए थे। इससे तो लगता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह चली है, हम लोगों ने हेराफेरी पकड़ ली और भाजपा की कलई खुल गई। जब उसके समर्थकों और वोटरों का अकाल पड़ने लगा, तब भाजपा निराशा के इस दौर से उबरने के लिए यह बिल लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, असली लक्ष्य वोट है, सत्ता में रहना है, इसलिए ये लोग आरक्षण को लेकर आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग यह समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभावने जुमलों में फंसाती है।

अध्यक्ष महोदय, इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर यह पुरानी चाल चल रही है, लेकिन वह सफल नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। भाजपा की ...* वजह से जो महंगाई बढ़ी है, उससे महिलाओं की रसोई सूनी हो गई है। रही-सही कसर सिलेंडर की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी सिलेंडर की याद दिला रहे थे। उन्होंने इज़्ज़त घर की भी याद दिलाई, जिसको कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये इज़्ज़त घर होंगे। गांव गोद लिए गए। सरकार जाकर उन गांवों को देखे। अगर उन गांवों को किसी ने अनाथ छोड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, हर महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। लेकिन भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच तो सरकारी स्कूल तक बंद करवा दे रही है। महिलाओं का दर्द क्या होता है, यह मेरठ के दुकानदारों के परिवारों की महिलाओं की आंखों के आंसू भी बयान कर रहे हैं। नोएडा के मजदूर और मेड्स के गले भी यह बयान कर रहे हैं। जब हम महिला आरक्षण पर बहस कर रहे हैं, तब हमें

* Not recorded as ordered by the Chair.

याद रखना चाहिए कि हमारे बिलकुल बगल में 40,000 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज महिलाएं सड़कों पर हैं। जहां से प्रभु श्रीराम, जिन्हें हमने कभी स्क्रीन पर देखा था, चुनकर आए हैं। वहां महिलाएं आज धरने पर बैठी हैं। वे धरने पर इसलिए बैठी हैं, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं। महिलाएं रो-रोकर न्याय मांग रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर यह बिल इतना ही सही है, तो इसको मेरठ और नोएडा की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या-क्या होने जा रहा है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं और उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं, जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी-साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग, मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। यह बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते थे, तो वह यह कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है, तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है? हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर अपनी बात रखेगी।

महोदय, ये संशोधन के नाम पर जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं। दरअसल, उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े। अगर जनगणना करनी पड़ेगी, तो जातीय आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातीय आरक्षण भी देना पड़ेगा। यह भाजपा का एक बहुत बड़ा षडयंत्र है, जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकारकर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है, जो अब तक स्वीकार नहीं। इसे हम तब तक प्रक्रिया के साथ स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं, जब तक इसका लागू करने का तरीका ठीक न हो। अगर पिछड़ों की आबादी गिन लें कि 70-80 परसेंट से ज्यादा है। अगर हम उनको 66 परसेंट मान लें, तो पिछड़ों की आधी आबादी कम से कम 33 परसेंट होगी। इसके अंदर उनके हक की बात तो है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्ग की 33 परसेंट महिलाओं को ये लोग

हक देना नहीं चाहते, बल्कि उनका हक छीनना चाहते हैं।

महोदय, ये डिलिमिटेशन का विधेयक साथ-साथ लेकर आए हैं। डिलिमिटेशन क्या है? ये डिलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदल दें। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डिलिमिटेशन की बारी आई, तो इन्होंने पूरी रणनीति बनाकर कि किस तरीके से लोक सभा के क्षेत्र बनाए जाएं, वे क्षेत्र कैसे बनें, जिससे उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले। वह हम लोगों ने असम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो। जब आंकड़े सही आ जाएंगे, तब जाकर डिलिमिटेशन ठीक होगी। अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं, तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? आरक्षण का आधार ही जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम महिलाओं को न गिनते हों। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़कर के आरक्षण को पूरा किया जाए।

महोदय, एक हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा, जब संख्या बढ़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या 500 से ऊपर होने जा रही है। अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है, तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है, जो महिला आरक्षण के बहाने षड्यंत्र छिपाकर आगे बढ़ रहे हों। उत्तर प्रदेश में 120 सीटें लोक सभा की होने जा रही हैं। अगर विधान सभा की 600 सीटें हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई साजिश और षड्यंत्र हो।

जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, अगर षड्यंत्र रहेगा तो आप जैसे अयोध्या हारे, एक बार फिर आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। 33 परसेंट सीटें कौन सी होंगी? अगर आप सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टीट्यूएंसी रिजर्व हो जाएंगी तो ये महिलाओं के बीच ही कंपीटिशन करवा देंगे। अगर कॉन्स्टीट्यूएंसी रिजर्व होंगी तो महिलाओं के बीच ही कंपीटिशन हो जाएगा। … (व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह तो होना चाहिए। आपकी सास-बहू वाली तो हार गई हैं। अगर पार्टी को यह मौका मिलेगा, हम न केवल कंपीटिशन से बच सकते हैं, बल्कि महिलाओं की संख्या चुनाव लड़ने की ज्यादा होंगी। ये ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ने नहीं देना

चाहते हैं इसलिए कॉन्स्टीट्यूएंसीज़ को रिजर्व कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि यह जो आरक्षण लागू हो, वह पार्टी को मौका मिले, पार्टी उनको चुनाव लड़ाए और पार्टी संख्या तय करे। इसके साथ-साथ जो रोटेशन वाला इश्यु है, स्वाभाविक है कि जब हम एक क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो वोटरों के बीच में एक भावनात्मक अटैचमेंट बनता है। अगर यह रोटेशन का मामला होगा तो कोई भी अपने क्षेत्र की जनता से बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं रखेगा। वह अगले क्षेत्र की सोचने लगेगा कि हमारा अगला क्षेत्र क्या होगा, इसलिए हम इसके भी खिलाफ है कि रोटेशन नहीं हो। हम रोटेशन की प्रणाली के खिलाफ हैं। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस, जनगणना करवाई जाए। अगर ये जनगणना नहीं करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये धोखा दे रहे हैं। क्योंकि उस समय पुराने बिल में हमने जो बात देखी और रखी थी, वह यही थी कि जनगणना करवा कर महिला आरक्षण बिल आएगा। लेकिन ये लोग वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोक सभा क्षेत्र कैसा होगा?

महोदय, इनके गुप्त लोगों ने कहीं न कहीं नक्शा बना कर रखा होगा कि बिल पास होते ही ये उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के लिए जो सुधार होने चाहिए, इस बिल में उसके बारे में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है। उनको बिना लाभ पहुंचाये या सशक्तीकरण किए हम शायद उनको पूरा हक नहीं दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनोरिटी को खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ये सेंसस से दूर भाग रहे हैं, वे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी। अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की भी बात उठेगी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मानकर सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। जब हम आरक्षण देना चाहते हैं तो बिना पिछड़े, बिना मुसलमानों के शायद हमारा जो महिला आरक्षण का लक्ष्य है, वह पूरा नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT):__ "Respected speaker sir, while speaking on the topic of The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, I stand here on behalf of AITC to demand 50 per cent seat reservation for women in this house—only then we can fully co-operate with you to support the bill because 33 per cent women candidates have always been given by our Hon. CM Mamata Banerjee whenever there was an election in Lok Sabha or Vidhan Sabha. And the female candidates have always won, she has always won.

Today, we have 41 per cent female MPs in this Sansad Bhawan including both Lok Sabha and Rajya Sabha. No political party in India could ever do this before. We find this law as a false and pseudo one because it is not brought to empower women. It is to rearrange the constituencies so that the fate of the women can be controlled through the existing patriarchal system.

14.26 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

We believe in the empowerment of women and our leader Hon. Mamata Banerjee is always fighting for this cause. I want you to remind one particular event, 28 years ago in 1998, our leader Mamata Banerjee fought against the patriarchal MPs of this house making a demand for a Women's Reservation Bill to reinforce women empowerment. It was not passed that time. This year budget session started on 28th January and we have discussed so many things

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

during the two phases of this session. If you have given this bill that much of importance, my question is why you did not bring this amendment in that period. Now a special session has been called for that. We demanded for a special session when terrorists from outside the country killed 26 common people in Pahalgam. But there was no special session. When Operation Sindoor took place, we again demanded for a special session but it was of no use. We feel there is some ill intention behind calling this special session in such a hurried manner.

Actually behind this pseudo law, the electoral process is the ultimate aim that has been articulated by Surya Prakash ji. Since election has begun, he is raising his voice for Southern India. He has mentioned that Southern India got funds 250 times higher whereas for Bengal's starving workers and 100 days workers, 2 lakh crore rupees are pending by the central government. It is all about electoral power. The reservation process for seats is getting complex, therefore, a doubt hovers as the delimitation progresses. We say that this the duty of government to decide the sitting of the house, then why this government delayed the introduction of the bill without the required amendment? Since, election is going on in different states, we have started doubting that this has been excercised here only to overcome the difficulties of election. The different sectors where the institutional patronization of perpetrators is already established, for example, consider that case of Unnao in 2017. I went there. Another case was in Kathua in 2018. I went there too. In 2020, a girl from Dalit community was killed in Hathras. I visited there also. We

have seen the silence when women in Manipur were sexually assaulted. This government remained silent then. We can't rely on the fact that this government is trying hard for women's reservation. This law has been modified in such a manner so that a male candidate has no need to change his present seat. It's also a patriarchal system since Bharatiya Janata Party has 11 per cent women representation here whereas our Trinamool Congress has 52 per cent women, fighting for justice. So, we always support 33 per cent reservation and we demand to raise this share upto 50 per cent. I am not going to utter the name of Bharatiya Janata Party's social media chief since he is not a member of this house. In 2013, he said that "when are trying to free all kinds of reservation, the demand for women reservation is creating a new wave. This is the time when we should refrain ourselves from all types of reservation, therefore the demand for women's reservation cannot be acceptable at this stage."

This is what they had said, not my words. That reservation which is in use in West Bengal without any law is because of Hon. Mamata Banerjee who also voiced for women's reservation in 1998. She once went to the house of that time's CM to ensure justice for a mute and deaf woman who was raped. At that time, the police pulled her hair and dragged her outside the house. But Hon. Mamata Banerjee never shifted her position from this ideal. She is still fighting with the ideal of Swami Vivekananda who said, "If the women of India do not wake up, India will not progress." She always remembers what our revolutionary poet Nazrul Islam had said, "Everything that is great in the world,

all the works, beneficial and good, half must be credited to woman and to man half only we should.

For those women who participated in that 50 per cent creation, we demand 50 per cent reservation. For the women empowerment in our state, she is working day and night. The schemes like 'Kanyashree', 'Lokkhir Bhandar' and 'Rupashree' are there to advance women. Shrimati Mamata Banerjee will be remembered forever for her tireless efforts to support girls in their study by providing continuous financial assistance. So, we should follow her and implement 50 per cent reservation. Here the party stands for women reservation while one of their Ex. MP questioned about the existence, appearance and lineage of goddess Durga in this house. Now, I want to question them after raising doubt about goddess Durga's existence, why are you justifying women reservation? This pseudo bill is actually the delimitation bill and area reorganization bill that they are trying to carry on without making any noise. By omitting common people and after area reorganization, they are trying to dismantle the democratic framework of this country by creating division among people on the basis of race, religion and community.

We are not going to accept the way you are amalgamating two different issues which are women reservation and rearrangement of constituent area. And then you are saying that there will be a delimitation commission, ... *

HON. CHAIRPERSON: Election Commission is a Constitutional body. You should not discuss it here. You should not disgrace it here.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Sir, I am pretty sure that the proposed delimitation commission will be an authoritarian agency and it will harm the people of the state. The situation that you are trying to create is carrying a horrible message for our country. In the year 1962, 46 per cent of women turned out to cast their votes which changed into 65.78 per cent when the Lok Sabha election took place in 2024. We, as AITC, are giving 41 per cent of female candidates and BJP is providing only 14 per cent. Now I want to ask why you did not ensure 33 per cent female candidates in electoral roles. Why is not the percentage of female members in the house 33 per cent?

We, AITC, have the aforesaid percentage of MPs in both Rajya Sabha and Lok Sabha including the women Ministers in West Bengal. The representation from tribal and minority communities can be noticed. Why are not you following that? Because you are thinking something but presenting completely another thing. That's why I am saying it as a pseudo law. We are giving our speech very cautiously about this pseudo law. If this government stands for 50 per cent reservation only then we will support it. You have presented this bill at a time like this when election is taking place in all over India. If we raise question about it then it would be easier for you to say that AITC is misogynist. But AITC has already proved it which is called in English as 'walk the talk'. We have already provided 33 per cent reservation, now we are demanding for 50 per cent. The Aparajita bill which was passed by West Bengal government to penalize the perpetrators involved in crime against women, is still waiting for the final nod. It is with great sadness, regret, and

pain that I say this. ... * In Aparajita bill, we assured the punishment for rapist and for those who try to harass women and you have held up this bill.

HON. CHAIRPERSON: You cannot make comments on the conduct of the Hon. President of our country. You should not do it.

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : सर, मैं अपराजिता बिल के बारे में बोल रही हूं । आखिर अपराजिता बिल क्यों रुका हुआ है? महिलाएं, जिनका बलात्कार हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमने अपराजिता बिल यहां भेजा, लेकिन यह बिल क्यों पास नहीं हुआ? यह मेरा प्रश्न है। इस बिल को जल्द से जल्द पास होना चाहिए।

I have more questions. Today in India, there should be rights and reservation for working women. Sadly in the Election Commission there is no woman, there is woman as a chief justice, in foreign service there are only 11 women, a very few women are there as high commissioners or ambassadors, only 0.4 per cent women are in the police, and only 19 per cent women officers are there in the IPS. 53 per cent seats are vacant in the National Women Commission.

HON. CHAIRPERSON: Just wait Dr. Kakoli Ghosh Dastidar. The Minister of Women and Child Development wants to say something.

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) :सभापति जी, मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य अपराजिता बिल के बारे में चर्चा कर रही हैं। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्य मंत्री हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी आज तक वहां उसे लागू नहीं किया गया । स्पेशल कोर्ट के माध्यम से जो सुनवाई होनी चाहिए, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है । महिलाओं को न्याय नहीं मिलता

* Expunged as ordered by the Chair.

है। ये नए-नए कानूनों पर बात कर रही हैं। आज जो कानून हैं, उन पर वहां की सरकार काम नहीं कर रही है। वे कानून भी वहां लागू नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पहले उन कानूनों को लागू करें।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: मैडम, आप गुमराह मत करें। मैं आपकी इज्जत करती हूं। I was saying that 53 per cent seats are vacant in the NCW, women are not being recruited for those positions. Women are facing a lot of problems in their workplaces. There are so many institutions under the central government from where women are forced to resign, for instance, All India Institution for Medical Sciences. You all must have known that 15 per cent of female doctora have resigned, in Bhubaneswar it is 12 per cent, in Patna it is 7 per cent—why are they not getting proper dignity? Today the way Hon. Mamata Banerjee is standing with the women in West Bengal and working for the betterment of them indicates how dedicatedly we want female reservation. You are clearly attacking those states which worked hard in the sectors like population control and development through delimitation by reducing their seats. This is against our federal structure and this is an injustice done by you. We won't hear anything from the party which questions the identity of Maa Durga. We haven't forgotten the MP who molested female wrestlers and being safeguarded by you here. That is why we will say that bring this bill in the correct manner, separate this bill from the rearrangement of constituent areas, and give proper respect to women—only then we will stand with you. Namaskar, Jai Hind!"

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Kakoli, it means that you are supporting 33 per cent because you are demanding for more.

Now, Dr. Byreddy Shabari *ji*.

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Thank you, hon. Chairperson, Sir. It fills me with immense pride and honour that this Constitutional Amendment Bill has taken place. I am representing Telugu Desam Party. Every woman carries energy within her – the strength of Maa Durga, the wisdom of Maa Saraswati, and the abundance of Maa Lakshmi. Today, with this Bill, our hon. Prime Minister Narendra Modi *ji* has awakened every Goddess in our women, and, it is also true that he has given freedom to lead the nation in a true and in a very meaningful way.

Sir, I am representing Telugu Desam Party in this Parliament. The very birth of our Party happened at a very crucial time; a time when poverty and also corruption were at its peak, following three and a half decades of misrule. And after this, it was only Nandamuri Taraka Rama Rao Garu, who raised his voice in the Centre and also in the State. In his very first political speech, he said, “In a country that is ruled by a woman Prime Minister, is it not a disgrace for women not to be safe in this country?” This was not a question but it was a beginning of a protest to realize the vision of a women-led development. This is the legacy of Telugu Desam Party; a Party that lived for women, a Party that calls every woman *Aada Paduchu*, which means sister, and, a Party that always honoured and respected women.

Sir, TDP has never seen this women empowerment as a welfare policy but it has always seen it for the betterment of the society. The vision of Nandamuri Taraka Rama Rao Garu and our hon. Chief Minister Chandrababu Naidu Garu allies with the vision of this Bill that would convert an ordinary *Nari*

into *Narayana*. The reforms that Nandamuri Taraka Rama Rao Garu brought in in the early 1980s are now the templates for the national policy that has been taking place from decades and also from many days.

One of the historic decisions that the Telugu Desam Party has taken was this. When the country was debating still about the BC reservation, it was the first Party to announce 30 per cent women's reservation in all Government jobs and also in local body elections. This has liberated women, and, has also given them freedom and a special place in our society.

Another important decision that the Telugu Desam Party took was to decide on and amend the Hindu Succession Act, 1956, where every woman had equal rights in the paternal property. One of the very important administrative decisions that took place during 1980s was the Assigned Lands Act, where all the Government-assigned lands were registered under the name of women. That has promoted ownership. That has also promoted economic independence for them. And the incidences of domestic violence have come down.

Sir, those were the days when women wanted to pursue higher education but then, they were taunted and they were asked to get married and have kids. It was N.T. Rama Rao Garu, who had established the first Mahila University in Tirupati, that is, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam. And here, women could stand on their own legs. Most of the women, of that generation, now are the successful women and are the products of this University. And we were far ahead of the fast-track courts to give safe environment and a non-

threatening environment to the women.

We were the first party to establish Mahila Courts to ensure speedy and proper justice for women. Sir, another important decision was the Development of Women and Children in Rural Areas **(**DWCRA) policy, which was a national policy that started in 50 districts. Under the leadership of our hon. Chief Minister, N. Chandrababu Naidu Garu, the only State that was successful in the entire country in the DWCRA programme was Andhra Pradesh. I am proud to say that the DWCRA group from my constituency, in Orvakal, is the biggest DWCRA group. A team from the United Nations has come to visit our group just to study the success of this DWCRA group.

Also, when women were not even allowed to go and buy groceries, the DWCRA group in our constituency travelled from Kashmir to Kanyakumari to train the women of other States. I am proud to say that Andhra Pradesh stands first in the highest Self-Help Groups, and it covers more than 90.75 per cent of the rural population, and we have about 8.17 lakh Self-Help Groups. Also, it stands first in Lakhpati Didis in the entire country, where we have about 13.65 lakh Lakhpati Didis.

Sir, our hon. Chief Minister, N. Chandrababu Naidu Garu's vision is “One Entrepreneur, One Household,” and he has given us a target that within two years we have to achieve one lakh women entrepreneurs. We have already surpassed this target of 1.1 lakh women entrepreneurs establishing MSMEs. The Telugu Desam Party's motto is *prajjale devvullu*, which means people are God to us. The responsibility of the Telugu Desam Party is *prajala vaddake*

palana, which means welfare and governance to the doorstep.

Sir, this is an example where, every month on the 1st day, our hon. Chief Minister, along with all the elected representatives and *Karyakartas*, visits the households of our BPL families, and also different welfare schemes are distributed, especially the pensions. This is the greatness of our party. The main reason why we have been after giving economic independence to women is that political empowerment alone is not enough; economic strength should also be given. Today, our women, especially from Andhra Pradesh, are ready to lead the nation from the grassroots level to the national level.

Sir, due to various welfare schemes that we have been implementing, such as the Deepam scheme and the Shree Shakti programme, there are many schemes that are useful for women in our State. On the contrary, five years of YSRCP rule were the dark days for the entire women of our State. There were 45 handles and 40 individuals, all in very close acquaintance with the ex-Chief Minister, who were harassing all the *Karyakartas* of NDA and all the leaders. More than 90 per cent of the social media abuse was directed at women; our characters were assassinated, we were body shamed, filthy language was used against us, and our images were also burnt. Our very own hon. Chief Minister's wife was the target, and our Deputy Chief Minister's daughters, who were just 14-15 years old, were abused on social media. Our Home Minister, Anita Garu, ... *, was abused to such an extent that she was the only lady who gave strength to all the women in the State.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Sir, the party which did not care, which did not share space with women, a party that humiliated women, and a person, the then ex-Chief Minister, who did not protect women in the State or did not even stop the social media abuse - neither he nor his party leaders have any moral authority to even talk about women's empowerment or this Bill.

The story of women empowerment is not a story because of lack of intent but it is because of delay. The Bill was introduced in 1996. It was discussed, debated and then again referred to the Committees and then reintroduced and again lapsed. It was only in 2023 when the nation witnessed not just the passage of Bill but it was the decisive correction. Women empowerment was delivered and not just debated. They had a very clear vision that political empowerment cannot be isolated. The political empowerment cannot be achieved alone. So, this is where they have planned in such a way that we women are not just ready to raise the voice but are economically strengthened and are supported institutionally.

Sir, through various initiatives, such as Sashakt Netri Abhiyan, about seven lakh elected representatives are ready to face the challenges. Today, about 744 women oriented panchayats are in place. And through other initiatives such as Panchayat to Parliament where women are equipped, they are confident and they are also trained to face the challenges and lead the nation. I should appreciate the NDA Government that all the national policies have more than 60-80 per cent women beneficiaries and this is where we are economically strengthened.

To conclude my speech, I want to speak a few words. Gone are the days when we were defined by confinement, silence or even dependence. Gone are the days when our roles were restricted only to wife or daughter or mother. Gone are the days when the nation was talking about women development but here comes the days when nation is talking about women led development and the nation is giving us a chance to compete with the nation and also giving us a chance to lead the nation in a rightful way. When women shine, the nation rises. Sir, I would like to thank our hon. Prime Minister Narendra Modi Ji and especially from every elected woman representative from my State and also the Mahila MLAs and also Chairmen who have come just to witness all the way and sitting in the gallery and watching this historic moment. I would like to thank our hon. Prime Minister to get this important Bill passed and change our lives.

Thank you. *Bharat Mata Ki Jai.*

HON. CHAIRPERSON: Thank you Dr. Byreddy Shabari Ji.

Now, Shri Dileshwar Kamait.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में विधायी कार्य अन्तर्गत संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर संयुक्त रूप से चर्चा हो रही है। आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनके द्वारा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर विकसित भारत 2047 को सुगम एवं आसान बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' के मूलमंत्र द्वारा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर संरचनात्मक एवं योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन की शुरूआत कर आर्थिक हित, लोकहित में रोजगार और उद्यमिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री दिलेश्वर कामैत : सभापति जी, भारतीय समाज में महिलाओं की दशा और दिशा पर विचार किया जाए तो सर्वविदित है कि भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हम सब प्राचीन काल से ही ये पंक्तियां पढ़ते और सुनते आए हैं: 'यत्र नार्यस्तु पूज्यनते, रमन्ते तत्र देवता'। अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।

महोदय, प्राचीन काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और गार्गी जैसी विदुषियों ने वर्चस्व कायम किया था। यदि आधुनिक युग की बात की जाए तो हमारे देश में ही सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और मदर टेरेसा जैसी महिलाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर समस्त मानव जाति के लिए अनूठी मिसाल कायम की है।

महोदय, जब भी किसी महिला ने असमानता की बेड़ियों को तोड़ा है, तभी उसने इतिहास रच दिया। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है, जब वहां महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। देश ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है कि इस यात्रा में नारी शक्ति अपनी पूरी क्षमता और पूरी भागीदारी के साथ जुड़े। हमारी बहनों और बेटियों की भागीदारी देशहित में निरंतर बढ़ रही है। भारत की बेटियां स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स और सशस्त्र बलों से लेकर स्टार्ट-अप्स तक, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। अपनी बड़ी सोच और पूरे जज्बे के साथ वे कड़ी मेहनत करती हैं और खुद को साबित कर रही हैं।

महोदय, वर्ष 2023 में संसद में सभी दलों के सांसदों ने एक साथ आकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया था। ऐसा करके हमने देश की नारी शक्ति के प्रति अपने वचन को पूरा किया था। नारी शक्ति हमारी आबादी के करीब आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।

इस कदम के द्वारा राजनीति में उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी पर हम सबने अपनी सहमति जताई थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में संसद के सभी सदस्यों का योगदान रहा था। जब यह चर्चा चल रही थी, तब उस समय इसे लागू करने के समय पर भी विचार हुआ था। तब हम सबने सहमति से यह विचार रखा था कि नए कानून के प्रावधान जल्द से जल्द लागू हो जाने चाहिए। सभी दलों के नेताओं ने मुखर होकर इस विचार का समर्थन किया था।

महोदय, अब समय आ गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपनी पूर्ण भावना के साथ देश में लागू हो। यह उचित होगा कि वर्ष 2029 का लोक सभा चुनाव और सभी विधान सभा चुनावों में महिला आरक्षण पूरी तरह से लागू हो। इससे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और जन विश्वास गहरा होगा। इसके साथ ही शासन व्यवस्था में सबकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसी के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है।

महोदय, नारी शक्ति और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन देश की माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति असीम दायित्वों का निर्वहन होगा।

इस संबंध में, मैं कहना चाहूँगा कि बिहार पहला राज्य है, जहाँ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया और सभी निकाय चुनाव तथा प्राथमिक शिक्षक बहाली में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया। बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं, 12वीं, स्नातक और बीपीएससी एवं यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पास करने पर प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। बिहार में महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं।

14.59 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

महोदय, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 (जिसका लोकप्रिय नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है) द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239कक का संशोधन किया गया और अनुच्छेद 330क, अनुच्छेद 332क और अनुच्छेद 334क को अंतःस्थापित किया गया । इससे लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से, लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाएं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी हैं, उनके लिए लगभग एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया जा सके।

उक्त उपबंधों में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसा आरक्षण उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् की गई सुसंगत जनगणना के आधार पर किए गए पहले परिसीमन के पश्चात् प्रवर्तनीय होगा।

महोदय, अगली जनगणना और पारिणामिक परिसीमन कार्रवाई में काफी समय लगेगा और इस प्रकार हमारी प्रजातांत्रिक राजनीति में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में विलंब होगा। अतः प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य नवीनतम प्रकाशित जनगणना वर्ष 2021 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर की जाने वाली परिसीमन कार्रवाई के माध्यम से लोक सभा और राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं में महिलाओं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी हैं, उनके एक-तिहाई आरक्षण को प्रवर्तनीय बनाया है।

15.00 hrs

अतः महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का कार्यान्वयन लोक सभा और विधान सभाओं में स्थानों के आवंटन के पुनः समायोजन और परिसीमन आयोग द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनःनिर्धारण की संवैधानिक स्कीम से सहबद्ध है। वर्तमान में हमारी सरकार ने लोक सभा तथा विधान सभा में जितने सदस्य हैं, उसका 50 प्रतिशत बढ़ा कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।

महोदय, प्रस्तावित विधेयक, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सुगम बनाएगा और लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को प्रवर्तन में लाएगा। यह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व समावेशिता में अभिवृद्धि करेगा और विकसित भारत-2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के निर्माण में देश की नारीशक्ति सशक्त होगी, सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन तीनों विधेयकों - (1) संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, (2) संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और (3) परिसीमन विधेयक, 2026 का बिहार के समस्त जनता एवं जनता दल यूनाईटेड की तरफ से पुरजोर समर्थन करता हूं। आभार प्रकट करता हूं।

जय भारत, जय बिहार।

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी, जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है, उनके बारे में तथ्यों और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता।

आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं। उस समय की समाज की मन:स्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर के एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मज़बूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूँ कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसा ही पल है। आवश्यकता तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब यह विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, तभी हम इसको लागू कर देते और हम आज इसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय-समय पर सुधार भी होते। यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है।

हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी हजारों सालों की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है

और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी माननीय सांसद, आज मैं इधर-उधर की बात नहीं करना चाहता हूँ, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम सब भारतीय मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति के रूप-स्वरूप को तो तय करने ही वाला है, लेकिन वह देश की दिशा और दशा को भी तय करने वाला है, इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वी सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। मैं पक्का मानता हूँ कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आँकड़े नहीं हैं। सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति-निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने। यह समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं। कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं, तब सब सही मानते हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जब इसकी प्रक्रिया चली थी, तब एक दल को छोड़कर सभी दलों से मिलना हुआ था। जिन-जिन से मिलना हुआ है, हरेक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर जो कुछ भी हुआ होगा, उस पर अब राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूँ और यह एडवाइस सबको काम

आएगी। हमारे देश में जब से वुमन रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है।

उनका हाल बुरे-से-बुरा किया है, लेकिन यह भी देखिए कि वर्ष 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वर्ष 2024 में सभी ने इसको सहमति से पारित किया, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि वर्ष 2024 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं कि अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बेंच उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा। यहां बैठे हुए सब लोग हकदार रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वे पिछले 30 वर्ष के खुद के परिणामों को देख लें। फायदा उनका भी इसी में है। मैं रास्ता दिखाता हूं। फायदा इसी में है कि जो नुकसान हो रहा है, उससे बच जाओगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है, तब मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था। मैं संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय गलियारों में एक चर्चा सुनने को मिलती थी कि देखिए ये कैसे लोग हैं? पंचायतों में आरक्षण देना है, तो बहुत आराम से दे देते हैं। ... (व्यवधान) पंचायतों में आरक्षण देना है, तो आराम से देते हैं, क्योंकि उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उनको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, वहां आरक्षण दे दो। उस समय गलियारों में यह बहुत चर्चा थी। ये बोले कि यहां बैठे हुए ये कभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। बाकी पंचायतों में हो जाता है, वहां 50 प्रतिशत तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से एक बात और भी समझाना चाहता हूं। आज से 25-30 वर्ष पहले जिसने भी विरोध किया, वह

विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 वर्षों में ग्रासरूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्था में जीत कर आयी हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ग्रासरूट लेवल की ओपिनियन मेकर्स हैं। 30 वर्ष पहले वे शांत रहती थीं, समझती थीं, पर बोलती नहीं थीं। आज वे वोकल हैं। इसीलिए अब जो भी पक्ष-विपक्ष होगा, वे जो लाखों बहनें कभी-न-कभी पंचायतों में काम कर चुकी हैं, प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जनता की समस्याओं को गहराई से देखा है, वे आंदोलित हैं। वे कहती हैं कि साधारण काम में तो हमें जोड़े देते हो, यह तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ों और निर्णय प्रक्रियाएं विधान सभाओं और पालिर्यामेंट में होती हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं। मैं किसी भी सांसद या एमएलए की बात करता हूं। इस दल या उस दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं।

इसलिए राजनीतिक जीवन में जो भी लोग प्रगति चाहते हैं, मैं किसी भी सांसद और एमएलए की बात करता हूं, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता हूं, जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रासरूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33 परसेंट का नहीं, वहां भी वे आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए आज जो लोग विरोध करेंगे, उनको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पोलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपको अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी के समय से यह विषय चला आ रहा है और उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा कीजिए। उनकी समझदारी पर भरोसा कीजिए। एक बार 33 परसेंट बहनों को यहां आने दीजिए और उनको आकर के निर्णय करने दीजिए कि किसको देना है या नहीं देना है? इस वर्ग को देना है या उस वर्ग को देना है? वे यहां आकर निर्णय करेंगी। हमें उनके सामर्थ्य पर संदेह क्यों करते हैं? एक बार उनको आने तो दीजिए। … (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : आप खुद पिछड़े हैं, लेकिन जब पिछड़ों की बात आती है तो आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है।... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : धर्मेन्द्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है कि मैं अति-पिछड़े समाज से आता हूं। ... (व्यवधान) अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी-कभी मदद कर देते हैं। यह बात सही है कि मैं अति-पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का है। मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति-पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। इसलिए मैं देशवासियों का ऋणी हूं और संविधान निर्माताओं का भी ऋणी हूं कि जिनके कारण आज मैं यहां हूं।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी से शिकायत नहीं है, बल्कि यह तो अच्छी बात है कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें। मेरा इतना निवेदन है।

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ा रही है और परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है। हम गर्व कर सकें, इस प्रकार से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। हमारी बेटियां तो जीवन के हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य है और उसको रोकने के लिए क्यों अपनी ताकत खपा रहे हैं? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। इसलिए मैं आज आपके पास अपील करने आया हूं कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हमारे सामने जो अवसर है, एक साथ बैठकर के, एक दिशा में सोचकर के विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है और स्वीकार करने का अवसर है। जैसा मैंने पहले कहा कि आज पूरा देश और विशेषकर के नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। इसलिए, हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023 में इस नये सदन में हमने सर्वसम्मति से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना। उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे। इसलिए, वह कभी राजनीतिक इश्यू भी नहीं बना। यह एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है? अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करें कि हमने जनगणना के संबंध में कब-कब क्या-क्या किया था। बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आईं, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन, पिछले दिनों जब हम वर्ष 2023 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था कि जल्दी करो। अब वर्ष 2024 में संभव नहीं था, क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। ... (व्यवधान) वर्ष 2029 में हमारे पास अवसर है। अगर हम वर्ष 2029 में भी नहीं करते हैं तो स्थिति क्या बनेगी, हम कल्पना कर सकते हैं। फिर हम देश की माताओं-बहनों में विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ में कर सकते हैं। इसलिए, समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरम्यान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से और जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले हैं, वैसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुईं। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते-करते यहां भी सभी दलों से लगातार बातें कहीं न कहीं होती रही हैं। स्ट्रक्चर्ड-वे में हुई हैं और इनफॉर्मल भी हुई हैं। उसमें एक बात बनी कि कुछ रास्ता निकालना होगा, ताकि हम अपनी माताओं-बहनों को शक्ति को जोड़ सकें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेकर हम बैठे हैं, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं और न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। इसलिए, निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने

के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय-प्रकिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी।

यह निर्णय, प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जो सरकार भूतकाल में रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।... (व्यवधान) अगर गारंटी शब्द चाहिए, तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं।... (व्यवधान) वादा की बात करते हो, तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं, अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो, तो वह भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं।... (व्यवधान) क्योंकि जब नीयत साफ है, तो फिर शब्दों का खेल हमें जरूरत नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों से यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में न रहें और मैं 'हम' शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं 'मैं' और 'तुम' की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहें कि हम इस देश की नारी-शक्ति को कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है और हमने कई दशकों से उसे रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके, हमें उस पाप से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं, हर एक ने कैसे हर बार चालाकी की है, चतुराई की? हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं, हम इसके साथ ही हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ इसको लगा दी गयी और इसे रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लायी गयी हैं, हिम्मत नहीं है कि हम 33 पर्सेंट महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाएं। वह जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी कि यह करो, तो यह, वह करो, तो वह, ढिमका करो। अब देश की नारियों को नहीं समझा पाओगे। सदन में नम्बर का खेल क्या होता है, वह समय तय करेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब इन भांति-भांति की बहानेबाजी, भांति-भांति के टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके तीन दशकों तक इसमें अड़ंगे डाले, इसको फंसाकर रखा। आपको जो

अचीव करना था, कर लिया, अब छोड़ो न भाई । इसे रोकने में क्या तीन दशक कम पड़ते हैं? आपने तीन दशकों तक रोका, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, तो अब तो कीजिए ।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है ।... (व्यवधान)

अरे भाई, इनको बोलने दीजिए । ... (व्यवधान) वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है । ... (व्यवधान) कोई बंगाल में भी उनको बोलने नहीं देता । ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे राजनैतिक लाभ होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर रखो, किसी को भी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर एक अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता है । हमें क्रेडिट नहीं चाहिए । जैसे ही पारित हो जाए, मैं कल एडवरटाइजमेंट देकर सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं । आप क्रेडिट ले लो । क्रेडिट की चिंता है क्या जी, ले लो न क्रेडिट । आपको जिसकी फोटो छपवानी है, सरकारी खर्च से हम छपवा देंगे । ... (व्यवधान) मैं सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं । ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुधार तक सीमित नहीं है । लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, यह सांस्कृतिक कमिटमेंट है । इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी । ... (व्यवधान) अब तो बीस से अधिक राज्य हैं, जहां पचास प्रतिशत हुआ है । ... (व्यवधान)

हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में मैंने ग्रासरूट लेवल पर वुमेन लीडरशिप को देखा । मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनके कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे । उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक

संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर जब अनुभव जुड़ता है, तब मैं समझता हूं कि उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाएगा और सदन कितना समृद्ध होगा!

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। हम भरोसा करें। वे कंट्रीब्यूट करेंगी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वर्तमान में, देश में साढ़े छः सौ से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पंचायतें हैं। करीब पौने तीन सौ महिलाएँ उनका नेतृत्व करती हैं। उनके पास केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा जिम्मेवारी, धन और व्यवस्था होती है और वे काम करती हैं। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से 2,700 से अधिक ब्लॉक पंचायतें ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथों में है। … (व्यवधान)

आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज़ की हेड के रूप में, मेयर्स हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हों, उनकी ताकत है। मैं मानता हूँ कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को स्वीकार करने का यह अवसर है। … (व्यवधान) जब यह अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा, तब वह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा और एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने ही पैदा की है। यह अवसर है कि हम पुरानी मर्यादाओं और मुश्किलों से बाहर निकलें। हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और नारी शक्ति की राष्ट्र के विकास में सहभागिता को सुनिश्चित करें। मैं पक्का मानता हूँ कि अगर आज हम मिलकर निर्णय करते हैं, मैं तो आग्रह करूँगा कि हमें इसे सर्वसम्मति से आगे बढ़ाना चाहिए। जब यह सर्वसम्मति से बढ़ता है, तो ट्रेजरी बैंच पर एक दबाव रहता है। उनको भी लगता है कि इसमें सबका हक है, हर एक की बात मानकर चलो। कोई नुकसान नहीं है। हमें सामूहिक शक्ति से अनेक अच्छे परिणाम मिलते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूँगा कि इसे राजनीति के तराजू से न तौलें। हम जब कोई निर्णय करने जा रहे हैं, तो जो इतने बड़े देश का आधा जिम्मा उठा रहे हैं, उनका भी यहाँ आने का कोई हक बनता है। हमें रोकना नहीं चाहिए। … (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था और चर्चा थी कि यह जो है, इसे कम मत करो। अधिक कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। वह अधिक वाला विषय अब आया है कि पहले जो भी संख्या थी, अब 33 प्रतिशत और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया है। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। सदन की रचना में भी हमने पहले से सोचकर रखा है, जगह तो बना ली है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर वे में यह जरूर कहना चाहूँगा कि हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है, उसे नजर न लग जाए, उसके लिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं काला टीका लगाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष जी, आज महिला नारी शक्ति वंदन बिल पर संशोधन बिल आया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद बोलने का अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं और उसमें एक शब्द प्रयोग किया है - सैद्धांतिक और राजनीतिक। यहाँ बैठी हुईं सभी महिलाओं को लगेगा कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हैं। वर्ष 2023 में महिलाओं के आरक्षण का बिल पास हुआ था। किसने विरोध किया था? ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के आरक्षण बिल के लिए विरोध कर रहे हैं? … (व्यवधान) Sir, let the House be in order.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

15.42 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

श्री अरविंद गणपत सावंत : यहाँ हमारी बहुत सारी बहनें आई हैं, कुछ चली गई होंगी, लेकिन उनके सामने यह बताया गया कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हैं।

महोदय, हम महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र का अपना एक इतिहास है । छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माँ राजमाता जीजाऊ हैं। जीजाऊ जी ने छत्रपति को संस्कार दिए और स्वराज्य का निर्माण जीजाऊ जी के संस्कारों से हुआ । उन्होंने कभी दोहरी नीति नहीं खेली । महिलाओं पर अन्याय होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्रवाई की, उसके बारे में आप आज भी पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। 'चौरंगा करो' बोलते थे। एक शब्द था 'चौरंगा करो' यानी हाथ-पैर तोड़ देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है।

सर, महाराष्ट्र में किस-किसका जन्म हुआ? झांसी की रानी उत्तर प्रदेश में गईं, वह बलवंत नगर था जो मराठों का राज्य था । झांसी की रानी मराठी थीं । अहिल्याबाई होल्कर, तारा रानी आदि का महाराष्ट्र में इतिहास है। मैं इनके इतिहास के बारे में दो लाइनें अभी बोल सकता हूँ। इन पराक्रमी महिलाओं का महाराष्ट्र है। वर्ष 1289 में संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन मुक्ताबाई थीं, उन्होंने मराठी में कहा था— 'मुंगी उडाली आकाशी, तिने गिडिले सूर्याशी' । अभी भी बहुत चांगदेव हमें दिखते हैं। चांगदेव करके एक संत थे, शेर पर बैठकर आ रहे थे। वे सोचते थे कि मैं बड़ा हूँ और मैं सब का भला कर रहा हूँ। Sir, let the House be in order. … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य प्लीज, बैठिए। माननीय सदस्य का भाषण चल रहा है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सब बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: छोटेलाल जी, आप बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना है तो चले जाएं। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी बोल रहे हैं इसिलए सदन को सुचारू रूप से और व्यवस्थित करने के लिए आप बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : मुक्ताबाई ने चांगदेव के गर्व का हरण किया और उसे उपदेश दिया।

यह महाराष्ट्र है । जनाबाई संत थीं, परभणी डिस्ट्रिक्ट से आई थीं, मातंग समाज की थीं । कान्होपात्रा एक नर्तकी की कन्या थीं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ललन जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, हनुमान बेनीवाल जी, आप बैठ जाएं । हनुमान बेनीवाल जी आप भी बैठ जाएं। Manickam Tagore ji, kindly take your seat.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कल्याण बनर्जी जी बैठ जाएं। कोकिला जी आप बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : सर, कृपया मेरे भाषण का समय न काटें।

इस बात पर मुक्ताबाई, जनाबाई और कन्होपात्रा एक नर्तकी की कन्याएं थीं, जो जिन्दगी भर पांडुरंग की सेवा करती रहीं। उन्होंने अभंग भी लिखे हैं। यह महाराष्ट्र है। बहिनाबाई भी थीं, जिनके लिए मैं विशेष रूप से दो लाइनें कहना चाहूंगा।

*O human, O human, a trace of you has been found,

O human, O human, when will you truly become a human?

Because of greed, O human, you have become a Kanus.*

यह मराठी में है। लोग क्या हैं, स्वार्थी हैं। आपने स्वार्थ के लिए यह विशेष अधिवेशन बुलाया है। हमें बताइए, इसकी क्या जरूरत थी? क्या हमने महिला आरक्षण का विरोध किया था? आप जमाने से क्यों कहते हैं कि हमने महिला आरक्षण का विरोध किया था? वर्ष 2023 में, मैं इस सदन का सदस्य था, मैंने उस समय भी बोला था। महिलाओं के समर्थन में पूरा विपक्ष खड़ा रहा। दो सदस्यों को छोड़कर सभी ने समर्थन दिया था। क्या आप वह भूल गये? तब भी हम सभी ने समर्थन दिया था।

महाराष्ट्र में महिलाओं को शिक्षा देने का काम सावित्रीबाई फुले से शुरू हुआ।

माननीय सभापति : माननीय रूडी जी और कीर्ति वर्धन जी, कृपया आप लोग बैठकर बातें करें।

---

* .....* English translation of this part of Speech was originally delivered in Marathi.

अगर सदन में किसी माननीय सदस्य या मंत्री को बात करनी हो, तो वे कृपया बैठकर बात करें।

श्री अरविंद गणपत सावंत : सर, आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले जी महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे बढ़ीं। उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, यह समय नहीं है कि मैं सभी के बारे में बताऊँ। मैं केवल उनके नाम ले रहा हूँ। आनंदी जोशी इस देश की पहली महिला डॉक्टर थीं, जो महाराष्ट्र की थीं। पंडिता रमाबाई का जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वह महाराष्ट्र की मराठी थीं। फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला- दुर्गाबाई कामत थीं, जो महाराष्ट्र की थीं। आज आप लोग इस बात पर कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इतने बदल जाते हैं।

आप भूल गये कि आपने विशेष अधिवेशन बुलाया है। आपने यह किस वक्त बुलाया है, जब देश में पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आप क्षण भर के लिए मान लें, तो यह कब अमल होगा- 2029 में होगा। जून-जुलाई में वर्षाकालीन सत्र होता है, किसी ने मना किया था, आप यह बिल वर्षाकालीन सत्र में ला सकते थे। इसके लिए विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं, क्या वह सैद्धांतिक है? क्या आपका भाषण सैद्धांतिक है? वह भी राजनीतिक है। हो सकता है कि बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में आपके पैरों तले की जमीन हिल रही होगी। अब क्या करें, कौन-सा ढोल बजाएं, तो देखो हम महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने महिला आरक्षण के बिल को डी-लिमिटेशन बिल के साथ जोड़ा है, इसका विरोध हो रहा है। आप डी-लिमिटेशन के बिल को छोड़ दें, हम अभी महिला आरक्षण के बिल को पास कर देते हैं। आप डी-लिमिटेशन का बिल छोड़ दो। आपका यह डी-लिमिटेशन का बिल एक राजनीतिक बिल है। यह कैसे राजनीतिक है, मैंने उसके बारे में बताया।

हमारे यहां मुम्बई महानगरपालिका में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महिलाएं मेयर बन गईं। किशोरी पेडणेकर, विशाखा राउत, श्रद्धा जाधव आदि बहुत-सी महिलाएं मेयर बनीं। ये महिलाएं उस वक्त मेयर बनीं जब आरक्षण नहीं था। एक बड़ा प्रवर्ग था, लेकिन फिर भी शिव सैनिकों को उन महिलाओं को मुम्बई का मेयर बनाया। यह महिलाओं के बारे में सम्मान देने की

बात है। उस समय महिला आरक्षण नहीं था, हमने फिर भी कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, हम मणिपुर को कैसे भूल जाते हैं? आपके मन में महिलाओं के बारे में इतना आदर है, आज भी मणिपुर में दोबारा अत्याचार शुरू हुए हैं, हमले शुरू हैं। निर्भया को हम नहीं भूले, हो सकता है कि आप भूल गये होंगे। अभी मणिपुर की घटना फिर से शुरू है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को इस भवन के उद्घाटन पर आपने नहीं बुलाया। आपका महिलाओं के बारे में कितना आदर्श है, कितनी आदर की भावना है? आपने प्रभु रामचन्द्र जी के चरण में भी माननीय मुर्मू जी को नहीं बुलाया।

आपका आदर्श कैसा है? आप महिलाओं का कितना आदर करते हैं? आपने प्रभु रामचन्द्र जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुर्मू जी को नहीं बुलाया था। फिर भी जय श्रीराम कहते हैं। यह ...* है। हम इस ...* के खिलाफ खड़े हैं। आपकी कथनी और करनी में हर वक्त फर्क है। आपने कहा कुछ और है, लेकिन किया कुछ अलग है। आप आज भी वही कर रहे हैं। आप महिला आरक्षण का बिल लाए हैं। एक पत्र लिखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र अखबारों में भी छपा है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उसमें समता शब्द लिखा हुआ था। हां, हमारे प्रधानमंत्री जी ने समता शब्द का प्रयोग किया है। समता कहां है? आप बताइए। हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां बहुत गंदी बातें हो रही हैं। वे हमारे महाराष्ट्र को कलंकित कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब आप यह बिल लेकर आए हैं, तो मेरे मन में समय की बात आती है। अभी यह समय क्यों चुना गया है? यह पहला सवाल है। क्या आप मानसून सत्र (जून-जुलाई) में इस बिल को पास नहीं कर सकते थे? आप कह रहे हैं कि हम लोग इसमें अड़चन डाल रहे हैं। आप इसको पास करिए, लेकिन चुनाव के समय ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूंकि आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्य हाजिर नहीं होंगे या डीएमके के सदस्य हाजिर नहीं होंगे। यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। अगर ये सदस्य गैर हाजिर होंगे,

* Not recorded as ordered by the Chair.

तो आपके लिए बिल को पास करना आसान हो जाएगा। क्या यह सैद्धांतिक है या फिर राजनीतिक है?

सभापति महोदय, हाल ही में सभी आईएएस महिला अधिकारियों का एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ था। एक आईएएस महिला अधिकारी हैं, वे बहुत होशियार हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है। उन्होंने क्या लेख लिखा है, क्या आपको मालूम है? हमारे महाराष्ट्र में इनकी पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि मेरे पास किसी महिला अधिकारी को मत भेजना। ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। आप उनके संरक्षण की बात करिए। पहले महिलाओं का संरक्षण करना चाहिए।

माननीय सभापति : सुप्रिया जी, आप प्रॉक्सी मत करिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत : सभापति महोदय, आप मत भूलिएगा कि …* कौन है और वह किस पार्टी का सदस्य है। …* को मत भूलना। क्या ये लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, मेरा व्यवस्था का बिंदु है।

माननीय सभापति : इस वक्तव्य को देख लिया जाएगा। वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा।

... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : क्या आपको …* से बहुत प्यार है? ... (व्यवधान) उसका नाम रिकॉर्ड पर आने दीजिए।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, मेरा व्यवस्था का बिंदु है।

माननीय सभापति : मैंने कहा है कि उस वक्तव्य को चेक कर लिया जाएगा। वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा।

... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : महोदय, क्या कोई …* आपका आदर्श है? ... (व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय सभापति : आप ऐसे किसी व्यक्ति पर आरोप मत लगाइए, जिसको सफाई देने का अवसर नहीं मिल सकता है। वह जेल में बंद है।

... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : महोदय, उसका आरोप तो साबित हुआ है। वह जेल में बंद है। आप क्या बात कर रहे हैं? यह गलत है। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, मेरा व्यवस्था का बिंदु है।

माननीय सभापति : निशिकान्त जी, आप बोलिए।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, यदि ये …* की बात करेंगे, तो …* की भी बात होगी। उसने भी एक हीरोइन को मार दिया था। क्या आप यही चर्चा करना चाहते हैं? ... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : महोदय, यह गलत बात है। This should be removed from the record. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT : ... @ has gone to the jail. … (*Interruptions*) Do not denounce ... @… (*Interruptions*) You have no right to say that. … (*Interruptions*) आप क्या बात कर रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): He cannot talk like this. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : उस शब्द को देख लिया जाएगा।

श्री अरविंद गणपत सावंत : महोदय, ये सब क्या है?

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I am sorry to say but he cannot talk about ...@ like this.

माननीय सभापति : वह शब्द कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। मैंने निर्णय दे दिया है।

@ Expunged as ordered by the Chair.

... (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, he cannot talk like this. He has no right to take ... @name like this. … (*Interruptions*)

श्री अरविंद गणपत सावंत : महोदय, ये क्या है?

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Arvind Ganpat Sawant.

… (*Interruptions*) …#

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, he cannot take ... @name like this. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अरविंद सावंत जी का वक्तव्य ही कार्यवाही का हिस्सा बनेगा।

… (व्यवधान)#

माननीय सभापति : मैंने निर्णय दे दिया है।

सुप्रिया जी और गौरव गोगोई जी, कृपया आप लोग बैठ जाइए।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: He must say sorry. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: He cannot talk like this.

श्री अरविंद गणपत सावंत : अगर आप ज्यादा बोलेंगे, तो गोधरा की भी बात होगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब बैठ जाइए। आप सब मेरी बात सुनिए। आपने या उन्होंने जो बात कही है, मैंने कहा है कि वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। अब बात खत्म हो गई है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव गोगोई जी, आप बैठ जाइए। धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाइए। अखिलेश

@ Expunged as ordered by the Chair.

Not recorded.

जी, आप धर्मेन्द्र जी को बैठाइए। कृपया आप सब लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल अरविंद सावंत जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी । आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बीच में मत खड़े होइए। आप बीच में कैसे खड़े हो गए?

… (व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: You are the Deputy Leader of the Party.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, I have allowed Mr. Arvind Sawant *ji* to speak.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बीच में मत खड़े होइए। आप बैठ जाइए। मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं।

अरविंद सावंत जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत: सर, मैंने गुनाहगारों का नाम लिया है । वे लोग जेल गए हैं । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्यामकुमार बर्वे जी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : महोदय, अगर मुझे किसी को बदनाम करना होता, तो मैं तड़ीपार का नाम लेता। … (व्यवधान) वह तड़ीपार था। क्या मैं एपस्टीन फाइल्स के नाम ले लूं? आप मुझे बताइए। … (व्यवधान)

अब कभी अपना मुंह मत खोलना। मैं सब बराबर कर दूंगा।… (व्यवधान) मेरे पास तुम्हारी तरफ की पूरी जानकारी है । … (व्यवधान) मेरे पास महिलाओं के ऊपर तुम्हारी तरफ से हुए

* Not recorded.

अत्याचार की पूरी लिस्ट है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, पहली बात यह है कि उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ... (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि अगर आपको महिलाओं को सही में आरक्षण देना था, तो इसे बढ़ाने आदि की बात न करते। ... (व्यवधान) आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हम लोग डरते हैं और हमारी जगह चली जाएगी। पंचायतों में आरक्षण आने दो, उधर आरक्षण आने दो और ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको सुरक्षित करने के लिए हम लोक सभा के सदस्यों की संख्या को 850 करेंगे।

हम मांग करते हैं कि आप इन 543 सीट्स में ही आरक्षण दे दीजिए। हम आपके साथ हैं। आप बताइए कि क्या आपमें हिम्मत है? यहां हमारी बहनें आ जाएंगी। हमें कोई परवाह नहीं है। क्या आपमें हिम्मत है? ... (व्यवधान) आपमें हिम्मत नहीं है। आप गोल-गोल घुमाकर भ्रम निर्माण करने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, आरक्षण देने की जो कार्यवाही उन्होंने अभी शुरू की है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को भी धक्का दे रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों को भी धक्का दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए लोक सभा की 543 में से 207 सीट्स हैं। अभी आपने कानूनन जो प्रावधान किए हैं, वह बहुत बड़ी बात है। वर्ष 2023 के कानून में जब महिला आरक्षण पर बात हो रही थी, तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि हम जनगणना करेंगे। वह जनगणना वर्ष 2026 में पूरी होगी और हम उस जनगणना के आधार पर आरक्षण देंगे। उस आरक्षण में और क्या होगा?

आपने ओबीसी आरक्षण के बारे में कहीं नहीं लिखा। क्या आपने ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ लिखा है? तीनों कानूनों में एससी, एसटी और ओबीसी का नाम ही नहीं है। उसके अलावा 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का नाम भी नहीं है।

महोदय, इसमें एक बड़ा गेम है। अगर 50 परसेंट इन्क्रीज़ नहीं हुआ, तो कल को साउथ

इंडिया के सभी राज्य, जिनकी जनसंख्या कम हो रही है और अगर यह जनसंख्या के आधार पर बन गया, तो उन सभी राज्यों के सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। देश को हम विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं। दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक लाइन आएगी और महाराष्ट्र से कट हो जाएगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के बहुत लोग सुशिक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनकी जनसंख्या कम है। यहां क्या है? ऊपर के राज्यों में जनसंख्या बहुत है। इससे क्या होगा? इससे देश में विभाजन आ जाएगा।

सर, मुझे लगभग पांच मिनट्स और लगेंगे। मैं बिल पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। अब आप अपने अमेंडमेंट बिल की खासियत देखिए।

Article 81(3) says that the expression 'population' means the population as ascertained at such a time, as Parliament may by law determine, of which the relevant figures have been published.

उसके आगे आप लिखते हैं - For the words, "Upon the completion of each census, the allocation of seats", यह पूरा वर्ड है। In 4(b), in Article 82, it is written - For the words "Upon the completion of each census, the allocation of seats", the words "The allocation of seats". इसका मतलब 'upon the completion of each census' निकाल दिया गया।

HON. CHAIRPERSON: Arvind ji, after 18 minutes you have come on the Bill.

… (*Interruptions*)

श्री अरविंद गणपत सावंत : सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके ही आशीर्वाद से 10 मिनट्स से यह पूरा तमाशा चल रहा था।

माननीय सभापति : आप दो मिनट्स में कन्क्लूड कीजिए।

16.00 hrs

श्री अरविंद गणपत सावंत : चेयरमैन सर, आप देखिए कि यह कैसी बात है। ये सेंसस नहीं करेंगे,

सेंसस नहीं करेंगे, तो जाति जनगणना नहीं होगी, जाति जनगणना नहीं होगी, तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ एससी, एसटी को मिलेगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सरकार इसीलिए यह बिल लेकर आई है।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : नहीं, ऐसा नहीं है। इस बिल में यह नहीं है, यही मैं बार-बार बता रहा हूं। सिर्फ एससी, एसटी है, ओबीसी नहीं है। 50 प्रतिशत भी नहीं है।

सर, एक और बात है। इन लोगों ने 33 परसेंट का जो क्रायटेरिया कर दिया है, इसमें एक बात और भी है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: I am concluding. मेरे बस दो-तीन मुद्दे ही हैं। मुझे डीलिमिटेशन पर ही थोड़ा सा बोलना है।

जो डीलिमिटेशन आप लाए हैं, आप देखिए कि वह कैसे लाए हैं, उसी में तो धमाल है। ज्ञानेश क्या करते हैं? मैं 'कुमार' नहीं बोलता, क्योंकि उसका नाम आ जाएगा। जो ज्ञानवंत वहां बैठा है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है। महानगर पालिका के चुनाव में यहां से वहां सीधा घुमा देते हैं। भोगौलिक संलग्नता नहीं है। कहीं भी, एक टुकड़ा यहां से, दूसरा टुकड़ा वहां से उठाकर वॉर्ड बना दिया। क्यों? हम कैसे चुनकर आ सकते हैं? कैसे डिविजन कर सकते हैं? डिवीजन और सत्ता - दूसरा कोई विषय ही नहीं रहता है।

चेयरमैन सर, ये सत्ता के कारण ही करते हैं। आप देखिए - The Election Commission shall also act as the Delimitation Commission for the purpose of delimiting constituencies in the Legislative Assembly. इसका क्या मतलब है? आज इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कल ही वही करेगा।

आपने एक कमेटी भी बनाई। मैं आधा मिनट और बोलता हूं। The Commission shall associate with itself, for the purpose of assisting in its duties in respect of each

State, ten persons, five of whom shall be Members of the House of the People representing the State. पांच लोग यहां से रहेंगे और पांच लोग वहां से रहेंगे। इसे कौन करेगा? Who will decide it? The Speaker will decide it.

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आगे के सभी स्पीकर्स महाराष्ट्र के हैं। एनसीपी के स्पीकर्स भी हैं और शिव सेना के स्पीकर्स भी हैं। इसलिए आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : उसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। दस लोगों को भी वोटिंग करने का अधिकार नहीं है।

सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको मालूम है।

The Commission shall determine its own procedure and shall, in the performance of its functions, have all the powers. मेरी मर्जी - यह बताया न कि उसने इन्सल्ट की, यह 'मेरी मर्जी' वाली बात है।

इसलिए मैं जाते-जाते इतना ही कहता हूं -

*" मुंगी उडाली आकाशी." It means "The ant flew into the sky."

हमारी मराठी में संतों का एक कथन है, जो बोलता है कि युक्ति और कृति में जिसका साम्य है, उसका वंदन करो। आपकी युक्ति और कृति में कभी भी साम्य नहीं रहा। आप फिर दोबारा चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में 'लाडली बहन' योजना आई है, उसी तरह का यह ड्रामा है। 'लाडली बहन' योजना के माध्यम से आज महाराष्ट्र को पता चला है कि 24,000 करोड़ रुपए का घाटा आ रहा है और 70 लाख मिलों को उसमें से निकाल दिया है। यही आपका आरक्षण का आधार है और इसीलिए आप यह बिल लाए हैं। इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध करते हैं। खासकर, आप जो डिलिमिटेशन कानून ला रहे हैं, वह हमारे संविधान को ठेस पहुंचा रहा है,

इसलिए हमारा विरोध है।

धन्यवाद।

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, तो उनकी चेयर के आगे से या बीच से क्रॉस करके न जाएं। यह मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे जी।

… (व्यवधान)

***DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR):** Honorable Chairperson, as I rise to speak at this historic moment today, I have deliberately chosen to wear the 'Phule Pagadi' (Phule Turban) as a mark of respect. "Shudra and women are all deserving of chastisement" was the harsh reality of those days. But, he was the very first social reformer to champion the cause of women's freedom and education, Mahatma Jyotiba Phule. In an era when women were confined to the domestic sphere—limited to "the hearth and the children"—and denied even the fundamental right to live with human dignity, it was this revolutionary couple—Mahatma Jyotiba Phule and Krantijyoti Savitribai Phule—who introduced women to the world of literacy and awakened them to a sense of their own identity and existence. Their contribution remains immense.

Honorable Chairperson, as we discuss the implementation of the 'Nari Shakti Vandan' (Women's Empowerment) initiative today, it is our solemn duty to pay homage to Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule. It is, however,

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

a matter of deep regret that—even in this bicentennial year marking their legacy—they have yet to be conferred with the 'Bharat Ratna' award. Dr. Babasaheb Ambedkar—who revered Mahatma Jyotiba Phule, Gautam Buddha, and Sant Kabir as his spiritual mentors—ensured that women were granted the right to vote from the very first day the Constitution of India came into effect. I am a 'Mavala' (loyal son) of this great state of Maharashtra—a land endowed with a rich legacy of accomplishment, motherhood, and leadership. This legacy belongs to Mother Jijau, Krantijyoti Savitribai Phule, and Punyashlok Ahilyabai Holkar. Consequently, there is absolutely no justification for opposing this Women's Reservation Bill. It was in Maharashtra—under the leadership of the then Chief Minister, the Honorable Sharadchandra Pawar—that the historic step of providing 33 per cent reservation for women in local self-governing bodies was first implemented in this country. It was the Honorable Sharadchandra Pawar who paved the way for women to serve in the defense forces and ensured they received their rightful share in ancestral property.

Honorable Chairperson, for these reasons, I do not oppose this bill. Should anyone suggest that by granting this reservation we are somehow doing women a favor, let me clarify that this is not the case. Rather, the opportunity to repay—even in a small measure—the debt we owe to the mother who gave us life is, in itself, a privilege and a blessing bestowed upon us. One is compelled to reflect introspectively on the fact that, on one hand, we discuss the implementation of the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' (Women's

Reservation Bill), while on the other, we are still compelled to run campaigns like 'Beti Bachao, Beti Padhao' (Save the Daughter, Educate the Daughter). Atrocities against women continue unabated, and women are going missing; yet, no concrete action appears to be taken regarding these grave issues. In Maharashtra, a case involving a charlatan came to light, and investigative probes subsequently revealed videos depicting sexual exploitation. This raises a pertinent question: Did the officers investigating the matter—and, by extension, the Home Minister—not bear a responsibility to act? Consequently, questions arise regarding the very mindset of those responsible for implementation. If the individuals tasked with enforcing these laws are the same ones who laud the Manusmriti—a text that posits that "service to one's husband is service to God"—then serious doubts inevitably emerge regarding the purity of their intentions.

माननीय सभापति : माननीय स्पीकर साहब ने उन सब का जवाब देने के लिए कहा है।

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे : सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

*Honorable Chairperson, the entire opposition had consistently demanded that this bill be passed immediately—in 2024 itself—to grant women their rightful reservation. Since doing so would have been a straightforward process, if you accuse us of having opposed the bill, let me clarify: our opposition was directed specifically at the method of its implementation. The manner in which the bill has now been introduced raises suspicions that it may be driven by ulterior political motives. Furthermore, if the

* .....* English translation of this part of Speech was originally delivered in Marathi.

proposed delimitation exercise results in an expanded House of 850 members—wherein states in the North receive 40 per cent representation while states in the South receive only 20 per cent—then the fundamental democratic principle of "one person, one vote, one value" appears to be undermined. Consider the analogy of a school: if one student passes with high marks while another does not, we naturally award the prizes to the high-achievers. It is, therefore, truly unfortunate—indeed, tragic—that through this delimitation process, you are effectively penalizing those very states that have successfully brought their population growth under control. A second critical issue is that of regional imbalance, specifically the disproportionate growth of population in urban areas. If population size remains the sole criterion for delimitation, urban constituencies will gain a vastly increased share of representation, leaving the rural sector with diminished representation to articulate and address its specific concerns. Many members of the House are left wondering when their specific issues will ever be scheduled for discussion during the 'Question Hour.' Moreover, they point out that the Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) fund allocated to them remains a meager sum of just ₹5 crore.

Honorable Chairperson, therefore, it is essential to ensure transparency and clarity regarding this delimitation process. Consequently, I urge you to exercise your vote thoughtfully; while I do not oppose the Women's Reservation Bill itself, I demand that there be transparency concerning the delimitation process.

Thank you. Jai Shivray.*

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : माननीय सभापति महोदय, आज ऐतिहासिक सदन में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा के लिए खड़ा होना मेरे लिए केवल एक संसदीय कर्त्तव्य नहीं, बल्कि एक परम गौरव का क्षण है। यह विधेयक केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को पूर्णत: की ओर ले जाने वाला एक महायज्ञ है।

मैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में अपनी पार्टी शिव सेना और हमारे नेता महाराष्ट्र के यशस्वी उप मुख्य मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से पूर्ण तथा विशेष समर्थन दर्ज कराने के लिए यहां खड़ा हूं। इस पावन अवसर पर मुझे ये पंक्तियां स्मरण हो रही हैं–

"शक्ति का पर्याय है नारी, सृष्टि का आधार है नारी,
कोमल हृदय, वज्र सा संकल्प, हर मुश्किल का सार है नारी।"

आज का दिन भारत के संसदीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज हम उस आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने जा रहे हैं, जिसे दशकों तक केवल वोट बैंक समझा गया।

मैं इस ऐतिहासिक कानून को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने दो दिन पहले ही पत्र लिख कर माननीय पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करके समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि शिव सेना एनडीए के एक प्रतिबद्ध घटक दल के रूप में इस सुधार को मैं अपना पूर्ण एवं अटूट समर्थन प्रदान करता हूं। राष्ट्र निर्माण के आपके निरंतर प्रयासों के लिए एक बार पुन: हृदय से अभिनंदन है।

सभापति महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ स्त्री केवल सृजन की जननी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की मुख्य शिल्पी रही है। हम उस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, जहाँ ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती हैं और शौर्य की प्रतीक मां दुर्गा हैं। गार्गी और मैत्रेयी की विद्वत्ता से लेकर अहिल्याबाई होल्कर के न्यायपूर्ण शासन तक, राजमाता जिजाऊ के संस्कारों से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम तक और सावित्रीबाई फुले द्वारा जलाई गई ज्ञान की ज्योति तक भारत

की नारी ने हर कालखंड में स्वयं को सिद्ध किया है । आधुनिक युग में भी टेसी थॉमस जैसी वैज्ञानिकों, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी कला साधिकाओं और मैरी कॉम व पी.वी. सिंधु जैसी खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊँचा किया है।

सभापति महोदय, जब इस सदन और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधान होगा, तब केवल संख्या बल नहीं बदलेगा, बल्कि देश की नीति और नियति में एक मानवीय दृष्टिकोण जुड़ जाएगा । हम देखते हैं कि गाँव की एक साधारण सी ग्राम सेविका या सरपंच जब विकास की बागडोर संभालती है, तो पूरे गाँव का स्वरूप बदल जाता है। आज देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि अवसर मिले, तो भारत की बेटियाँ शून्य से शिखर तक का सफर तय कर सकती हैं। इसी सामर्थ्य को समर्पित ये पंक्तियाँ:

"कभी बनी वह ममता की मूरत, आँचल में खुशियाँ भरती है।
कभी बनी वह रणचंडी, अन्याय से कभी न डरती है॥"

इसी महान और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने महिलाओं को सही मायनों में सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए दिन-रात एक कर दिया है। हमारी सरकार केवल खोखले वादे नहीं करती, बल्कि धरातल पर काम करती है। 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के माध्यम से हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसका परिणाम क्या हुआ, यह पूरे देश ने देखा है। जब जनता ने देखा कि उनका 'लाड़का भाऊ' उनके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, तो हमारी माताओं-बहनों ने हमें अपने आशीर्वाद और स्नेह के रूप में रिकॉर्ड वोट देकर दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में बैठा दिया और अभी माननीय अरविंद सावंत 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' को लेकर हम पर जो टीका-टिप्पणी कर रहे थे, इनको और इनकी पूरी पार्टी को पूरी तरह से नीचे गिरा डाला । मुझे अरविंद सावंत जी से कहना है कि यदि आपमें हिम्मत है, यदि आप 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' को एक ड्रामा कहते हैं, तो यह एक विरोध है और फिर इस

योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए, ऐसा एलान इस सभागृह में करें। माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सक्षमीकरण को केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक ध्येय बनाया है। 'जननी सुरक्षा' और 'प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना' से मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई है। 'वन स्टॉप सेंटर' और 181 हेल्पलाइन से उन्हें सुरक्षा का कवच मिला है, तो'किरण' जैसी योजनाओं से महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान में नई उड़ान मिली है।

"चूल्हे की उस आग से लेकर, सरहद की हुंकार तक,
कलम की कोमल स्याही से, विज्ञान के चमत्कार तक
हर क्षेत्र में परचम उसका स्वाभिमान से लहराता है,
जिस राह पर बढ़ जाए वह, इतिहास नया बन जाता है॥"

इस विधेयक के लागू होने से जो बदलाव आएंगे, वे अभूतपूर्व होंगे। आज इस विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार हुआ है। बाबासाहेब ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में महिलाओं को जो समानता देने का लक्ष्य रखा था, आज वह धरातल पर उतर रहा है।

16.19 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

इस कानून के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239(AA), 330(A) और 332(A) में संशोधन करके महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पाखंडी और महिला-विरोधी पार्टी है।

जब पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में आया, तब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और तब के प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा जी का नेतृत्व था। आप जानते हैं कि उस सरकार का क्या हुआ? इसी सत्ता की भूखी कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को गिराने का पाप किया था, ताकि महिलाओं को आरक्षण न मिल सके। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। वर्ष 1985 का शाहबानो केस तो कांग्रेस के तुष्टिकरण और महिला विरोधी चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक 73 साल की बुजुर्ग मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में

ऐतिहासिक फैसला दिया लेकिन श्री राजीव गांधी की सरकार ने कट्टर पंथियों के दबाव में आकर वर्ष 1986 में कानून बदल कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और एक असहाय महिला को उसके हाल पर छोड़ दिया। कांग्रेस ने 60 सालों तक इस सामाजिक समानता को रोका। आज मोदी सरकार इस सामाजिक और राजनीतिक समानता के अधूरे काम को पूरा कर रही है। वर्ष 2014 के बाद देश में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है।

*In conclusion, I would like to say that honouring Nari Shakti is not just our moral responsibility, but an essential characteristic of a developed nation. When we empower women through reservation, we aren't just granting a position to an individual; we are providing a new direction to an entire generation and society.

While supporting Nari Shakti, we must not forget that the same hands that rock the cradle are today guarding the nation's borders, and those very hands will now craft laws in our supreme legislative houses. This bill serves to provide visible strength to invisible hands.

I urge all the honourable members of this House to set aside party politics and support this historic bill unanimously. This bill does not belong to a single party, it belongs to our Motherland. Our collective support will send a message to the world that India is ready to give its daughters the sky to soar.

In her existence lies a radiant light,

Before her grit, the vast sky bows down,

Wherever she steps, prosperity follows,

With the brilliance of Nari Shakti, India shall shine bright.

---

* .....* English translation of this part of Speech was originally delivered in Marathi.

On behalf of my party, Shiv Sena, and our chief leader Eknathji Shinde, I extend full support to this bill.*

जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संवैधानिक (एक सौ इकतीसवां) संशोधन, विधेयक 2026 पर बोलने, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, समस्तीपुर की देव तुल्य जनता और बिहार की तमाम बेटी-बहनों की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कोट पढ़ना चाहूंगी:-

"A statesman is one who thinks of the future generartions while a politician is one who thinks of the upcoming elections."

हम यह इसीलिए कोट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट्समैन स्पिरिट हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। बिना किसी लीगल एनफोर्समेंट के उन्होंने 40 प्रतिशत महिलाओं को वर्ष 2024 की लोकसभा में चुनाव में जीता कर इस सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। इसके लिए हम उनका सदा आभारी रहेंगे कि महज 25 साल की माननीय युवा सांसद उनकी वजह से इस सदन में जीत कर आई है और बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। इसका अर्थ है कि जिस घर में, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है, वहां पर देवता अर्थात् सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

महोदया, यह बिल महज कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों माता-बहनों के आत्म सम्मान और अधिकारों का घोषणा पत्र है। यह केवल एक अमेंडमेंट नहीं है बल्कि सदियों से जो उनकी तपस्या और संघर्ष है, यह उसका परिणाम है। यह सदियों की बंदिशों और रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है। यह पूरे देश में मातृ शक्ति का हक और सम्मान देने का एक बहुत खूबसूरत

सुनहरा अवसर है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि वूमेन डेवलपमेंट और वूमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। जैसा कि वह कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का दौर गया,अब नए नेतृत्व की बारी है। इसी पर हम एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे।

"सदियों की जंजीरों का अब मिट रहा निशान है।

नारी शक्ति के उदय का एक यह नया विधान है।।

वक्त के इस दौर में अब तेरा ही ऐलान है।

मेरी प्यारी माता- बहनों, तू ही नए भारत की नींव, तू ही इसकी शान है।।"

महोदया, हम लोगों ने दो दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई। वह हमेशा कहते थे कि - "Social justice can not be achieved without gender justice." संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वह तीन तरह के जस्टिस की बात करते थे। पॉलीटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहां खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यहां पर जिन नीतियों का निर्माण होगा, उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी। यहां जो महिलाएं होंगी, वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

महोदया, हम बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहां की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। चाहे वह लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हों, चाहे वह दरभंगा की भावना कंठ जी हों, चाहे वह मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हों, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ-साथ देश का अभिमान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे राष्ट्रीय

अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन 'बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट' की बात करते हैं। वह यह जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। पूरे देश में बिहार पहला राज्य थ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 50 परसेंट आरक्षण लागू करके महिलाओं को ग्रामीण लेवल पर वूमेन लीडर्स बनाने का हक दिया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में 50 परसेंट आरक्षण दिया। वर्ष 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज़ में 50 परसेंट आरक्षण दिया। वर्ष 2016 में सरकारी नौकरी में 35 परसेंट आरक्षण दिया। उन्होंने महिलाओं के आत्म सम्मान को, महिलाओं के अधिकार को प्राथमिकता दी। महोदया, आज बिहार की जीविका दीदी, पूरे देश की आजीविका दीदियों के लिए एक उदाहरण बनी हैं, लेकिन इस देश की और यह बिहार की यह विडंबना है कि जहां एक तरफ एनडीए ने बेटियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखा, वहीं बिहार में विपक्ष की एक पार्टी के सांसद ने सरेआम सदन में इस बिल को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया था और बेटियों के सपने को चूर-चूर इसी सदन में किया था। वह और कोई नहीं सुरेंद्र यादव जी हैं।

महोदया, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विज़नरी लीडरशिप दिखाई है, वह इस देश की मां, बेटियों और बहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण, सम्मान और सशक्त नेतृत्व का भी अधिकार दिया। विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस महिला प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 1984 में बड़ी मेजोरिटी के बावजूद वह इस विधेयक को पारित नहीं कर पाईं। वर्ष 2010 में राज्य सभा से पास होने के बाद, लोक सभा में भी विपक्ष के साथ होने के बावजूद ये लोग इस बिल को पारित नहीं कर पाए। यह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ, क्योंकि इस बिल को पारित करने का इनका पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था और आज भी नहीं है।

महोदया, हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला आरक्षण के साथ-साथ, परिसीमन पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जो कानून ला रहे हैं, वह आने वाले समय में देश के

लिए गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण बनेगा । परिसीमन का असली उद्देश्य है गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हमारे लिए वर्तमान में यह चुनौती है कि लगभग हमारे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 20 से 25 लाख वोटर्स होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करना एक सांसद के लिए मुश्किल होता है। परिसीमन के बाद लोक सभा की सीटें लगभग 800 से ज्यादा हो जाएंगी। छोटे और बेहतर क्षेत्र तैयार होंगे, जिनका प्रतिनिधित्व करना आसान होगा । अधिक प्रभावी प्रशासन होगा। प्रशासनिक तौर पर भी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा। रिसोर्स एलोकेशन और बेहतर हो जाएगा और संसद की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी।

सांसद जनता के प्रति जाकर उनकी बातों को भी समझ सकते हैं और उनकी आवाज को और प्रखरता से रख सकते हैं। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और तेज गति से पहुंचेगा। डी-लिमिटेशन तो एक बहाना है, सच बात तो यह है कि डी-लिमिटेशन की आड़ में विपक्ष महिला सशक्तिकरण को रोकने का प्रयास कर रहा है, महिला आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रहा है।

जो हमारी माताएं-बहनें हैं, कई वर्षों से उनको साइलेंट वोटर्स कहा जा रहा है। अब समय आ गया है कि वे साइलेंट वोटर्स नहीं, बल्कि लॉ मेकर्स बनें। हमारे देश की महिलाओं, हमारे देश की माताओं-बहनों ने लाइन में लग-लगकर बहुत सारी सरकारें बनायी हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इस सदन की प्रथम पंक्ति में बैठकर वे इस देश का नेतृत्व करें, देश की नीतियों का निर्माण करें और अपने हक की बात वे खुद रखें। महोदया, महिलाओं को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। महिलाओं को बस सामान्य अधिकार की जरूरत है। मैं इस सदन में दुष्यंत कुमार जी की एक कविता पढ़ना चाहूँगी।

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा सी निकलनी चाहिए।
आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी है,
मगर शर्त यह थी कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए।

सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं,

मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही,

हो कहीं न कहीं, मगर यह आग जलनी चाहिए।

महोदया, यह आग नहीं, यह ज्वाला है और यह ज्वाला तब तक प्रज्वलित रहेगी, जब तक नारियों को सशक्तीकरण से नारी नेतृत्व का रास्ता हम नहीं तय कर पाते। बिहार की बेटी, देश की बेटी होने के नाते हम तमाम माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देंगे और विपक्ष से विनम्र अनुरोध करेंगे कि साथ में आइए, बेटी के हक की लड़ाई लड़िए और इस विधेयक को पारित कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय बिहार।

———————

16.32 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE-Contd.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 4 – माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, श्री बी.एल.वर्मा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6914/18/26]

16.32½ hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTY-FIRSTAMENDMENT) BILL, 2026 AND UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2026 AND DELIMITATION BILL, 2026-Contd.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Madam Chairperson. I rise to oppose the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, the Delimitation Bill, 2026, and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026.

The hon. Prime Minister gave a speech today during the course of the discussion. In his speech, we are searching for the word ‘delimitation, which is very much pertinent for this Bill. He has not uttered a single word about the delimitation provision in this Bill. All the Members from the Opposition Benches have raised serious concerns about the provision by which the Government of India is taking away the constitutional cover of the delimitation issue. The Prime Minister has not uttered a single word. He is only speaking about women’s reservation.

The Women’s Reservation Bill was passed in 2023 unanimously, and now we are sitting in 2026. Three years have already passed. Now, you are coming again with a legislation, and he is advising us that if we oppose this Bill, our future politics will be in danger. What is this? It is a complete ... * by a

* Expunged as ordered by the Chair.

Prime Minister. If it has been a ... * by Kiren Rijiju, we can understand that. But complete ... * by a Prime Minister is difficult to understand. We did not understand that at all. *... (Interruptions)*

Who stopped the Women's Reservation Bill? *... (Interruptions)* Everybody passed it. *... (Interruptions)*

सुश्री बाँसुरी स्वराज (नई दिल्ली) : महोदया, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।... (व्यवधान) ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं ।... (व्यवधान) इन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए...** शब्द का इस्तेमाल किया है ।... (व्यवधान) ये इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं । ... (व्यवधान) वह शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए ।... (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Madam, I have two, three simple questions to the Prime Minister of India. Okay, you are now telling that you are very much keen about implementation of the Women's Reservation Bill. I have already told that Parliament already passed the Women's Reservation Bill three years before. You only make the provision that there shall be a Census followed by a delimitation, then only women's reservation will happen. We were never told that at that point of time itself. Now, in the 2024 election itself, we need to have women's reservation.

Hon. Prime Minister, if you have any sincerity of the women's reservation Bill, you could have done women's reservation in 2024 itself. Now also, the entire Opposition is giving a blank cheque to the Government to do women's reservation, one-third reservation for women, as per the 2023 law, as per the

---

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not recorded as ordered by the Chair.

existing strength of the Parliament. Who is opposing it? Basically, who is opposing it? The country is witnessing. Who is opposing it? It is very clear that the Prime Minister, the Government is completely trying to delay it.

In 2010, who gave it? The Prime Minister talked about the panchayat. You are very much happy to give women's reservation to the panchayat. Who gave it? Did the BJP give it? … (*Interruptions*) Congress only gave it. We gave it. We have to salute Rajiv Gandhi for that decision. Then we have the 73rd and 74th Constitutional Amendments, one of the historical amendments. … (*Interruptions*) No, I am not yielding.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I am adding to your point. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, 73rd and 74th Constitutional Amendments were passed by Parliament.

श्री किरेन रिजिजू : वेणु जी, जो बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। You should not mislead. We are not claiming that. मैडम, यह स्पष्ट करना जरूरी है। The hon. Prime Minister did not claim. Why are you misleading? The hon. Prime Minister had given credit to you that you had no problem in giving reservation to the panchayat. Why are you creating problem for Assembly and Parliament? The Prime Minister did not take the credit. So, please do not mislead.

SHRI K. C. VENUGOPAL: Kiren Rijiju ji, we the party, Indian National Congress, made the first woman Prime Minister of this country, Indira Gandhi. I am sorry to say that that Prime Minister was not like our existing Prime

Minister. That Prime Minister never surrendered to US like this. That Prime Minister was a brave Prime Minister. You have to understand. … (*Interruptions*)

That Prime Minister was a brave Prime Minister. … (*Interruptions*) We are proud of Indira Gandhi. (*Interruptions*) Madam, yes, I agree. We, the Congress Party, have given the first woman President of this country. We, the Congress Party, have given the first woman Speaker of the Lok Sabha. Again, in 2010, we introduced the Bill. We passed it in one House. … (*Interruptions*) I am coming to that. We passed it in one House. We did not pass it in another House. We agree. But you came to power in 2014. For nine years, you sat on that. In 2014, you came to power. What was your role on that in those nine years? Then, the Prime Minister is now crying 'delayed, delayed'. Who delayed it?

Madam Chairperson, after nine years now, they bring the 2023 Bill. After that also, for three years, they did not do anything for implementation of this Bill. Now, they are telling that it is delayed. You are making women reservation as a weapon to destroy the democracy of this country. That is clear. Everybody can understand. Otherwise, we are giving blank cheque to you. Do it now. Take credit. … (*Interruptions*) करो। You did not allow. … (*Interruptions*)

We are for women's reservation. Our concern is very clear, Kiren Rijiju ji. As per the existing constitutional provisions, this Bill is completely for shifting the decision of delimitation from the Constitution to ordinary legislation. What was your intention? Kiren Rijiju ji, you know how many times the President of

the Indian National Congress has written letters to the Prime Minister to at least call an all-party meeting. You are telling that this is an important legislation. You need the support of all Opposition Parties to pass this Constitutional Bill. The President of the Indian National Congress has written two times to the Prime Minister to call an all-party meeting. We are for implementation of the Women's Reservation Bill, but we have some doubts, serious doubts. It is the duty of the Government to clear those doubts with the Opposition Party. What stops you from calling an all-party meeting? What is this? … (*Interruptions*)

The hon. Member of Tamil Nadu, Shri A. Raja is sitting here. Shri Kalyan Banerjee and other hon. Members of TMC are sitting here. I have a simple question. You are requested to give an answer to this question to the country. What will happen if you convene this Session ten days after the election, delaying it for ten days? What was your intention? I am completely questioning your intention. Whenever the people of Tamil Nadu are in the elections, you want to pass a legislation against Tamil Nadu without their presence. When West Bengal is going into elections, you want to pass a legislation without their presence.

SHRI KIREN RIJIJU: I personally requested all the floor leaders of different political parties to come and attend. You could have asked whatever you wanted in the meeting. The hon. Members of the Indian National Congress never came forward, they only wrote letters. I had gone personally to the President of the Indian National Congress. I had spoken to your colleagues

repeatedly. The hon. Members of the DMK, the Samajwadi Party and various other political parties including the NCP – Sharadchandra Pawar, Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), all attended the meeting. Why had the Indian National Congress Party not come forward to attend the meeting? In democracy, we have to consult. I have to coordinate as the Minister of Parliamentary Affairs. I had always reached out to the Opposition Party. Why had the Indian National Congress Party not come forward even after repeated requests being made? Can you tell why you did not attend?

SHRI K. C. VENUGOPAL: I am not a knowledgeable person like you, sorry to say that, but in my limited knowledge, whenever this type of an important legislation is going to happen, the Chief of the Opposition Party wrote a letter to the Prime Minister to call an all-party meeting to have a consensus about it. Can you verify, Shri Rijiju. All the delimitation process of legislation happens only through consensus in the previous period, not unilaterally. You never want a consensus; therefore, you did not want to pass this Bill. You want to show that we are opposing the Women's Reservation Bill. This is not sincere to the Women's Reservation Bill. But the country is now witnessing.

First of all, this Bill proposes increasing the number of seats. Gaurav ji asked a very important question. Who will decide as to how many number of seats have to be increased? On what basis, will you decide that? Now, the Prime Minister is telling that he will give two crore jobs per year and he will bring back black money. He has also done that type of a bogus claim.

Where was it in the legislation? If you have sincerity, then put it in the

legislation. We are asking only one thing, Kiren Rijiju ji. Can you perfectly put the decision of delimitation from the Constitutional Amendment Bill to an ordinary legislation? Can you withdraw that and put it in this for whatever was there? They are not ordinary persons. Indira ji or Atal Bihari Vajpayee ji have done this because of this country.

The Prime Minister was very much making fun about the black shirt. It is because the Prime Minister did not know the sentiments of the people of Tamil Nadu. He never knew the sentiments. He never knew the sentiments of the people of Kerala. Whenever he goes to Kerala, he wears a 'dhoti'. It is okay. Whenever he goes to Tamil Nadu also, he will use some Tamil symbol. Unfortunately, the Prime Minister did not know the culture of Tamil Nadu or Kerala.

There is pain in some States. There is pain. Are we part of this country or not? This pain is there in the States like Odisha, Punjab, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, and in the North Eastern States, your State also. Your design is very clear. When you are having a small chappal, you cannot cut the leg. Now, you are doing that only. You have decided that you have to win 2029 elections and in the present scenario it cannot happen. So, what is the remedy? What is the escape route for winning the 2029 elections? There is only one escape route, namely delimitation like in Assam and Jammu and Kashmir.

The people are very much intelligent. The country is also like that. You cannot do all these things, Kiren Rijiju ji. Therefore, you should withdraw this

Bill and come with a clear-cut and concrete idea. You should call an all-Party meeting. We will give you suggestions on how to implement it. Kindly call an all-Party meeting and then pass the Bill unanimously. Otherwise, do not think that you can make everybody a fool by introducing all these things. Basically, you are cheating the women of this country, and we cannot completely agree with that. This is what I want to say, Madam Chair. … (*Interruptions*)

Madam, there is apprehension among the small States which is increasing day-by-day. I used to say that you people are bringing the Bills using only your brains as you think that your brain is functioning very well. But the people of India deserve a Government that introduces legislations with its heart, and not merely with its brain. If you have a good heart, then you cannot do like this. Your intentions are very clear that come what may to the country or the nation, you have to win the election. This is the only agenda. I think that this agenda has to be completely avoided.

There are apprehensions among the States, as I already told you, because the Bill in its current form cannot be passed like this. In the name of women's reservation, you are trying to sabotage Indian democracy and Indian federal system. Hon. LoP used to tell that India is a Union of States. Every State has its own capacity. Every State has its own place in this country. You are trying to diminish the status of some States for political motive, for political benefit, We are not like you, sorry to say that. We will never put this type of allegation. We will tell very clearly. With responsibility I am telling, this is the intention of your Government. This is the intention of this Bill.

Therefore, once more I am trying to tell you to please withdraw this Bill. Please call for an all Party meeting on how to implement Women's Reservation Bill. We will give good suggestion. We are ready to cooperate with the Government. Please do not try to sabotage Indian democracy.

With these words I conclude my speech.

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदया, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। यह भारत का संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ है। इसका आर्टिकल-82 भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि वह कोई भी डीलिमिटेशन कर सकता है। राज्य की बाउंड्री को वह परिभाषित कर सकता है। कांग्रेस ने 27 बार सिंपल मैजोरिटी से सहारे राज्यों को तोड़ कर, फोड़ कर, मरोड़ कर बर्बाद कर दिया है। यह आर्टिकल 82 कहता है। इनका पूरा कंटेंशन गलत है।

सुश्री बाँसुरी स्वराज (नई दिल्ली) : सभापति महोदया, मैं इन तीनों – एक कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट और दोनों बिल्स का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, हमारी संस्कृति तो वह है जो अर्ध-नारीश्वर को पूजती है। भारत की संस्कृति वह है, जहां पर लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम वे हैं, जो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहां शक्ति स्वरूपा मॉ दुर्गा की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशुल और ब्रह्मा जी का कमंडल, तीनों त्रिदेवों की शक्ति अगर समाहित करनी हो तो वह केवल और केवल मॉ दुर्गा ही कर सकती है। यह स्तर है नारियों का हमारी संस्कृति में। लेकिन कहीं न कहीं आक्रांता आए और हमारी इस संस्कृति का अपभ्रंष हुआ। जहां सम्मान हमारी संस्कृति है, वहीं महोदया, नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्त्तव्य है। आज यहां पर टीएमसी की एक संसद सदस्या ने कहा कि 'Equality is by birth.' मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बना कर भेजा है। पर उन्होंने यह भी कहा कि 'Equality cannot be given by political exercise.' मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, यह मैं कुछ आंकड़े दे कर इस सदन के समक्ष रखना

चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे विश्व में, खास कर महिलाएं, जो भारत की बेटियां हैं, वे अपना परचम लहरा रही हैं। वह चाहे साइंस हो, चाहे टैक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम वर्ष 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर्स की तादात पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के उन साथियों से, जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है कि आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाताओं तक ही सीमित रखना चाहते हैं। आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6 प्रतिशत है। अगर हम विधान सभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत से भी कम है। अगर हम ग्लोबल पर्सेंटेजिस देखें तो वहां पर 27.6 पर्सेंट है। मैं तो आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और इस सदन में उन सभी राजनैतिक दलों का, जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब था, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, सितंबर, 2023 में एक हकीकत बनाया, उसको पारित किया।

सभापति महोदया, मुझे अचम्भा है कि मेरे विपक्ष के साथी, जिन्होंने सर्वसम्मति से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, लेकिन आज वे इसे वर्ष 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वे अपने हाथ क्यों खींच रहे हैं?

कल मैंने एक वीडियो देखी, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी की थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि यह जो संशोधन आया है, वह वचनपूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस देश की मातृशक्ति से यह वचन किया था कि हम इस कानून को वर्ष 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहती हूं, वे कहते हैं "This is a power-grabbing move", मैं उन्हें याद कराना चाहती हूँ कि यह पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पावर बैलेंस का विषय है। यह 'हक चोरी' का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है।

सभापति महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर,

विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिनका मैं यहां बहुत विनम्रता से जवाब देना चाहूंगी और यह आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा।

माननीय उपनेता ने सदन में कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि 40 वर्षों से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थीं कि नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो सितंबर 2023 से सर्वसम्मति से इसको पारित करके कानून बना पाई, तो हमारी नियत साफ है, हमारी नीति साफ है। यह तो हमने सितंबर, 2023 में ही परिलक्षित कर दिया था।

मैं फिर पूछना चाहती हूं। विपक्ष के कई साथियों ने बार-बार टाइमिंग की बात कही। यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जल्दबाजी के लिए कहा। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 वर्षों के डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? रही बात इलेक्शन की, तो जब तक 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर यह है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे एज ए सांसद अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं जून में 2 साल कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का सातवां चुनाव है, जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए चुनाव बहाना नहीं बन सकता।

अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात की। वे शायद इस बात से अवगत नहीं हैं कि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं। पिछले 90 वर्षों से राष्ट्रीय सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है।

सभापति महोदया, डिलिमिटेशन को एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है। मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को यह बात स्पष्ट कर दूं कि डिलिमिटेशन, यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। It is not a conspiracy of BJP; it is a

constitutional mechanism. वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही यह प्रावधान है, यह मैकेनिज्म है, जहां पर डिलिमिटेशन अनिवार्य है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कन्फ्यूज मत होइए। Please do not confuse the road with the destination. Delimitation is merely the road, while women's reservation is the destination and it is high time that we completed this journey to that destination.

17.00 hrs

एक और बात कही गयी। यहां पर बोला गया कि 543 की संख्या पर ही क्यों नहीं लागू कर देते हैं। मैं हैरान हुई, जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन करके सीटें बढ़ा रहे हैं। यह तो चौवीनिज्म है। चौवीनिज्म का आरोप लगाते हुए, वे यह भूल गयीं कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं हैं। वे भूल गयीं कि इन 543 सीटों में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस सदन में महिला सांसद भी हैं। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रेक्ट में लागू नहीं कर सकते हैं। आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाईड कांस्टिटुएंसीज़ में ही करना पड़ेगा और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है। सीटों की बढ़ोत्तरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते हैं? मैं याद दिलाना चाहती हूं कि यह जो अभी 543 सीटों की कम्पोजीशन है, यह वर्ष 1971 के सेंसस के बेसिस पर है। उस समय भारत की जनसंख्या सिर्फ 51.4 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 3 गुनी हो गयी है। हम आज 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं।

महोदया, यह सदन अनर्थ करेगा, अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा । नारी-शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाएं। 74 से 273 तक का जो सफर है, यह केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र

को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए है।

एक और बोली गयी बात है। उन्होंने यहां पर कहा कि आप जनगणना नहीं करना चाहते हैं। मैं पुन: याद दिलाना चाहूंगी। आज सुबह ही माननीय गृह मंत्री जी ने रिकॉर्ड पर बोला है कि जनगणना की प्रक्रिया चालू हो गयी है। उसमें कास्ट सेंसस केन्द्र सरकार करवा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को आधिकार क्या मिला, विरोधियों का आधार ही खिसक गया है। महिलाओं के अधिकार से अगर आपका आधार खिसकता है, तो यह आपका राजनैतिक अवसरवाद है, पर मैं आज विपक्ष के सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बहुत ही इंटेलीजेंट सॉल्यूशन इस विधेयक में बनाया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित किया गया है कि जो टेरिटोरियल जियोग्राफी है, वह तो वर्ष 2011 के सेंसस पर की जाए, लेकिन जो सीटों की बढ़ोतरी है, उसमें किसी भी, मैं पुन: कहती हूं कि किसी भी राज्य का हक न मारा जाए। आज तो सदन में खड़े होकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गारंटी तक दे दी। हमसे पूछिए, हम आपको बताना चाहते हैं- मोदी की गारंटी, सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी।

दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में चुनाव है। इसलिए वहां के नेता चुनावी स्वार्थ में, राजनैतिक स्वार्थ में इस देश को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगी कि ये जो उनका प्रयास है, यह असफल होगा। जिस संगत में वे बैठे हैं, वहां पर केवल हार का चिट्ठा लिखा जाता है। जो भी व्यक्ति इस विधेयक का और इस संशोधन का विरोध कर रहा है, वह नारी शक्ति के आक्रोश का पात्र बनेगा। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि कृपया महिलाओं के आक्रोश का नहीं, उनके आर्शीवाद का पात्र बनिए। अंत में, मैं यह कहना चाहूंगी:

"फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, इनके अधिकार की बारी है।

वचनपूर्ति के इस क्षण में, पारित करना सदन की जिम्मेदारी है।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय जनता दल और अपने नेता

श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की विचारधारा के तहत संविधान 131 संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

महोदया, मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सदन में खड़ा हूं। उस बिहार का जयप्रकाश नारायण, लोहिया, प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की भूमि रही है। वह बिहार जो मंडल राजनीति की प्रयोगशाला रहा है।

महोदया, यह कोई चुनावी सुधार का विधेयक नहीं है, यह विधेयक जिसे एक व्यक्ति, एक वोट के झंडे में लपेटकर इस सदन में इतनी जल्दबाजी में लाया गया है, जिसमें सरकार की असली मंशा साफ दिखाई देती है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार चाहती है कि भारत के राजनीतिक नक्शे को स्थायी रूप से एक पार्टी के पक्ष में बदला जाए।

महोदया, जो सरकार वर्ष 2021 की जनगणना वर्षों तक टालती रही, जिसने 106वें संविधान संशोधन को तीन वर्षों तक रोके रखा वही सरकार आज इतनी जल्दबाजी में क्यों है? हमारे बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं और यह विधेयक उसका जीता-जागता उदाहरण है। आज की खामियों को ठीक करने के लिए कल 132वां, 133वां संशोधन लाना पड़ सकता है।

महोदया, अब मैं इस विधेयक की सच्चाई बिन्दुवार सदन में रखना चाहता हूं। सीमा निर्धारण आयोग की संरचना, जिसमें एक सेवानिवृत या वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे। सभी केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त या नामित सदस्य होंगे। सभी केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त या नामित सदस्य होंगे। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्या? हर राज्य से 10 सहयोगी सदस्य होंगे जिनमें पांच एमपी और पांच एमएलए होंगे, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। वे केवल सलाह देंगे, निर्णय नहीं लेंगे। जनता द्वारा चुनी गयी अवाजों को किनारे कर दिया गया है। क्या केन्द्र द्वारा नियुक्त कुछ अधिकारी 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय करेंगे?

महोदया, इसका आधार क्या होगा? न तो नई जनगणना और न ही जातीय जनगणना

बल्कि वर्ष 2011 की 15 साल पुरानी जनगणना को आधार बनाया गया है। देश और बिहार जैसे राज्य, जहां पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राज्य की रीढ़ हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वे बिना वास्तविक आंकड़ों के परिसीमन विधेयक स्वीकार करें। क्या यह संभव हो सकता है? आप पहले आंकड़े तो दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने जनगणना स्टार्ट कर दी है और उसी में जातीय गणना हो रही है। जब जनगणना स्टार्ट हो गयी है और जातीय गणना भी हो रही है, उसके सही आंकड़े आ जाएं और उसके बाद आप परिसीमन विधेयक लाएं। इसमें जल्दबाजी क्यों है?

आपने महिला आरक्षण की बात कही है। मैं महिला आरक्षण का सच जरूर बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय जनता दल महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है। हमारी पार्टी आरजेडी की विचारधारा बहुत स्पष्ट है - सामाजिक न्याय और बराबरी। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा कहा है कि बिना पिछड़ा, अति-पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के महिला आरक्षण अधूरा है और गरीबों के साथ धोखा है।

महोदया, इसमें चौथा सबसे खतरनाक प्रावधान आयोग का अंतिम आदेश गजट में प्रकाशित होते ही कानून बन जाएगा और उस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। इससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में इतने बड़े फैसले का अदालत से बाहर रखना संविधान की मूल संरचना पर हमला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार जाति जनगणना से क्यों बच रही है? अगर सच्चे आंकड़े सामने आएंगे तो देश में वास्तविक हिस्सेदारी की मांग उठेगी औश्र यही बात सरकार नहीं चाहती है। सच्चा सशक्तिकरण सिर्फ सीटें बढ़ाने से नहीं आता है। सशक्तिकरण तब होता है, जब हर वर्ग की महिला को बराबर का अवसर मिले।

महोदया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह विधेयक शहर और अमीर वर्ग की महिलाओं को ज्यादा फायदा देगा। जबकि, गांव की गरीब महिला, खेत में काम करने वाली महिला और रोज संघर्ष करने वाली महिला पीछे रह जाएंगी। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या

शहर की संपन्न महिला गांव की गरीब महिला की असली आवाज बन सकती है? यह सवाल किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि प्रतिनिधित्व की सच्चाई को समाने रखने का सवाल है। बिहार ने पहले ही इसका उदाहरण दिया है। पंचायतों में 50 परसेंट आरक्षण लागू किया है।। उस आरक्षण में हरेक वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करके महिलाओं को अवसर देने का काम किया।

महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती आरक्षण का जिक्र कर रहे थे। वे बता रहे थे कि पंचायतों में महिलाएं कैसे सशक्त हुईं। मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों में आरक्षण 50 परसेंट है। हम 33 परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं हि महिला आरक्षण, जब हम यह कहते हैं हमारी आधी आबादी महिला है तो उन्हें 33 परसेंट ही क्यों, उन्हें 50 परसेंट आरक्षण दिया जाए। मैं उसका पक्षधर हूं। लेकिन, उन तमाम वर्गों को चिह्नित करके और जाति गणना करके आरक्षण का लाभ दिया जाए। … (व्यवधान)

महोदया, मैं एक मिनट समय लूंगा। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। हमें कुछ सीटें मिल जाएंगी। 40 से 60 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन, वे किस कीमत पर मिलेंगी? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं के अधिकार को खोकर, संघीय संतुलन बिगाड़कर या असली विकास को नजरअंदाज करके मिलेंगी? यह विधेयक बिहार में फैक्ट्री नहीं बनाएगा। यह एक भी युवा को रोजगार नहीं देगा। पलायन नहीं रोकेगा। यह सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाएगा।

महोदया, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये सारी समस्याएँ जस की तस धरी रह जाएंगी। ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। उन्हीं के लोक सभा क्षेत्र वाराणसी में एक छात्रा स्नेहा कुशवाहा की हत्या हो गई। उस मामले में क्या हुआ? आज तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई। पटना में दिनदहाड़े नीट की छात्रा की हत्या हो गई, लेकिन आज तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आई। इसलिए, मेरा आग्रह है कि जब तक जाति गणना के आंकड़े सही रूप से सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक इस परिसीमन विधेयक को रोका जाए। महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण नहीं

बल्कि 50 परसेंट आरक्षण देते हुए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : धन्यवाद सभापति महोदया। आज सुबह से ही परिसीमन विधेयक, 2026 और संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को मानती है, उस विचारधारा में महिलाओं को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। उस विचारधारा में महिलाओं को कोई हक नहीं मिला था। लेकिन, ज्योतिराव फुले, जो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी देने का काम किया।

आज भारतीय जनता पार्टी बार-बार कहती है कि इसको लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन इसको लटका रहा है? अभी माननीय वेणुगोपाल जी कह रहे थे कि आप नौ साल के इंतजार के बाद वर्ष 2023 में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लेकर आए। वर्ष 2024 के चुनाव के पहले देश में चारों तरफ ढिंढोरा पीटा गया कि हमने नारी को सम्मान देने का बहुत अच्छा काम किया।

आप 9 साल बाद लाए, क्यों लटका दिया? उसमें तत्काल क्यों नहीं 33 पर्सेंट आरक्षण लागू किया? क्यों उसको परिसीमन से जोड़ने का काम किया गया? क्या बिना परिसीमन से जोड़े हुए महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जा सकता? आप लॉटरी विधि से 543 क्षेत्रों में 33 पर्सेंट निकाल लेते और महिलाओं को तत्काल लाभ दे देते, विधान सभाओं में दे देते, लोक सभा में दे देते, अगर आप आज भी देना चाहें, हम सारे विपक्ष के लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी मंशा देने की नहीं है, आप बहाना बनाना चाहते हैं और बहाने के रूप में परिसीमन और संविधान संशोधन की बात लाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उसके माध्यम से आप इस

प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों को इस तरह से विभाजित करना चाहते हैं, जिससे आपका तो हक हो, आपको लाभ मिल जाए, लेकिन देश को नुकसान उठाना पड़े, देश के लोकतंत्र को नुकसान उठाना पड़े, इसलिए आप क्यों विभाजन करना चाहते हैं? आज भी तमाम ऐसी विधान सभाएं, जो परिसीमन के बाद बनी हैं, जिसका जिक्र हमारे गौरव गोगोई जी कर रहे थे कि किसी लोक सभा सीट में 16 लाख वोट और किसी लोक सभा सीट में 26 लाख वोट हैं। मैं भी देखता हूं कि हमारे यहां विधान सभा के परिसीमन हुए हैं, उसमें भी इसी तरह से 10 पर्सेंट कम या 10 पर्सेंट ज्यादा है। अगर 4 लाख की आबादी की सीट बन रही है, तो 10 पर्सेंट मतलब 40,000 नीचे और 40,000 ऊपर, यानी 80,000 का फर्क है। जब इस तरह का परिसीमन होगा, तो उससे लोगों का भला होने वाला नहीं है और न ही भौगोलिक आधार पर, मेरा एक विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं एमएलए होता था, तीन-तीन तहसीलों में विभाजित है। इस तरह का परिसीमन और जो परिसीमन आयोग बनाया गया है, उसमें सिर्फ तीन लोगों को सर्वाधिक अधिकार दिए गए हैं, जो कम्प्यूटर पर बैठकर निर्णय करते हैं। उसमें निश्चित रूप से सहवर्ती सदस्य तो बनाये गये हैं, लेकिन उनको अधिकार देने का काम नहीं किया गया है। इससे परिसीमन में सही ढंग से क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा। आप परिसीमन को अलग करिए और संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। परिसीमन जब 2026 की जनगणना हो जाएगी, जिसमें जाति के आधार पर जनगणना होगी, सभी वर्गों की संख्या मालूम होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग के माध्यम से आप सीटों का परिसीमन करने का काम कीजिए। अगर आप नारियों को अधिकार देना चाहते हैं। अभी माननीय बाँसुरी जी कह रही थी कि हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम अधिकार देना चाहते हैं। 543 में 1/3 सीटें रिजर्व करिए, उसके बाद जो 74 जीतकर आयी हैं, वे जीतकर आएंगी, अलग से जीतकर आएंगी, जनरल सीट पर भी आएंगी, उसको कौन रोकने वाला है? हम चाहते हैं कि 50 फीसदी हिस्सेदारी मिले, लेकिन इसके लिए रोकना, आप टालने का काम कर रहे हैं, आप महिलाओं को सिर्फ लालीपाप देने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़े और दलितों के हक को मार रहे हैं। वर्ष 2026 की जनगणना के बाद

वास्तविक स्थिति पता होगी। मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2026 की जनगणना में एससी की आबादी बढ़ेगी, एसटी की आबादी बढ़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। वर्ष 2026 की जनगणना के बाद अगर उनकी आबादी 20 लाख के आसपास हो गयी, तो निश्चित रूप से 1 सीट रिजर्व होगी, उनका हक मारा जा रहा है। वर्ष 2026 के बाद अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या बढ़ेगी, तब परिसीमन होगा, तो उनकी सीटें ज्यादा रिजर्व होंगी। आप केवल महिलाओं का नाम लेकर अनुसूचित जाति की, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी कम करना चाहते हैं, यह निश्चित रूप से जायज नहीं है। अगर आप महिलाओं को हिस्सेदारी देने के उत्सुक हैं, उनके सही शुभचिंतक हैं, अगर आप उस विचारधारा को त्याग करके प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो जो आपकी पहले विचारधारा रही है, मनुस्मृति की विचारधारा। अगर उस विचारधारा को त्याग करके आप वास्तव में महिलाओं से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आइए आज हम सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि हम 543 सीटों पर लागू करेंगे और वर्ष 2027 में जो विधान सभा के चुनाव हैं, उसमें भी लागू करेंगे, वर्ष 2029 के लोक सभा चुनाव में लागू करेंगे और लॉटरी के माध्यम से 543 में हम चयन कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है। इस विचारधारा के साथ में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो उद्बोधन हैं, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी की मांग करते हुए, मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

धन्यवाद।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Thank you very much Madam for giving me an opportunity to react on this Bill.

We whole-heartedly support the women reservation as we did in 2023 and at the same time, we vehemently oppose the Delimitation Bill.

The reason is crystal clear. In the women reservation, we still emphasise the essentiality of sub-quota for OBC. We still maintain that share's demand.

Similarly, instead of honestly implementing that legislation, you have now come with a bundle of blunders. I would like to say that in fact this Government is not at all interested in implementing women's reservation and you really want an escape route as pointed out by my friend Venu this morning.

Sir, this is a long pending issue. We have cooperated with you. We were giving all kinds of support to pass the Bill in 2023. What provoked you not to go ahead with that? We want to have a reply on this.

With regard to constitutional amendment, before entering into the demerits of the Bill, let me say that how ruthlessly you are killing the sanctity and credential of the Parliament. In that way, we have to think on this thing.

Actually, Madam, I would like to say that when we are discussing a legislation having so many consequences, far-reaching consequences, you are trying to enjoy a political game. That is the thing happening here.

Even the copy of the Bill, you have circulated just a day ago. There is a procedure. We are having sanctity in these things. Yesterday, may be at 4 o' clock, we got this Bill. Such a Bill, which is having far-reaching consequences, has not been circulated well in time. You are taking some joyful kind of things in doing such cruelty. I need not tell you that when Parliament loses its dignity, democracy loses its direction. In that way, you are doing an injustice to the entire country. I would like to add that the crooked method you have adopted is a highly condemnable step.

Now, I come to the Delimitation. Still I wonder why should you link it with

the women reservation. It would have been an independent thing. You had an opportunity to do it but you linked it. That created more and more confusion in this Bill.

There is a phrase in Malayalam *'Pattil Podinya Pashanum'* which means 'Poison wrapped in silk'. That is what you are doing in this. You are taking away the constitutional position of the delimitation into an ordinary law. Is it not an offence? It is deadly against the spirit of our democratic setup.

I have a simple question. What is the logic? You have to reply. What is the logic in clubbing delimitation and women reservation in the same basket. What is the justification? Without that, we could have passed the other Bill. But you are doing that kind of drama in these kinds of things. What is the logic in this? We have to realize this. We have to ensure women reservation. We could have achieved it. We are all here for that. Unfortunately, you do not want to do it. You want to find out somebody and you want to hand over the baby to somebody else and keep yourself clean. We object to it.

Madam, if this is implemented, this will create a lot of confusion as far as the States are concerned. Small States particularly Southern States like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal and Punjab will have problems. In all these States, we have to face a lot of confusion and hardship as far as the implementation of these Bills is concerned.

Similarly, Madam, certain other things also may kindly be taken into consideration. We all know that in these kinds of legislations, we have to do it

in a very careful manner.

Now, is it not that you are making utter confusion in clubbing these Bills? It is true that almost all the institutions in our country, you are trying to capture. Like that, you want to capture this also. It is a wonderful thing. What kind of Bill are you bringing? This will spoil the cordiality and democratic setup of the country.

This could lead to political manipulation. Madam, it is not a small thing. This will be a result. What will be the outcome? The outcome will be a political manipulation in this area.

Another issue is related to the principle of equality for the entire population. When we are doing this thing, at the same time, geographical difficulties and such other kinds of things have to be taken into consideration. If you are not doing all these things, you have to pay a higher price for that.

Now, I am coming to the issue of federalism. My friends are saying about that. The federal character is spoiling, Madam. India is facing a deep erosion of federalism. Every day, you are encroaching the rights of the States. They are being denied justice. That kind of things are going on. Since 2014, there has been a systematic trend of centralisation of power, weakening the autonomy of the States, and undermining cooperative federalism. It is a coercion now, that is happening. Instead of bringing justice, the Government is precipitating things, Madam.

Similarly, Madam, I would like to mention some other points with regard to other kinds of things. What is happening in the States? Strong states are the

need of the hour. You are trying to make confusion in that, difficulties in that, hardship in that. Strong states make a strong nation. We have to realise it. That is significantly important for federalism. Any attempt to conquer their power weakens the democratic accountability, and damages the constitutional balance. We have to realise that also. We have to stand for this kind of federalism. As far as this is concerned, India's duties depend upon this kind of thing.

Then you make false claims that you stand for women. It is false. You are really making a chance for yourself to induce your political gain. That is what is happening. How bad are your activities as far as women's welfare is concerned, we all know that. I do not want to say much. Investment in welfare schemes, and budget allocations for the welfare of women are going down day-by-day. That is also a problem.

Similarly, Madam, there are a lot of schemes which are in dead letters. They are not implemented. As far as women are concerned, they are having a lot of problems. They are crying tears of blood. That is the hardship they are facing. Instead of solving that problem, you are showing such wicked actions. We have to make an end to that. I will make an appeal that for the best interest of the nation, you must desist from doing this kind of cruel thing.

I once again appeal to the Government to have some wisdom in their activities. The Government has to correct itself. We hope that wisdom will prevail upon them in this country.

With these words, Madam, I conclude. Thank you very much.

*SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon. Chairperson, I am in agreement with the views expressed by several MPs who spoke on this subject in this august House. This government has brought this Bill in a hasty manner with some intentions better known to them. I want to say that the intent behind bringing this legislation is mainly for political gains than providing more benefits to women or increasing their representation.

As regards delimitation, I do not find any relationship between process of delimitation and women's reservation. Why have not this government passed this legislation earlier itself? While passing this very legislation during 2023, the opposition parties wanted to implement women's reservation from 2023 onwards. But this government did not pay heed to that demand then. By that time they said that this Bill will come to implementation only after 2029 elections. But what is the urgency for taking such a decision all of a sudden now? There is no explanation from this government in this regard.

In the name of delimitation, this government is making a big mistake. Particularly the States like Tamil Nadu which implemented the population control policies of the government in a successful manner, are being punished. Whereas northern States get many number of MP seats. Southern states including Tamil Nadu are getting less number of MP seats. This is a matter of agony.

This United India was created through the feelings of nation's freedom struggle. Those who ruled this country did not create the fabric of United India.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Those who stood with the British during the freedom struggle are now part of this ruling dispensation. Neither they know about the history of our freedom struggle nor did they have their participation in that struggle. Southern part of India is being betrayed in this Bill. This Bill, in a way, is like a bombshell thrown to disintegrate the fabric of India. That's why we are opposing to this Bill.

All the southern states are affected. What is the remedy provided in this Bill for the southern States? Nothing as such. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has opposed this delimitation Bill. Black colour flags are hoisted everywhere in the State of Tamil Nadu as a matter of protest. They are sporting black colour shirts and coming around. History will definitely punish those in the government who tries to punish Tamil Nadu for successfully implementing the population control policies of the Union government. We could sense such a thing to happen in future.

I wish to say that even at this juncture, consult all the opposition parties and bring a consensus on this issue. But those who rule this country are undemocratic. The then MP of Communist Party of India, Ms Geeta Mukherjee is the primary architect for women’s reservation this Bill is just a continuation of that proposal.

I wish to say that you should unite everyone while taking forward this worthy proposal of providing women's reservation. Consult all stakeholders. Do not handle opposition parties with vengeance. This government should mend their ways. This government should also uphold democratic values. But they do not uphold these values rather they follow the sayings of Golwalkar and

want to dismantle this very democratic and constitutional system by using the powers they achieved through this democratic system. This approach is very much visible through the way they had brought this Bill.

On behalf of Communist Party of India, I therefore urge this government to implement this proposal only in consultation with all the opposition parties and through consensus.

Thank you.

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : मैडम, आपने इस डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू।

मैं तीन-चार पॉइंट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट्स पूरे होने तक इंटरप्ट नहीं करेंगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँगा।

यहां पर जो बिल्स डिसकस हो रहे हैं, वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि हम सभी लोग वुमेन रिज़र्वेशन बिल के खिलाफ हैं। जहां तक हमारी इत्तला है, वुमेन रिज़र्वेशन बिल पिछले पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास हो चुकी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेट भी तय की गई थी। उसमें पूरा हाउस मुतफिक है। इसलिए वुमेन रिज़र्वेशन बिल के खिलाफ न तो कोई पार्टी है, न कोई इंडिविजुअल है, हम सभी उसके साथ हैं।

लेकिन इस तरह से तकरीर करने की कोशिश की गई जैसे हम सब यहां पर वुमेन रिज़र्वेशन बिल के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।

जो डी-लिमिटेशन की जा रही है और इसकी आड़ में जो जेर्रिमेंडरिंग होगी, इस तरफ के लोग और हम सभी उस इंटेंडेड जेर्रिमेंडरिंग के खिलाफ हैं, जिसका एक्सपीरिएंस हमने पिछले साल कश्मीर में किया था। डी-लिमिटेशन के नाम पर जेर्रिमेंडरिंग की गई, आबादी के तनासुब को इस तरह से खराब किया गया ताकि एक पर्टिकुलर पार्टी- बीजेपी को फायदा पहुंचे। हमने जम्मू

रीजन में उसकी मिसाल देखी। मुसलमानों और हिन्दुओं के दरम्यान जो बैलेंस था, उसको इस तरह से खराब करने की कोशिश की गई और डी-लिमिटेशन के नाम पर जेर्रिमेंडरिंग के जरिए उसे बहुत हद तक खराब भी किया गया। उससे तनासुब खराब हुआ, कम्युनल लाइंस पर असेम्बली कांस्टिट्यूएंसीज को डी-लिमिट किया गया।

इस बिल पर हमारा पहला एतराज़ यह है कि पूरे मुल्क में जेर्रिमेंडरिंग की जाएगी। कांस्टिट्यूएंसीज से माइनोरिटीज का बैलेंस इस तरह से खराब किया जाएगा कि उनके पास पॉलिटिकल पावर, इलेक्टोरल पावर न रहे, उनके वन वोट का वही वैल्यू न रहे, जो दूसरी कम्युनिटीज के लोगों के वोट की वैल्यू हो। हमने इसकी मिसालें पिछले डी-लिमिटेशन्स में देखी हैं और रिसेन्टली, जम्मू-कश्मीर में जेर्रिमेंडरिंग के जरिए देखी है।

होम मिनिस्टर साहब यहां पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा।

कश्मीर में हमने इस एक्सपीरिएंस को झेला है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरे मुल्क में वही जेर्रिमेंडरिंग हो, जिससे कांस्टिट्यूएंसीज में आबादी का तनासुब कम्युनल लाइन पर खराब किया जाए।

दूसरी बात, हमने जब जम्मू-कश्मीर के हवाले से, वर्ष 1947 में इस मुल्क के साथ इल्हाक किया और हम इस मुल्क का हिस्सा बने, तो हमने कुछ प्रोटेक्शन्स मांगे। आज आहिस्ता-आहिस्ता वे सारी प्रोटेक्शन्स खत्म हो रही हैं। प्रोटेक्शन्स मांगने की सिर्फ एक ही वजह थी कि हम हमारे फैसले खुद ले पाएं, कोई खास आबादी हमारे फैसले न ले पाए, कोई खास ज्योग्राफिकल इलाका हमारे फैसले न ले पाए। वर्ष 1947 से लेकर आज तक आप देखते हैं, अगर यह डी-लिमिटेशन न भी हो, तो भी प्रोपोर्शन में इम्बैलेंस है।

सुबह एक एमपी बोलने के लिए उठे थे, जो जेटली जी के वानबी हैं, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, वे साउथ के हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने खुद अरुण जेटली जी को कोट किया और कहा कि अरुण जेटली जी ने वर्ष 2001 में, यह कहकर डी-लिमिटेशन के प्रोसेस को जायज़ ठहराया कि प्रोपोर्शन इम्बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शन खराब है। It is tilted towards north.

अगर हम आबादी के इस तनासुब के साथ डी-लिमिटेशन करें, तो साउथ और बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी। There will be disadvantage. We do not want them to be at a disadvantage. मेरा सवाल यह है कि क्या आज वर्ष 2026 में वह प्रोपोर्शन बैलेंस हुआ है? प्रोपोर्शन आज भी उतना ही खराब है। आप यह डी-लिमिटेशन करें या न करें, उसके बावजूद यह खराब है। It is tilted towards north. इस डी-लिमिटेशन के बाद, it will further tilted towards north. सारी की सारी ताकत केवल चार-पांच राज्यों में होगी। इस डी-लिमिटेशन के बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के पास कुल मिलाकर तकरीबन 400 सीट्स होंगे। जम्मू-कश्मीर का फैसला ये सारे राज्य अकेले ही ले सकते हैं।

वर्ष 2019 में, इन्होंने धारा 370 को एब्रोगेट किया। यह कहकर किया कि वह डेमोक्रेटिकली किया गया है। आईनी तौर पर, धारा 370 के तीसरे सेक्शन में लिखा है कि अगर आपको धारा 370 में कोई चेंजेज लानी है, तो पहले आपको जम्मू-कश्मीर की कांस्टिट्यूएंट असेम्बली से कनकरेंस लेनी होगी। वह आपने नहीं ली। आपने कहा कि वहां से गवर्नर ने कनकरेंस दी, उस गवर्नर की कनकरेंस को हम जम्मू-कश्मीर कांस्टिट्यूएंट असेम्बली की कनकरेंस मानते हैं। That is a misrepresentation of the spirit of the Constitution.

महोदया, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जब आपने वह चोरी की है, तो फिर हमारे पास एक ही इदारा बचता है, वह संसद है। जम्मू-कश्मीर के लोग संसद में आए और अपने हुकूक के लिए लड़े। आइडियली यह संसद में होना चाहिए। हमारे वोट की वैल्यू भी उतनी ही हो, जितनी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के वोट्स की है। जब आपने देखा कि लद्दाख को मिलाकर हमारे पास छः वोट्स हैं, हम चाहे कुछ भी करें, चाहे वह अनुच्छेद 370 के हक में हो या फिर अनुच्छेद 370 के खिलाफ हो। इस संसद में अनुपात इस हद तक खराब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

चाहे उत्तर प्रदेश मन बना ले, बिहार मन बना ले, राजस्थान और गुजरात मन बना ले, ये हम पर चीजें थोप सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लाचार हैं। हमने वर्ष 2019 में

यह देखा है। इस परिसीमन के बाद वह अनुपात और ज्याद खराब होगा। ...* यह असमानुपाती है। ... (व्यवधान)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, ये क्या बोल रहे हैं?

17.41 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : मुझे बात करने दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : ऐसे बात नहीं हो सकती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : महोदय, मुझे कन्कलूड करने दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपका समय पूरा हो गया है।

श्रीमती प्रियंका गांधी जी।

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभारी हूं। यह वह विषय है, जो हमारे देश की हर महिला के दिल के नजदीक है। आज मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपके प्रति फिर से आभारी हूं।

मैं इस विषय के एक छोटे-से बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में कई जिक्र किए हैं कि किसने रोका, कैसे रोका, कैसे 30 सालों से यह निर्णय रोका गया है। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, शायद मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को यह बात पसंद नहीं आएगी। इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड यह है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही की थी, लेकिन आप घबराइए नहीं, ये वह नेहरू नहीं हैं, जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी हैं। मोती लाल नेहरू जी ने सन् 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने उस प्रतिवेदन को कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को सौंप दिया था। वह एक समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने उसमें 19 मूल अधिकारों की एक सूची बनाई थी।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

सन् 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहीं से शुरुआत हुई थी कि हमारे देश की राजनीति में महिलाओं का समान अधिकार होगा। उसी समय 'वन वोट, वन सिटिजन, वन वैल्यू' का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आजादी के पहले दिन से मिला था। अमेरिका जैसे देश में उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल तक इंतजार और संघर्ष करना पड़ा था।

हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन के पटल पर पहली बार पेश किया था, मगर उस समय यह प्रावधान पारित नहीं हो पाया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोली है। उन्होंने सदन को इसके बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि विरोध करने वाले कौन थे। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ था, लेकिन किसने विरोध किया था, उन्होंने यह नहीं बताया है। विरोध तो आपने ही किया था। ... (व्यवधान)

कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पी. वी. नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया था। आज जब प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया है, तो यह समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40,00,000 पंचायत प्रतिनिधियों में से 15,00,000 महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार बनी हैं।

वर्ष 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्य सभा में इसे पारित भी कराया गया, लेकिन लोक

सभा में आम सहमति नहीं बन पाई। वर्ष 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि यह महिला आरक्षण वर्ष 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी यहां आकर राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाकर उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं।

वैसे, आज प्रधानमंत्री जी की बातों से यह लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण की चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़ी समर्थक रही है। इनके पूरे भाषण में यही बात थी। जबकि, ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, ... (व्यवधान) पकड़े जाएंगे। आखिर जब वर्ष 2023 में, राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद ... (व्यवधान)

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : यूपीए के समय में नहीं पढ़े गए।

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा : उसके बाद पढ़िए।

आखिर जब वर्ष 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्व-सहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचाराधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डटकर खड़ी है और खड़ी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक इस सरकार ने पेश किया है, उसका प्रारूप हमने पढ़ा है। उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। इनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। इसमें सबसे पहले लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण वर्ष 2029 तक लागू होना चाहिए। हम सहमत हैं। फिर, कहा गया कि इसे लागू करने के लिए लोक सभा सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। इसका मलतब है कि सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाकर यह कार्य करेगा। ऊपर-ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती है, मगर इसे गहराई से समझा जाए, तो इसका

असली मकसद उभरता है । राजनीति की बू, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल, इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्व-सहमति से वर्ष 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थीं, जो इस विधेयक में नहीं हैं। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे क्यों बढ़ना चाह रही है? इतनी जल्दबाजी क्यों है?

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है। यह अनिवार्य है। यह सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इसलिए आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है।

आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा 'इस वर्ग' और कौन सा 'उस वर्ग'? क्या ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में उसके बारे में देख लेंगे?

अध्यक्ष महोदय, यह हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टैक्निकल मुद्दा बताकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया? हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने इसको एक टैक्निकल मुद्दा बता दिया? हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? जब नई जनगणना होगी, तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उन आंकड़ों से पता चलेगा कि यह वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बताकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी का यह हक छीनना चाहते हैं। वे उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी यह कभी नहीं होने देगी । ... (व्यवधान) हमारा संविधान

सबका है, यह देश एक-एक देशवासी का है। ... (व्यवधान) किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50 प्रतिशत विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, इसे कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश के भागीदारी वर्ष 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन इस विधेयक के तहत यह सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाही सीटों को काटा-पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाईं, उसी तरह ये पूरे देश में करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए तीन व्यक्ति इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही दी थी। लेकिन अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर यह विधेयक पारित होता है, तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। ... (व्यवधान) कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी

की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी हंस रहे हैं । ... (व्यवधान) पूरी योजना बना रखी है । ... (व्यवधान) अगर आज चाणक्य जिंदा होते, तो वे भी आपकी राजनीतिक कुटिलता पर चौंक जाते । ... (व्यवधान) इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। ये हंस रहे हैं, मेरी बातों से सहमत हैं। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ।

विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लें, ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पर चर्चा ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर दीजिए कि मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। विपक्षी दल के नेता कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं और विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो सबको राजनीति से ऊपर उठकर इनका साथ देना चाहिए। यह करके विपक्ष को धर्मसंकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट-पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद इस तरह वालों को और कुटिल होना भी चाहिए, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग बात है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज यह उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्ग और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा।

महोदय, हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है—वन सिटिजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग-अलग राज्यों का दर्जा बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है । इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है? अगर पद खोने का डर नहीं है, तो कुछ लोग अपना

पद खो लें। इसी में से एससी, एसटी का जो दर्जा है, उसमें एससी, एसटी में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण हो जाए, एक तिहाई आरक्षण हो जाए और ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए। यह आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा और बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा तथा काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसम्मति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र के गौरव के पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, …* हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों, गांवों में रहती हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन में कभी भी सभागृह की गैलरी की चर्चा नहीं करते हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा : महोदय, मैं अभी थोड़ी नई-नई हूं। मैं समझ जाऊंगी। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रियंका जी, एक मिनट। माननीय सभासदों, सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही आज रात 11 बजे तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा : अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बे या गांव में रहती हों, चाहे पढ़ी-लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छाशक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वे अथक कर्मशक्ति हैं, जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की महिलाएं निडरतापूर्वक जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

18.00 hrs

घोर अंधकार में भरी रात में उठ कर एक नई सुबह का दावा करना जानती है

इस देश की महिलाएं वे जबर्दस्त सामूहिक शक्ति हैं,

जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय जी को यह कहना चाहती हूं कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरी संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करती। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर, इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमजोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है।

आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय जी इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तमोल न करते। यह आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आप ने ही कहा था कि भारत की हर नारी का यह हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे यह हक मिलेगा। इस हक को पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करिये। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं, जो सर्व सहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा। मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री जी से अपील करती हूं कि मन बनाये, साहस करें, सही निर्णय ले लें, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने रात 11 बजे तक के लिए हाउस का सेंस लिया है। इतनी मेहनत से, देश की महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, उनको जगह देने के लिए बहस कर रहे हैं तो मैं सब के खाने की भी व्यवस्था कर देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : सम्मानीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी चर्चा पर सरकार की तरफ से जवाब तो कल दूंगा। परंतु अब तक जो चर्चा हुई है, उसमें कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई हैं, जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आज रात के लिए भी देश की जनता में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। उन चीजों की स्पष्टता करने के मर्यादित उद्देश्य से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नेरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो तीन विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक और दो कानून – डिलिमिटेशन का तथा संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव। इनके आने से दक्षिण की क्षमता लोक सभा में बहुत कम हो जाएगी। हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

मान्यवर, जो बिल सदन के सामने हैं, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रेक्टिकल इंटरप्रिटेशन करके कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। 543 के सदन में अभी कर्नाटक राज्य में 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15 प्रतिशत कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। यह बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या 28 से बढ़कर 42 हो जाएगी और लोक सभा में 816 की संख्या में प्रतिशत 5.14 हो जाएगा।

कर्नाटक को जरा भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। इनकी अभी 25 सीटें हैं और अब की स्थिति में उसका प्रतिनिधित्व 4.60 प्रतिशत है। अब इसमें लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 38 सीटें हो जाएंगी और 4.60 की जगह उनकी शक्ति 4.65 प्रतिशत हो जाएगी। तेलंगाना में अभी 17 सीटें हैं और उनकी शक्ति 543 के सदन में 3.13 प्रतिशत है। अब उसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी और सीटें 26 हो जाएंगी, तो 3.13 प्रतिशत की जगह 3.18 प्रतिशत उनकी शक्ति होगी। तमिलनाडु से इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम न होकर बढ़ रही है।

मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसका प्रतिशत 7.18 है। अब 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद लगभग 59 सांसद हो जाएंगे और नए

सदन में, 816 के सदन में इनका प्रतिशत 7.23 हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि अभी तमिलनाडु के सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18 प्रतिशत है, वह बढ़कर 7.23 हो जाएगी। इसलिए तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं होगा। केरल में 20 सांसद हैं, इनका स्ट्रेंथ 3.68 प्रतिशत है। अब 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह इनका प्रतिशत 3.67 होगा। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, उसको अगर हम सोचते हैं, तो अभी 543 सीटों में, जो आपके द्वारा बनाया गया है, उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं।

मान्यवर, लगभग 23.76 प्रतिशत दक्षिण के सांसदों की यहां शक्ति है। अब 50 प्रतिशत वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97, मतलब 24 प्रतिशत होगी। अर्थात्, शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ...(व्यवधान) एक मिनट, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, बीच में आप कैसे बोल पाएंगे? ...(व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL : This data is given by whom? … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : आप अभी बैठिए, मैं उसका भी जवाब देता हूं।

मान्यवर, कृपया इस बिल के जो इंटरप्रिटेशन हैं, इसको अधिकृत रूप से, बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं, मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं, वे शायद न समझते हों, तो उसके लिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

मान्यवर, वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि यह किसने कहा? मैं अमित शाह, भारत का गृह मंत्री इस बात को कह रहा हूं, जिसने इस बिल को पायलट किया।

दूसरी बात ...(व्यवधान) सुनिए न, बिल में क्या है और कहां से ड्रा करके मैं आंकड़े निकालता हूं, मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा, तब बता दूंगा, मगर वह सुनने के लिए बैठें, वॉकआउट न कर जाएं। मैं मेरी बात केजी के बच्चे को समझ में आए, इतनी सरलता से इनको समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए।

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि सरकार जाति जनगणना नहीं करना चाहती है। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का

निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है।

मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है, उनको मालूम होगा कि जनगणना दो हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अंदर रहने वाले लोगों को इंगित किया जाता है। अभी तक बिल्डिंग्स की कोई जाति की व्यवस्था नहीं हुई है। जब यह होगी, तब हम इसको भी गिन लेंगे। मान्यवर, अभी तक बिल्डिंग्स की कोई जाति व्यवस्था नहीं है। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। आज मैं यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

मान्यवर, उन्होंने कहा है कि 850 का आंकड़ा कहां से आया है। मैं यह समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है, वह इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच लें कि 100 सीटें हैं। अगर 33 प्रतिशत माताओं, मातृशक्ति को आरक्षण देना है, तो उसमें 50 प्रतिशत बढ़ाते हैं तो 150 सीटें होती हैं। जब 150 सीटें होती है तो इसका 33 प्रतिशत करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटेकली हो जाती हैं। 543 माननीय सदस्य बैठे हैं, इसमें 50 प्रतिशत बृद्धि होगी। जब इसका 33 प्रतिशत माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 543 ओपन सीटें होंगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती हैं। इस तरह से 50 प्रतिशत आया है। 850 राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है यह 543 नहीं है, 543 से ज्यादा है। अब उन्होंने कहा है कि वृद्धि कैसे करेंगे?...(व्यवधान) हां, 550 इतना तो वे समझ जाएंगे। मैंने केजी कहा तो तुम साथ अर्थ में केजी की तरह करने लगे।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि यह बिल में लिखा नहीं है। माननीय सांसद जोतिमणि और दक्षिण के कई माननीय सांसदों ने कहा है। मेरा कल समय ले लें, मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है। कल मैं सदन के सामने डिटेल दूंगा, जिससे कि पूरा देश समझ पाए। मैं इस तरह से समझा दूंगा।

मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप

अपने लोग बैठा देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर फुलस्टॉप-कौमा में कोई बदलाव नहीं किया है। हमने आपके डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैन्यूपुलेशन किया है, तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हैं कि इससे मैन्यूपुलेशन होगा तो आपने अगर उस वक्त इस एक्ट का उपयोग करके मैन्यूपुलेशन किया होगा, तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं।

मान्यवर, एक वाक्या है कि तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और यह नया एक्ट आ गया है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : यह नहीं लाना चाहिए था।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि यह डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तब ही लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करेगी और राष्ट्रपति महोदया इस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगाएंगी। यह वर्ष 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। वर्ष 2029 तक भी जो चुनाव होंगे, वे सारे पुरानी सीटों पर रिव्यू होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है।... (व्यवधान) मैं वर्ष 2027 की बात कर रहा हूं। हालांकि वे जीतेंगे नहीं, वह अलग बात है। मगर डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर कहा गया है कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में यह लाया गया हैं।

मान्यवर, जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ आबादी के जनमत को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, वे हमारी शक्तियों का आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम उस बात को मानने वाले हैं कि लोकतंत्र में सरकार नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है, राजनेता या राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। 130 करोड़ का जनमत आखिर कौन मैन्युपुलेट कर सकता है? यदि कर पाते, तो हम जीतते ही नहीं, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए थे। हम कैसे जीतते?

मान्यवर, इमरजेंसी लगाने के बाद भी जनमत मैन्युपुलेट नहीं होता है, यह इस देश का

इतिहास है। जहां तक लोकतंत्र को खत्म करने की बात कही गई है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तथा इस सदन में एक सांसद के नाते कहना चाहता हूं कि इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की ताकत किसी में भी नहीं है। इमरजेंसी के वक्त जिन्होंने प्रयास किए, जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लेकिन लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ।

मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष : आपका भाषण बाकी है। उसमें आप अपनी बात बोल दीजिएगा।

श्री मलविंदर सिंह कंग जी।

… (व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The Opposition will be benefited if the hon. Home Minister can tell us how this 50 per cent is coming? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह तो मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। आपका नंबर अभी नहीं आया है। आप अपना नंबर आने पर बोल लीजिएगा।

… (व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, we can have a fruitful discussion if the hon. Home Minister explains this issue.

***SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB):** Thank you, hon. Speaker Sir.

Thank you very much Speaker Sir, you have given me a chance to speak on this constitutional amendment bill.

Sir, as far as reservation for women is concerned, I make it clear that we are in favour of Women Reservation, our party and our leader Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann Sahib, we are very clear about this bill. Yes and we want this

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

legislation to be enforced as soon as possible, because in 2023 it has become a legislation.

18.17 hrs (Kumari Selja *in the Chair*)

As far as empowerment of women is concerned, respect is to be given; Our Guru Sahib had said “Why to demean women who give birth to even kings”, that means Why not respect the mother who gives birth to kings.

At the time when the practice of Sati Pratha was prevalent in the country, Guru Sahibs were the first to raise the voice against it. Guru Ram Das Ji Maharaj, Guru Arjun Dev Ji had opposed the practice of Sati.

And the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, the apex body of Sikhs, was the first to give women the right to vote in 1920, even when women did not have the right to vote in the major countries of the world. This bill for reservation for women, it has been passed in 2023, the Government of India should implement it as soon as possible.

As far as the Delimitation bill is concerned, we strongly oppose it. Speaker Sir, when the country's independence war was fought, the people of Punjab who are only the two percent of country’s population, made the most sacrifices. … (*Interruptions*) Due to our reduced political representation … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sursesh Ji, as the member is speaking from that side.

***SHRI MALVINDER SINGH KANG:** First of all, we lost our capital. … (*Interruptions*)

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

As far as the Delimitation bill is concerned, we oppose it and there is a very basic reason for this. Punjab is a small state. When the country's independence war was fought, we made the greatest sacrifices, but due to the lack of our political representation in House, first of all, Chandigarh, our capital was snatched away from us. After that, now today's government is doing this with Bhakhra Dam where Punjab has always been represented by Punjab officials; the representation of Punjab is being abolished.

Therefore, I oppose this bill that the government has presented today. Due to this bill, political representation of small states, especially small states like Punjab, can be very weak. This is the need. Our Constitution also allows this. Our country is a union of the states.

And Madam, when the government of this country appealed for population control, then the states like Punjab controlled their population.
Now, we are paying the price for that, because due to that, our representation in the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas is becoming less and that is why we are protesting. Secondly, we fear that because the government has a majority, through the Delimitation Bill, the limits of the Assembly or the limits of Parliament can be compromised by the Central Government to fulfill its political interests. So we oppose it.

But the last thing I would like to say is, Madam, the Women's reservation bill has already become a legislation. I demand from the Government of India that it should be implemented.

Thank you very much.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, where there is a woman, there is magic. I am grateful to be a woman. I must have done something great in another life.

On behalf of All India Trinamool Congress, I rise to oppose this legislative package, not out of opposition to women's reservation, which this House settled unanimously in September, 2023, but out of an obligation to this democracy, to this Constitution. On record, I want to mention here that All India Trinamool Congress is not against the Women's Reservation Bill - we never have been and we never will be – but we are against weaponising the women's reservation as an electoral ammunition. Instead of 33 per cent women's reservation, our demand is 50 per cent reservation for women.

Madam, women's reservation is not in question. What is in question is what this Government is doing in its name. There are three sweeping instruments that have nothing to do with women's reservation and everything to do with redrawing the electoral map of India to serve the BJP arithmetic before 2029. महोदया, इस बिल के माध्यम से बीजेपी इस फेडरल स्ट्रक्चर और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देना चाहती है । This is not women's reservation, this is electoral engineering dressed in the language of *nari shakti.* Five Southern States altogether gained barely 63 additional seats, while the BJP-dominated Northern States gained nearly 130 seats, which is more than double. This is the hidden story of this Bill.

I would like to remind all the Members of this House that the hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji took part in the discussion on *Nari Shakti Vandana*

Adhiniyam, 2023. But now, what is said in this House? 'कुछ पार्टीज के लिए महिला सशक्तीकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तीकरण एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तीकरण का नारा चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह मान्यता देने का सवाल है।'

महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से यह बोलना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में हारने के डर ने ही नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी और इस बीजेपी गवर्नमेंट आज इस सदन में यह महिला रिजर्वेशन बिल लाने के लिए मजबूर किया है।

Madam, recently, BJP's National President went to West Bengal and has given direction to their karyakartas to conduct meetings, *Michhil,* and *prachar* from *shehar* to *gaon* and from one booth to another booth. They want to get the benefit of this Women's Reservation Bill from Bengal.

मैडम, मैं सदन के माध्यम से पूरे देश को बोलना चाहती हूं कि वूमेन रिजर्वेशन बिल इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेन्द्र मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए महिला सशक्तीकरण का नारा इनके चुनाव जितने का हथियार है और महिला सशक्तीकरण इनके लिए एक राजनैतिक मुद्दा है। … (व्यवधान)

मैडम, बंगाल की जनता आज यह कह रही है कि जितना भी कर लो एसआईआर, बंगाल में फिर से ममता सरकार। … (व्यवधान) मैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से आती हूं। मैं एक किसान, दलित परिवार से आती हूं। आज सुबह मुझे इस बिल के इंट्रोडक्शन के समय मुझे बोलने नहीं दिया गया। मेरा कंठ रोक दिया। मैं एक दलित परिवार से आती हूं। मैंने पहले नोटिस दिया था। मेरा नाम भी वहां था, लेकिन इन्होंने बोलने नहीं दिया। मैं यह बोलना चाहती हूं कि बीजेपी सरकार दलितों की बात कर रही है। अमित शाह जी और नरेन्द्र मोदी जी ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी का स्टैच्यू सदन के मैन गेट से हटाकर एक अंधकार युक्त कोने में रख दिया है। उस दिन इस

बीजेपी ने हमारे बाबासाहेब अम्बेडकर जी की ... * कर दी।

मैं संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर बोलना चाहती हूं कि इस संविधान का उन्होंने अपमान किया है। ये बाबासाहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाते हैं, उनके गले में ये माला डालते हैं। बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन भर तपसिली जाति, उपजातियों के लिए लड़ाई लड़ी है, अपना जीवन समर्पित किया है। यह संविधान हमारे लिए एक रक्षा-कवच है और आगामी जनगणना करने से पहले महिला बिल पास करने का मतलब ही दलित महिलाओं और तपसिली जाति, उपजातियों का अधिकार छीनना है।

@Thank you hon. Chairperson Madam. Thank you for allowing me to speak. I would like to say on behalf of All the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women of Bengal that BJP will get a befitting reply in West Bengal this time and Mamata Banerjee shall be the Chief Minister for the fourth consecutive term.@

Madam, TMC has 28 Members in this House from West Bengal. Among them, three are SC women MPs; two are SC male MPs; and one is ST MP.

Madam, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam itself provides for reservation within reservation. One-third of SC/ST seats are also reserved for women from those communities. Any delimitation on outdated data directly determines where SC and ST constituencies are drawn and how many there are. By proceeding without the caste census, this Government is not serving SC and ST women, it is denying them the accurate demographic foundation their constitutional entitlements depend upon.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

@.....@ English translation of this part of speech was originally delivered in Bengali.

Madam, the Delimitation Bill, 2026 contains a provision that should alarm every constitutionalist in this House. Delimitation Commission orders, once gazetted, will have the force of law and cannot be challenged in any court. Without judicial review, the mandate for the Delimitation Commission to follow constitutional principles becomes an empty formality. The associate members nominated by State Legislatures – five MPs and five MLAs – carry no voting rights and cannot sign Commission's decisions. Their inclusion is cosmetic. The Commission's composition, its data source, and its orders will all be determined by the Central Government and none of it can be questioned in court.

Madam, you – the BJP – are taking us back to the communal delimitation that we know as partition. As a Bengali, I know up close what partition and communal delimitation means. My people still bear these scars. Assam has been a laboratory of communal delimitation. And who will sit in the Delimitation Commission? It is the Election Commissioner or the "Exclusion Commissioner", who has most recently excluded almost 1.03 crore Bengalis and has come up with suspect categories like logical discrepancies.

होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आप तो इंडिया के जिन्ना निकले। And here, I must speak directly to the Home Minister Amit Shah *ji*. You have built your political career invoking the trauma of partition.

History will record that the man who most loudly mourned Partition was the man who most quietly replicated its logic - separating people from their political voice, community by community, constituency by constituency.

I would also like to remind all the Members of this House today that hon. Prime Minister Modi ji also took part in the decision on the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in 2023. Sir, what he said, "महिलाओं को अधिकार देने का, महिला शक्ति का उपयोग करने का वह काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम करने के लिए मुझे चुना है।"

मैडम, मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने पिछले दस सालों में यह पवित्र काम क्यों नहीं किया? मोदी जी, आप महिला सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को सम्मान देने का दायित्व आपको सौंपा है। वर्ष 2021 में आप पश्चिम बंगाल गए और हमारी मुख्य मंत्री को आपने कैसे संबोधित किया - 'दीदी ओ दीदी।' इसलिए वर्ष 2021 में बंगाल ने आपको जवाब दिया और आप हार कर यहां चले आए और हमारी सारी स्कीम्स को बंद कर दिया।

जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो मोदी जी वहां पर जाकर ऑपोजीशन को बोलते हैं कि ये लोग 'रेवड़ी' बांट रहे हैं। आप लोग पश्चिम बंगाल गए, आपने जो वहां अपना संकल्प-पत्र पेश किया, वह क्या था? क्या वह 'रेवड़ी' नहीं थी? लेकिन, पश्चिम बंगाल की जनता इस झूठी 'रेवड़ी' का मुँहतोड़ और भरपूर जवाब देगी।

Shrimati Mamata Banerjee has implemented 50 per cent reservation for women in Panchayat and Municipal bodies. She has consistently filled over 33 per cent women candidates in State and national elections. Her unique Kanyashree Prakalpa scheme encourages girls to advance towards education. Her Lakshmir Bhandar scheme is a symbol of financial empowerment for women in West Bengal.

Madam, For those who insult Bankim Chandra Chattopadhyay, Matangini Hazra, Rabindranath Tagore for them I would like to say that these great men are the pride of all citizens of Bengal and we bow down in respect for them.

---

* .....* English translation of this part of speech was originally delivered in Bengali.

Madam, I would like to quote a few lines from Kaviguru Rabindranath Tagore:

*I am not a devi, nor an ordinary woman.

I do not pray that you keep me above you—

that is not, no, not my wish.

Nor do I ask that you keep me behind in neglect—

that too is not, no, not my wish.

If you place me by your side

in times of danger and prosperity,

if you grant me the strength

to stand beside you in कठिन vows,

to be your companion—

then, and only then, will you truly know me.

Today I make but this offering—

I am Chitrangada, the daughter of the king.*

Madam, the women of Bengal - all our Chitrangadas and all our Rajendra Nandinis, will take a leading role in forming the TMC Government in West Bengal for the fourth time, and Shrimati Mamata Banerjee, our leader, will be the Chief Minister again. Thank you,

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, Amendments to the three Bills shall be accepted only till 6.30pm today; only today.

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Hon. Chairperson Madam,

---

* **.....*** English translation of this part of speech was originally delivered in Bengali.

I rise today with deep sense of pride and even deeper sense of responsibility.

On the 19th December, 1946, Hans Mehta ji stood in the Constituent Assembly and said, women form one half of this country and men cannot go very far without their cooperation. She was not requesting; she was not pleading - she was informing.

Eighty years later, we are gathered to finally, fully and irreversibly act on the truth. For decades, we spoke of women development. But today, under the leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India speaks of women led development. This is not change in words - this is change in direction, change in vision. In what the nation believes, women are not recipients of governance, but architects of it.

Hon. Chairperson, reservation is not new to India. In 1992, through the 73rd and 74th Constitutional Amendments, we reserved seats for women in Panchayati Raj institutions and urban local bodies. Today, nearly 44 per cent of the elected representatives are women.

They did not merely occupy those seats, they transformed them, investing in drinking water, investing in roads, investing in schools and the things that touch everyday life, while bringing greater accountability and stronger health outcomes. Villages with women leaders saw higher reporting of crimes against women not because there was more crime, but because there was more trust.

The lesson was clear. When you give women a seat, they do not just fill it, they will transform it.

And yet this lesson did not travel upward. In the 18th Lok Sabha, women are just 13.6 per cent of Members; in the Rajya Sabha, around 14 per cent and in State Assemblies, it is merely 9 per cent. For nearly three decades, women's reservation in Parliament remained discussed, debated, delayed, and lapsed.

That is why, the passage of the 106th Constitutional Amendment in 2023 - the *Nari Shakti Vandan Adhiniyam* - marks a historic correction.

Madam, I would like to acknowledge the contribution of my party leader Pawan Kalyan garu. Much before this Bill became law, he had already recognised this need, and women's political representation was a central commitment in the Jana Sena Party's 2019 manifesto. His early advocacy was not political calculation, it was conviction. It was his understanding that a democracy cannot be complete if half of its population lacks adequate voice.

Madam, this Bill is a historic beginning, but what follows will define its true success. Reservation creates presence, but presence without support, without real agency, can become tokenism. We cannot allow reserved seats to become inherited positions quietly occupied by wives, daughters or relatives of those already in power.

If ordinary women from diverse backgrounds, different castes communities, and economic realities are not genuinely enabled to contest and succeed, we will have fulfilled the letter of this law, but not its spirit.

What we need alongside this amendment is an ecosystem – internal protections for women within political parties, campaign finance structures supporting first-generation candidates, and sustained investment in women's

political capacity at every level.

The women of India are not waiting to be empowered; they are already acting. In 2024, a record 31 crore women cast their votes. They are electing our Governments - they deserve to be in the Governments they elect.

Madam, further apprehensions are being raised that this Bill will lead to a loss of benefit for Southern States, and some are opposing women's reservation on these grounds.

I am, therefore, deeply grateful that our hon. Prime Minister has given an unambiguous assurance that no State will lose its existing Lok Sabha seats, and that the proposed expansion from 543 to 850 seats is being designed precisely to ensure that while women get their rightful one-third representation, no State - especially the progressive Southern States – faces any reduction, with every State expected to see an increase of at least 50 per cent and boundaries being redrawn only within States.

I support this Bill on behalf of Jana Sena Party and our leader Pawan Kalyan Garu with full conviction that when this amendment passes, and when it is implemented in 2029, India will not just have more women in Parliament - India will have a better Parliament.

Let us not be the generation that debated this change.

Let us be the generation that made it happen.

Jai Hind.

श्री अवधेश प्रसाद (फैज़ाबाद) : सभापति महोदया, आज मुझे एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका मिला है। इसके संबंध में अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत विस्तार

से चर्चा भी की और बिल का समर्थन भी किया। हमारी पार्टी सदैव से ही महिलाओं का सम्मान करने में कहीं कोई हिचक नहीं की है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रणेता जिन्होंने दुनिया में समाजवाद का पैगाम और संदेश दिया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी हमेशा से ही महिलाओं के पक्षधर रहे हैं। लेकिन, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है, उससे सरकार की नीयत पर थोड़ा शंका है।

मान्यवर, वीरांगना ऊदा देवी पासी ने इस देश की आजादी के लिए वर्ष 1857 में अगली कतार में खड़ी होकर लड़ाई लड़ी। लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे के पास पीपल के पेड़ पर चढ़ कर उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। लेकिन, इस सरकार ने अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भी उनके सम्मान में कोई काम नहीं की है।

इसी तरह से वीरांगना झलकारी बाई कोरी जो अनुसूचित जाति से थीं, उन्होंने भी सन् 1857 में आजादी की लड़ाई अगली कतार में लड़ी, लेकिन इस अमृतकाल में भी इस सरकार ने उनके सम्मान में कुछ काम नहीं किया। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी आज दुनिया में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश है, जिसका गौरवशाली इतिहास है। जब वे मुख्य मंत्री थे तो महिलाओं के लिए पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की थी। यही नहीं हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सोना देवी फैजाबाद जनपद में जिला पंचायत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आज भी अयोध्या की अगर कोई अध्यक्ष है तो एक महिला है। यह माननीय नेता जी की देन है। आज अगर ईमानदारी से इसको लाना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना कराएं। जातिगत जनगणना के बारे में हमारी समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 के चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जातिगत जनगणना का जो सरकारी आदेश जारी हुआ है, उसको मैंने देखा है। कॉलम नंबर 12 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आरक्षण में जातिगत जनगणना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जातियां हैं, लेकिन पिछड़ी जाति कहां चली गई। इसमें सरकार की नीयत पर पूरी तरह से शंका है। अगर ईमानदारी से करना है तो जातिगत जनगणना में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि पिछड़े पावें सौ में साठ। लेकिन यह

सरकार पिछड़ी जाति को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती है।

मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के विचारों को सुना है। माननीय गृह मंत्री जी के विचारों को सुना और अन्य माननीय नेताओं को सुना है। हमारे नेता ने इस बिल का समर्थन करते हुए, सरकार की नीयत पर कुछ शंका जाहिर की है। क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम ऐसे वायदे किए गए हैं। लेकिन वह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए और इस चीज़ का विरोध करते हुए कि इनकी जो नीयत है, इनका जो इरादा है, उसका विरोध करते हुए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस तरह से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में बात रखी है, उनकी बातों का हम समर्थन करते हैं और समर्थन कर के फिर सरकार से चाहते हैं कि जातिगत जनगणना को करें, जिससे आरक्षण पूरी तरह से ईमानदारी से लागू हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, यह बहुत खेद से आज कहना पड़ रहा है कि यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है। यह परिसीमन का विधेयक है, जिसके ऊपर महिला आरक्षण विधेयक का अमली जामा चढ़ाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक तो वर्ष 2023 में पारित हुआ था। उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो पहला सेंसस वर्ष 2023 के बाद होगा, उसके आधार पर, उसके बाद परिसीमन होगा। उसके बाद जो कॉन्सिट्यूएंसीज़ हैं, वे राज्यों में एडजस्ट की जाएंगी। पिछले 30 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि वर्ष 2023 के बाद के सेंसस की बात करने वाली सरकार आज 16 साल पीछे, वर्ष 2011 के सेंसस पर पहुंच गई। इस बात का जवाब सरकार की तरफ से अभी तक तो आया नहीं है।

Madam, Chairperson, I have been quite flummoxed by what Minister Meghwal has been trying to convey to this House since morning. If I heard him correctly, he says that the total increase in the seats would be capped at 50 per cent, and the Bill says that the delimitation will be done on the basis of the 2011 Census, and the Parliament is capping the upper ceiling of seats at 850.

The Bill nowhere says that the number of seats will be increased by 50 per cent. In fact, this is not the job of the Government. This is the job of the Delimitation Commission to decide what would be the increase. Allow me to illustrate that. In 1950, when the first delimitation was carried out, it was carried out by the President in consultation with the Election Commission. They decided that the total number of seats will be 497 and two seats for Anglo-Indian community. फिर जब सन् 1956 में डिलिमिटेशन हुआ, जब पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना तो उसने तय किया कि 505 सदस्यों की लोक सभा होगी । फिर जब दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना तो उसने तय किया इसकी संख्या बढ़कर 508 होगी । सन् 1963 में जब तीसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना तो उसने तय किया कि संख्या 523 होगी और जब अगला डिलिमिटेशन कमीशन बना तो उसने तय किया कि सीटों की संख्या 545 होगी, जबकि अनुच्छेद81(1) का जो कैप है, वह 550 के ऊपर है।

Therefore, the Government is either trying to undercut the Delimitation Commission because the Government in no way can dictate to the Delimitation Commission what would be the increase in the number of seats.

Now, if you go by what is written in the Bill – I am only talking about what is written in the Bill – the Bill says that total number of seats will be increased to 850 and delimitation will be done on the basis on the Census of 2011.

उसके हिसाब से एक लोक सभा के संसदीय क्षेत्र में 14.85 लाख वोट होंगे । छोटे राज्य, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, उनकी संविधान में दूसरी परिस्थिति है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि सेन्ट्रल इंडिया में सीटें 199 से 308 हो जाएंगी, मतलब कुल 109 बढ़ेंगी । नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 16 सीट्स हो जाएंगी । पंजाब में 13 से बढ़कर 19 सीट्स हो जाएंगी । दक्षिण भारत में 198 से 132, मतलब 66 सीट्स बढ़ेंगी । केरल में 20 से बढ़कर 23

सीट्स हो जाएंगी। उत्तर पूर्व की सीट्स 25 से 39, मतलब 14 सीट्स बढ़ जाएंगी। पश्चिमी भारत में 78 से 116, मतलब 38 सीट्स बढ़ जाएंगी और पूर्वी भारत में 63 से 95, मतलब 32 सीट्स बढ़ जाएंगी। सवाल प्रोपोर्शन का नहीं है। सवाल एब्सोल्यूट नम्बर्स का है कि एक तरफ भारत के पेरीफेरी के ऊपर जो राज्य हैं, उनका वर्चस्व जैसे-जैसे डिलिमिटेशन होता गया है, वैसे-वैसे इस लोक सभा में कम होता गया है। अगर सांसदों की संख्या 815 या 850 हुई, वह भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा, क्योंकि सरकार को उसे तय करने का अख्तियार नहीं है, तो जो छोटे राज्य हैं, जो पेरीफेरेल स्टेट्स हैं, जिन्होंने डेवलपमेंटल गोल्स को पूरा किया है, उनका वर्चस्व इस संसद में कम होगा। Their political heft in this Parliament will be reduced.

Madam, Chairperson, I have not been able to understand who has drafted this Bill. If you look at Clause 3 of the Bill, it amends Article 81(3), which is that the definition of population has been changed. Earlier it was population as on the basis of the last Census. Now, it is population on the basis of a Census to be decided by Parliament.

However, the proviso 281(3) which says that the number of seats will be fixed at the 1971 Census and delimitation will be done on the basis of 2001 Census *inter se* the States has not been omitted. So, effectively, by not omitting the provisos, you have made your own amendment completely infructuous, because even if you say that the amendment itself makes the proviso infructuous till the time you do not omit it, it does not happen. But the real elephant in the room, which the Government has not addressed, is Article 81(2)(a), which is the enacting formula of Indian democracy, जो हमारी लोकतंत्र का आधार है और वह क्या कहता है? वह कहता है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य, 'one person, one vote and one value'.

Now, this was exactly the conundrum when the 42nd Amendment in 1976 decided to freeze the number of seats, which was extended by the 84th Amendment in 2001 because, ultimately, you have to balance this enacting formula of Indian democracy with the aspirations of federalism. This whole debate is really about how you manage these two contradictions -- the aspirations of States and India as a Union of States and the enacting formula of Indian democracy. That is why this requires a far more structured and serious discussion than the arbitrary manner in which this Government is trying to ram this Bill down the throat of Parliament. That is the real problem. That is the elephant in the room which is not being addressed. Article 81(2)(a), till the time it continues to hold the field, whichever census you may take after 1971, the peripheral States will always lose as compared to the heartland States. That is the reality and that is the federal balance which this delimitation disturbs.

If you look at Article 82, clause 4 amends Article 82 of the Constitution of India. Earlier, there was an automatic safeguard. It said, "readjustment after every census". There is a census. There will be a Delimitation Commission. सेंसस होगा, परिसीमन कमिशन बनेगी और परिसीमन हो जाएगा, पर इस संशोधन ने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि कौन-सा सेंसस होगा, जिसके ऊपर परिसीमन होगा, वह लोक सभा तय करेगी। कल को अगर सरकार चाहे कि हम वर्ष 2011 के सेंसस पर नहीं कराना चाहते हैं, हम तो वर्ष 1951 के सेंसस पर करायेंगे। You have facilitated that. So, therefore, there was a safeguard, a constitutional safeguard, which said, "readjustment after every census" and census goes in a chronological order. By removing that

safeguard, you can arbitrarily cherry-pick which census you want to use for delimitation, and that goes against the basic structure of the Constitution of India कि उत्तर प्रदेश का परिसीमन तो हो ही नहीं सकता है। इस विधेयक के हिसाब से उत्तर प्रदेश का परिसीमन हो ही नहीं सकता है। मंत्री जी ध्यान से सुनिए, मेघवाल जी जरा ध्यान से सुनिए। आप जो विधेयक लेकर आए हैं, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का परिसीमन हो ही नहीं सकता है। वह इसलिए, क्योंकि आपने धारा 170(1) को संशोधित ही नहीं किया है। धारा 170(1) क्या कहती है? वह कहती है कि एक फ्लोर है कि 60 सीटों से कम की विधान सभा नहीं हो सकती और 500 सीटों से ज्यादा की विधान सभा नहीं हो सकती है। जब परिसीमन होता है, तो लोक सभा में उस राज्य की जो सीट होती है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है।

उत्तर प्रदेश में 80 लोक सभा की सीट्स है और इंटिग्रल मल्टीपल चार है इसलिए उनकी 403 सीट्स हैं। अगर उत्तर प्रदेश की 140 या 142 सीट्स हो जाएंगी और वर्ष 2011 के अनुसार परिसीमन होता है तो विधान की सीट्स इंटिग्रल मल्टीपल से 560 पहुंच जाएंगी। The number will reach to 560. Without amending Article 170 (1), you cannot carry out the delimitation in Uttar Pradesh. अगर आपका उत्तर प्रदेश को लेकर कोई और प्लान है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस हिसाब से परिसीमन नहीं हो सकता है।

सभापति महोदया, मैं आगे बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया क्या थी और इसके लिए मैं दो-तीन मिनट और लूंगा। वर्ष 1935 से प्रक्रिया यह थी कि पहले सेंसेस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा और फिर राज्यों के बीच उन सीटों की एडजस्टमेंट होगी। यही प्रक्रिया वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, जब पहला डीलिमिटेशन कमीशन बना। दूसरा वर्ष 1963 में बना और तीसरा वर्ष 1973 में बना तब यही प्रक्रिया फॉलो की गयी थी। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप 15 साल पुराने आंकड़े उठाकर आज का परिसीमन करना शुरू कर दीजिए। This is unheard-of, that you are picking up outdated data. India has changed a lot; its demographic profile has changed a lot between 2011 and 2026. You are picking up an old census

to carry out the delimitation. Tomorrow, you could say that you will pick up the 1950 Census and carry out the delimitation of this country.

My penultimate point is this. सभापति महोदया, 543 पर तो लोक सभा चलती नहीं है। The House does not function at a strength of 543. Imagine this House at 815. 815 पर क्या हाल होगा? पहली लोक सभा हर साल 135 दिन बैठी थी। 17वीं लोक सभा सिर्फ 55 दिन एक साल में बैठी है। 815 लोग और केवल एक साल में 55 दिन, इसको क्या आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं। अगर लोक सभा की कंस्टिट्यूएंसी का साइज बढ़ भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस संसद का काम देश के लिए कानून बनाना है। इस संसद का काम गंभीर राष्ट्रीय चुनौतियों के ऊपर बहस करना। आप स्टेट की असेंबलीज़ को मज़बूत कीजिए, क्योंकि एक साल में कोई 15 दिन के लिए बैठती है और कोई 17 दिन के लिए बैठती है तो कोई 20 दिन के लिए बैठती है।

You strengthen the institutions under the 73rd and 74th Amendments. But do not tamper with the strength of the Parliament. At a strength of 543, it is difficult for this Parliament to function. Imagine what this Parliament would be at a strength of 815.

मेरा आखिरी निवेदन यह है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से खिलवाड़ मत कीजिए। 543 में से 181 यानी एक-तिहाई सीटों को आरक्षित करके भारत की महिलाओं को देकर उनका सशक्तिकरण कीजिए। इससे भारत की संसद भी मजबूत होगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा और इस देश का लोकतंत्र और गौरवमय होगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.00 hrs

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): Thank you, Madam Chairperson. I rise to support the Bills and the amendments that have been introduced in the House today, which seek to expand the Lok Sabha to reflect India's significant population growth since the 1991 Census.

It also provides a legal framework for the Delimitation Commission to readjust the constituencies based on the latest available demographic data. Article 82 is sought to be amended by deleting the third proviso that mandates delimitation only after 2026. It provides the Government with the ability to use pre-2026 Census data to draw the geographic boundaries of constituencies. Article 334A is sought to be amended to allow the 33 per cent reservation for women to take effect immediately by bypassing the earlier stipulations of the 106th Amendment Act of 2023, which is the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. This amendment is vital as it facilitates the 33 per cent reservation for women immediately.

I rise today in this House, not in my personal capacity, but on behalf of the 650 million women of this country. I rise today as a proud member of that party which has changed the narrative of our country from women's development to women-led development, and that party which heads the Government that, at every juncture, has sought to provide solutions to the challenges that women face in our country, right from *Beti Bachao Beti Padhao*, Sukanya Samruddhi Yojana, Pradhan Mantri Awaas Yojana, Jan Dhan Yojana, *Matru Vandana Yojana*, *Surakshit Matritva Abhiyan*,

Indradhanush Yojana, Shauchalay Nirmaan Yojana, *Lakhpati Didi*, and Drone Didi. These are just a few, but there are many more.

I also stand as the proud daughter of that State, which was prepared to empower its women and its daughters even four decades ago. I stand in this House as the proud daughter of that leader who provided equal rights and property to the daughters of his State, even 19 years before the national law was made. I stand as the proud daughter of that father who provided reservations for women in the Mandal Praja Parishads and Zila Praja Parishads even before the 73rd and 74th Amendments. I stand here as the proud daughter of that father who provided 30 per cent reservation in the Government jobs for women to transform them into administrators and officers.

I also stand as the proud daughter of that leader who established the first women-only University in my State. I stand as the proud daughter of that leader who established women's police stations in the 1980s so that no aggrieved woman would be denied justice. That leader is none other than the late Shri N. T. Rama Rao.

Today we gather here not merely to discuss a policy, but to settle a question that this Republic has been asking itself since the first day of Independence – do the women of India belong in the rooms where the nation’s decisions are made? The women of this country have waited long enough for justice and for rightful representation in the House. Generation after generation, women have been told that the world outside does not belong to them. What begins as exclusion and persists for a long period of time begins to

feel natural. The Bills that we debate today are the final intervention to change that perception.

Women, during the freedom movement, participated alongside men. They did not do so merely as supporters of the movement, but as architects, as foot soldiers, and as the very conscience of the movement itself. Women believed at that point in time that the nation's liberation was their liberation.

When the moment came to pen the founding charter of this Republic, India was blessed with an architect of extraordinary vision, Babasaheb Bhimrao Ambedkar. Babasaheb firmly believed that freedom proclaimed without equality guaranteed is no freedom at all. Therefore, at this very founding moment of the Republic, he did not ask women to wait, but placed equal rights and equal opportunities for women as the very foundation of our Constitution. Every woman sarpanch, every woman judge, every woman officer, and every woman Parliamentarian stands on that very foundation that Babasaheb laid.

As proud citizens of this Republic, we bow our heads in deep and enduring gratitude to him. This, Madam, is not a reform that appeared suddenly before the House. It faced an arduous journey, a long and unfinished journey. Its early traces go back to even before Independence, when the Government of India Act was made in 1935, which provided limited space for women representation. The question, however, did not disappear with the attainment of freedom. It travelled along with our Republic, waiting for resolution. The decisive moment had come in 1989, when a Constitutional

Amendment was passed in this House, yet could not be completed. The moment, however, did not fade. Under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee ji, the issue was brought back with clarity and with conviction, and Bills were introduced in 1998 and 2002, ensuring that the demand for women's political representation remained firmly on the national agenda.

There have been many instances where the Women's Reservation Bill was brought forward but was shot down. The historical reality is that in 1998, the RJD MP, Surendra Prakash Yadav ji, physically tore the Bill right on the floor of this Parliament House. The then stalwart leaders of the Samajwadi Party too, very categorically had said that they did not support the Bill, and it is rather astonishing that today we have Akhilesh ji say that they support the Bill.

In the meantime, Madam, India had made a bold institutional shift through the 73rd and 74th Amendment, opening the doors of grassroot democracy for its women in rural and backward areas. The country witnessed something spectacular. It only said that when given an opportunity, women did not merely participate, they led, they governed, and they transformed. Yet at the level of the Parliament and the State Legislatures, the journey remained incomplete. Efforts continued across years, across Governments, and across debates, even culminating in the passage of the Bill in Rajya Sabha in 2010. But the final step remained out of reach.

In this context, the position being taken by the Opposition today should be examined carefully. The only thing in my perception that is left for the Opposition to oppose is that it is being delivered by a Government they did not

form. This is not a Constitutional argument, but it is a political stance and the women of India can see the difference. If women's reservation has already been settled, as Shrimati Sonia Gandhi ji had mentioned in her editorial, and if the party demanded the implementation in 2023 itself without conditions, then what exactly is the Congress opposing today?

They need to explain. And that is why this moment matters, because today, through the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, this House is not merely passing a law, but it is completing a journey that the nation began decades ago.

It is rather disappointing, Madam, to see the attitude of the Opposition parties. What is being characterised today as undue haste is in fact the same very urgency that the Opposition itself demanded not long ago. It is, therefore, difficult to reconcile how the same urgency is now being interpreted as a matter of concern. In 2023, their words were, “Implement it now, no need for Census and delimitation”.

In 2026, their very words are, “How dare you implement it without Census and delimitation?”. When Congress demanded it, it was urgency. But when *Pradhan Mantri* Narendra Modi ji delivers it, it becomes haste. Sonia ji herself issued statements in favour of the Bill multiple times, but they were empty statements and not backed by any action. I was listening intently to the Deputy Leader of the Opposition, who raised the question as to when the Women’s Reservation Bill was passed in 2023, why was it not implemented until now. The Opposition had 27 years to implement it themselves.

The Women's Reservation Bill had first come in 1996. The UPA had been in power for a whole decade from 2004 to 2014 and the Rajya Sabha had passed it in 2010. For four consecutive years — 2010, 2011, 2012 and 2013 — the Bill after being passed in the Rajya Sabha was never introduced in the Lok Sabha. Therefore, the issue in the House today is not one of delay but it is one of conviction.

Madam, a legislature, without women's representation, making decisions without hearing half the evidence, is not governance, but it is an educated guess. Women of this nation deserve better than an educated guess. Madam, the issues or the concerns that have been raised here are about the Southern States losing a number of seats. Justice to the South Indian States is sought to be met by proposing a *prorata* increase based on the 2011 Census and by ensuring that the Lok Sabha constituencies would increase by 50 per cent, as has been outlined by the hon. Home Minister himself. This would ensure that the Southern States would not lose the absolute number of seats and by adopting the 2011 Census as the baseline, there would be less disruption to the existing political balance rather than depending on the higher population growth figures of the North.

Madam, I say it with complete conviction that the Delimitation Bill, 2026 provides the answers, and that Section 5 guarantees that representatives from various States will be nominated by their respective Speaker to sit at the table when the boundaries of constituencies are being drawn. Section 9 guarantees public hearings in every State before the single order is finalised. Therefore, no

State is voiceless and no voice is left unheard. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: — where women are honoured, divinity dwells. This is the very sentiment that was reflected in the words of Swami Vivekananda when he said that the progress of a nation is measured not by its GDP or power, but by how it treats its women.

History is being written today in this chamber and history will record every name, those who are willing to open the doors for the fairer sex and those who choose to keep it shut. Looking beyond politics, I know on which side of history I stand.

Looking beyond politics and supporting the passage of these Bills, we need to remember that even as we pass them and even as we support them, we are standing for our mothers who gave their everything and asked for little, we are standing for our daughters who are watching and waiting and we are standing by the women who stood at the threshold and were turned away. And last but not the least, we are standing by Babasaheb Ambedkar who wrote the law and made this moment possible.

Jai Hind.

श्रीमती जोबा माझी (सिंहभूम) : माननीय सभापति महोदया, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सबसे पहली हमारी पार्टी के माननीय नेता हेमंत जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस महत्वपूर्ण महिला विधेयक पर और परिसीमन आदि तीन विधेयकों पर आपने मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

सभापति महोदया, 106वें संविधान संशोधन के तहत लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को सुनिश्चित करने का जो कानून लाया गया

था, उसे तीस महीनों तक बिना क्रियान्यवन किए पुनः 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाया जा रहा है? जबकि धारा 334(क) में यह प्रावधान पहले से ही उल्लिखित है। सर्वसम्मत रूप से पारित 106वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद जब हम सब विपक्षियों ने इसे वर्ष 2024 के साधारण निर्वाचन में लागू करने की माँग की, तब सत्ता पक्ष ने कहा था कि वर्ष 2025 की जनगणना के पश्चात परिसीमन कर कानून वर्ष 2029 में लागू किया जाएगा। आज वही कह रहे हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन तय करेंगे और 543 मौजूदा आसन संख्या के अतिरिक्त 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

महोदया, इन 15 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या वर्ष 2011 में ही स्थिर है और लोगों की बसावट भी स्थिर हो गई है। हमारे गृह मंत्री ने सदन में कहा कि जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें जातिगत जनगणना शामिल है। क्या सरकार यह बताएगी कि उसने उच्चतम न्यायालय में क्यों कहा कि सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है? यदि जनगणना शुरू हुई है, तो उसका कोई प्रासंगिक आधार देश के समक्ष क्यों नहीं है? जब देश में दो राज्यों के विधान सभा चुनाव आगामी 23 और 29 तारीख को प्रस्तावित हैं, तब ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि संसद का विशेष सत्र आहूत करना पड़ा और ऐसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है?

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में एसआईआर के तहत लगभग 75 लाख से ज्यादा महिलाओं को मताधिकार से वंचित करते हुए उन्हें न्यायाधिकरण के तहत जाने को विवश किया जा रहा है। जो सरकार महिलाओं के वोटों का अतिक्रमण करती है, वही सरकार महिला आरक्षण की बात करती है। जो न केवल हास्यास्पद है, वरन् यह दिखाता है कि महिलाओं का कितना सम्मान है। यह जो विधेयक एक साथ लाए गए हैं, यह हमें उचित नहीं लगता है। महिला आरक्षण का झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करता है, लेकिन जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी तरह से महिला आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे। जब जातिगत आरक्षण होगा, तभी तो आप तय करेंगे कि आदिवासी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और अनसूचित जाति के लोग कितने हैं। महिलाएँ तो पूरे देश में हैं, महिलाएँ तो सभी हैं, लेकिन उसका लाभ सभी वर्गों को

मिलना चाहिए। जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, तब तक सभी वर्गों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं सरकार से माँग करती हूँ कि जातिगत जनगणना हो, ताकि हमारे देश की सभी वर्ग की महिलाएँ, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उसका लाभ ले सकें।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती जोबा माझी : सभापति महोदया, मैं आदिवासी होने के नाते सरकार से माँग करती हूँ कि इस देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोग हैं और झारखंड विधान सभा से वर्ष 2020 में आदिवासियों के लिए जनगणना कॉलम 'सरना कोड' शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है, मैं सरकार से माँग करती हूँ कि जनगणना में 'सरना कोड' को भी निश्चित रूप से शामिल किया जाए, ताकि आदिवासियों की एक अपनी पहचान बन सके। धन्यवाद।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति जी, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को इस विधेयक का केंद्रीय उद्देश्य बताकर पेश कर रही है लेकिन वास्तव में इसे परिसीमन को आगे बढ़ाने के एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मनुवादी समर्थक ताकतों ने बराबर मिहलाओं का इस्तेमाल किया है और इस बार भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं। इनको करना तो है परिसीमन और आड़ में रखे हुए हैं महिला आरक्षण बिल। हमने महिला आरक्षण बिल का सर्वसम्मत समर्थन किया था और वह पास भी हुआ था। वर्ष 2024 से ही महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करने की वास्तविक मांगों को पहले नजरअंदाज किया गया था इसलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस कानून को एक जल्दबाजी में बुलाए गए विशेष सत्र में न्यूनतम बहस के साथ पारित किया जा रहा है। राज्यों सहित हितधारकों से कोई सार्थक परामर्श नहीं किया गया है।

वर्ष 2021 की जनगणना को पहले कोविड-19 के कारण टाला गया लेकिन बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे सरकार को यह नियंत्रित करने का अवसर मिला कि परिसीमन कब और कैसे किया जाएगा। जनगणना को वर्ष

2026-27 तक टालकर सरकार ने अपने हिसाब से परिसीमन को आगे बढ़ाने की स्थिति बना ली है। यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर वर्ष 2011 के पुराने आंकड़ों का उपयोग भी किया जा सकता है।

पूर्व के संवैधानिक संशोधन (84वां और 87वां संशोधन) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि परिसीमन वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर होना चाहिए। इस संवैधानिक व्यवस्था को वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने की वर्तमान कोशिश कमजोर करती है। विपक्ष के लंबे संघर्ष के बाद जातिगत जनगणना मुख्य जनगणना के साथ हो रही है, ऐसे में तत्काल परिसीमन के लिए जातिगत जनगणना को दरकिनार करना सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है।131 वां संशोधन "जनसंख्या" की परिभाषा को लचीला बनाकर और उसे साधारण संसदीय बहुमत के अधीन रखकर संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करता है। प्रस्तावित बदलाव भारत की संघीय संरचना को विकृत कर सकते हैं जिससे शक्ति का संतुलन कुछ क्षेत्रों की ओर झुक सकता है।

दक्षिणी और छोटे राज्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सामाजिक विकास में निवेश किया है, उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता कम होने की आशंका है। जिन राज्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में निवेश करके प्रजनन दर को कम किया, उन्हें अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के रूप में दंडित किया जा रहा है। महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक नहीं है, इसे वर्तमान संरचना के भीतर तुरंत लागू किया जा सकता है। इसे परिसीमन से जोड़ना लैंगिक न्याय को टालने और राजनीतिक बनाने का तरीका है।

केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि और सीटों के पुनर्वितरण से अत्यधिक केंद्रीकरण हो सकता है। यह भारत की "राज्यों के संघ" की पहचान को खतरे में डालता है और सहकारी संघवाद को कमजोर करता है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां चुनाव आयोग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया हो और सत्तारूढ़ गठबंधन एसआईआर के माध्यम से अपने

अनुसार मतदाता चुन रहा हो। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को अपने हिसाब से तय करना होगा। हमने इसके उदाहरण असम और जम्मू-कश्मीर में देखे हैं। यदि सरकार ही यह तय करे कि चुनाव आयोग में कौन होगा, मतदाता कौन होगा और निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनेंगे तो यह लोकतंत्र नहीं रह जाता।

यदि सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति होती तो वह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से अलग करके तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना महिलाओं के आरक्षण का इस्तेमाल एक ऐसे विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए करना है, जो भारत के संघीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। सरकार को महिलाओं के आरक्षण के नाम पर दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और भारत के पहले से कम प्रतिनिधित्व वाले बहुजन समुदाय के अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से अलग किया जाए, जातिगत जनगणना पूरी की जाए और नवीनतम जनगणना तथा जातिगत आंकड़ों के आधार पर निष्पक्ष परिसीमन की रूपरेखा तैयार की जाए।

Madam, we support women's reservation. We call for its immediate operationalisation, beginning with the 2029 Lok Sabha election, or even earlier. This requires only an amendment to the Constitution, specifically, the removal of references to delimitation and census from Article 334A(1) and (3). We support such an amendment.

We are here to discuss women's empowerment and will not be drawn into any other subject. We oppose any cynical attempt to use women as a shield to advance the political agenda of the ruling party. Any discussion on delimitation must be clearly delinked from women's reservation.

We will not accept, under any circumstances, any dilution of the constitutional guarantee that safeguards the existing share of each State in the

Lok Sabha. We reject any oral assurances or schedules that can be altered at will by a simple majority. The principle governing the allocation of seats among States is, and must remain, embedded in the Constitution. It cannot be left to a statutory Delimitation Commission or to an ordinary legislative process.

Thank you.

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : महोदया, मैं आज इस सदन में 131 वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हूँ।

यह विधेयक केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को अधिक मजबूत, समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

महोदया, यह देश "यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" की भावना से ओत-प्रोत है अर्थात जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वहां देवता वास करते हैं।

महिलाओं के प्रति आदर भाव, सम्मान और उन्हें प्राथमिकता देने की हमारी संस्कृति है। इस क्रम में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाये गए इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

महोदया, इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है- महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का शीघ्र क्रियान्वयन। वर्षों से हम सभी यह सुनते आए हैं कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन हर बार यह मुद्दा जनगणना और परिसीमन की जटिल प्रक्रियाओं में उलझ जाता था।

यह विधेयक उस बाधा को समाप्त करता है और सुनिश्चित करता है कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार बिना किसी अनावश्यक देरी के मिले। यह कदम न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी अधिक संतुलित और समृद्ध बनाएगा।

महोदया, इस विधेयक में लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हर नागरिक की आवाज संसद तक पहुंचे। सीटों के विस्तार से न केवल प्रतिनिधित्व

बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होगा और लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।

इसके अतिरिक्त, यह विधेयक परिसीमन प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाता है। पहले हर जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य था, जिससे कई बार निर्णय लेने में देरी होती थी। अब संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके। इससे शासन में तेजी आएगी और नीतियां अधिक प्रभावी तरीके से लागू की जा सकेंगी।

महोदया, यह विधेयक संसद को यह अधिकार भी देता है कि वह उपयुक्त जनगणना के आंकड़ों का चयन कर सके। उदाहरण के लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर तत्काल निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे विकास कार्यों में देरी नहीं होगी। यह एक व्यावहारिक और दूरदर्शी कदम है।

इसके साथ ही, इस विधेयक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी नए ढांचे के अनुसार संतुलित किया गया है और राज्य विधानसभाओं को भी इसी व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे पूरे देश में एक समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रणाली विकसित होगी।

महोदया, यह विधेयक हमारे लोकतंत्र को केवल नियमों में बांधकर रखने के बजाय उसे परिणाम-आधारित और जनहित केंद्रित बनाता है। अब निर्णय केवल प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देशहित और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे।

महोदया, हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसान, गांव और ग्रामीण भारत की आवाज को सबसे ऊपर रखा था। उनका मानना था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में परिसीमन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

यह आवश्यक है कि जनसंख्या के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन, ग्रामीण हित और सामाजिक संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि कोई भी वर्ग अपने आपको उपेक्षित न महसूस कर सके।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह विधेयक महिलाओं को उनका अधिकार देने, लोकतंत्र

को मजबूत बनाने और शासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक विधेयक के पक्ष में अपना समर्थन दें।

आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आज इस सदन में एक ऐसे विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, जो सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि इस देश की आधी आबादी की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक विषय है।

मैं आज महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पर बात करना चाहती हूं। मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं ही नहीं, बल्कि सारा विपक्ष इस बिल के पक्ष में है। महिलाओं को अपना हक और सम्मान जरूर मिलना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। लोकतंत्र के इस मंदिर में महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए, इसीलिए हम वर्ष 2023 से इस विधेयक को पारित कराने के पक्ष में हैं। हम ही थे, जो कह रहे थे कि यह विधेयक जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए अग्रणी थे। तब इस सरकार ने जनगणना 2027 की अनिवार्यता और इसके बाद होने वाली परिसीमन का कारण बताते हुए उसे आगे ढकेल दिया था। नए-नए पेंच डालकर इसे लागू करने से यह सरकार तीन साल तक मुकरती रही और इसे टालती रही। आप आज अचानक इसी बिल को तत्काल पारित करने के लिए इतने आतुर क्यों हैं?

यह सरकार इसको ऐतिहासिक बता रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप इतिहास बनाना चाहते हैं या फिर जल्दबाजी में यह बिल लाकर सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? हर चुनाव के पहले यह बीजेपी सरकार या तो जुमलेबाजी करती है या कोई धमाका करवाती है या लाडली बहन जैसी रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं लाती है। जैसा इस सरकार का कुटिल चलन रहा है, पश्चिम

बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों को मद्देनजर रखकर ही यह खास सत्र बुलाया गया है, ऐसा मेरा मानना है।

मैं इसे साबित करने के लिए इस सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। वर्ष 2023 में लागू हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के बाद भी पारित हो सकता था, क्योंकि इसे वर्ष 2029 से लागू करना है। कुछ ही हफ्ते की बात थी, मगर मौका चला जाता, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन दो राज्यों की महिलाओं को बरगलाने और एक प्रलोभन देने की खातिर यह सरकार इस बिल का इस्तेमाल करना चाहती है।

दूसरा, इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में बिना नई जनगणना करवाए, यह सरकार परिसीमन विधेयक भी सोची-समझी साजिश से पारित करवाना चाहती है। हम इनकी यह बेईमानी सफल नहीं होने देंगे। यह कैसी सरकार है, जो वोट्स के लिए अपने ही देश की महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और अपने ही देशवासियों से फरेब कर रही है? इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इस सरकार की मंशा साफ होती और अगर सही मायने में महिलाओं का उत्थान इनका लक्ष्य होता, तो वर्ष 2023 में इस विधेयक को पारित करके वर्ष 2024 के लोक सभा के चुनाव में इसको लागू कर देते।

आज भी बिना परिसीमन से इस बिल को जोड़कर 543 सीट्स पर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दीजिए, ताकि वर्ष 2029 के चुनाव में महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। इनका असली लक्ष्य धोखे से परिसीमन विधेयक को पारित करवाना है। परिसीमन विधेयक को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं के आरक्षण को नए परिसीमन से जोड़ता है, जोकि अनावश्यक है।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थिर आरक्षण है, जिसे अभी भी लागू किया जा सकता है। इसका जनगणना और परिसीमन से कोई संबंध नहीं है। इसे परिसीमन से जोड़कर सरकार वास्तव में महिलाओं के आरक्षण को टाल रही है। इसे सीट्स की वृद्धि जोड़कर सरकार यह संकेत दे रही है कि महिलाओं के लिए सीट्स तभी स्वीकार की जाएंगी, जब नई और अतिरिक्त सीट्स होंगी।

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ देर पहले अपना भाषण दिया है। उस दौरान मुझे वह थोड़े-से कन्फ्यूज लगे थे या फिर वे अपनी मीठी बोली से देश की जनता को झांसा देना चाहते थे।

उनके मुताबिक इस बीजेपी सरकार से पहले जिन सरकारों ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, वह कूड़ा साफ करने के लिए दिया था। मैं इस वाक्य का निषेध कर रही हूं। दूसरे पल वे खुद कहते हैं कि यह आरक्षण मिलने से अब महिलाएं पॉलिटिकली जागरूक हो जाएंगी। वे आगे छलांग लगाना चाहती हैं। अरे सर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? दिया गया आरक्षण सही था या नहीं है?

दूसरा, इन्होंने तंज कसा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण निचले स्तर पर दिया, ताकि प्रस्थापित नेताओं की कुर्सी को धोखा न हो। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब आपने डीलिमिटेशन से रैंडमली जो 50 परसेंट सीट्स बढ़ाईं, आप उसमें ही महिला आरक्षण की सीट्स निपटा रहे हैं एवं अपनी और अपने अन्य साथियों की सीट्स सेव कर रहे हैं। खैर, एक इंसान दुविधा मनस्थिति में तभी होता है, जब वह सत्य को छोड़कर बात करता है और बहकाने वाली बातें करता है। इसके अतिरिक्त जब माननीय गृह मंत्री जी आंकड़े दे रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ सदर्न स्टेट्स के आंकड़े दिए, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स के आंकड़े नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी साजिश पकड़ी जाती।

सभापति महोदया, अनुच्छेद 334A(1) महिलाओं के आरक्षण को डीलिमिटेशन से और भी सख्ती से जोड़ता है, जितना कि वर्ष 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम करता है। प्रस्तावित अनुच्छेद 334A(2) कहता है कि महिलाओं का आरक्षण 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि संसद इसे बढ़ाने का निर्णय न ले। ऐसा क्यों? महिलाओं का आरक्षण स्थायी होना चाहिए। यही नहीं, यह बीजेपी सरकार अफरातफरी में लाए गए इस संशोधन द्वारा संविधान को कमजोर करने का घिनौना षड्यंत्र रच रही है। अगर यह पारित हो जाता है, तो डीलिमिटेशन के सारे फैसले डीलिमिटेशन कमीशन करेगा, जिस आयोग का गठन भी गौरतलब से यही सरकार करेगी। इस एक कदम से डीलिमिटेशन मामले में न संविधान संशोधन जरूरी रहेगा और न ही

विपक्ष।

मैडम, मैं यह समझती हूं कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को बिना मौलिक, व्यावहारिक और गुणात्मक अवलोकन के लागू करवाने से भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। वोटों के लिए दुश्मन देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर भी मैं समझ सकती हूं, वह ठीक है, लेकिन यह तो वोटों के लिए अपने ही देश पर सर्जिकल स्ट्राइक साबित हो सकता है। इसका थोड़ा अहसास रखना चाहिए।

सरकार सभी राज्यों में लोक सभा की सीटों में रैंडमली 50 परसेंट बढ़ोत्तरी करना चाहती है। सरकार के इस मनमानी वाले फैसले से दक्षिण भारत और छोटे राज्यों का लोक सभा में महत्व न के बराबर रह जाएगा। बिना सेंसस और बिना सर्वदलीय विचार-विनिमय किए डीलिमिटेशन का यह फैसला भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा आघात हो सकता है, क्योंकि गिने-चुने तीन या चार बड़े राज्यों, जहां पर इनकी सरकार है, उनको फायदा हो सकता है। इससे यहां पर सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप छोटे राज्यों में डिटैचमेंट की धारणा बढ़ेगी और ये राज्य सेंट्रल फंड्स और स्कीम्स से दुर्लक्षित रह जाएंगे। बीजेपी की यह सरकार हर कदम पर संविधान को कमजोर बनाकर सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती है। लोकहित, इस देश की प्रजा और प्रजातंत्र से इन्हें कोई सरोकार नहीं है।

एक लोकप्रतिनिधि होने की हैसियत से मैं इस सरकार से गुज़ारिश कर रही हूं कि डीलिमिटेशन जैसे जटिल फैसले को लाने से पहले सर्वपक्षीय चर्चा और विचार-विनिमय होना चाहिए। एक नारी होने के नाते मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगी कि आप कृपा करके अपने मतलब के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना बंद कीजिए।

आखिर में, सत्ता के नशे में चूर इस सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी :

“घमंड न कर अपनी झूठी ताकत पर ऐ नासमझ,
तुझसे पहले कई सिकंदर बिना निशान जमीन निगल चुके हैं।”

धन्यवाद। जय नारी शक्ति। जय हिन्द।

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I rise today, as a woman Member of Parliament with immense pride and deep sense of satisfaction to support the three Bills that were placed by the Government on the floor of the House today - the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, the UT Laws (Amendment) Bill, 2026 and the Delimitation Bill, 2026.

Madam, these Bills are historic by nature and they are long-awaited steps towards fulfilling the aspirations of half of the country's population, and, for that matter, I think, we all should remember that these Bills are here for reshaping and restructuring our democratic journey.

सभापति महोदया, इस पवित्र सदन में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूं। विषय केवल तीन विधेयकों को पारित करने का नहीं है। विषय देश की आधी आबादी के सम्मान का है, उनकी मर्यादा का है और उनके उज्ज्वल भविष्य का है।

विषय केवल महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नहीं है, बल्कि विषय इस सदन की गरिमा का है, हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को अधिक सशक्त बनाने का है।

सभापति महोदया, जब मैं यह बात आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूं, तो मुझे स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन करना है, तो हमें उस समाज में रहने वाली महिलाओं की स्थिति को परखना होगा और तब ही हम समझेंगे कि वह समाज किस प्रकृति का है।

लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व की एक समावेशी संरचना है।

सभापति महोदया, आप समझें कि ऐसे में जब देश की आधी आबादी निर्णय के दायरे से बाहर हो जाती है, तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यहां

मुझे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की दो-तीन पंक्तियां याद आ रही हैं -

"तुम एक अनल कण हो केवल,
अनुकूल हवा लेकिन पाकर,
छप्पर तक तो तुम जा सकती,
ज्वाला प्रचंड फैला सकती,
एक छोटी सी चिंगारी भी।"

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, 26 मई, 2014 से, जब से उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और अब तक, महिलाओं के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए देश में एक अनुकूल वातावरण बनाने की तैयारी की जा रही है। हमें इस बात को मानना होगा और समझना होगा। हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और नेतृत्व बहुत सुदृढ़ है। The Government of our Prime Minister Modi has been able to translate 27 years old promise into reality.

Madam Chairperson, you were present and I was present in 1996, that particular midnight, when we passed the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. After 27 years, the women of this country waited and this great event, the historic moment, had happened. This has left an indelible imprint on my mind. Since 1996, the Women Reservation Bill had remained a symbol of unfulfilled aspiration, and, today, we can proudly say that this particular House and the other House – the Parliament – have taken a decision that 33 per cent of the seats in the Lok Sabha, in all the State Assemblies, and in the National Capital Territory of Delhi Assembly would be reserved for women.

This is a great achievement of the Government of Prime Minister Modi. And I can say that this is an achievement of all of us who contributed

wholeheartedly to taking the right kind of a decision.

Madam, since morning, I have been sitting here and listening to both the sides – the Treasury Benches and the Opposition – and I can see that some of my friends from the right, from the Opposition, were full of contradictions in their statements. Some said, 'We are delayed'.

Some asked, 'Why is the Government in a hurry? Now, in September, 2023, we passed it. In September, 1996, the then Prime Minister Deve Gowda *ji* had brought it, and, for some reason or the other – I will come to it later – in fact, we could not pass it.

I think I do not want to be repetitive. We could not pass the Bill. In governance, there are only two words – either 'yes' or 'no'; either we do it or we do not do it. And the other Governments did not do it. The Government of Prime Minister Modi did it. There was a big 'yes' in the midnight of September, 2023 when we passed the Nari Shakti Vandan Adhiniyam.

Now, today, two statements are coming – delay or not delayed. Now, the question is this. The Government wants to implement this Bill. This is high time. The women of the country cannot wait, and, for that matter, all of us have gathered together to deliberate on the provisions of the three Bills.

In 2024, the General Elections were held, and there is sufficient reason to say that the census and delimitation exercises could not have taken place at that point of time.

Therefore, it is absolutely understandable why the Government was not able to implement this immediately after 2023, because the census and

delimitation are large exercises.

Let me tell you that the Government is very keen that it should be implemented, and I think this is the right time for all of us to come together and support the Bills, because we want our 273 women to be seated in this Lok Sabha.

Madam Chairperson, it is pertinent to mention here that the three Bills will facilitate the process of delimitation. At the cost of being repetitive, I would like to say that in 1971, the census had taken place. In 1976, on the basis of that census, delimitation took place; the allocation of seats was done; and the territorial jurisdictions of the constituencies were finalised in the year 1976 by the then Delimitation Commission. We have to understand that after a passage of 50 years, this Government - the Government of Prime Minister Modi - is revisiting the allocation of seats, and it has stated very categorically and convincingly that there would be a 50 per cent increase in the number of seats in the Lok Sabha and in the State Assemblies.

So, it is amply clear that we are not going by the 2011 Census figures to decide on the allocation of seats. I think this has to be kept in mind. This is just a 50 per cent increase, a 50 per cent addition to whatever number of seats we currently have, and we have heard our hon. Home Minister and our hon. Prime Minister in the morning.

Now, there are a couple of features that all of us are aware of, but please allow me a couple of minutes to dwell on the features of these three Bills. The first Bill, which is very important - the 131st Constitution Amendment

Bill, talks of amendments to six Articles of the Constitution: 81, 82, 170, 333, 332, and 334(A).

Now, number two is extremely important - the delimitation exercise. We have to understand, my dear friends, both on the right and the left, that unless and until we have the delimitation exercise, we just cannot go for reservation of seats.

Which seat do we reserve? What is the allocation for all the States? What are the seats that we are going to reserve for women? And among those seats, which are the seats that we are reserving for SC and ST? These are the questions, and that is why three Bills have been brought by the Government. We must commend the efforts of the Government because they have adopted a very pragmatic approach while drafting the Bills. I would request all my colleagues here to go through the Statement of Objects and Reasons appended to all the three Bills.

Now, I come to the Delimitation Commission. There is something extremely uncomfortable in the air of the room when we talk of the Delimitation Commission. This will be the fifth time that the Delimitation Commission will be formed. Since Independence till date, four Delimitation Commissions have been set up by this Parliament - in 1952, 1963, 1973, and 2002. Now, there will be the fifth Delimitation Commission with three Members - a Supreme Court Judge, former or serving; the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner nominated by him or her; and the State Election Commissioner of the State concerned.

Madam Chairperson, why did I mention all this? There is a reason for it, and I would definitely like my friends to understand. I want to allay all apprehensions regarding the way the Delimitation Commission would function. The Delimitation Commission has been there; there were four earlier, and now the fifth one will come. I must tell you that five MLAs and five MPs of each State would be duly consulted when the territorial jurisdictions of the constituencies are revisited by the Commission in different States.

So, there is absolutely no cause of worry on that score.

Very important part of my submission, I am arriving at. Please give me some time. Today, my esteemed colleagues must know that India is lagging behind. I feel very sad when I talk of India in this language. The Indian Parliament is lagging behind because we have just 13.6 per cent of the Parliamentarians in the Lok Sabha as women. If you look at all the State Legislative Assemblies, we have just around ten per cent MLAs as women. We are definitely much less than other countries. The global average is 27.5 per cent. This is definitely a cause of concern and that is why, these Bills and that is why, we need to have the implementation process properly understood and agreed upon and implemented on the ground. This is high time.

Madam, I would also like to mention the situation in some of the countries. While we, women, are at 13.6 per cent in our Parliament, Rwanda has 64 per cent women Parliamentarians, Sweden has 47 per cent, New Zealand has 45 per cent, Norway has 44 per cent, Australia has 38 per cent and our close neighbour Nepal has 33 per cent.

When these countries have so many number of women in their Parliaments, why do we have just 13.6 per cent women Parliamentarians? That is the question and that answer must come from all those people who have been here for quite some time, particularly from my friends to my right.

Why should Indian Parliament lag behind? We have to give visibility and power to our mothers and daughters who actually served for the nation everyday.

Now, hon. Prime Minister's unwavering commitment to women's empowerment is something which I need not talk about much. It is like showing light to the Sun.

Since 2014, under the guidance of our hon. Prime Minister, many women centric programmes have been initiated in the country with more than three crore *lakhpati didis*, ten crore women in these self-help groups; 68 per cent of mudra loans have been given to women; eleven crore LPG connections given under PM Ujjwala Yojana, and the list is long.

The current approach of the Congress and other Opposition Parties baffles me. They blocked the Bill for 27 years and they are blocking the Bill now.

The UPA Government passed the Women's Reservation Bill in 2010 in the Rajya Sabha.

What prevented them from getting this Bill passed in the Lok Sabha since they were there, heading the Government, rather running the Government till 2014? So, this is something which is not understood by people

like us. It was very easy for them to get that passed between 2010 and 2014 in the Lok Sabha.

Madam Chairperson, please allow me to talk about the Shah Bano case. The Shah Bano episode showed how Congress has repeatedly sacrificed women's rights to short term vote bank calculations.

Today, the same set of Opposition Parties are creating hurdles. Please allow me to call you anti-women. Even if it hurts you, I will call you anti-women. Being a woman Parliamentarian, I know how very important it is to increase the percentage of women in the Lok Sabha and in the State Legislative Assemblies in our country.

महोदया, इस विधेयक पर कई बार चर्चाएं हुईं, समितियां बनीं, रिपोर्ट आईं, लेकिन परिणाम नहीं आया। हर बार उम्मीद थी, हर बार निराशा मिली।

अब हम एक नए भारत में हैं। यही समय है, सही समय है। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं, लेकिन गुजारिश करूंगी कि ये जो बिल्स हैं, महिलाओं के लिए जो बिल्स लाए गए हैं, उनका कार्यान्वयन कैसे होगा?

इसके लिए जो बिल्स लाए गए हैं, उनमें बाधा पैदा न करें। हमें व्यवधान नहीं, हमें समाधान चाहिए।

हरिवंश राय बच्चन जी की दो पंक्तियां हैं, जो मैं यहां रखना चाहूंगी–

"नीड़ न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो,
लेकिन पंख दिए हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।"

हमें व्यवधान नहीं, हमें समाधान चाहिए। हमें सहायता करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

I solicit the support of all my esteemed colleagues of the Lok Sabha.

Thank you.

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बिल के बारे में बोलने का मौका दिया। आज मैं इस सदन में एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम 'नारी वंदन अधिनियम, 2026' पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूँ।

यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार और नेतृत्व की पुनर्स्थापना का एक सशक्त संकल्प है।

मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देती हूँ और समस्त आधी आबादी के तरफ से भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नारी को सम्मान दिया, जिससे इस विधेयक को यहाँ लाया गया है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज आप जान रहे हैं कि महिला को कितना कुछ मिला है, जब देश में प्रधान मंत्री जी आए, तो उसका लाभ मिला, उज्ज्वला योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो या लखपति दीदी योजना हो। उसी तरह से हमारे बिहार के जो नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी महिलाओं को काफी आगे बढ़ाया है।

तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंचायत और निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे वे आशा हों या जीविका दीदी योजना हो। उस तरह से महिलाओं के लिए काफी कुछ उन्होंने किया। साइकिल योजना का लाभ, पोशाक योजना का लाभ, लड़कियों को जन्म से लेकर, मतलब पहले जो लड़कियां एक अभिशाप थीं, उसको उन्होंने वरदान के रूप में तब्दील किया।

बच्चे के भ्रूण से लेकर, जन्म से लेकर, पढ़ाई से लेकर शिक्षा-दीक्षा, शादी-ब्याह, अंतिम क्षण की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा बिहार में की गई। उसी तरह से देश में भी यह किया गया। इसलिए मैं यहाँ इन दोनों महान पुरुषों का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ।

यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधी आबादी को छोड़ कर हम जंग जीत नहीं सकते हैं। दो पहियों से गाड़ी चलती है, एक पहिये से कभी भी गाड़ी नहीं चलती है। हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश की वीरांगनाओं ने हमेशा से कुर्बानी दी है, चाहे वह आजादी का आंदोलन

हो।

उस समय भी काफी क्रांतिकारी महिलाओं ने देश को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे हाड़ी रानी हों, चाहे दुर्गावती हों, चाहे सरोजिनी नायडू हों, काफी महिलाओं ने देश को आजाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हमारे देश में यह कहा जाता है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'। यह सिर्फ यह कागज पर था, उसको धरातल पर माननीय प्रधान मंत्री जी लाए और हमारे नेता नीतीश कुमार जी लाए और नारी को सम्मान दिया।

हमारा देश सदियों से इस चीज को देख रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी उस आदर्श से काफी पीछे है।

वर्तमान लोक सभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14 प्रतिशत है। राज्य विधान सभाओं में यह औसत 9 या 10 प्रतिशत के बीच है।

वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान 140वें स्थान के आसपास है, इसके विपरीत भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48-49 प्रतिशत है, यानी लोकतंत्र की आधी आबादी निर्णय प्रक्रिया में अभी भी हाशिये पर है। क्या यह लोकतांत्रिक संतुलन है?

क्या यह सामाजिक न्याय है? निश्चित रूप से नहीं और जब प्रधान मंत्री जी इस समय में यह बिल लाए हैं, तो उनके प्रति आधी आबादी को ज्यादा से ज्यादा भरोसा हो रहा है और वे उनको साधुवाद कर रहे हैं।

सभापति महोदया, जब हम विश्व की ओर देखते हैं, तो एक ही दृश्य सामने आता है। रवांडा में संसद में महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक है।

वहीं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में 40 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। नेपाल में भी लगभग 33 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधित्व है। आप इस तरह से दूसरे देशों का भी उदाहरण देख सकते हैं।

ऐसे में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का पीछे रहना चिंताजनक था। इसलिए यह बिल

लाना जरूरी था।

सभापति महोदया, यह अधिनियम भारत की लोकतांत्रिक संरचना को और अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है।

20.00 hrs

माननीय सभापति महोदया, यह अधिनियम 28 सालों के बाद आया है। यह अधिनियम वर्ष 1996 में आया था। उस समय मैं पूर्व सांसद थी और श्री आनंद मोहन जी माननीय सांसद थे। वे महिला आरक्षण के पक्ष में बोलते हुए मार्शल आउट हुए थे और उनका हाथ कटा था। मैंने ऊपर से महिला आरक्षण के पक्ष में पर्चे गिराए थे, तो 48 घंटों की अरेस्टिंग हुई थी। आज वह सब कुछ सफल हुआ है, इसलिए मैं सदन को धन्यवाद दे रही हूं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रही हूं।

माननीय महोदया, यह सीता, सावित्री और अनुसूया का देश है। मैं भी सीता जी की धरती से आती हूं। मैं मिथिलांचल से आती हूं। मैं शिवहर लोकसभा से चुन कर आई हूं। हम लोग देखते और पढ़ते आ रहे हैं कि महिलाओं ने हर लाइन में योगदान दिया है। राम है तो सीता है, सीता-राम। पहले सीता तब राम, पहले राधे तब कृष्ण, पहले गौरी तब कृष्ण। इस तरह महिला जाति ने अक्षुण्ण काम किया है। उनके बिना यह देश अधूरा है। यह प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया हुआ बहुत ही सराहनीय कदम है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तमाम चीजें हुई हैं।

पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि किसी राष्ट्र की नारी शक्ति, महिला और बच्चों के कल्याण और उसकी सहभागिता गहराई से जुड़ी होती है, जब लड़कियां स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में बड़ी होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां काम किया है। मैंने वह बताया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आधी आबादी को छोड़ कर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। कुछ माननीय सांसद कह रहे थे कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं की केवल एक ही जाति होती है - महिला जाति। कोई महिला जाति में भेदभाव न करे।

महिला जाति ही सबसे बड़ी जाति है। उसमें ऊंचे-नीचे, अगड़े-पिछड़े, सब की एक ही कहानी होती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि महिला आएगी तो उनके साथ दया, ममता और करुणा भी आएगी। पॉलिटिक्स में जो कर्कशता है, वह खत्म होगी। महिला अपने-आप में दया, ममता और करुणा के साथ जानी जाएगी । इसलिए महिला से संबंधित बिल बहुत ही जरूरी है। यह पास होना ही चाहिए। इसी के साथ मैं तीनों विधेयक का समर्थन करती हूं।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam, Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the debate on three very important Bills, in particular the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026.

Madam Chairperson, we fully support women reservation but strongly oppose the proposed Delimitation Bill. We, the Opposition led by the Congress, are always for women reservation. Even since 1996, I have witnessed so many times in the Lok Sabha this Bill being presented and, due to so many reasons, it could not be passed. Once during the time of the Congress, it was passed in the Rajya Sabha, but unfortunately, it could not get through in the Lok Sabha because of so many political reasons.

If you examine the previous history, as Priyanka ji has rightly said today about the historic background of women reservation. In the 73rd and 74th Constitution Amendments, for the first time in the parliamentary history or the legislative history of India, women reservation was constitutionally guaranteed

during the time of the Congress Government led by Shri Narasimha Rao ji. The heart and soul of the entire Opposition is for women reservation, but we are opposing the present Bill. What is the reason? It is because, in a way, at the behest of this, or under the guise of women reservation, the Government is coming with a delimitation proposal. Thereby, they want to have an ulterior political motive to grab power through delimitation. It is being said by so many other hon. Members that this is gerrymandering, and that by a forced way, power has to be taken into control.

We fully support the reservation but I would like to say that the proposed delimitation is totally unscientific, illogical, and imbalanced, and the delimitation proposal is resulting in discrimination against the States that have complied with the National Population Policy Programme directed by the Government. They are being punished by way of these Bills. That is the main objection which I would like to make.

Madam Chairperson, you may remember that in 2023, the entire Opposition, except two Members from the Opposition, unanimously and whole-heartedly supported the 106th Constitution Amendment, thereby 33 per cent of reservation was provided to women in the Lok Sabha as well as in the State Legislative Assemblies. So, the intent of the Opposition cannot be questioned by the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister, or the other hon. Ministers. It cannot be questioned or challenged. It is the women's demand, and it is the political vision and political will of the Opposition that women’s reservation should be protected and should be implemented. There is no doubt about it.

That is our strong assurance which we are providing to the Government.

Madam Chairperson, the Government is systematically dismantling the stable arrangement for raising the strength of the House of the People and also readjusting the constituencies provided in Article 81 and Article 82 of the Constitution. Articles 81 and 82 are the two important provisions for raising the strength of the House of the People as well as the readjustment of the constituencies. Shri Tejasvi Surya, my learned friend, the hon. Home Minister, and even the hon. Prime Minister, today are assuring the House that we are going to increase the number of seats by 50 per cent for every State, and proportionate increase in each State will happen, and thereby no harm, no loss, and no reduction of seats will be there as far as the South Indian States are concerned. I would like to ask the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister, and Shri Tejasvi Surya in particular, under what provision, and by which provision, is this power derived. Please inform the House. Today, the hon. Home Minister was saying that he will speak like teaching the LKG students. Why is he not able to reply today? He replied to almost all the points which we raised today, but, unfortunately, the hon. Home Minister is not able to respond to the question which we have particularly raised. He is saying that he will teach us tomorrow and make it clear to us. That means, the Government has no logical explanation as far as the 50 per cent increase in seats is concerned. If it is there, let the House be informed.

Madam Chairperson, they are all saying that Kerala, from where I come, has 20 seats at present which will be increased to 30 seats when there is an

increase of 50 per cent, and, as far as Uttar Pradesh is concerned, it will go up from 80 to 120. But unfortunately, there is no provision. Article 81(2)(a), which Tejasvi Surya was referring to, says, “for the purpose of sub-section (a) of clause 1”. That is regarding increasing the strength of the House of the People. There shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States. That means, the number should be in proportion to the population. That is 1:1 million. As per the 1971 Census, it was one Member of Parliament for one million people. That should be equal for all the States. That does not mean the increase will be equally there. That is why the argument made by Shri Tejasvi Surya will not hold good, as it is totally against the legal principles. That is why I would like to reiterate Article 81(2)(a) as well as 81(2)(b). What is the purpose and intent of Article 81(2)(a) and (b)? The basic intent of it is to achieve the goal of one person, one vote, and one value. That is 1:1 million. That means, all the constituencies will have more or less the same population and the same number of Members of Parliament. Thereby, the value of the vote will be equal in almost all the States. That does not mean that the proportionate increase in seats will be there by virtue of this Bill. That is totally wrong. That I would like to reiterate once again.

Madam, I would like to know from the hon. Government and the hon. Minister under which Census the delimitation is going to be carried out. Is this going to be on the basis of the 2011 Census? It is very clear that the 2011

Census is the latest Census as per the proposed Delimitation Act being brought before the House. Therefore, the Delimitation Commission cannot go beyond the law. As per the law, the 2011 Census is the base year, and the Commission cannot act beyond the statute. Hence, the South Indian States will definitely be adversely affected by this amendment, and we strongly oppose it.

Further, I would like to make one very important point, and with that I will conclude. This relates to Article 81 (3) as per the Bill. It clearly defines “population” as the population ascertained in the last preceding Census. Now, the Government proposes to amend this provision by referring to the “latest Census.” This effectively means the 2011 Census. Moreover, after every Census, delimitation is required to be carried out. If this amendment is passed, there will be no mandatory provision ensuring that delimitation takes place after each Census.

Therefore, it is a constitutional obligation to ensure that the population for determining representation is based on the last preceding Census, as clearly stated. Now, this is being altered in such a way that Parliament is effectively delegating power, whereby the Executive could, by a simple majority, amend the Constitution. Therefore, I strongly oppose the Bill on these constitutional grounds. It is not valid, and I urge the Government to withdraw it. It should not be passed.

With these words, I conclude. Thank you very much.

***SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon. Chairperson Madam, Vanakkam.

I thank you for allowing me to say my views on this 131st Constitutional Amendment Bill 2026. On behalf of the Communist Party of India (Marxist), I urge that this fundamental right of providing reservation for women should be implemented with the existing number of MPs. We strongly oppose the tactful approach of BJP in clubbing these two issues like Census and Delimitation with that of Women's Reservation.

20.13 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

You have so far snatched away the funds that are due to the people of south India. Now you have decided to snatch away the rights of the people of south India. You are conspiring to dilute our participation in ruling this country. I am duty-bound to say that this is not 'Nari Sakthi' or the Women's Reservation Bill; rather it is a Bill brought with some deceitful intentions. Elections are about to take place in two big States of our country. Elections are about to take place in Tamil Nadu. What is the urgency to convene this Parliament Session? We, 40 MPs of Lok Sabha, have come here leaving our election campaign. You have no problem on your side as BJP or your ally AIADMK has not even a single MP in Lok Sabha. People of Tamil Nadu have not elected a single MP from your party to Lok Sabha. That's why you have nothing to lose. On the other hand, we are here present in this House attending this Session. We the elected MPs are here.

Leaving aside the victory or defeat in elections, we are more concerned

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

about the interest of Tamil Nadu. That's the main reason for our presence. Hon Prime Minister spoke for long. He spoke for 40 minutes. He insisted upon the Opposition MPs to hear to his Speech.

We, the 40 MPs of the Opposition, are here in Lok Sabha. Where is your Hon Minister of State for Parliamentary Affairs? What your Minister Hon L. Murugan is doing without hearing Prime Minister's speech? He is engaged in election campaign in Avinashi. He is taking part in an election meeting along with Shri Edapadi Palanisamy in Mettupalayam.

Friends, you just need the votes of the people of Tamil Nadu. Rather we work for the victory of the people of Tamil Nadu which is on the basis of self-dignity. This issue of delimitation has been there for long. Earlier it was done on the basis of Census taken during the years 1952, 1962 and 1972. But fifty years ago, this Census operation was stopped in the year 1971. And on the basis of that Census this delimitation exercise is being carried out. Therefore, this issue gains importance. This issue has to be handled with care and sensitivity in our country as it has diverse nature, inequality and different cultures.

This issue which was long pending for 50 years has been taken up for discussion all of a sudden. Your intention was not of nation's unity rather your intention is that of spreading hatred and disintegration. Friends, this number would be increased to 850 MPs from the existing 543 MPs. If that's so Tamil Nadu should get as many as 60 MPs. But there is no detail in this Bill so as to which year's Census to be considered by the Delimitation Commission for

arriving at this conclusion.

Hon Minister of Home affairs Shri Amit Shah spoke in this House by keeping a small piece of paper in his hand. He shared many calculations. Have you not found time to type those matters? Could you not make those details part of this Bill? Why are you avoiding to speak on the working of this Delimitation Commission?

This is a very simple truth. If that is decided on the basis of 2011 Census, Tamil Nadu will not get 60 MP seats rather it would get only 51 seats. If the Census would be that of 2026, then again the total number of seats for Tamil Nadu would be 47 and not even 60. Friends, please understand this. Tamil Nadu has a share of 7.18 per cent in this august House at present. In the days to come, this will be reduced to 5.7 per cent. You are conspiring to do everything to reduce our number in this House.

Hon Amit Shah has been stating several statistical data here. We have only one question. Tamil Nadu and Bihar had the same population in the year 1971. Tamil Nadu had a population of 4.1 Crores and Bihar had 4.2 Crores during the year 1971. That is why Tamil Nadu was provided 39 MPs and Bihar got 40 MPs as per that population figures. But what is the condition as of now? The population of Tamil Nadu is 7.6 Crores and that of Bihar is 12.3 Crores. Bihar has now a population approximately just two times that of Tamil Nadu.

The main question is which Census would be considered for deciding the number of MP seats. We are facing this issue as we have controlled population. Are you punishing us with this so-called reward? Population control

exercise has been carried throughout the world not because of the policy of the government or the orders issued by you. This population control measure is due to the awareness in the society which is linked to education, health and everything. Particularly because of women's education in Tamil Nadu, population control was made a possibility. Total Fertility Rate (TFR) is just 2.10 per cent in Tamil Nadu which is less than the national average. That is why people of Tamil Nadu who constitute just 7 percent of our nation's total population has given us 44 per cent women entrepreneurs. Who is behind this success? From 1971 to 2011, the population of Tamil Nadu has increased just 75 per cent. But the population of Rajasthan has increased to 166 per cent; to 146 per cent in Bihar and to 138 per cent in Uttar Pradesh during this period. Population control is our victory. This bill is the hatred which you show towards us on our victory over population.

This Bill is the partisan approach you show towards us as we had sent our children to schools for getting education. Hon Prime Minister repeatedly said in this House that he will not betray. He was ready to say in Tamil as well. He said he won't betray. We just want to ask our Prime Minister that Census operations were held on all occasions. After independence, we had such operations even during the wars of 1960 and 1970 in our country. But this Census was stopped during Corona. Why have you not conducted this Census for the last 4 years? Without having Census, you built this Parliament building and fixed 858 seats in Lok Sabha. How did you arrive at this number? Now you are proposing to increase this number of MPs in Lok Sabha to 850. You have

done all work behind the screen and you now want us to believe that everything is fair. We would never believe you as we are rationalists to the core.

I wish to say that we would put an end to your hidden agenda. Census and delimitation are being brought here as a simple legislation ignoring the freedom and free will of our constitution. Friends, I wish to submit two documents before this august House. Five years ago, Hon Justice Kirubakaran and Hon Justice Pugalendi of Madras High Court pronounced an important verdict. I wish to place that verdict in this House. In the year 1962, there were 41 MPs in Tamil Nadu. This was reduced to 39 MPs in the year 1967. As per the Census, we have lost 30 MPs during the last 15 elections held in Tamil Nadu. Therefore, this delimitation exercise should be conducted on the basis of 1962 Census. This was the verdict of Hon Judges of High Court and I wish to submit the copy of that verdict in this august House. Second important document is the Report submitted by the Centre-State Relations Committee. They visited Tamil Nadu a month ago and this Report delves upon several things.

This Report said that the Indian Government should not make any changes in the delimitation process for the next 100 years. This Committee has opined that only change should be implemented after 100 years and during the year 2126 only. This is not only a calculation on the basis of time period. But they have arrived at a conclusion by way of scientific research and analysis.

As per UN data and survey, India would reach the peak of population curve during the year 2066. Therefore, no change should be done in delimitation for the next 100 years. Friends, it is the lifelong habit for right wing activists to pledge women while engaging in politics. You are bringing this women's reservation Bill on that basis. Particularly similar to the pledge of Draupadi in Mahabharata in a cunning drama, you also want to stage a drama trying to snatch away our rights. But I conclude my speech by saying that we are not successors of Draupadi.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, Shri Kiren Rijiju ji.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, as I have already informed earlier, since we are going to sit till 11 p.m., dinner for the hon. Members is being arranged at first floor, Parliament House. Members can go at any time and have their dinner.

Also, arrangement of dinner for the staff, the Lok Sabha staff and the other allied agencies, is also being done.

सर, हम किसी को भूखा-प्यासा रख कर काम नहीं कराना चाहते हैं, अच्छे से खिला कर काम कराना चाहते हैं।

माननीय सभापति : सही बात है, धन्यवाद।

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Thank you very much, Sir. I stand to oppose the Delimitation Bill, 2026.

सर, विमेन रिज़र्वेशन बिल लाया गया है, लेकिन उससे डायवर्ट करने का यह एक बहाना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में 106वां अमेंडमेंट बिल आया था, जिसे यूनैनिमस्ली लोक सभा ने सपोर्ट किया था। हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि उसे

वर्ष 2024 में ही लागू कर दिया जाए। अगर ये उसे लागू कर देते तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन उस वक्त सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हम सेन्सस कराएंगे, सेन्सस के बाद डीलिमिटेशन कराएंगे, उसके बाद हम विमेन रिज़र्वेशन करेंगे। फिर इसे अभी लाने का क्या मतलब है? अभी तो सेन्सस नहीं हुआ है। सेन्सस नहीं हुआ, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सेन्सस में जाति का पता चल पाए।

सर, जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 12 सालों में अगर किसी ने पॉलिटिक्स किया है तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किया है और वे हमेशा इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं।

सर, जैसा कि मैंने कहा, अगर उस समय सोनिया गांधी जी की बात सुनी जाती तो आज पार्लियामेंट में हमारी 70-72 महिलाएं-बहनें नहीं होतीं, बल्कि वे 181 होतीं। उस जनरल इलेक्शन के बाद 14 राज्यों में इलेक्शन्स हुए। आपके असम में भी इलेक्शन हुआ है। अभी कुल 2027 एम.एल.एज़. हैं, उसमें उनकी संख्या कम से कम 676 होती, जो अभी 200 भी नहीं है।

Sir, the main intention is not reservation for women, it is delimitation. बैक डोर से डीलिमिटेशन करके ये वर्ष 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे एंटी ओबीसी हैं, एंटी वुमेन हैं। खासकर, वे एंटी एससी, एसटी और माइनॉरिटी हैं।

सर, वे 50 परसेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर वे इसे बढ़ा देते तो हमारे जो 85 परसेंट सिटिंग एमपीज हैं, उनको फिर से मौका मिल जाएगा। लगभग 91 परसेंट एमएलएज को फिर से मौका मिल जाएगा।

सर, डीलिमिटेशन क्या होता है? उसमें इक्वल पॉपुलेशन - इक्वल वोट का नियम है। आपके असम में ऐसी स्थिति है कि वहां एक ऐसा पार्लियामेंट क्षेत्र है, जहां 27 लाख वोट्स हैं। वहीं पर दूसरा पार्लियामेंट क्षेत्र है, जहां पर 9 लाख वोट्स हैं। यह डिस्पैरिटी क्यों है? यह सिर्फ इसलिए है कि जो एससी/एसटी है, माइनॉरिटीज हैं, उनकी संख्या कट जाए। आप देखेंगे कि जे एंड के में

4.43 मिलियन आबादी है। वहां आपने 37 से 43 कर दिया। इसका रेशियो एक लाख प्रति कैंडिडेंट है या एमएलए सीट है। कश्मीर में आबादी डबल है। वहां साढ़े सात से आठ मिलियन आबादी है। वहां आपने 46 से बढ़ा कर 47 किया। वहां आपको कम से कम 70 सीट बढ़ाना चाहिए। यह कानून के हिसाब इक्वल पॉपुलेशन - इक्वल वोट है। लेकिन, आपने वैसा नहीं किया। आप पूरे हिन्दुस्तान में यही आजमाना चाहते हैं, जो हम लोग कतई नहीं होने देंगे।

सर, मैं गिनती के माध्यम से बताना चाहता हूं। यह तो शुक्र है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने एससी/एसटी को पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दिया। आज लगभग 84 सीट एससी के लिए और 47 एसटी के लिए है। यह संख्या अभी के हालात के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी की पॉपुलेशन 52 परसेंट है, लेकिन इस पार्लियामेंट में कितने सदस्य हैं? यहां करीब 140 सदस्य हैं। पार्लियामेंट में कितने सदस्य होने चाहिए थे? यहां 282 सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन सदस्यों की संख्या आधे से भी कम है।

सर, माइनॉरिटी की आबादी 14 से 15 परसेंट है। हमारे सदस्य 81 होने चाहिए, लेकिन यह एक-चौथाई है। हमारी संख्या केवल 24 है। इसे आप कैसे टैकल करेंगे?

सर, वे हमारे नेबर की बहुत बात करते हैं। वह इस्लामिक स्टेट है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उनका जो नेशनल असेम्बली है, वहां माइनॉरिटी की आबादी साढ़े तीन परसेंट है। नेशनल असेम्बली में 336 मेम्बर्स हैं। इनमें से 60 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन हमारे यहां अभी तक ऐसा नहीं है। यही नहीं वहां 10 परसेंट सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है। वहां 10 मेम्बर के अलावा माइनॉरिटी के 11 मेम्बर्स हैं।

उसके अलावा, कई बार वे बगल वाले राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और मुगलों की बात करते हैं। खासकर, जो मुगल की बात करते हैं, उनके कैबिनेट में जेनरल्र्स की आबादी 32 परसेंट थी। यहां मोदी जी की सरकार में 292 मेम्बर्स हैं। 22 लाख मुसलमानों में इनका एक भी एमपी नहीं है। 23 मिलियन सिख में एक भी सिख एमपी नहीं है। 22 मिलियन क्रिश्चिन में एक भी एमपी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि 22 करोड़ मुसलमानों में एक

मिनिस्टर तक नहीं है । क्या इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? इसलिए, मैं प्रपोज करना चाहता हूं कि वन-थर्ड के बारे में हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी ने जो कहा था, हमारे अपोजिशन पार्टी के सभी नेताओं ने कहा था कि हमारा जो प्रेजेंट लोक सभा है, उसमें रिजर्वेशन लागू कीजिए। उसमें आप एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और अदर माइनॉरिटी के लिए उनके पॉपुलेशन के आधार चिन्हित कीजिए।

सर, यहां पर 543 मेम्बर्स हैं। मुझे यहां सात साल हो गए। मेरा दो बार क्वेश्चन फंसा है। इसका मतलब है कि पांच साल में चार-पांच बार ही मौका मिलता है। उसमें भी 10 मिनट से काट कर मुझे पांच मिनट का समय मिलता है। सभी की हालत इसी तरह से है। यहां तो बैठने की भी जगह नहीं है। हम क्या बोलेंगे?

सर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बैकडोर से ये डीलिमिटेशन लाना चाहते हैं, इसको खत्म करें। सर, दूसरी बात यह है कि लास्ट में, the Bill is yet again an example of the BJP's tricks to misguide the public and pass a legislation that has an impact on their rights without the public being fully aware about the nature of such a legislation. The Bill has nothing to do with the women's reservation. This is purely a BJP's attempt to redraw the political boundaries within the country for their own political gains.

सर, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि दो हफ्ते पहले हम लोगों का बजट सैशन खत्म हुआ है तो यह दो दिन के लिए ब्रेक क्यों लाया गया। तीन और चार तारीख को भी इस पर डिस्कशन हो सकता था। यह सिर्फ इसलिए है कि कल से और परसों से आदरणीय प्रधान मंत्री जी जगह-जगह जा कर माइक पर यह कहेंगे कि देखो हमने महिलाओं के लिए क्या किया है। वह नहीं बताएंगे कि यह शुरूआत जो है, पंचायती राज में श्री राजीव गांधी ने शुरू की थी। हमारे कांग्रेस की सरकार में बिहार में 50 पर्सेंट महिलाएं थीं। जिला परिषद से ले कर पंचायत से ले कर नीचे वार्ड मेंबर तक है। उसी तरह से हर राज्य में है। तो अगर सही मायने में किसी को चिंता है तो कांग्रेस और जितनी भी

विपक्षी पार्टियां हैं, उनको है। हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी-आरएसएस की सरकार है, उनका क्या आउटलुक है महिलाओं की तरफ यह दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। सर, आपने मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) : सभापति महोदय, आज मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर अत्यंत गर्व और भावुकता के साथ खड़ी हूँ। हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हम केवल एक विधेयक पर विचार नहीं कर रहे हैं। आज हम भारत के भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। महोदय, मैं उस भूमि से आती हूँ, जहां महान समाज सुधारक सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले पैदा हुए, जिन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं को शिक्षित करने की नींव रखी थी और उसी भूमि से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार दिया और डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी लिखा है कि किसी भी समुदाय की प्रगति, उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से मापी जाती है। इसी विचार को ले कर हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 से महिलाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की शुरूआत की। बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ मिशन के माध्यम से आज मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि आज सैकेंड्री स्कूल एजुकेशन में लगभग 78 परसेंट बेटियों का एनरोलमेंट बढ़ा है। उसी के साथ ही उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से लगभग साढ़े 10 करोड़ घरों तक इस एलपीजी गैस कनेक्शन से फायदा हुआ है। यह सिर्फ एक एलपीजी की योजना नहीं है, बल्कि इस योजना के माध्यम से धुएं से होने वाली बीमारियों से भी हमारी करोड़ों महिलाओं को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बचाया है। एक ज़माना था कि जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बैंक के बारे में जानती नहीं थीं, लेकिन वर्ष 2014 के बाद जन-धन बैंक अकाउंट के माध्यम से आज पूरे देश में तीस करोड़ के लगभग अकाउंट हैं और सभी योजनाओं का लाभ उन बैंकों के माध्यम से उन लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारी महिलाओं को घर मिला। सिर्फ

घर नहीं, उस घर को महिलाओं का नाम दे कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। सभापति महोदय, अगर हम बात करें महिलाओं को सक्षम करने की और उन्हें फाइनेंशली भी स्टेबल करने की तो आज हमारे देश में सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से लगभग 11 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिसके माध्यम से आज वे फाइनेंशली आगे बढ़ रही हैं और मुद्रा जैसी योजना के माध्यम से आज उन्हें लोन उपलब्ध हो रहा है और वे अपना उद्योग आगे बढ़ा पा रही हैं। आज वे लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं।

महोदय, जब नारी सशक्त होती है तो केवल एक जीवन नहीं, पूरी पीढ़िया सशक्त होती हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तब परिवार समाज और राष्ट्र तीनों की प्रगति होती है। जब आज इस सदन में हम स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर निगम है। वहां पर आज महिलाओं को 50 पर्सेंट आरक्षण दिया गया है।

आज सक्षम तरीके से महिलाएं वहां पर काम कर रही हैं। हम गुड गवर्नेंस के कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन अब बारी है कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में सम्मान और उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए। संसद और विधान सभाओं में जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तब नीतियों में भी उनकी आवाज और उनका दृष्टिकोण शामिल होगा। उसका मैं भी एक उदाहरण हूं। मेरी भी शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच से हुई। मैंने जिला पंचायत में सदस्य के रूप में काम किया। आज हमारी पार्टी की तरफ से और मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार इस लोक सभा में सांसद के रूप में काम कर रही हूं। मेरे जैसी अनेक महिलाएं हैं, जो आने वाले भविष्य में इस लोक सभा में सदस्य के रूप में काम करेंगी।

हमारी सरकार के माध्यम से, सभी मंत्रालयों के माध्यम से, हमने महिला अधिकारियों को भी निर्णय लेने का अधिकार दिया। उसका एक जीता-जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जिसके माध्यम से महिलाओं ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया और सक्षम तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया।

सभापति महोदय, आज हम एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं, जहां समानता केवल एक

विचार नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। हम विकसित भारत के उस संकल्प की नींव रखने जा रहे हैं, जहां नारी केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की सूत्रधार होगी।

अंत में मैं इस सदन से आग्रह करती हूं कि हम सभी इस विधेयक का समर्थन करें और एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, जहां नारी शक्ति वास्तव में राष्ट्र की शक्ति बने। इस ऐतिहासिक कदम में हम सभी भागीदार बनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

धन्यवाद, जय हिंद,जय भारत।

***SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR):** Sir, Bengal's soil has taught us how to respect women. Raja Rammohan Roy advocated for women rights while protesting against 'Sati'. Ishwar Chandra Vidyasagar showed us the path of humanity by introducing 'widow marriage'. But some of them has called him as a middleman of Britishers. These people destroyed the statue of Vidyasagar in Kolkata. I hope, you remember. Someone called Bankim Chandra Chattopadhyay as 'Bankim Da' instead of calling him 'Bankim Babu'. We are following the tradition of our great men. It is the tradition that guides us to save women's dignity. We are facing a historic moment right now.

Today it is not only the debate to discuss the bill but also it is a debate on injustice vs hypocrisy and rights vs political drama. We want reservation for women. It is not for mercy, it is their right. We want it right now without any condition. That is why we would like to ask this government directly, while you are talking about women empowerment, what you are doing in reality? You are placing bills just before the election, doing nothing but politics. If we raise questions, then we will be called misogynists. This is your strategy.

---

* .....* English translation of this part of speech was originally delivered in Bengali.

We, AITC, would like to say here very clearly, we support women reservation but we do not accept deception. The big and dangerous issue is here 'delimitation'. It means creating divisions in country and state. This government has attached women reservation with delimitation very cleverly. It is more dangerous that women reservation will be viable only after the completion of delimitation. No one knows when it will be implemented. So, what will you say, is it reservation or deception? What you are trying to do with delimitation, I know.

You are trying to be politically benefited by reorganizing areas with the data from census, 2011. You are trying to undermine the voices of SC, ST and minorities. You have portrayed women reservation bill to cover the motive of delimitation. This is real truth. The political game is going on by situating women in front. So, this is a tool to undermine the democracy in the name of women development. We have seen the results when you hurried to make decisions.

During SIR, over 200 people lost their lives in West Bengal. The people were harassed and still most of them failed to enroll their name in the electoral roll successfully. The people of Bengal are angry because they will be failed to cast their votes even being rightful Indian citizens. You have deleted the names of 61 lakh women in Bengal. It has created disturbance in the entire state. So, what is the logic behind the introduction of this bill? Are you trying to snatch the rights of women as you have done in the case of transgender community? So, we do not want delimitation to follow stubbornness, anarchy,

and injustice. What is the behaviour of those who are talking about women reservation?

We have seen in last 5 years that the PM came to Kolkata and insulted the Chief Minister of West Bengal. You must be thinking that while referring to PM I am talking about Our Prime Minister but no I did not mean Prime Minister but to the people of Bengal he is a local goon. Frankly speaking, I do not expect anything more from your party whose minister commented on an elected female chief minister to wear ankle bells and dance. Their former MP commented on Chief Minister to wear short pants (Bermuda) if she wants to campaign with a plastered leg.

Those who cannot respect women are talking about women empowerment today and it is a matter of disrespect to the country. I would like to say to the female members of BJP to please train the male members of your party to respect women and then talk about women empowerment.

But we the AITC do a different type of politics. We just do not speak the word of the mouth but we perform. Under the leadership of Mamata Banerjee TMC has given more than 40 percent seats in the Lok Sabha to the women. Not only in politics but we have shown the way also in policies like Swastha Sathi scheme where it has been registered in the name of female and in the Swastha Sathi card they are eligible for free treatment worth Rs.5 lakh in a year. The women have been considered to play the central role in the family. After 2 years you have bought rather copy pasted the same scheme as Ayushman Bharat. The Lakhsmir Bhandar ensures that nearly 2 crore women

are being economically independent every month with the stipulated amount in their bank accounts. The Kanyashree Scheme which has been internationally awarded has ensured that 68 lakh women get education, form self-help groups and are socially empowered. Not only a bill but in practical reality.

We would like to remind the nation that on 7th September 2023, this bill was passed by you. It was said that out of 543 seats, 33 percent will be reserved for women. My point is why 33 percent sir and why not 50 percent. In fact whom to say, it is the wrong people who have been given the king's role. That is why I say leave this fake forgery and yes we want women reservation but without any condition. We do not want any links with Delimitation which is dangerous and is against the spirit of the constitution.

We will not allow to change the constitution so I would like to tell you all—Do come tomorrow at 4 pm like you have mentioned. We all will wait for you and be prepared because all of us unitedly will give a befitting reply democratically. These bills are not as per provisions of the constitution and an attack on the constitution. We will not allow it. We will do whatever is necessary to protect the constitution, the federal structure, and the women of our country.

We will fight against any idea which is not for India*. Come tomorrow at four p.m. My friends and colleagues. Be prepared, because together, we will democratically hold you accountable and defeat you. What you are bringing is not a Constitutional Amendment. It is an assault on the Commission. We will not allow this to happen. We will democratically expose you and bring you to

account.

*I would like to end by quoting a poem of Mamata Banerjee,

"Politics is for the people, Not for power.

My religion is to stand by the people

And people are my identity*

Politics is for the people, not for power. Standing beside people is my duty. People are my identity.

*The more you attack, the more seats we will win in Bengal.

Joy Bangla*

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महिला विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि हमारी पार्टी और मैं स्वयं, महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के पूर्णतः पक्षधर हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह विधेयक वास्तव में देश की सभी महिलाओं को न्याय दिलाने वाला है, या फिर यह केवल एक सीमित वर्ग तक ही अवसरों को केंद्रित कर देगा? सच्ची समानता केवल अवसर देने से नहीं आती, बल्कि ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने से आती है। हमारे देश में आरक्षण व्यवस्था इसी सोच का परिणाम है। यह आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक माध्यम है।

जिस प्रकार कुछ वर्गों को जन्म के आधार पर शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखा गया, उसी प्रकार महिलाओं ने भी पीढ़ियों तक सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रहने का दर्द झेला है। आज यदि हम केवल “समान अवसर” की बात करें, तो यह

* .....* English translation of this part of speech was originally delivered in Bengali.

उनके साथ न्याय नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें वह स्थान और शक्ति दें, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा सकें।

यह विधेयक किसी को विशेष लाभ देने का प्रयास नहीं है, बल्कि समाज में संतुलन स्थापित करने की एक ईमानदार पहल है। हमें यह समझना होगा कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव दो अलग-अलग समस्याएं हैं। महिलाओं का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और संरचनात्मक असमानता का भी है। जब तक महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में वास्तविक समान भागीदारी नहीं मिलती, तब तक यह विधेयक सामाजिक न्याय का एक आवश्यक साधन बना रहेगा। सच्चा लोकतंत्र वही है, जहाँ हर वर्ग की आवाज़ बराबरी से सुनी जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह देश केवल एक समान सामाजिक संरचना वाला देश नहीं है। यहाँ सदियों से चली आ रही सामाजिक विषमता है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं ने दोहरी नहीं, बल्कि तिहरी वंचना झेली है। पहले जाति के आधार पर, फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर, और फिर एक महिला होने के कारण।

मान्यवर, हमें इस देश के सामाजिक ढांचे को समझना होगा। यह केवल आर्थिक असमानता का देश नहीं है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही सामाजिक गैर-बराबरी का भी देश है। जब कुछ वर्गों को जन्म के आधार पर शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखा गया, तब केवल “समान अवसर" देना पर्याप्त नहीं था। इसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की। इसलिए मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आरक्षण आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। गरीबी हर वर्ग में हो सकती है, लेकिन सामाजिक भेदभाव केवल कुछ विशेष समुदायों ने पीढ़ियों तक झेला है। आज जब हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के भीतर भी सामाजिक विभाजन मौजूद है। एक सवर्ण, शहरी और संपन्न महिला और एक दलित, आदिवासी या पिछड़ी, अति पिछड़ी वर्ग व माईनारटी की

ग्रामीण महिला की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं।

मान्यवर, महिला आरक्षण का मुद्दा पहली बार वर्ष 1931 में उठा था। वर्ष 1931 से आज तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला आरक्षण पर पहली बार चर्चा हुई । बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया। लेकिन प्रस्ताव अंततः खारिज कर दिया गया था।

वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 परसेंट आरक्षण लागू किया गया। लेकिन आज 33 परसेंट ही क्यों? हम 50 परसेंट की मांग करते हैं। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन 33 परसेंट क्यों, आप 50 परसेंट कीजिए। आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। आज गरीब, दलित, अति दलित, शहर की महिलाएं उसमें आती हैं। मेरी कुछ मुख्य बातों को आप सुन लीजिए। कोटा के भीतर कोटा होना चाहिए।

मान्यवर, हम यह भी देख रहे हैं कि इस विधेयक के माध्यम से चुनावी ढांचे को प्रभावित करने की शक्ति का केंद्रीकरण किया जा रहा है। अब संसद और सरकार यह तय करेंगी कि इस महिला विधेयक को लागू कराने के लिए कौन-सी जनगणना लागू होगी और परिसीमन कब किया जाएगा। पहले आपने जनगणना नहीं की तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी गरीब महिलाएं जो गांव से आती हैं, वह शहर की महिलाओं से कैसे मुकाबला कर पाएंगी। इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह आरक्षण तब लागू होना चाहिए, जब जातीय जनगणना हो जाती है और उसके बाद आप आरक्षण दीजिए। हम इसका समर्थन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : धन्यवाद सभापति महोदय। कल मैं एक पोडकास्ट कर रही थी। मेरी जो होस्ट थी, जो इन्टरव्यूअर थी, वह भी एक महिला थी। उन्होंने मुझसे कहा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो विपक्ष यह कहा रहा है, वह कह रहा है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा

कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, in the history of mankind, in the history of womankind, in the history of the world, क्या कभी भी महिलाओं को यह प्रिविलेज मिला है? क्या कभी भी महिलाओं के लिए ऐसा स्वर्णिम काल, जिसे अमृतकाल कहा जाता है, मैंने उनसे कहा कि आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि is it not the best time to be a woman? She almost giggled and laughed and said that yes, this is the best time to be a woman. आज चाहे विपक्ष वाले हों या पक्ष वाले हों, सबसे पहले मैं सारी मातृशक्ति को तहेदिल से बधाई देती हूं कि आज हम इतिहास का हिस्सा बने हैं।

आज तक महिलाओं की जो इमेज रही है, सभी महिलाओं ने अपनी बात रखी। हम लोग आज भी हर दिन पेपर में पढ़ते हैं, बेटियों को जहर देकर मार दिया गया। हर एक महिला के दिल में एक दर्द है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो किया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही चर्चित फिल्म है – 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे', उसमें एक डॉयलाग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों से कहा है, महिलाओं से कहा है कि सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गयी हैं, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी, हम महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहां बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

सभापति महोदय, भारत की बेटी वैदिक काल में जब दृष्टा बनी, दर्शनीय बनी, विदुषी बनी, तो वह गार्गी और मैत्री बनी, मध्य काल में जब वह लड़ी, उसने नेतृत्व किया, तो वह रानी लक्ष्मीबाई बनी, वह अब्बक्का बनी, जब आध्यात्म में भारत की बेटी ने परचम उठाया, परचम पाया, तो वह मीराबाई बनी, अक्का महादेवी बनी। आज भी हमारे भारत की बेटियां हर क्षेत्र में चाहे वह डिफेंस हो, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वह मंगल मिशन हो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसमें वह भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हैं, लेकिन राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र है, यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां पर हमारा देश पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूं। हमारे यहां 68 एमएलएज हैं, लेकिन वहां

पर सिर्फ एक महिला एमएलए है, सिर्फ एक। बाकी देश में भी इसी तरह से चाहे 8 पर्सेंट, 9 पर्सेंट का वीमेन इन्क्लूजन... (व्यवधान) कृपया मुझे वीमेन बिल पर बोलने दीजिए। अभी पूरे देश की असेम्बलीज का यही रेट चल रहा है और यह जो इसकी औसताना दर है, वह 9 पर्सेंट से 8 पर्सेंट है। हम लोक सभा में 13 पर्सेंट तक पहुंचे हैं, लेकिन यह दर वैश्विक दर के दूर-दूर तक नजदीक नहीं है।

आज जब यह महान उत्सव हमारी जिंदगियों में आया है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है, तो चूहे दौड़ने लगते हैं और आज भी वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि संविधान ही बदल देंगे, यहां पर डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। हम कुछ भी करने जाते हैं, तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कामनसेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता माननीय प्रधान मंत्री जी हैं, जो डेमोक्रेसी उनकी पार्टी को सत्ता में लायी है, वे उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? इंदिरा गांधी जी की तरह कोई कुर्सी ले रहा है, तो उनको कुर्सी पर हक जमा कर रखना है, तो डेमोक्रेसी खत्म ही करनी पड़ेगी, ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है, तो वह मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना कामनसेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना-फुसलाना, जब देखो, झूठी बातें चलाना। अब आप लोगों ने एक नई बात सीखी है डिलिमिटेशन की। चलो, वीमेन बिल पर उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है, तो डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी डिलिमिटेशन बीजेपी का कोई प्रोसीजर नहीं है, यह एक संवैधानिक प्रोसीजर है। हर 11-11 साल में होता था। वर्ष 1951 में हुआ, वर्ष 1961 में हुआ, वर्ष 1971 में हुआ। वर्ष 1971 में जब डिलिमिटेशन हुआ, तो 61 करोड़ की आबादी भारत की थी, उस समय लगभग जो 543 सीटें थीं, आज भारतीयों की संख्या 140 करोड़ हो गयी है, उनका क्या समीकरण है? उसमें से एससी और एसटी को क्या उनको उनका हक नहीं मिलेगा? एससी, एसटी में भी एक तिहाई महिलाओं की संख्या है, उनकी कितनी सीटें

आएंगी, यह सारा कैलकुलेशन, किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे। अब 140 करोड़ में से जो महिलाएं हैं, तो they should not be accounted for, इस तरह की ये बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरे अच्छे मित्र हैं, यहां जो टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि 33 पर्सेंट रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो।

21.00 hrs

आप पचास पर्सेंट ही रिजर्वेशन दे दो। अरे! आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। 33 पर्सेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स हैं, वे ओपन सीट्स हैं। उन पर महिलाओं के लड़ने पर किसी तरह का बैन नहीं है। हम 14 पर्सेंट पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। जून जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस महिला बिल के बाद होगा। सोनिया गांधी जी कहती है कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतनी जल्दी में क्यों ला रहे हैं? क्या यह आपकी तरह होना चाहिए था? आपने 30 साल इस बिल को लटका कर रखा।

मैं इस बात से एग्री करती हूं कि प्रधान मंत्री जी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जल्दी में हैं। जो काम 60 सालों में नहीं हुए, वे उन्होंने 10 साल में ही करके दिखा दिए, चाहे करोड़ों मकान पक्के किए हों, चाहे गैस सिलेंडर्स दिए हों, चाहे महिलाओं को डिफेंस में लाना हो, चाहे गर्भवती महिलाओं को 12 सप्ताह से लेकर 26 सप्ताह हॉलीडे, न जाने कितनी योजनाएं, 'लखपति दीदी', 'ड्रोन दीदी', सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर मैं सब बोलूंगी तो बहुत वक्त चला जाएगा। एक बात पक्की है कि वे महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी में हैं। यह जल्दी अभी की नहीं है। यह जल्दी तब से है, जब से वे हेड ऑफ गवर्नेंस बने हैं। बाकी स्टेट्स की तरह गुजरात भी, जब वे वहां चीफ मिनिस्टर बने, तो फीमेल फीटिसाइड की जो एक प्रैक्टिस थी, वह उसकी चपेट में था। रूल हर जगह होते हैं, लेकिन एक लीडर की संवेदनशीलता देखिए। वहां पर उन्होंने जन-जन को नुक्कड़ नाटक करने के लिए कहा, जहां पर एक भ्रूण माता से बात करता है, "मां, मैं जीना चाहती हूं। मां, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं। मैं भी कुछ अच्छा करूंगी।" उसे करके लोगों में

संवेदनशीलता आई, आत्मीयता आई और गर्ल चाइल्ड के लिए उनके मन में एक भाव उठा। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 1,000 मेल चाइल्ड पर पहली बार 1,020 फीमेल चाइल्ड हुई हैं। यह प्रधान मंत्री जी की गर्ल चाइल्ड के लिए कमिटमेंट है। इन लोगों को इस बात का दुख होता है। एक तरफ प्रधान मंत्री जी की ऐसी नीति है और दूसरी तरफ कांग्रेस के ये लोग हैं, आप विपक्ष के लोग कह लीजिए। एमएलए फूल सिंह जी ने इसी जनवरी में कहा कि अगर महिलाएं आकर्षक होंगी तो रेप तो होंगे ही। सोचिए, यह इनकी मानसिकता है। टीएमसी के ex-MP तपस पॉल ने कहा, 'I will let loose my men to rape your women.' महिलाओं के लिए यह इनकी मानसिकता है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आज धर्मेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि हम फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर यह बिल आएगा, तो सिर्फ जो अर्बन महिलाएं हैं, वही पार्लियामेंट में आएंगी और पुरुष सीटियां, तालियां बजाने जैसे काम करेंगे, तो उनको कौन संभालेगा? बेटियों के लिए इनकी ऐसी मानसिकता है।

वर्ष 2024 में जब मुझे टिकट मिला था, तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है? मैं एक कलाकार हूं। मैंने रानी लक्ष्मी बाई जैसी स्वतंत्रता सेनानी से लेकर, गैंगस्टर में एक भटकी हुई युवती से लेकर, फैशन की ड्रग एडिक्ट से लेकर हर तरह का किरदार निभाया है। रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर, मैंने थलाइवी में एक लीडर की तरह हर किरदार निभाया है, जिसके लिए मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। यह एक कलाकार का धर्म होता है कि किसी भी कला में ढल जाना। इन्होंने मेरी फिल्म के किरदार के फोटो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव हैं? ये भूल गए कि यह वह मंडी नहीं है, जो आपको फिल्मों में दिखाई थी। फ्लैश मार्केट को लेकर एक फिल्म मंडी बनी थी, लेकिन ये भूल गए कि यह वह मंडी है, जहां माण्डव ऋषि ने तपस्या की थी। माण्डव ऋषि के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। कांग्रेस की जो सोच है, उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन-बेटियों ने तब तमाचा मारा, जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि यह भारत की भूमि है। यहां बेटियों का अपमान करना किसी पाप से भी बढ़कर है।

नेशनल क्रिएटर एवार्ड्स में प्रधान मंत्री जी जेन जी को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने आधुनिक फैशन में पैरलल ड्रॉ किया। जो मिनी स्कर्ट्स होती हैं, जो ब्लॉक हील्स होती हैं, जो लेडीज़ के पर्सेज़ आदि एसेशरीज़ होती हैं, जो कोणार्क मंदिर में स्कल्पचर बने हैं, उन्हें हमारे कल्चरल हेरिटेज का एंबेसडर बनाया । इससे प्रधान मंत्री जी की कल्चरल रूटेड प्रोग्रेसिवनेस नजर आती है। आज भारत की बेटी यह मानती है कि प्रधान मंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag-bearer of feminism. भारत की बेटियाँ सदा उनकी आभारी रहेंगी। जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति और मातृ शक्ति में विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। मैं अपनी पार्टी को बधाई देती हूँ और साथ ही सब महिलाओं को धन्यवाद।

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : शुक्रिया सर, मामला नारी शक्ति का है। मैं आज अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी बेटी और अपनी बीवी से कहना चाहता हूँ कि आपको हौंसला रखने की जरूरत है क्योंकि मेरे वालिद साहब पिछले बीस दिन से डेथ बेड पर अस्पताल में एडमिट हैं। मैं अपनी फैमिली से, खासतौर से माँ, बहन, बेटी, भाभी और बीवी से कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी कसम, हिम्मत नहीं हारना, हौंसला नहीं हारना। मुझे मालूम है कि मैं शायद अपने बाप का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकूँगा।

मैं अपने लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि यह सिस्टम हर उस शख्स को मारना चाहता है, जेल के अंदर और जेल के बाहर, जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो। लेकिन मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं सौ जन्म भी ले लूँ और सौ बार मुझे तिहाड़ में डाला जाए, मैं तब भी जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए मरते दम तक उनके हुकूक की बात करता रहूँगा।

सर, डीलिमिटेशन मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? जैसा काफी लोगों ने कहा, जम्मू कश्मीर में जेल में थे, कैसा फ्रॉड डीलिमिटेशन किया गया? मेरे लिए नारी शक्ति का दिन उस दिन होगा, जब तिहाड़ से लेकर श्रीनगर तक कश्मीर की बेटियाँ, जो जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जब उनको छोड़ा जाएगा । मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह दिन होगा, जब मेरी चचेरी बहन,

जिसकी शादी को 26 सितम्बर 1993 को डेढ़ साल हुआ था, उसका सुहाग छीना गया और जब उसे बताया जाएगा कि उसका कसूर क्या था? मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह होगा, जब बारामूला के तुजिर इलाके के ताहिर की माँ को बताया जाएगा, शादी के दिन ही उसके दूल्हे और दुल्हन को माइन ब्लास्ट में क्यों उड़ा दिया गया? मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह होगा, जब पाकिस्तान के उस पार वाले कश्मीर में हजारों माँएँ, बहनें और हमारे कश्मीर में हजारों माँएँ, बहनें उस खूनी लकीर के आर-पार जा सकेंगी। जिनके लिए 26 सीटें तो रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की तरफ देखने नहीं दिया जाता। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन उस दिन होगा, जिस दिन मेरी कश्मीर की सैकड़ों-हजारों बहनों को उनके भाइयों का दीदार नसीब होगा, जो कश्मीर से लेकर असम तक की जेलों में बंद हैं।

सर, 7 जुलाई 1993 को अब्दुल रशीद वानी नामक एक शख्स गिरफ्तार होता है। उसके घरवाले कहते हैं, उसकी लाश भी नहीं मिली। आज 26 साल बाद कोर्ट उसकी माँ पर रहम खाकर उसके बच्चे को डेड डिक्लेयर करता है, ताकि उसे कुछ रिलीफ मिले। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह होगा, जब उसकी माँ को बताया जाएगा कि उसके बेटे को मुर्दा डिक्लेयर करने में 26 साल क्यों लगे? मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह होगा, जब बानिहाल का तनवीर अहमद, जिसे अभी बदकिस्मती से हमारे कुछ गौरक्षकों ने लापता कर दिया और आज खबर आई कि वह मारा गया है।

मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह होगा, जब वर्ष 1990 में मेरी कश्मीरी पंडित माँएँ, बहनें, जो कश्मीर छोड़ कर आए, जब वे वापस कश्मीर अपनी मातृभूमि में आएँगे। कश्मीर जितना मेरा है, उतना मेरे पंडित भाइयों का भी है।

मेरे लिए नारी शक्ति का दिन तब होगा जब इस संसद में बिल लाया जाएगा और कश्मीर की यूनीक कल्चरल आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, शिनाख्त, तहज़ीब, जुबान तथा कश्मीरियत को पूरी कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बिल पर बोलिए। आप विषय के संबंध में पूरे देश के बारे में बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : महोदय, अब मैं लास्ट प्वाइंट बोलूंगा और उसके बाद बिल के लिए दो मिनट में बोलूंगा। मेरे लिए नारी शक्ति का दिन तब होगा, जो 8 अक्टूबर, 1953 को स्टेटस हमसे छीना गया था, जब उसे वापस किया जाएगा।… (व्यवधान)

अब मैं बिल पर बात करूंगा । आप सोच लीजिए और मेरी बात का गलत अर्थ न निकालिए । यह देश कब तक सिर्फ रिजर्वेशन के सहारे चलेगा? एससी और एसटी को अगर एम्पावर करना है तो अच्छी एजुकेशन दीजिए। अगर आपको नारी को एम्पावर करना है तो पहले से एजुकेशन दे दीजिए। 33 परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इससे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स हो रहा है। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में सुपर पावर बने तो शायद हमें रिजर्वेशन कल्चर से बाहर निकलकर एम्पावरमेंट की तरफ आना होगा और एजुकेशन देनी होगी।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इस विधेयक को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, लास्ट वाक्य में बताएं।

… (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : मैं बता दूंगा लेकिन आप मुझे बोलने के लिए 40 सैकिंड का समय दीजिए। … (व्यवधान)

मेरे लिए नारी शक्ति का दिन वह होगा जब अमृतपाल और इंजीनियर रशीद को चुनने वाली लाखों बेटियों और बहनों को उनके एमपीज़ वापस मिलेंगे और हाउस में रिप्रेजेंट कर सकेंगे । … (व्यवधान) आपने पूछा कि मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं या नहीं। … (व्यवधान) इसमें हमारे आवाम की कोई होप नजर नहीं आ रही है इसलिए मैं इसके साथ नहीं हूं।

***SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK):** Hon. Chairperson, today I rise in this House to speak on the 131st Constitutional Amendment Bill, 2026, and the Delimitation Bill, 2026, which have been tabled before us. First

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

and foremost, I wish to express my unequivocal support for the concept of women's reservation, aimed at the political empowerment of the millions of mothers and sisters across this nation. Through the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' (Women's Empowerment Act), securing a 33 percent reservation for women in the Legislative Councils and in Parliament represents a rightful struggle for their entitlements.

However, Hon. Chairperson, Given the manner in which this proposal has been presented today—specifically by inextricably linking it with the Delimitation Act—I am reminded of the old adage: "applying molasses while inflicting a burn" (offering a sweet lure while causing pain)

Hon. Chairperson, the government has explicitly stated in this Bill that women's reservation will come into effect only after the completion of a new census and a subsequent delimitation exercise. My question is this: if the government's intentions are truly sincere, why is this reservation not being implemented right now, based on the existing 543 seats? Why is the cause of women's reservation being ensnared within the labyrinthine complexities of the census and delimitation processes? Is this government merely utilizing women's empowerment as a political shield? This raises the pertinent question: is the true objective to surreptitiously push through the controversial Delimitation Bill under this guise?

Hon. Chairperson, I vehemently oppose this Delimitation Bill. A review of this nation's history reveals that, following the 1971 census, a moratorium was imposed on increasing the number of parliamentary seats based on population

growth. Subsequently, in 2001—following the 84th Constitutional Amendment—this moratorium was extended until the year 2027. The rationale behind this decision was of paramount importance: it was intended to acknowledge and reward those states—particularly the southern states and the people of Maharashtra—that had successfully achieved their family planning targets and effectively kept their population growth under control. Therefore, hon. Chairperson, to ensure that no political injustice is inflicted upon them, this Bill proposes to increase the number of Lok Sabha seats directly from 500 to 850. If population were to be applied as the sole criterion, states where the population has surged—such as Uttar Pradesh and Bihar—would receive disproportionately higher representation in the Lok Sabha. Conversely, progressive states like Maharashtra, Tamil Nadu, and Kerala—which have successfully kept their populations in check in the national interest— would see a reduction in their parliamentary seats; this outcome stands in direct opposition to the principles of federalism.

Hon. Chairperson, by bundling these two pieces of legislation together, the government has effectively sown discord among the various states of the country. Historically, whenever the process of delimitation has been undertaken, it has invariably encroached upon the rights of the states. Today, the government speaks grandly of a 'Developed India by 2047'; yet, it is simultaneously hatching a conspiracy to politically disempower the very states that have been instrumental in propelling this nation to its current level of progress. Hon. Chairperson, our demand is crystal clear: do not use the delay

in conducting the Census as a pretext to deny women their rightful claim to reservation. Women must be granted reservation immediately and without any preconditions. The delimitation process should be implemented only with the mutual consent of the states involved, and with an explicit guarantee to safeguard the interests of those states that have successfully exercised population control. In conclusion, I wish to state that when the moment arrived to grant women their political rights, the government deceived them by ensnaring them within a convoluted procedural labyrinth. Therefore, while I support the Women's Reservation Bill, I register my vehement opposition to this Delimitation Bill. Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you very much Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak on these important legislations.

Sir, today, I oppose these Bills to caution this House against what appears to be a carefully structured attempt to reshape India's democratic framework under the name of reform. The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, the Delimitation Bill, 2026 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 are being presented as progressive measures. However, a closer examination reveals that they raise serious concerns about representation, federal balance, democratic participation and constitutional safeguard.

At the very outset, let me state this unequivocally, the Indian National Congress fully supports 33 per cent reservation for women in Lok Sabha and

State Legislative Assemblies. This is not a new position for us. It is a longstanding commitment rooted in the principle of gender justice and inclusive democracy. However, what is being proposed today is not genuine empowerment. It is a conditional, delayed and politically structured framework that postponed justice. Sir, why should women's reservation not be linked with a future census? Why should it depend on future delimitation exercise? Why should its implementation be tied to a timeline that is entirely controlled by the Union Government? This is not empowerment. It is postponed disguised as progress. Women in this country have waited long enough and justice delayed any further becomes justice denied.

If the intention of the Government is sincere, there are clear and immediate alternatives available. Women's reservation can be implemented within existing number of seats by reserving one-third of constituencies on rotational basis. Alternatively, the Government can increase the total number of seats by one-third and reserve those additional seats exclusively for women without linking it to delimitation. Both these options are constitutionally feasible and administratively practical. What is not acceptable is making women wait indefinitely for their rightful representation.

Chairperson, Sir, equally important is the principle of social justice within this framework. Within the 33 per cent reservation, there must be sub-reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe women. Without this, the most marginalised women will continue to remain excluded. Gender justice cannot be achieved by ignoring caste realities. It must address them directly.

Sir, delimitation is not a mechanical or technical exercise. It determines political power, representation in Parliament, and the balance between States. If the current proposal relies heavily on population as the sole determining factor, this approach is deeply flawed for representation in a diverse country like India. We must take into account not just population, but also human development, achievements, governance, performance, and efforts in population control.

A State like Kerala has made significant progress in controlling population growth, investing in health and education, and achieving social development. Today, it is being told that because it performed better, its representation may be reduced. This is fundamentally unjust. It sends a dangerous message that progress will be penalised and inefficiency rewarded.

From Kerala's perspective, the concern is even more serious. Kerala does not have a Legislative Council. We do not have a Legislative Council, and we function within a single-tier legislative system. This makes fair representation in Parliament and the State Assembly absolutely critical. Any distortion in seat allocation will have direct and disproportionate consequences. For Kerala, representation is not merely a matter of numbers. It is essential for democratic survival within its governance structure.

Sir, today, the hon. Home Minister revealed the seat numbers. The hon. Home Minister told the House that, Kerala has 20 Lok Sabha seats which will be increased to 30. We are not happy with 30 seats because we need more. We are eligible for more seats. In Kerala, we are number one in communal

harmony. We are also number one in the education sector; and Malayalis or Keralites are earning crores and crores of rupees in the Middle East for this country. Our people are going to the Middle East and earning exchange for this country. We are also taking measures for family planning and population control. But we are being punished. The Central Government is always punishing us. In the health sector, we are number one. So, we need not worry about any health project. Even AIIMS is not given to Kerala. In the education sector, we are at the forefront, and we need not worry about anything. But ultimately, you are punishing us. Whatever the Central Government is asking for in terms of target achievement, we have done it. But at the same time, you are not giving a Legislative Council for Kerala. You are not enhancing seats for Kerala. So, we are the victims of the country. But we are not quarrelling with the Central or State Government. We have good relations with the Central Government. At the same time, you have to give a proportionate share. Whatever we need, you have to give us. So, the Kerala State is not happy with this proportionate share of the seats.

Sir, you know that lakhs of migrant workers from Assam, West Bengal, and other north-eastern States came to Kerala.

THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): The people of Kerala are very happy. Your people are reading the same script from your Party.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, you are aware that migrant workers from Assam, West Bengal, and other north-eastern states came to Kerala. Working

safely, they are earning money from Kerala. That is also very important as far as Kerala is concerned. Why does the Central Government have a stepmotherly attitude towards Kerala? I do not understand. We are contributing in all sectors. But at the same time, our number in the parliamentary system, in the Lok Sabha and Rajya Sabha, is very less.

Therefore, I convey our unhappiness to the Central Government through you. I will not go into all the details.

As regards SC/ST reservation, sub-reservation is very much needed. In this House, the representation of SC/ST women is very, very low. If sub-reservation is not provided, SC/ST women will not be adequately represented. Therefore, I would like to request the hon. Minister, through you, that SC/ST women's reservation should be included in this amendment.

Sir, democracy is not just about numbers; it is about fairness, representation, and balance. You cannot empower women by delaying their rights. You cannot reward inefficiency while penalising progress. You cannot strengthen democracy by centralising power.

We stand for immediate justice, equitable representation, and constitutional balance. For these reasons, I oppose this Bill and request the Government to withdraw it, and to implement 33 per cent reservation within the existing strength of 543. Thank you.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तीन बिलों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं - The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, The Delimitation Bill, 2026 and The Union Territories

Laws (Amendment) Bill, 2026.

सभापति महोदय, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मैं बताना चाहूंगा :

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:,

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ।"

हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहां दिव्यता और सुख-समृद्धि का वास होता है और जहां उसका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। आज हम इस ऐतिहासिक सत्र में नारी शक्ति के उस अविनाशी सामर्थ्य का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं, वह शक्ति जो अनादिकाल से भारतीय सभ्यता का आधार स्तंभ रही है।

सभापति जी, ऐतिहासिक रूप से भारत की नारी कभी किसी से दोयम नहीं रही है। वैदिक काल की उन ऋषिकाओं लोपामुद्रा और अपाला, जिन्होंने हमारे दर्शन को आकार दिया, से लेकर महान अहिल्याबाई होल्कर तक, जिनकी सैन्य और प्रशासनिक कुशलता ने यह सुनिश्चित किया कि मालवा पर कभी कोई सफल आक्रमण न हो सके, नारी हमेशा से हमारे गौरव की सॉवरेन आर्किटेक्ट रही है। वह हमारे पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और यहां तक कि मोक्ष का मूल स्रोत और रक्षक भी रही है।

सभापति महोदय, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वास्तव में अमृतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। लोक सभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन इस अमृतकाल में विकसित भारत की ओर हमारी एक निर्णायक छलांग है। इससे पहले मैं संक्षिप्त में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इतिहास के बारे में भी बताना चाहूंगा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोक सभा और राज्य सभा दोनों को मिलाकर हमारी संसद में चार बार बिल पेश हुए थे। यह सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री माननीय एच. डी. देवेगौड़ा जी की सरकार में, दो बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और एक बार मनमोहन सिंह जी की सरकार में पेश हुआ। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र अखिलेश यादव जी यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इन सभी मौकों को देखा जाए, तो आरजेडी और एसपी के सांसद उस समय कांग्रेस के साथ उनकी सरकार में थे।

यह उस समय होता था, जब लालू जी रेल मंत्री थे और एसपी के सांसद भी सरकार में थे। कांग्रेस के साथ उनका एलायंस था। अगर हम देखें, तो जिस हिसाब से डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार में वर्ष 2008 में यह बिल पेश किया गया, तो उस समय बहुत ही अमर्यादित व्यवहार किया गया। उनके इस तरह के अभद्र व्यवहार के कारण कई बार सदन की कार्यवाही भी रोकी गई।

सभापति महोदय, उस समय बिल को स्थायी समिति में भेजा गया। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सारी जानकारी कांग्रेस को थी, क्योंकि वे इनके साथ जुड़े हुए थे, इनके साथ एलायंस में थे। इससे यह साफ जाहिर होता है और यह हमें संदेह करने पर मजबूर करता है कि क्या कांग्रेस शुरू से यही चाहती थी कि यह बिल विफल हो जाए? महिलाओं के रिज़र्वेशन के लिए जब वर्ष 2023 में यह बिल पास हुआ, तब हो सकता है कि कांग्रेस को यह पता था कि वर्ष 2026 के सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि वह उस बिल के पक्ष में रही। लेकिन मैं यह संदेह न करके सभी दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ऐतिहासिक क्षण है। हमें साथ जुड़कर महिलाओं को मान-सम्मान, जो हमारी संस्कृति है, वह उन्हें देकर इस बिल को हमें पास कराना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं पूछता हूं कि राज्य सभा से जब वर्ष 2010 में यह बिल पास हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तब लोक सभा में चार साल तक उस बिल को क्यों नहीं लाया गया? क्या उनके पास ऐसी क्षमता नहीं थी? उन्हीं की एलायंस के लोग उसका विरोध कर रहे थे। पिछले दशकों का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नीयत और नीति में क्या अंतर होता है, यह हमें देखने को मिला है। जबकि पिछली सरकारों के प्रस्तावों ने कुछ आकांक्षाएं तो दिखाई, लेकिन उन आकाक्षांओं का उद्देश्य आरक्षण देना नहीं था। इसके बजाय उन्होंने हमारी आधी आबादी के सपनों को केवल पॉलिटिकल करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। यह उस मुद्दे के प्रति केवल एक दिखावा - लिप सर्विस थी, जिसे न तो पूर्ण समर्थन दे सकते थे और न ही पूरी अनदेखी कर सकते थे। इसलिए इन्होंने केवल असत्य वादे और दिखावटी प्रयास किए।

सभापति महोदय, यह केवल समय की बर्बादी नहीं थी। यह 27 साल का विलंब न केवल

इस सदन और हमारे राष्ट्र के साथ अन्याय है, बल्कि हर महिला राजनेता के साथ भी एक बड़ा विश्वासघात है। वर्ष 2023 में इस विधेयक को सर्व-समर्थन देने के लिए मैं विपक्ष का तहे-दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन उन्हें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि वे वही लोग हैं, जिन्होंने कभी इस बिल का पुरजोर विरोध किया था और इस बिल को दशकों तक लटकाने के लिए वे ही असल जिम्मेदार हैं।

सभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण हमारी पार्टी के लिए कोई चुनावी नारा नहीं है, बल्कि दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है। मैं बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की नैशनल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी 12 जुलाई, 1994 को हुई, उस समय BJP ही सबसे पहले ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, जिसने महिलाओं के 33 परसेंट रिज़र्वेशन की बात की थी।

सभापति महोदय, यही नहीं, हमने अपने संगठन में, जब अखिलेश जी यह बात कह रहे थे कि आप पहले अपने संगठन में इसे करो, तो शायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा है। अगर वे उसको पढ़ते, तो हो सकता है कि वे इधर मुंह मोड़ने की कोशिश करते, वे हमारे साथ जुड़ जाते। हमने संगठन में वर्ष 2007 से महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन का प्रावधान किया है। वे यह भी कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए इतनी जल्दी क्यों? वे कहते हैं कि अभी तो केवल 27 साल ही हुए हैं, अभी महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या जल्दी है? इस बात को इस समय सोचने से उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। खासकर, एसपी, टीएमसी, डीएमके और विपक्ष की सारी पार्टियों की मैं बात करूं, तो उनकी मंशा ही नहीं है। उनको सामने आना चाहिए।

सभापति महोदय, अखिलेश जी ने रोटेशन की बात की थी। मुझे लगता है कि उन्होंने बिल नहीं देखा है। एससी, एसटी और महिला आरक्षण का रोटेशन डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद ही होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद ही होता है। उनका कहना था कि अगर रोटेशन होगा, तो वहां काम कौन करेगा? एक महिला पांच साल के लिए होगी और फिर उनका स्थान किसी और दूसरी महिला को दे देंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए, मेरा निवेदन है कि इस बिल को बहुत स्टडी करके

आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चीजें स्पष्ट की हैं। मुझे लगता है कि उनके स्पष्टीकरण के बाद आपके भाव बदले होंगे, आपका मन बदला हुआ होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज से कह सकता हूं कि कल हम सब साथ जुड़कर इस महिला आरक्षण विधेयक को पास करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम संसद के जिस ऐतिहासिक सत्र के साक्षी बन रहे हैं, उसे एक ऐसे निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विस्तार किया, बल्कि वास्तव में पूरे देश में उनकी आवाज़ को एक नई शक्ति प्रदान की। मैं कहना चाहता हूं कि कलम पहले भी उनके हाथ में थी, और वे यह कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरुआत नहीं की थी, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई उसको पूरा करने की, क्योंकि उनके अपने ही सहयोगी इनका विरोध करते थे। मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि :-

“कलम उनकी थी, स्याही उनकी थी, फिर भी इतिहास अधूरा रहा
नारी के हक का वह कागज़ वर्षों तक चकनाचूर रहा।
आज मोदी का संकल्प है न कोई हाथ उसे छीन पाएगा,
जो हक 27 साल रुका था, वह आज सदन से जाएगा।”

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अगर हम महिलाओं में अपना प्रतिनिधित्व देखें और पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें, तो जैसा अखिलेश जी ने बताया, कि हम महिला आरक्षण के मामले में 179 देशों में 147 पर हैं। जब आप यह मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं, तब आपको क्या परेशानी हो रही है? इसका मतलब है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। आप जनता के सामने और आमजन के सामने एक तरफ यह कहते हैं कि मैं इस बिल के साथ हूं और दूसरी तरफ आप उसके खिलाफ वोट देते हैं। आपकी क्या मंशा और नीयत है? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए।

महोदय, अगर हम प्रतिशत देखें, उसमें चाहे रवांडा को देखें, जहां लगभग 63 परसेंट

महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, डेनमार्क में 48 परसेंट है, ऑस्ट्रेलिया में 46 परसेंट है, दक्षिण अफ्रीका में लगभग 45 परसेंट है, यूनाइटेड किंगडम में 40 परसेंट है, फ्रांस 36 परसेंट और भारत में सिर्फ 14 परसेंट है। मोदी जी को यह तकलीफ है कि मेरे देश में 14 परसेंट मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व क्यों है। यह कम से कम यह 33 परसेंट होना चाहिए। और यह इससे ज्यादा हो सकता है। हमारे टीएमसी के साथियों ने कहा है कि यह 50 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन आप अभी 33 प्रतिशत के लिए तो हां कीजिए। आप हवा में 50 परसेंट और 60 परसेंट की बात करते हैं। क्या आम जनता नहीं समझती है? आप यहां पर वोट दीजिए, तब आपकी मंशा स्पष्ट होगी। यह आरक्षण 33 प्रतिशत हो जाएगा।

आज पूरे विश्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27 परसेंट है और हमारे देश में 14 परसेंट है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि यह बात वर्ष 2034 तक न टले, बल्कि वर्ष 2029 में ही महिलाओं को आरक्षण मिले। यह दूरदर्शी सोच प्रधान मंत्री मोदी जी की है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका, यूके वगैरह में भारत के मुकाबले महिला प्रतिनिधित्व अधिक है। जब आज हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम महिलाओं का विकास चाहते हैं और उसमें केवल महिला डेवलपमेंट नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाला विकास, यानी “वूमेन-लेड डेवलपमेंट” की सोच प्रधानमंत्री जी की है।

सभापति महोदय, केवल यही नहीं, भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा वर्ष 2014 से पिछले 12 वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, वे सारी की सारी महिला-केंद्रित योजनाएं हैं। महिलाओं को एम्पावर कैसे किया जाए, यह काम तो किया गया, लेकिन अब राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, आरक्षण कैसे दिया जाए, यह जल्दी से जल्दी करना है। जिस हिसाब से महिला-केंद्रित योजनाएं चलाई गई हैं, मैं उन सभी के नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं। इनमें उज्ज्वला योजना से कैसे उनको एम्पावर करें, जल जीवन मिशन हो, हर घर शौचालय की बात हो, एंटीनेटल केयर हो, स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव हो,

मातृ मृत्यु दर में घटौती की बात हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो। इन सभी योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से भी मज़बूत किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुलभ ऋण उन तक पहुंचे, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और घर स्वामित्व से जुड़ी योजनाएं उन तक पहुंची हैं। हम देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारी संस्कृति थी, उसमें महिलाओं ने शासन और देश की सुरक्षा में भाग लिया, युद्ध में भाग लिया, देश की आजादी में भाग लिया। आज महिलाएं सुरक्षा बलों में हैं, स्थायी कमीशन में हैं, अग्निवीर में हैं। आज नारी शक्ति स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में हैं।

अभी जिस हिसाब से मैं कांग्रेस की बात करूँ, तो महिलाओं के लिए घड़ियाली आँसू निकालते हैं। अगर हम देखें, तो तीन तलाक में जो मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी, उनकी आपने खिलाफत की। आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं के हिमायती हैं?

अनुच्छेद 370 – जहाँ महिलाओं को जम्मू और कश्मीर में स्वामित्व की बात थी, वहाँ आपने खिलाफत की। शाह बानो केस – सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद कहा कि गुजारा भत्ता दिया जाएगा। उस केस को नलीफाई करने के लिए राजीव गांधी जी के टाइम में एक एक्ट लेकर आए। ये सारी बातें हैं।... (व्यवधान) सर, मेरा जो टाइम है, वह 20 मिनट है, अभी तो 10 मिनट हुए हैं।

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नारी शक्ति और महिला नेतृत्व वाला विकास हमारे लिए मात्र चुनावी वादे नहीं हैं, ये हमारी सरकार के बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। आज हम एक ऐतिहासिक विधेयक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर मैं उन घटनाओं को उजागर करना चाहूँगा कि किस हिसाब से वहाँ पर महिलाओं के लिए इनका जो ट्रीटमेंट है, आप देखिये। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वर्ष 1996 में श्रीमती अलका नाथ, जो कमलनाथ जी की पत्नी थीं, उन्होंने वर्ष 1997 में अपने पति के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तीफा दिया और उनके पति खुद खड़े हुए। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने, 50 परसेंट महिलाओं ने ये सोचा कि यह महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है और किस तरह से उनको मुखौटे के रूप में

काम में ले रहे हैं। अपने पति कमलनाथ को रास्ता देने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और वह खड़े हुए तो उन महिलाओं ने ही उनको हराया। इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनको चेताया कि आप महिलाओं को इतना कमज़ोर मत मानिए। हमारी मातृशक्ति सब समझती है। आज उनको पता है कि कौन मातृशक्ति के लिए लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है? वास्तव में कानून बनाने के लिए कौन प्रयास कर रहे हैं? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : मैं यह कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी बात करते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। केरल की रैली में एक बार उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में, 10 वर्षों में कांग्रेस में 50 परसेंट मुख्य मंत्री महिलाएँ होंगी, लेकिन उसी केरल में एक महिला को टिकट दिया। ये बात जो होती हैं, इनके कहने की बात अलग और करने की बात अलग है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : सर, मैं बस समाप्त कर रहा हूँ। सोनिया गांधी जी महिलाओं की हितैषी हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वे केवल बिल लेकर आतीं। मैं तो राहुल जी और प्रियंका जी दोनों को देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि राहुल जी की चौथी या पाँचवीं टर्म होगी, लेकिन प्रियंका जी पहली बार आई हैं और वे बहुत अच्छा बोलती हैं। वे हमारी कमेटी की भी मैम्बर हैं और उसमें भी बहुत अच्छे सवाल उठाती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये लीडर होतीं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन वह महिला को, अपनी पुत्री को ज्यादा प्रोत्साहन न करके बेटे को प्रोत्साहन कर रही हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनकी कहने की बात अलग और करने की बात अलग है। जो सीटों की बात थी कि अगर 815 सीटें या 850 सीटें हो जाएँगी, तो हमारे सुरेश जी ने और काफी लोगों ने कहा कि एससी, एसटी का क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि एससी, एसटी का नहीं, बल्कि महिलाओं का रिज़र्वेशन भी बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जो 174 की जगह 274 होगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : चौधरी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : सर, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें हम हमेशा महिलाओं को पहले रखते हैं, जैसे सीताराम। इसमें सीता का नाम पहले है। राधेश्याम – राधा का नाम पहले है। हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी को इंडिकेट करता है।... (व्यवधान) सर, बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : प्लीज आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : सर, शोध निरंतर ये प्रदर्शित करते हैं कि सार्वजनिक भूमिकाओं में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व केवल समानता का विषय नहीं है, ये शासन, संसाधन प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता में प्रत्यक्ष तथा नापने योग्य सुधार लाता है।... (व्यवधान) संसाधन प्रबंधन में, भ्रष्टाचार में कमी लाने, शांति और सुरक्षा के लिए महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर, बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ओबीसी की बात की, मैं ओबीसी के बारे में बताना चाहूँगा। इनको ओबीसी के लिए घड़ियाली आँसू निकालने की ज़रूरत नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद ओबीसी आयोग को कॉन्स्टीट्यूशनल स्टेटस देने वाले पहले प्रधान मंत्री मोदी जी हैं। जब काका कालेलकर आयोग बना, तो उस समय नेहरू जी थे। वर्ष 1953 में उसकी रिपोर्ट आई और वर्ष 1955 में सौंपी गई, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने भी कुछ नहीं किया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री देवेश शाक्य जी।

श्री देवेश शाक्य (एटा) : महोदय, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, हम सभी लोग महिला आरक्षण के समर्थन में और जल्दबाजी में लाए परिसीमन विधेयक तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

अभी जैसा कि हमारे सांसद महोदय चौधरी साहब कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी की बात क्यों कही। जल्दबाजी की बात इसलिए कही कि आप 2014 से सत्ता में हैं और जब-जब चुनाव आता है, चाहे वह 2024 का चुनाव हो, तब आपको महिला आरक्षण की याद आई, क्योंकि आपको 2024 के चुनाव में अपनी चुनावी रोटियां सेंकनी थीं। आज जब 2026 में पाँच राज्यों के चुनाव लगे हुए हैं, तब इस बिल को लाया गया, जबकि 2023 में यह बिल सर्वसम्मति से इसी सदन में पास हो चुका है। इसकी क्या जरूरत पड़ी? विषय यह है, विषय महिला आरक्षण का नहीं है। परिसीमन के रास्ते से, महिला आरक्षण के रास्ते से परिसीमन को लाया जा रहा है और परिसीमन में अपनी कमज़ोर ज़मीन को कहीं न कहीं मज़बूत करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसमें कुछ साज़िश नज़र आ रही है, इसलिए हम लोगों ने यह बात कही।

मान्यवर, सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके शिक्षा को महंगा और निजीकरण की व्यवस्था लाकर आधी आबादी की बच्चियों से उनका शिक्षा का अधिकार छीन रही है। स्थायी नौकरियों में निजीकरण करके महिलाओं की नौकरियों का हक छीना जा रहा है। वहीं बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से, माता सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिराव फुले ने, फातिमा शेख जी ने और छत्रपति शाहूजी महाराज ने जो महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया, उससे आज महिलाएं तमाम संवैधानिक संस्थाओं और उच्च पदों पर बैठी हुई हैं, लेकिन अगर आज सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अनुपात में कोई बदलाव न होने की गारंटी और नीयत साफ होने की बात कही, तो सभी को 15 लाख रुपये और 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष देने वाली बात याद आई, तो विश्वास कैसे किया जाए? आपने 2023 में भी माननीय सांसदों से वादा किया था, उसका क्या हुआ? सरकार परिसीमन के रास्ते से अपनी कमज़ोर ज़मीन मज़बूत करना चाहती है। पहले आप जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएं, तभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल पाएगा और तभी सरकार महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दे सकेगी।

मान्यवर, इस देश की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ लगभग थी और वहीं आज 2026 में 142 करोड़ के लगभग है। इस अनुपात में विधान सभाओं में और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के

आधार का मानक कैसे तय होगा? जनसंख्या के आधार से भिन्न 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिसका पैमाना क्या है, यह हम लोगों को पता ही नहीं है। आज सदन में माननीय सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने एक बात कही कि आज से पहले सदन 125 दिन चलता था और अब विपक्ष की वजह से सदन केवल 55 दिन चल पा रहा है। जब संख्या हमारी इतनी है, तब केवल हमें 55 मिनट मिल पा रहे हैं। जब 850 सीटें हो जाएंगी, तो क्या इन दिनों की संख्या बढ़ाई जाएगी? इसको कैसे मैनेज करेंगे, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद भी आज अपनी बात पूरी नहीं रख पाते हैं, तो जब इतनी संख्या होगी, तो कौन अपने क्षेत्र की बात रख पाएगा? कैसे जनप्रतिनिधि अपने आप को क्षेत्र में साबित कर पाएंगे कि हमें जनता ने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है।

माननीय सभापति : क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बढ़ानी है। क्वांटिटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी।

श्री देवेश शाक्य : हम तो चाहते हैं कि आज यदि सरकार महिलाओं की इतनी हितैषी है, तो आप आज ही यह काम कर दें, हम सारे सांसद इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर परिसीमन अच्छा नहीं हुआ, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

मान्यवर, अगर महिलाओं के सम्मान की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मेरे लोक सभा एटा-कासगंज की बहुत-सी घटनाएं ऐसी हैं, जहाँ महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्नाव की घटना, बलरामपुर की घटना, कानपुर देहात का अग्निकांड, वाराणसी गैंगरेप, हाल ही में कासगंज मोहिनी हत्याकांड, नदरई गैंगरेप कांड, शिल्पा कुशवाहा हरदोई हत्याकांड, इन सब घटनाओं में अब तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इन सारी घटनाओं में जो महिलाएं पीड़ित हुई हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनको न्याय मिले। आखिरकार मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सरकार से मांग करता हूँ कि पहले जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएं, जिससे दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR):** Thanks, Hon'ble Chairperson sir for giving me an opportunity to speak on the Women Reservation Bill. Our party had supported the bill in 2023 and also we are supporting it today. If you look into the history of Punjab and Sikhism, we have always talked of equality for women. Also, in the gender equality index, Punjab comes in the top states. Sir, we are supporting the bill but we apprehend that the government is not willing to implement it. When it was passed in 2023, you had said that it will be implemented after the census. If you were to implement it without a fresh census, you could do it in 2023 and this very House could have 33 per cent representation of our mothers and sisters. But this drama is being enacted due to elections in five states including the states of Tamil Nadu and West Bengal. You can create any number of dramas but defeat is certain for you in these states.

If I have to speak in the context of Punjab and the delimitation, the representation in the state is just 2.4 per cent. Despite the lesser population of Punjab, its contribution for the independence of the country is 90 per cent. Leaders in those times had an idea of these things and even in 1946, Jawahar Lal Nehru urged upon us to remain with India. We were assured of an autonomous state with all the rights and Sikhs would be able to enjoy their freedom. While visiting Gurudwara Rakabganj adjoining this building, Mahatma Gandhi also assured the Sikhs to remain with India to enjoy their full freedom. In the Constituent assembly, Sardar Patel also stated in 1946 that the interests

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

of the Sikh community will be taken care of.

Chairman Sir, now the representation is according to the population. Had we got the representation as per norms, the RDF funds of Rs.8500 crores belonging to Punjab couldn't have been withheld. If we were like UP, the funds couldn't have been stopped. As regards BBMB, the water is ours, dam is ours but our Panchayat members have been removed from that area. Main reason for this is due to meager representation of Punjab. If we had the number of seats likes UP and Bihar, the Central government couldn't have dared to remove those members.

I have a suggestion for the government. If you wish to bring a true amendment, you can do on the lines of the developed nations like UK and USA. In their Upper house, the representation is not as per population figures. States having a population of 10 lacs or 2 crores are having 2 members' representation in European nations also.

I wish to state that in our Rajya Sabha, all states should have equal representation so that their voice can be heard and no injustice is done to them. Our Hon'ble Prime Minister since his days as Chief Minister of Gujarat has been talking about the dual citizenship. Lakhs of Punjabis are settled in other countries and they have a strong bonding with this country. They have been contributing to the economy of India. They should be accorded dual citizenship to give them a feeling that they are also citizens of India. So, I express my party's opposition for the delimitation part of this Bill. Thanks

*SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Honorable Chairperson, I express my immense joy at having received the opportunity—as a worker of the Nationalist Congress Party, —to speak on this historic bill regarding women's reservation, which has been introduced here by Prime Minister Narendra Modi, driven by his resolute political will, and which marks a glorious chapter in our history. Had Ajit Dada Pawar—a true 'Man of Development' who prioritizes religion, caste, and social harmony, —been present today, he would undoubtedly have welcomed this bill. The government has taken a decisive step to strengthen progressive ideals, upholding the legacy of Maharashtra's great social reformers; Shiv -Shahu-Phule, and Ambedkar. I take great pride in the fact that when the 'Ladki Bahin Yojana' (Beloved Sister Scheme) was implemented in Maharashtra, it faced opposition from rival parties; yet, while the opposition suffered a crushing defeat, the 'Mahayuti' secured a resounding majority. The opposition lacks the audacity to openly oppose this Women's Reservation Bill; therefore, they are attempting to obstruct it indirectly by raising objections regarding the delimitation process and the Delimitation Commission.

Honorable Chairperson, this bill was originally conceived during the Congress regime. However, they merely tabled it on paper and had no genuine intention of implementing it in reality—a feat that Prime Minister Modi has now successfully accomplished. Unable to offer direct opposition at such a juncture, the opposition is resorting to expressing their dissent through the pretext of

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

delimitation. In the elections held in 2014, 2019, and 2024, the opposition suffered a complete rout across the entire nation.

Honorable Chairperson, I have listened to speeches delivered by members of the Congress party; they claim that whenever electoral constituency delimitation has occurred in this country, it has historically taken place during Congress rule. However, no one here has made any mention of the delimitation exercise that was conducted in this country as recently as 2009. At that time, constituencies were restructured by reorganizing Gram Panchayats (village councils). Now, however, they are adopting a completely different stance. Today, while expressing his views, the Prime Minister stated that this initiative will result in a numerical increase in parliamentary seats across every state. For instance, Maharashtra—which currently holds 48 seats—will see an increase of 24 seats, while Tamil Nadu—which holds 39 seats—will gain an additional 20 seats. Yet, this bill is being opposed solely out of narrow political self-interest. The Nationalist Congress Party remains fully supportive of conducting a caste-based census; the precise outcome and implications of this initiative will become evident following the 2029 general elections. On behalf of our party, I extend my full support to this Bill and offer my congratulations. Furthermore, on behalf of our party—and specifically on behalf of our Deputy Chief Minister, Smt. Sunetra Pawar—I congratulate the Honorable Prime Minister. For many years now—indeed, for the past 60 years—the number of seats in both the Lok Sasha and the State Legislative Assemblies has remained unchanged. If the total number of seats were to

increase to 850, there would be absolutely no cause for concern, as this would merely reflect the significant growth in our population. Given that the population within individual constituencies has surged from 700,000 to as high as 2,000,000, the decision to increase the total number of constituencies is a visionary and appropriate step. I strongly condemn—in the strongest possible terms—the opposition raised by certain quarters regarding this process of delimitation.

Honorable Chairperson, I wholeheartedly support this Bill, which has been introduced specifically with the empowerment of women in mind. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, our nation is actively being transformed into a global powerhouse on the world stage. It is our solemn duty to stand firmly in support of this endeavor. Once again, on behalf of my party, I reiterate my full support for this Bill.

Thank you.

22.00 hrs

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. On behalf of my party, Viduthalai Chiruthaigal Katchi, I wish to say my views regarding the 131st Constitutional Amendment Bill. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Katchi, we wholeheartedly supported the Bill to provide 33 per cent reservation to women in Legislatures which was passed in the year 2023. We also stressed that 50 per cent reservation should be extended to women. We have a view even today that 50 per cent reservation should be

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

extended to women who constitute 50 percent of our population. We once again urge that 50 per cent reservation should be extended to women.

Hon Prime Minister had written letters to all the leaders of Parliamentary parties, including me, as regards immediately implementing the women's reservation in our country. I am duty-bound to express my gratitude to Hon Prime Minister. While reading the letter written by Hon Prime Minister to me, I was reminded about the Hindu Code Bill proposed by our revolutionary leader Dr B.R. Ambedkar. Those who belonged to organisations like RSS and Hindu Mahasabha were strongly opposing this Hindu Code Bill during that period. Effigy of Dr Ambedkar was even burnt to ashes by the protestors of that time. Now time has changed. Everything has taken a U-turn. I am proud and elated to know that RSS has come forward to provide such a reservation to women. I am filled with pride to know that the dream of Dr Ambedkar is becoming a reality.

Women's Reservation should be implemented immediately without any delay. Nobody has a second thought over this issue. But you can provide reservation to women with the existing number of MP seats without altering the total number. It is not that only after carrying out the delimitation exercise, reservation can be provided for women. This Government wants to implement providing reservation to women in Lok Sabha and State Legislatures immediately. But with a *mala fide* intention they have brought Delimitation Bill also along with the Women's Reservation Bill. It clearly explains that the primary intention is not to immediately implement the Women's Reservation

Bill but to immediately implement the delimitation exercise of the parliamentary constituencies. Why have this Government changed its viewpoint? This question bothers our mind. While we discussed in the past, this Government wanted to go for Caste-based Census before implementing the reservation for women. This Government then said that it had to conduct Census, followed by Caste-based Census and Delimitation Exercise before implementation of providing reservation for women in Legislatures. The question arises as to why there is a change in the mind-set of this present Government.

This Government is not willing to carry out Caste-based Census. If that is done it will be known to all that what is the number of OBC population in our country. People belonging OBCs who have been denied representation so far would be then putting pressure on this Government to given them proportional representation on the basis of their population. People belonging to OBCs would then take forward their democratic battle to ensure their rightful representation. We could sense that this Government is afraid of such a situation. Not only that, if Caste-based Census is conducted, there would be demands for inner quota for OBC women from the total quota for OBCs. There would be agitations held in this regard. This Government is well aware of such a situation and henceforth is unwilling to provide reservation to OBC women. That is why in order to avoid such a situation in future, this Government wants to implement Women's Reservation Bill before the Census work is completed. This is a doubt bothering our mind. Viduthalai Chiruthaigal Party strongly condemns this approach of the Union Government. There is internal

reservation for women belonging to SC and ST categories among the total number as per the Constitution. But there is no internal reservation for OBC women. Many MPs who spoke here also mentioned about this. This demand is gaining momentum day by day. RSS and Sangh Parivar do not intend to have a caste-based Census. They do not incline to do this as there would be demand for internal reservation for OBC women among the total quota. It is learnt that this Government is with this stubborn viewpoint in order to avoid such a situation. They do not want to conduct Census immediately. Particularly they are least bothered about Caste-based Census. Sir, I will conclude in a minute. Hon Prime Minister has even termed those who wanted caste-based Census as Urban Naxals. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Party, we want to pinpoint and condemn the attitude of the Government as it ignores the sentiments of the people belonging to Other Backward Communities. We urge that there should be reservation for OBCs particularly for OBC women. We urge that the Delimitation Bill has to be withdrawn or referred to JPC for three reasons. First one being that the southern States of our country would be betrayed. This number of MP seats can be increased proportionately and not on the basis of population. If that is increased, all the southern States including Tamil Nadu would be much affected. I urge that this Bill should be withdrawn immediately as it ignores to provide reservation for OBC women.

Most importantly, as regards delimitation bill, the constitutional amendment clause has been replaced by a simple majority clause which is totally unacceptable. I am concluding Sir. Therefore, I urge that this Bill be

withdrawn immediately.

Thank you.

22.07 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

***SHRI E. TUKARAM (BELLARY):** Hon'ble Chairman sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Delimitation Bill 2026 and The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 and the 106th Amendment to the Constitution 2023 related to Women's Reservation.

Hon'ble Chairman sir, today I would like to recollect a quote by Babasaheb Ambedkar, "History cannot be created by those who forget it" Today, by introducing these three bills in the Parliament, I am on the opinion that the BJP is intended to create history as the Party has forgotten the history.

Hon'ble Chairman sir, we should know the history. After attaining independence in 1947, we adopted the Constitution for our country in 1950. In those days our elders framed the constitution and laid down the great vision for future of our country and also gave us a road map for the development democracy. However, it seems that the BJP government has forgotten all those ideas of the elders.

Hon'ble Chairman sir, our Congress government, starting from the then Prime Minister late Indira Gandhi to late Rajiv Gandhi ji, including PV Narasimha Rao, we have always been supporting women's reservation and made all efforts for the progress of the country. The BJP government should remember that it was late Rajiv Gandhi, who gave the reservations to the local

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

bodies. While addressing this august house the Prime Minister Narendra Modi and shri Amit Shah did not make a mention of the fact.

Hon’ble Chairman sir we should remember the contributions and footprints of the leader, who have supported for the development of the country and the constitutional provisions.

Hon’ble Chairman sir, we need to take forward the legacy set by our forefathers while framing the constitution for the country, but it is not seen in this Bill. I can remember a slogan put on National Highways: "High speed thrills, but kills." Today, the BJP government is going at a high speed by bringing this bill in hasty manner at a time when elections are being held in many states of the country. This is the reason why, I would like to mention that the constitutional provisions and the democratic system of the country are being killed.

Therefore, Hon’ble Chairman sir I would like to suggest that let there be "Safety First, Speed Next" It means, we need to first ensure the protection of the Constitutional provisions and also the democratic values. And then, we can go at speed, it would definitely help us to reach the intended destination.

Hon'ble Chairman, sir, we all should remember that, in the previous years, our the Congress led UPA government introduced a reservation, which helped to become member by contesting in the election and stand here to speak as an MP. During the tenure of former Prime Minister late Manmohan Singh ji the reservation was given by the Congress Government, however the BJP was opposing SC/ST reservation. A case was filed by Rama Jois in the

Supreme Court.

Sir, we need to remember all the programs introduced by our Late Prime Minister Manmohan Singh. The entire country is recollecting the footprints left the our government during the period 2004 to 2014.

Hon'ble Chairman, sir in 2014 the BJP government under Modiji assumed power and gave many promises to this country. However, they failed to achieve their promises. Demonetization has failed. The promise to give 15 lakhs is unfulfilled. "Achhe Din" is not visible anywhere. This bill has been brought in hasty manner to hide all their failures. The proposed delimitation exercise which has been brought in the House is going to be unscientific in the coming days.

Congress is always in favor Women's reservation, the present form of delimitation is being done in an unscientific manner and the South Indian states are meted out with injustice in this Bill.

I appeal to the Union government to convene an all-party meeting and hold a delimitation exercise and bring constitutional amendment in a scientific manner.

Thank you sir

श्री शशांक मणि (देवरिया) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे संविधान के 131वें संशोधन बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं समझता हूं कि 18वीं लोक सभा में इससे महत्वपूर्ण बिल शायद अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ होगा। इस बिल के माध्यम से हमारी जनता की 50 प्रतिशत आबादी को शक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन उसी के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को भी एक नई दिशा और दशा

मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस बिल के आने से हमारी नारी शक्ति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समानता का उद्देश्य देगी। इसके लिए इसी सदन में वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ था। मैं समझता हूं कि इससे यह सदन शुभ हो गया था। उसी का एक अध्याय आज इस सदन में आया है, ताकि वर्ष 2029 में हम लोग इस विधेयक को पूरी तरह से लागू कर सकें।

सभापति महोदय, कई लोगों ने इसमें अनेक प्रकार की दलीलें दी हैं। विपक्ष भी यह दावा कर रहा है कि परिसीमन की दिक्कतें हैं। हमारी भाजपा की कई टीमों ने अनेक प्रकार की वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने अतीत का व्याख्यान किया है। कुछ लोगों ने बताया है कि दक्षिण के प्रदेशों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऐसी चीजों का व्याख्यान हुआ है। मैं अपने उद्बोधन में भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने उद्बोधन में बताना चाहता हूं कि महिला वंदन अधिनियम के पारित होने से सिर्फ महिला को ही शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे समाज और भारतवर्ष की विजय होगी। मैं पांच बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, हमारी नारी शक्ति को इस अधिनियम से कैसे पुनर्स्थापित किया जाए? दूसरा, कैसे इस सदन और विधान सभाओं में एक नई मानसिक सोच का उद्गम हो? तीसरा, कैसे इससे विकसित भारत को गति मिले? चौथा, मेरे लोक सभा क्षेत्र में इससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? पांचवां, मेरा यह मानना है कि इस विधेयक के माध्मय से से भारत विश्व जगत में एक अनोखा संदेश देगा।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उन 74 महिलाओं को प्रणाम करना चाहता हूं, जो इस सदन में आज की तारीख में उपस्थित हैं।

उनके संघर्षों के लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है, अपने भाइयों को मालूम है कि कितना मुश्किल होता है इस सदन में आना और बिना किसी आरक्षण के उन्होंने यहां पर पदार्पण किया, उनका यहां पर मार्ग प्रशस्त किया। उसी के साथ-साथ मैं अपने ही संसदीय क्षेत्र की उन 15 लाख महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे वोट कर के

विकसित भारत को वोट दिया, प्रधान मंत्री जी को वोट दिया। उसी के साथ-साथ मैं उन महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे शिवांगी सिंह – जो हैलिकॉप्टर पायलट बन कर देवरिया संसदीय क्षेत्र से निकली, जिन्होंने कई ऐसी महिलाओं को प्रेरित किया। उसी के साथ-साथ प्रतिभा जी, जिन्होंने उद्यम से अपने क्षेत्र में कई महिलाओं को रोज़गार दिया। मैं अपनी माता जी का प्रणाम करना चाहता हूँ क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही मैंने समझा कि समाज को आगे बढ़ाना है तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को प्रणाम करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे मालूम पड़ा कि जब तक नारी शक्ति आगे नहीं आएगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

सभापति महोदय, करीब दस साल पहले मैंने अपनी दोनों बेटियों का उपनयन संस्कार अपने ही पैतृक गांव में करवाया था और उसका संदेश आज भी मेरे ही क्षेत्र में गूंज रहा है और यही मेरा पहला विषय है। जब तक हम लोग सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को आगे नहीं ले जाएंगे तो भारत माता का जयघोष नहीं हो पाएगा। हमारी नारी शक्ति ही हमारे देश को परिभाषित करती है। हमारी नारी शक्ति भ्ज्ञारत माता के माध्यम से अपने क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसके लिए हमारी ऋषिकाओं ने बहुत प्रयास किया। प्राचीन काल से ही हमारी नारी शक्ति ने हमें नवाचार दिया, हमें एकाग्रता दी। उसमें ऐसी ऋषिकाओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कात्यायनी है, जिसमें गार्गी है, जिसमें ऐसी ऋषिकाएं थी, जिन्होंने ऋषियों के साथ मिल कर एक समग्र मेरे हिसाब से इतिहास की रचना की है। उसी के होते-होते हमारी संस्कृति में शिव और शक्ति का दोनों का प्रयोजन है। इस देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें इस शक्ति का अभाव था, वह धीरे-धीरे कम होता गया। मैं इसके बारे में वृतांत करूंगा। आज शक्ति सिर्फ प्रबल काली और दुर्गा वाली शक्ति नहीं है। शक्ति में और भी समावेश है। लक्ष्मी की धन शक्ति है, उसमें आप देखेंगे कि पार्वती की श्रद्धाशक्ति है, उसमें राधा की प्रेम शक्ति है, उसमें अन्य लोगों की शक्ति है।

सभापति महोदय, उसी के साथ-साथ मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब आक्रमण हुआ तो उसी शक्ति पर प्रहार हुआ।

इसी वजह से हमारी मातृशक्ति परदे के पीछे चली गई। उसके बाद जब अंग्रेजों ने प्रहार किया, उसी के माध्यम से उन्होंने एक भौतिकवाद की भी सांस्कृतिक शक्ति पर प्रहार किया। उसके विरोध में मेरे ही पूर्वांचल में जन्मी लक्ष्मीबाई ने 170 साल पहले विद्रोह किया। उसके साथ मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया। इस पर सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रिय कविता आपको सुनाता हूं कि बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसी वही सहेली थी। हमारी नारियों में कभी अबला शक्ति नहीं थी, वह प्रखर थी, विद्वान थीं, शक्तिशाली थीं, और इसी शक्ति को लाने के लिए यह विधेयक बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, 33 प्रतिशत महिलाओं के आने से इस सदन में और मैं समझता हूँ कि हर विधान सभा में एक नई सोच का उद्गम होगा। वह नई सोच उससे परिभाषित होगी, जिससे कि मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस में परिवर्तन आएगा। मैसाचयुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी की मैं एक रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि किसी भी सामुहिक प्रयोग में तीन शक्तिशाली चीज़ों का प्रयोग हो सकता है। एक उसमें सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, उसमें लोगों की प्रतिभा का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तीसरा, नारी की शक्ति होनी चाहिए। ये तीन अगर इस सदन में और विधान सभाओं में प्रेरित होंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक नई शक्ति का प्रारूप होगा।

महोदय, इस नई सामूहिक सोच से विकसित भारत को नई वेग मिलेगी। मैं यह भी समझता हूँ कि विकसित भारत के वेग से मेरे जैसे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे काम होंगे, विकेंद्रीकरण होगा। मैं समझता हूँ कि महिलाएं छोड़ कर नहीं जाती हैं, पूर्वांचल के पुरुष कभी-कभी झुंझला कर छोड़ कर चले जाते हैं। महिलाएं अपने अंगेद के पांव जमा कर वहीं बैठी रहती हैं। साथ ही महिलाएं उस उद्यमिता का प्रचार करती हैं, जिससे देश आज परिभाषित हो रहा है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में कई ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने उद्यमिता से स्थानीय जगत में काम किया है, इससे बहुत प्रभाव पड़ा है। उसी के साथ-साथ प्रकृति को भी साथ ले कर चलने का उनका उद्देश्य रहता है।

महोदय, मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग वैश्विक स्तर पर एक नया संदेश देंगे। आपको जान कर खुशी होगी कि जब मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए यूएसए गया था तो

वहां पर मैंने एक कांग्रेस वूमेंस से मेरी बात हुई थी और वह अचंभित थी कि हम लोग यहां पर 33 प्रतिशत आरक्षण ला रहे हैं और इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आज अपनी बात के अंत में आप सभी से एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत प्रसिद्ध फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने भी अंग्रेजी में एक महिला का नाम लेकर कहा था कि India is cinderella civilisation. It is beautiful, gifted, testing for greatness but relegated to the backstage on the world stage. Today, I believe that civilisation is stepping on the stage. For that reason, this morning you saw that the Prime Minister made an appeal. …(*Interruptions*)

उन्होंने इस सदन को एक बड़े भाई की तरह संबोधित किया और उस बड़े भाई के कर्तव्य से मैं भी उन 37 महिलाओं को जो विपक्ष में बैठी हैं, उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अपने भाइयों के साथ इस बार वोट मत करिए, आप अपनी बहनों के साथ वोट करिए।

महादेवी वर्मा जी की एक पुरानी कविता है, जिसे पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।

“बाँध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले
विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन
क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल दे दल ओस गीले
तू न अपनी छाँह को अपने लिये कारा बनाना
जाग तुझको दूर जाना।”

आज विकसित भारत के लिए हम सबको दूर जाना है और इसमें मैं उन 37 महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना हित छोड़कर अपनी मातृशक्ति के लिए समर्पित होकर इस विधेयक को पास कीजिए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदय, वर्ष 2014 की फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी कहती है कि कोई भी विधेयक 30 दिनों तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए, लेकिन इस संवैधानिक संशोधन की प्रतियां सांसद को सत्र शुरू होने के केवल दो दिन पहले मिलीं। इस पर न तो कोई विशेषज्ञ समिति से चर्चा हुई, न राज्यों से परामर्श हुआ और न ही किसी भी तरह की समिति को सौंपा गया। यह बिल डायरेक्ट लाया गया है। क्या यही लोकतंत्र की बड़ी परिभाषा है?

सभापति महोदय, इस देश में गरीब मां जब अपने बच्चों को गांव में लोरी सुनाती है, तो वह इसीलिए सुनाती है कि उसको भूख, अभाव या किसी भी तरह के संकट की याद न आए और वह चुपचाप सो जाए। गांव की महिलाओं के बारे में इन्हें नहीं पता है। आजाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक इस कंट्री में महिलाओं की पूजा तो हुई, लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं हुई। सती प्रथा, विधवा प्रथा, बांझ, भ्रूण हत्या, दहेज, खिलाड़ियों का शोषण, घरेलू हिंसा, किसी भी तरह की रिस्पेक्ट आज तक महिलाओं को नहीं मिली है।

सभापति महोदय, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको आश्चर्य होगा, अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का सम्मान नहीं हुआ। यही मनुस्मृति वाले लोगों ने सावित्रीबाई फुले का घर जला दिया था। आज जो लोग महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने महिलाओं की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा।

सभापति महोदय, इस देश को 100 उद्योगपति चलाते हैं। इस देश को चलाने वाले 100 उद्योगपति, 100 चैनल वाले मालिक, 100 धार्मिक ट्रस्टी और 100 मंदिर और बाबा हैं। इनमें एक भी दलित, एसटी, एससी, ईबीसी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 100 उद्योगपति, जो इस कंट्री को चलाते हैं, उसमें एक भी ईबीसी नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी एसटी/एससी नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के लोग नहीं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? क्या कभी महिला आरक्षण की बात होगी? क्या कभी गांव की महिलाओं की बात होगी? क्या कभी गरीब महिलाओं की बात होगी?

सभापति महोदय, इसी तरह आपको आश्चर्य होगा कि 755 सांसदों पर यौन शोषण का

आरोप है। 155 सांसदों पर चार्जशीट है। सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, तो उसमें पहला नंबर नेता का है, उसके बाद बाबाओं का है, उसके बाद पदाधिकारियों का है और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा? हम लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं की है।

महोदय, आपको आश्चर्य होगा सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉरपोरेट, कास्टिंग काउच और फैशन में विजिबिलिटी के कारण ज्यादा मामले सामने आते हैं, लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता है। अभी कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गयी है। उन्हें पीटा गया है। यदि महिलाओं की बात करूं, तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है।

महोदय, आप याद कीजिए सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला राफेल उड़ाकर भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया। उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया था।

महोदय, उत्तर प्रदेश में 66 हजार 381, महाराष्ट्र में 47 हजार 101, राजस्थान में 45 हजार 405, वेस्ट बंगाल में 34 हजार, मध्य प्रदेश में 32 हजार, वर्ष 2023 में 4 लाख 48 हजार 211 मामले दर्ज हुए। बिहार में अभी सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई ने बलात्कारियों को क्लीन चिट दे दिया। नीट की बच्ची के मामले में सब जेल से छूट गए। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है? सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। याद कीजिए माननीय राजीव गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का काम किया और बीजेपी को इस बिल के लिए सपोर्ट किया, लेकिन इस तीन दिन के पॉलिटिकल सत्र की क्या जरूरत थी? आप एक तरफ संवैधानिक बिल लाए हैं और दो बिल आपने जनसंख्या और परिसीमन के जोड़ दिए। क्या आपको भौगोलिक परिसीमन का ज्ञान नहीं हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि

आप जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जाति जनगणना, जो ईबीसी है, ओबीसी है, एससी-एसटी है, की बात नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति : आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सर, एक मिनट। आईएएस कैडर में दलित मात्र 1 प्रतिशत के करीब है। पुलिस और सेना में एससी-एसटी-ईबीसी मात्रा 2.3 प्रतिशत है।

माननीय सभापति : ये सब अलग विषय हैं।

श्री राजेश रंजन : सर, एक मिनट। मैं समाप्त कर रहा हूं। भारत में एससी-एसटी-ईबीसी का प्रतिनिधित्व न आईआईएम में है, न आईआईटी में है। ... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, आपका शुक्रिया। मैं इन तीनों बिल की मुखालफत में खड़ा हूं। आप ऐसे समय में इस बिल को ला रहे हैं, जब हिज़्ब-ए-इख़्तिलाफ़ की तमाम अराकीने पार्लियामान रियासती असेम्बली इलेक्शन के काम में मसरूफ़ हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: असादुद्दीन जी, एक मिनट। पप्पू यादव जी, प्लीज आप कंक्लूड कीजिए। वे सभी अलग विषय हैं।

श्री राजेश रंजन : सर, मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट और महिलाओं की आरक्षण का बिल आप लाइए, लेकिन जैसे आपने यूजीसी का विरोध किया, अन्य चीजों का विरोध किया। अब आप राजनीति मत कीजिए। पूरी-की-पूरी स्थिति अच्छी नहीं है। जाति जनगणना को लाने से पहले आप महिला आरक्षण मत लाइए। परिसीमन को आप राजनीतिक दृष्टि से मत कीजिए। साउथ और नॉर्थ को आप मत बांटिए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, मैं इन तीनों बिल्स की मुखालफत में खड़ा हूं। आप ऐसे समय में इस बिल को ला रहे हैं, जब हिज़्ब-ए-इख़्तिलाफ़ की तमाम अराकीने पार्लियामान रियासती असेम्बली इलेक्शन के काम में मसरूफ़ हैं। यह हुकूमत यह पैगाम देना चाहती है कि यह अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनायेंगे। अगर ये तीन बिल कानून बन जायेंगे, तो अपोजीशन की अवाज इस ऐवान में नहीं के बराबर हो जाएगी। इस आइनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी

बिल के साथ पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी, उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। जिनकी कम होंगी, उनको कम सीटें मिलेंगी। हदबंदी हर 10 वर्ष के बाद नहीं होगी। न मर्दुमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकुमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर यह होगी, तो किस वर्ष की मर्दुमशुमारी पर होगी?

सर, मैं इलाका वारियत को नहीं मानता न उसको फरोग़ देता हूं, मगर हमारी आईन की तमहीद में भाईचारगी का लफ़्ज़ लिखा गया है।

यह बहुत अहम है हमारे मुल्क की एतिहाद और सलामियत को मजबूत करने का। ये तीनों बिल इस फेटरनिटी के बरकस का पैगाम देते हैं और काम करेंगे। हकीकत यह होगी कि शुमाल हुकुमत करेगा जुनूब पर शुमाल खर्चा करेगा और जुनूब उसको फराहीम करेगा। जुनूबी रियासतों का मुल्क जीडीपी में 30 फीसदी हिस्सा होता है और 21 फीसदी मुल्क का टैक्स रेवेन्यू जुनूब से आता है। वर्ष 2022-23 में 3.46 लाख करोड़ रुपये का उनका हिस्सा था और 19 फीसदी आबादी भारत में जुनूबी हिन्दुस्तान की है। जुनूब को गुड गवर्नेंस की सजा दी जा रही है। वजीरे आजम कहते हैं - "जिसके बच्चे ज्यादा हैं..." मगर वह तो झूठ था लेकिन अगर ये बिल कानून बनेंगे तो यह सच हो जाएगा। अगर आप छ: रियासतों बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला लें तो यहां पर सीट होंगी 392 और सिर्फ 34 सीट की जरूरत हुकूमत बनाने के लिए पड़ेगी। एक कांफ्रेंस की माली इमदाद हुकूमत की। उस कांफ्रेंम में किसी ने उठकर कहा कि हम कैसे आइनी हिंदू राष्ट्र को हासिल करेंगे। यह पता चल रहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों के नुमाइंदगी को डाइल्यूट करने से ही आप एक आइनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजिमी कर देना और बुलडोजर को आईनी तहफुज देना। डबल इंजन सरकार क्या है? उसका जादू यह है कि इंजन चूमाल का होगा और ताकत जुनूब से आएगी। इसका नतीजा यह होगा कि जुनूबी हिंद की तमाम रियासतें अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगी। क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? यह तो तशवीशनाक होगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम अकसिरियत कंस्टिटुएंसीज़ को रिजर्व कर दिया गया। असम और कश्मीर इसकी

जीती-जागती मिसाल है। असम में 30 ऐसे असमेंबली हल्केजात थे जहां मुसलमान जीतकर आते थे। उसको 23 कर दिया गया। यह जेरीमेंडरिंग नहीं है तो क्या है? डुबरी और बारपेटा में 60 फीसदी मुसलमान थे। एक डुबरी कंस्टिटुएंसी बना दी गयी। अब बरपेटा से कोई नहीं जीत सकता है। दूसरी मिसाल अनंतनाग-राजौरी की है। कंस्टिटुएंसी कश्मीर में शुरू हो रही है और जम्मू में खत्म हो रही है, कोई रास्ता नहीं है। तहजीब का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन अलग है। यह जेरीमेंडरिंग नहीं है तो क्या है? कश्मीर की आबादी 56.35 परसेंट कश्मीर की आबादी है और सीट 52.22 परसेंट है। जम्मू की आबादी 43.65 सीट में 47.78 परसेंट हिस्सा है। यह जेरीमेंडरिंग नहीं है तो क्या है? मुस्लिम अकलियत को तो बीजेपी टिकट नहीं देती है तो रिजर्वेशन दूर की बात है। मगर क्या यह मुल्क के मफाद में है कि इस एवान में 18 करोड़ की आबादी के सिर्फ चार फीसद एमपी जीतकर आएंगे। क्या यह आपकी मुल्क से मुहब्बत है? क्या यह राष्ट्रवाद होगा कि 18 फीसद से चार फीसद जीतकर आएंगे? आप फैसला कर लीजिए, ट्रैज़री बेंचेस को सोचना है। अगर वे भारत से मुहब्बत करते हैं तो तसवीसनाक बात है। अगर बिल कानून बनेगा तो फिर आप भूल जाइए यहां तो और कम हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम अकलियत को एसआईआर से हक राईदेही से महरूम कर दिया जा रहा है। बुलडोजर से बेघर कर दिया जा रहा है और हदबंदी से इनकी सियासी आवाज को खत्म करने का मंसूबा है। सच्चाई यह है कि मुस्लिम वोट की जरूरत बीजेपी को नहीं है। उसको खतरा समझती है। सेक्यूलर पार्टीज़ यह समझती हैं कि हमें पूछना ही न पड़े और हम बार-बार पुकार कर कहते हैं कि जम्हूरियत को मजबूत करो, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो, खियादत बनाओ। मगर यह सब चीजों को देख रहे हैं कि बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सिर्फ शुमाली रियासतें नहीं हैं, जुनूब की रियासतें नहीं हैं, मशरिख नहीं हैं, मगरीबी रियासतें नॉर्थ-ईस्ट हैं। इस मुल्क की डायवर्सिटी इसकी ताकत है जो ये तीन बिल खत्म करना चाहती हैं। मेरी तजवीज है कि कनाडा का फार्म्यूला अपनाया जाए। कनाडा में ग्रेंड फादर क्लॉज़ को अपनाया जाए। रियासत की सीट आबादी पर मुनसिर नहीं होगी। So, remove

the Money Bill veto from the Lok Sabha, and let the Council of States have an equal voice in how legislation is passed. Shri K.M. Panikkar, the Member of SRC, recommended that the Rajya Sabha should be reformed.

सर, मैं इस हुकूमत को वार्न कर रहा हूं कि हदबंदी एक ऐसा जख्म होगा जो कभी नहीं भरेगा। यह जख्म हमेशा रहेगा और कहीं खुदा-न-ख्वास्ता यह मुल्क को कमजोर न कर दे। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी लालच को हासिल करने के लिए मुल्क के इतिहाद को पारा-पारा करने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा अकसरियत की हुक्मरानी का मुखालिफ रहा हूं, चाहे जबान या मजहब की बुनियाद पर हो। मुल्क को अगर विकसित भारत बनाना है तो हर शहरी की आवाज को इस मुल्क को चलाने के लिए कुबूल किया जाना चाहिए। जुनूब की रियासत के लिए हब्स एंड चॉइस है वर्ष 2011। अगर वर्ष 2011 होगा तब भी हम सीटें खो देंगे। अगर वर्ष 2026 का होगा तो क्या सिचुएशन होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत से अपील करना चाहता हूं कि वजीरेआला रेवंत रेड्डी ने हाइब्रिड मॉडल तजवीज पेश की है।

वह क्या है? चालीस फीसद की सीटें आबादी पर, चालीस फीसद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर और 20 फीसद फेडरल बैलेंस को। मैं हुकूमत से यह डिमांड करता हूं कि मुसलमानों, ओबीसी और जुनुबी रियासतों के लिए मत कीजिए। यह मुल्क के मफ़ाद नहीं है।

सर, वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने इंटरवेंशन में कहा कि तेलंगाना में 25 सीटें होंगी। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो मैंने एक अमेंडमेंट क्लॉज-3 बिल में मूव किया है, if you are really honest, then I have moved an amendment in clause 3 of the Bill that this shall be done to affect the proportional representation enjoyed by each State. आप उसको सपोर्ट कर दीजिए।

सर, अगर कोई मंत्री यहां पर कुछ बोलता है और वादा पूरा नहीं होता तो मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डालूंगा। मगर, कानून की बात हो रही है। आप कानून में लिखते क्यों नहीं हैं? Write it in the Bill that 50 per cent will be there. आप नहीं लिखना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं

कि मेरी बात का भरोसा कीजिए।

"कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक,

हम तो खाक हो जाएंगे, तुमको खबर होने तक।"

सर, मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट इसको क्यों ला रही है। यह इसलिए ला रही है, आप सुन लीजिए, the most important and effective step would be to bury deep all the talk of a federal structure of our country, and constitutionally declare it as one country, one State, one Legislature, one Executive. यह किसने कहा? 'बंच ऑफ थॉट्स' में गोलवलकर जी ने कहा है। In 1951, the Bharatiya Jana Sangh (BJS) manifesto mentioned about conversion of the Union of States into Unitary State. This is what is happening now through these three Bills.

I am concluding with a small question. Is the whole proceeding being watched by the Muslim women who were raped in Muzaffarnagar? Would they feel happy about it? Bilkis Bano is watching this. Has Bilkis Bano got justice? Zakia Jafri's family is watching this. Have they got justice? No.

I conclude by reciting the words of what Rahat Indori said about this Government.

"जहाँ से गुज़रो धुआँ बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो,

तुम्हें सियासत ने हक़ दिया है, हरी ज़मीन को लाल कर दो,

अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वक़ील भी तुम.

जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिस चाहो हलाल कर दो।"

सर, मैं कह रहा हूं। आपके पास मेजोरिटी नहीं है। यह मत कीजिए। यह मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): سر، میں ان تینوں بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا

ہوں۔ آپ ایسے وقت میں ان بل کو لا رہے ہیں، جب حزبِ اختلاف کے تمام اراکینِ پارلیمینٹ ریاستی اسمبلی الیکشن کے کام میں مصروف ہیں۔ یہ حکومت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ یہ اپنی وحشی اکثریت سے قانون بنائیں گے۔ اگر یہ تین بل قانون بن جائیں گے تو اپوزیشن کی آواز اس ایوان میں نہیں کے برابر ہو جائے گی۔ اس آئینی ترمیمی بل کو اگر آپ حد بندی بل کےساتھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آبادی کی بنیاد پر سیٹ دی جائیں گی۔ جس کی آبادی زیادہ ہوں گی اس کو زیادہ سیٹیں ملیں گی، جس کی کم ہوں گی اس کو کم سیٹیں ملیں گی۔ حد بندی ہر 10 سال کے بعد نہیں ہوگی، نہ مردم شماری کی بنیاد پر ہوگی، بلکہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ حد بندی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہوگی تو کس سال کی مردم شماری پر ہوگی۔

سر، میں علاقہ واریت کو نہیں مانتا نہ اس کو فروغ دیتا ہوں، مگر ہمارے آئین کی تمہید میں بھائی چارگی کا لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے ملک کے اتحاد اور سالمیت کو مضبوط کرنے کا۔ یہ تینوں بل اس فیڈرنیٹی کے برعکس کا پیغام دیتے ہیں اور کام کریں گے۔ حقیقت یہ ہوگی کہ شمال حکومت کرے گا جنوب پر شمال خرچ کرے گا اور جنوب اس کو فراہم کرے گا۔ جنوبی ریاستوں کا ملک کی جی۔ڈی۔پی۔ میں 30 فیصد حصہ ہوتا ہے۔ اور 21 فیصد ملک کا ٹیکس ریوینیو جنوب سے آتا ہے۔ ۔ سال 2022-23 میں 3.46 کروڑ روپئے کا ان کا حصہ تھا اور 19 فیصدی آبادی بھارت میں جنوبی ہندوستان کی ہے۔ جنوب کو گوڈ گورننس کی سزا دی جا رہی ہے۔ وزیرِ اعظم کہتے ہیں کہ جس کے بچے زیادہ ہیں، مگر وہ تو جھوٹ تھا۔ مگر یہ بِل اگر قانون بنیں گے تو یہ سچ ہو جائے گا۔ اگر آپ 6 ریاستوں بہار، مدھیہ پردیش، یو۔پی۔راجستھان، گجرات اور

ہریانہ کو ملا لیں تو یہاں پر سیٹ ہوں گی 392 اور صرف 34 سیٹ کی ضرورت حکومت بنانے کے لئے پڑے گی۔ ایک کانفرنس کی مالی امداد حکومت کی، اس کانفرنس میں کسی نے اُٹھ کر کہا کہ ہم کیسے آئینی ہندو راشٹر کو حاصل کریں گے۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ غیر بی۔جے۔پی۔ پارٹیوں کی نمائندگی کو ڈائلیوٹ کرنے سے ہی آپ ایک آئینی ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یو۔سی۔سی۔ لینڈ جہاد، ہندی کو لازمی کر دینا اور بلڈوزر کا آئینی تحفظ دینا۔ ڈبل انجن سرکار کیا ہے؟ اس کا جادو یہ ہے کہ انجن شمال کا ہوگا اور طاقت جنوب سے آئے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنوبی ہند کی تمام ریاستیں اپنی آبادی بڑھانے کا کام شروع کردیں گی۔ کیا یہ ملک کے لئے اچھا ہوگا؟ یہ تو تشویشناک ہوگا۔ سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلم اکثریتی کانسٹی ٹوینسیز کو ریزرو کر دیا گیا۔ آسام اور کشمیر اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ آسام میں 30 ایسے اسمبلی حلقہ جات تھے جہاں مسلمان جیت کر آتے تھےاس کو 23 کر دیا گیا۔ یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دُھبری اور بار پیٹا میں 60 فیصدی مسلمان تھے۔ ایک دُھبری کانسٹی ٹوینسی بنا دی گئی، اب بارپیٹا سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ دوسری مثال اننت ناگ راجوری کی ہے۔ کانسٹی ٹوینسی کشمیر سے شروع ہو رہی ہے اور جموں میں ختم ہو رہی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تہذیب کا کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ دو ایڈمنسٹریٹیو ڈیویزن الگ ہیں۔ یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کشمیر کی آبادی 56.35 فیصد کشمیر کی آبادی ہے اور سیٹ 52.22 فیصد ہیں۔ جموں کی آبادی 43.65 سیٹ میں 47.7 8فیصد حصہ ہیں۔ یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلم اقلیت کو تو بی۔جے۔پی۔ ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو ریزرویشن تو دور کی بات ہے۔ مگر کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ اس ایوان میں 18 کروڑ کی آبادی کے صرف 4 فیصد ایم۔پی۔ جیت کر

آئیں گے۔ کیا یہ آپ کی ملک سے محبت ہے؟ کیا یہ راشٹرواد ہوگا کہ 18 فیصد سے 4 فیصد جیت آئیں گے؟ آپ فیصلہ کر لیجئے، ٹریزری بینچز کو سوچنا ہے۔ اگر وہ بھارت سے محبت کرتے ہیں تو تشویشناک بات ہے ۔ اگر بل قانون بنے گا تو پھر آپ بھول جائیے یہاں تو اور کم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم اقلیت کو ایس۔آئی۔آر۔ سے حق رائے دہی سےمحروم کیا جا رہا ہے۔ بلڈوزر سے بے گھر کیا جا رہا ہے اور حد بندی سے ان کی سیاسی آواز کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے ۔ سچائی یہ ہے کہ مسلم ووٹ کی ضرورت بی۔جے۔پی۔کو نہیں ہے، اس کو خطرہ سمجھتی ہے۔ سیکولر پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں پوچھنا ہی نہ پڑے اور ہم بار بار پکار کر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرو، صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو، قیادت بناؤ۔ مگر یہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بی۔جے۔پی۔ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بھارت ایک یونین آف اسٹیٹس ہے۔ صرف شمالی ریاستیں نہیں ہیں، جنوب کی ریاستیں نہیں ہیں، مشرق نہیں ہے، مغربی ریاستیں نارتھ ایسٹ ہیں، اس ملک کی ڈائیورسٹی اس کی طاقت ہے، جو یہ تین بل ختم کرنا چاہتی ہے۔ میری تجویز ہے ک کناڈا کا فارمولہ اپنایا جائے۔ کناڈا میں گرینڈ فادر کلاز کو اپنایا جائے۔ ریاست کی سیٹ آبادی پر منحصر نہیں ہوگی۔

سر، میں اس حکومت کو وارن کررہا ہوں کہ حد بندی ایک ایسا زخم ہوگا جو کبھی نہیں بھرے گا، یہ زخم ہمیشہ رہے گا۔ اور خدا نہ خواستہ یہ ملک کو کمزور نہ کر دے۔ حکومت صرف اپنے سیاسی لالچ کو حاصل کرنے کے لئے ملک کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ اکثریت کی حکمرانی کا مخالف رہا ہوں، چاہے زبان یا مذہب کی بنیاد پر ہو۔ ملک کو

اگر وِکست بھارت بنانا ہے تو ہر شہری کی آواز کو اس ملک کو چلانے کے لئے قبول کیا جانا چاہئے۔ جنوب کی ریاست کے لئے ہبس اینڈ چوائز ہے سال 2011۔ اگر سال 2011 ہوگا تب بھی ہم سیٹیں کھو دیں گے۔ اگر سال 2026 کا ہوگا تو کیا سچویشن ہوگا؟ میں آپ کے ذریعہ سے حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وزیرِ اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہائبرڈ ماڈل تجویز پیش کی ہے۔

وہ کیا ہے؟ 40 فیصد کی سیٹیں آبادی پر، 40 فیصد ایکونومک پرفارمنس پر اور 20 فیصد فیڈرل بیلنس ہو۔ میں حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مسلمانوں، او۔بی۔سی۔ اور جنوبی ریاستوں کے لئے مت کیجئے۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ۔

سر، وزیرِ داخلہ امت شاہ نے اپنے انٹر وینشن میں کہا کہ تیلنگانہ میں25 سیٹیں ہوں گی۔ میں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں تو میں نے ایک امینڈمینٹ کلاز -3 بل میں موو کیا ہے۔ آپ اس کو سپورٹ کر دیجئے۔

سر، اگر کوئی منتری یہاں پر کچھ بولتا ہے اور وعدہ پورا نہیں ہوتا تومیں بریچ آف پری ولیج ڈالوں گا۔ مگر، قانون کی بات ہو رہی ہے۔ آپ قانون میں لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بول رہے ہیں کہ میری بات کا بھروسہ کیجئے۔

کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک
خاک ہو جائیں گے ہم تم کوخبر ہونے تک

سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو کیوں لا رہی ہے۔ یہ اس لئے لا رہی ہے، آپ سن لیجئے، ۔ یہ کس نے کہا؟ بنچ آف تھوٹس میں گولوالکر

جی نے کہا ہے

جہاں سے گزرو، دھنواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو
تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمین کو لال کر دو
اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم
جسے بھی چاہو حرام کہہ دو جسے بھی چاہو حلال کر دو

سر، میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس میجوریٹی نہیں ہے۔ یہ مت کیجئے۔ یہ ملک کو کمزور کرنے کی حرکت ہوگی۔ (شکریہ)

[(ختم شد)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : चेयरमैन सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

HON. CHAIRPERSON : Under which rule you want to raise a Point of Order? *... (Interruptions)*

डॉ. निशिकान्त दुबे : चेयरमैन सर, नियम- 352 के तहत मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। इन्होंने गुरु गोलवलकर जी का नाम लिया है। 'बंच ऑफ थॉट्स' का नाम लिया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 'बंच ऑफ थॉट्स' को गुरु गोलवलकर जी ने वर्ष 1960 में खुद ही खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस किताब से मेरा कोई लेना-देना नहीं है।... (व्यवधान)

चेयरमैन सर, उन्होंने खुद ही कह दिया था। उन्होंने मना कर दिया था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री हनुमान बेनीवाल जी।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

महोदय, मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम महिला

आरक्षण के पक्ष में हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, sit down please.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Owaisi ji, please sit down.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go in record except the speech of Shri Hanuman Beniwal ji.

... (Interruptions) …[*]

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिला वर्ग को सम्मान मिले और महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, यह हमारी विचारधारा भी है । हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन, इस तरह के मनमानी वाले और दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग तथा कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध करती है।

महोदय, इसी सदन में वर्ष 2023 में जब नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया गया, तब हमने उस वक्त भी महिला आरक्षण का समर्थन किया था और सरकार से पूछा कि इस आरक्षण को कब और किस रूप में लागू किया जायेगा? तब सरकार ने जवाब दिया कि जनगणना के बाद इसे लागू करेंगे और हम सभी विपक्ष के साथियों ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई, इस पर भी सरकार को सहमत होना पड़ा, लेकिन अब जातिगत जनगणना से पहले आप यह परिसीमन विधेयक लाकर दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के हक और अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हैं, वहां आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में ऐसी क्या नौबत

[*] Not recorded.

आ गई, जो चुनावों के मध्य यह बिल लाये गए और देश की जनता में जो चर्चा है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि महिला आरक्षण के नाम पर सत्ता पक्ष केवल दिखावा करने में भरोसा रखता है।

सभापति महोदय, परिसीमन के प्रस्तावों को लेकर देश भर से कई गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। असम और जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से परिसीमन किया गया है, वह दिखाता है कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य और विषयवस्तु छल-कपट से भरी हुई है और इनका प्रभाव बेहद व्यापक और नुकसानदेह है, इन्हें उनके वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में गहरी चिंता और जनता की आवाज लेकर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यह विषय केवल तकनीकी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संघीय संतुलन और सामाजिक न्याय की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

महोदय, संविधान संशोधन कोई साधारण विधायी प्रक्रिया नहीं होती, यह देश की मूल भावना, संविधान निर्माताओं के विजन और जनता के विश्वास को प्रभावित करती है, लेकिन आज जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे यह आशंका पैदा हो रही है कि सामाजिक न्याय की नींव विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकार कमजोर किए जा सकते हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि आप यह नहीं भूलें कि हमारा संविधान बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी और हमारे संविधान निर्माताओं की मेहनत, संघर्ष और दूरदृष्टि का परिणाम है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं है, यह सहमति, संवेदनशीलता और संतुलन का नाम है। आज देश में यह धारणा बन रही है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक चर्चा और बिना जन-सहमति के किए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक भी हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र "नंबर गेम" नहीं है, लोकतंत्र "विश्वास" का नाम है और एनडीए की सरकार के पिछले कुछ वर्षों के कार्यकाल को देखें, तो यह सरकार उसी विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है, जिस विश्वास के साथ देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया।

सभापति महोदय, भारत में बड़ा हिस्सा ओबीसी की आबादी का है। ओबीसी वर्ग का आरक्षण भी है, अगर जातिगत जनगणना के बाद सरकार कुछ करती, तो सरकार का संदेश सकारात्मक जाता। आप देखिए कि सरकार कह रही है कि हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से करेंगे। अभी 5 वर्ष से अधिक समय हो गया, अब तक नई जनगणना नहीं हुई, कुछ समय पहले ही प्रारम्भ हुई है। आप यह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कर रहे हो, मगर देश में कई योजनाएं विशेषकर गरीबों से जुड़ी योजनाएं जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से चलती हैं और वर्ष 2011 के बाद जनसंख्या बढ़ी, मगर आपने गरीबों के लिए लाभों को सीमित कर दिया। आपने योजनाओं का लाभ देने में यह क्यों नहीं सोचा कि जनगणना का इंतजार किये बिना जनता को उन योजनाओं का लाभ प्रदान करें, जिसकी वास्तव में उन्हें जरूरत है।

सभापति महोदय, जातिगत जनगणना के बाद सरकार यह कदम उठाती और ओबीसी वर्ग के लिए भी विधान सभा और लोक सभा में आरक्षित प्रावधान रखती और जनगणना के बाद एससी, एसटी की सीटों को बढ़ाने का प्रावधान रखती, तो शायद देश की जनता कहती कि सरकार बाबासाहेब के आदर्श और विचार को मानती है, मगर जनगणना में देरी होगी, इसलिए हम यह बिल लाये हैं, तो इस देरी की जिम्मेदार भी सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक चर्चा और सहमति के क्यों लाए जा रहे हैं? चर्चा, संवाद लोकतंत्र का हिस्सा है, मगर न राज्यों से संवाद, न सभी दलों से सहमति, सिंगल मेंबर पार्टी को आपने बुलाया ही नहीं, न जनता से राय, क्या आपका यही वह तरीका है, जिसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बता रहे हो?

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने कहा कि हमारा लोकतंत्र 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक न्यायसंगत सिद्धांत है, जो आदरणीय बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा निर्मित हमारे संविधान में निहित है, यानी प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और उस वोट का मूल्य बराबर है, चाहे किसी गरीब का वोट हो या करोड़पति का, महिला का हो या पुरुष का, चाहे वह नागरिक किसी भी राज्य में निवास करता हो,

सबके वोट का मूल्य बराबर है और यह सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। मान्यवर कांशीराम जी ने 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' का नारा दिया था । यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

सभापति महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं राजस्थान की बात करूं, जहां से मैं आता हूं, वहां की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। राजस्थान में 6.85 करोड़ को 14.20 लाख की जनसंख्या प्रति लोकसभा से विभाजित करने पर 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, अगर परिसीमन होता, परंतु आप जो कर रहे हैं, इससे 10 लोक सभा की सीटों का नुकसान होगा, इसलिए आप जब जवाब दें, ताकि इस विषय पर राजस्थान की जनता सरकार की मंशा को जान सके।

सभापति महोदय, मेरा कुछ सवाल है। क्या इन विधेयकों को लाने से पहले पर्याप्त पब्लिक कंसल्टेशन लिया गया? बिल को जल्दबाजी में लाया गया, जिससे सांसदों को अध्ययन का समय नहीं मिला, एक दिन पहले बिल मिला था।

आपने ऐसा क्यों किया? देश की जनता के मन में प्रश्न है कि क्या यह बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है? कई राज्यों की बड़ी शंका है कि सरकार का यह कदम क्या संघीय ढांचे को कमजोर करता है? क्या सरकार दक्षिण भारत और अन्य संतुलित जनसंख्या वाले राज्यों के हितों की रक्षा करेगी? क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसद में प्रतिनिधित्व का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? परिसीमन आयोग में जुडिशियल रिव्यू की सीमा क्या होगी और आयोग के निर्णयों पर संसद की क्या भूमिका होगी?

महोदय, महिलाओं के बारे में आज बहुत सारी बातें कही गईं। प्रधान मंत्री भी चिंतित थे, विपक्ष के लोग भी चिंतित थे। वर्ष 2014 से 2026 आ गया, आपको कौन मना कर रहा था? अगर आप चाहते तो इसे वर्ष 2024 में ले आते।

निशिकांत जी, आपके यहां तो ऐसे-ऐसे *... (Interruptions) ...* * बैठे हैं, जिन्होंने पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा। आप कौन से महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? आप उनको पार्टी से निकालते, तब देखते। *... (Interruptions) ...** का जो मामला था, उसमें तो आपके एक मंत्री का नाम आ गया था। मंत्री जी का नाम आया *... (Interruptions) ...** और ये आराम से बैठे हैं। इनको जरा भी वह नहीं है कि किस तरह से इनका नाम आया? यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।... (व्यवधान) पूरा देश देख रहा है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It will not be on record.

****SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI):** Today, I rise in this agust House on behalf of the Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar to speak on this historic Bill. Before I delve into the specifics, I wish to remind this House of the aftermath of the Pulwama attack, when the government initiated 'Operation Sindoor', and two brave women military officers came forward to brief the world. When a natural disaster struck Wayanad in Kerala, nearly one lakh women military personnel from our Ahilyanagar district in Maharashtra were at the forefront of the relief operations. Be it the Air Force, the Army, or the Navy, today women stand shoulder to shoulder with men. This transformation became possible due to the visionary policies of our leader, Hon. Sharadchandra Pawar Sahab. It was through the insistence of the then Defence Minister, Hon. Sharadchandra Ji Pawar Sahab, that women were first granted entry into the armed forces. It was because of him that women received 33 per cent reservation in

---

* Not recorded.

** English translation of the speech originally delivered in Marathi.

Maharashtra, which was later increased to 50 per cent. Our nation has a profound history of Ran-Raginis as well as Vidushis who rose to prominence through their intellect. We are fortunate that under the guidance of our Group Leader, Hon. MP Supriya Tai Sule, we are advocating for the principle of gender equality in Parliament.

Whenever the subject of women's reservation bill is tabled in this House, I am reminded of the women’s empowerment policies of Hon. Sharadchandra Ji Pawar Sahab. I recall his struggle to give women equal rights in ancestral property. Most importantly, he ensured that 'Matru-Shakti' (Mother Power) and 'Nari-Shakti' (Woman Power) received a significant place on the social canvas of Maharashtra. 350 years ago, the work of providing women a place of dignity, insistence, and equality was initiated by Chhatrapati Shivaji Maharaj, and later carried forward by Mahatma Jyotirao Phule, Rajarshi Shahu Maharaj, and Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. Therefore, when a Bill to grant reservation to women is tabled in this House, we have no reason to oppose it; in fact, we support it wholeheartedly. However, we shall never support the "game of delimitation" that this government is playing under the guise of women's reservation.

Hon. Chairperson Sir, the Central Government is making tall claims about the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam'. However, when we scrutinize the technicalities of this Bill, it becomes evident that under the name of empowerment, this Bill is strangling federal democracy. Instead of implementing the reservation immediately, a condition has been imposed that

it will only be applicable after the first census conducted after 2026 and the subsequent delimitation of constituencies. In reality, it was entirely possible to implement women's reservation in the current structure of 543 seats through a rotational method. By not doing so, the government's policy and intent both fall under suspicion.

When we talk about women's reservation, why is there no separate provision for women from the OBC community in this Bill? Rajarshi Shahu Maharaj provided a share in power to the Bahujan community from the throne of Kolhapur. Why is the government, which frequently invokes his name today, excluding OBC women from this reservation? Until a caste-based census is conducted and the formula of Proportional Representation based on Population (Jitni Sankhya Bhaari, Utni Bhagidari) is applied, this social justice remains incomplete. This Bill has altered the very definition of population. Now, constitutional criteria will not determine which census is used; instead, it will be decided by a simple majority. This is a dangerous play with the Constitution. Tomorrow, if the government wishes, they may conduct the 2026 census or further delay the process. such uncertainty is a contraction of democracy. Mahatma Phule said, without knowledge, wisdom was lost; without wisdom, morality was lost. Maharashtra has preserved both wisdom and morality, but today, due to the policies of the Center, both the wealth and the power of Maharashtra are under threat.

I represent a constituency like Dindori, which is tribal-dominated and geographically challenging. If delimitation is based solely on population, the

size of hilly and rural constituencies will become so vast that it will be impossible to reach the last person with development. Will you punish tribal areas that have successfully implemented population control policies by reducing their representation? The Central Government has proposed changes to Articles 81 and 82 of the Constitution. These changes are not just about increasing seats; they are designed to politically disenfranchise those states that have made progress in health and education and limited their population.

The government may use census data as it pleases in the future. This defeats Dr. Babasaheb Ambedkar's principle of One Person, One Value. By lifting the freeze on seat allocation that has been in place since 1976, states that controlled their population through progress in health and education will receive fewer seats. They are being penalized for their good work.

Finally, hon. Chairperson Sir, Babasaheb stated that in a federal system, both the Center and the States are supreme in their respective spheres. But through this Bill, the Center is encroaching upon the political rights of the State governments. Until the formula of "Proportional Representation" is implemented and OBC women get their rightful share, I believe this Bill should not be enacted.

Thank you!

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी, जनता दल यू और हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता, बिहार

के शिल्पकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके नेतृत्व में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना, जहाँ महिला सशक्तिकरण हुआ और वे उसके सूत्रधार बने।

महोदय, वर्ष 2006 में बिहार में माननीय नीतीश जी के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं में तथा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण और मुख्य मंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना एवं विवाह योजना शुरू की गई। वर्ष 2007 में नगर निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण, वर्ष 2007 में ही विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीविका दीदी स्कीम शुरू की, जो आज एक करोड़ चालीस लाख महिलाएँ जीविका दीदी के रूप में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।

वर्ष 2013 में पुलिस में पहली बार 35 प्रतिशत आरक्षण और वर्ष 2016 में नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया । उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर इतिहास रचा। इसके साथ ही मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने वर्ष 1996 से यानी 27 वर्षों तक लंबित विषय को वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में वास्तविकता में बदला।

महोदय, हमारे शास्त्रों में पहले ही नारी को शक्ति स्वरूप माना है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में नारी स्वयं कहती है कि अहम् राष्ट्री संगमनी वसूनाम्। यह प्रमाण है कि वेदों ने नारी को नेतृत्व कर्ता और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार किया है। महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में महिलाओं के लिए मुखर होकर वकालत की, हालाँकि उनको उसका बहुत विरोध करना पड़ा। फिर भी उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 16 में लैंगिक समानता, शिक्षा और समान सम्पत्ति का अधिकार दिया। आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के माध्यम से महिलाओं को बिना किसी शर्त पुरुषों के समान एडल्ट सफरेज का अधिकार देकर राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। जबकि यह व्यवस्था उस वक्त विकसित देशों जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं थी। उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया कि 'वन मैन, वन वोट', 'वन मैन, वन वैल्यू' और 'ऑल मैन वन क्लास'।

महोदय, 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक मुख्य रूप से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया को तेज करने, वर्ष 2029 के लोक सभा चुनावों से पहले डीलिमिटेशन के माध्यम से वर्ष 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में तकनीकी बदलाव करता है और वर्ष 1976 के परिसीमन फ्रीज को समाप्त करता है।

वर्ष 2026 के बाद वाली जनगणना के चक्र से अलग कर अब इसे सीधे तौर पर परिसीमन आयोग से जोड़ दिया गया है ताकि परिसीमन आयोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपे और नई सीटों का निर्धारण हो, वैसे ही 33 परसेंट आरक्षण लागू हो जाए। कहते हैं कि सीमाएं बदलेंगी तो प्रतिनिधित्व सुधरेगा और प्रतिनिधित्व सुधरेगा तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। जब हमारे देश में वर्ष 1971 की जनगणना हुई थी तब भारत की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी और आज वर्ष 2026 में यह जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ हो गई है बल्कि उससे भी ज्यादा है। आज भारत में एक सांसद औसतन 25 से 30 लाख की आबादी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन बिल 128 के जरिए अनुच्छेद 81 में बदलाव किया जा रहा है।

महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि डीलिमिटेशन नई अवधारणा नहीं है, बल्कि संविधान की मूल भावना है। संविधान के अनुच्छेद 81 में स्पष्ट कहा गया है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 82 यह निर्देश देता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्गठन किया जाए लेकिन इतिहास में कुछ परिस्थितियों के कारण इस प्रक्रिया को रोका गया। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 संशोधन में राज्य की विधान सभाओं के लिए भी जनसंख्या की परिभाषा तय की गई है। अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन जो एससी, एसटी के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 334-A का सब्सीट्यूशन, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधान सभाओं के साथ केंद्र शासित दिल्ली, पुदुचेरी, कश्मीर की विधान सभा में महिला आरक्षण लागू होगा। परिसीमन के बाद वर्तमान संसद के डिजॉल्व होने तक मौजूदा प्रतिनिधित्व प्रभावी होगा।

महोदय, विजन 2047 के तहत जब वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां महिलाओं की भागीदारी भी होगी और महिलाएं नेतृत्वकर्ता होंगी। यही निर्णय आने वाले 100 वर्षों की दिशा तय करेगा। नारी शक्ति को अब सम्मान नहीं, अधिकार भी चाहिए। वक्त आ गया है कि उसे नेतृत्व का द्वार चाहिए। अब संसद में भी उसके उज्ज्वल भविष्य का अधिकार चाहिए।

महोदय, यह केवल विधेयक या संशोधन नहीं, यह सामाजिक संकल्प है, इसलिए मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: So many lady Members would like to take part in the debate. If you take three minutes each, we will be able to accommodate all.

If the House agrees, we will extend the time of the House up to 12 O' clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay. Dr. Kadiyam Kavya.

***DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL):** Thank you Chairman Sir. Before speaking on this bill as a woman parliamentarian from Telangana, I would like to make some observations on what MP Tejaswi Surya spoke about Telangana and said that formation of Telangana was worse than partition of India. Those comments were irrelevant and immature. Because we know what the self-respect and sacrifice of Telangana was? We know the pain in the struggle of the Telangana movement? We got Telangana after many years of struggle. That too was possible only because of our leader Sonia Gandhi, though there were no political benefits by forming Telangana she went ahead

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

because see understood and valued the sentiments of Telangana. NDA alliance called the formation of Telangana as Black Day. If you make such statements you won't be able to seek votes in Telangana. Therefore, I demand that the BJP should apologise unconditionally to the people of Telangana for making such remarks.

When it comes to women reservation bill Congress party is known as champion of women reservation. Because Rajiv Gandhi dreamed of providing 1/3 reservation for women in Panchayati Raj institutions and local body governments, this was made a reality by a son from Telangana Shri PV Narasimha Rao. That is the reason why we see women in Panchayati Raj institutions and local body governments. Though this women's reservation bill was passed in 2023 it was not implemented in general elections of 2024. Our honorable Prime Minister should answer why this was not implemented then. Today Home minister Shri Amit Shah mentioned the number of seats that will be increased in Southern States but he did not mention the number of seats that will be increasing in Northern states of our country. As per the proposals there will be an increase of 66 seats in Southern States whereas there will be an increase of 270 seats in Northern States. Southern States contribute to 30 per cent of GDP. They are meticulously following family planning and other measures for development. That is the reason why Southern States have controlled population growth if you allocate parliamentary seats on the basis of population, Southern States will be subjected to gross injustice. Is this a penalty for being good and competent?

When the women's reservation bill was passed in 2023, the government said that they will have a census by 2026 followed by the delimitation and then the women reservation will be implemented but now they have taken U turn. Now they are trying to bring a constitutional amendment and would like to implement this bill in a hurry. They are also mentioning that they will be taking the old census into consideration and they won't be considering a new census. This is objectionable. By not taking the new census into consideration and by not having a caste census how are they going to extend the benefits of the constitution to the women belonging to BCs, OBCs, SCs, STs and minorities? The way this bill is being passed amidst elections in some States reflects the intention to derive electoral benefits. This appears to me as a conspiracy of BJP to win elections in 2029. We won't accept this bill without clarity on the percentage of reservation for various communities. Today honorable Prime Minister Shri Narendra Modi spoke as if he had immense respect and concern for women but what happened to this concern when women were paraded naked in Manipur. When civil society hanged its head in shame, our prime minister did not even express his solidarity. This is gross injustice. Every woman is considered as a source of power. In the name of religion BJP is indulging in vote theft and they are controlling judicial and constitutional bodies. This is a sick state of mind of the BJP. Until this bill ensures justice for every religion, every citizen, every community and every woman we are not going to accept the bill in this form. Telangana still did not receive benefits as per the AP reorganisation act. We are not in a position to believe verbal

assurances of this government. We don't want assurances written on water; we want proper written assurances.

The government should take all these concerns into consideration and come out with a bill which ensures justice for all. With these words I conclude. Jai Telangana. Jai Bhim. Jai Bharat.

23.00 hrs

***THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY):** Hon. Chairperson Sir, this morning my colleague, Bengaluru MP Shri Tejaswi Surya while participating in the discussion on Women Reservation Bill, he did not demean the Telangana movement or the people of Telangana.

If he spoke in that manner we will withdraw that statement. But his real intention was to highlight how the congress party suppressed the Telangana movement by killing 369 students in 1969.

Till 2014, 1200 protesters committed suicide for the cause of Telangana. Such a thing never happened in any part of the world and this has happened because of wrong methods and practices of the Congress party. People of Telangana were betrayed and cheated due to the Congress party's misrule. That's what my fellow MP stated.

SHRI TEJASVI SURYA: Hon. Chairperson, Sir, she has taken my name. … (*Interruptions*) Please give me 20 seconds. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, Tejasvi Surya.

… (*Interruptions*)

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister has already clarified.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your name is not taken.

… (*Interruptions*)

SHRI G. KISHAN REDDY: His name is taken. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let me please complete. Your name is not taken. She has mentioned your name in reply to your observation that you have made. That is all. Anybody can do that.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, please Sangeeta *ji*.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Ravi ji, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA: Chairperson Sir, I want to make it abundantly clear that my statement is being taken out of context. It is being twisted with a malicious intent. My intent is to expose how the Congress Party, in particular, has tried to sabotage the Telangana movement. More than 1,200 people committed suicide; more than 300 people died by firing. This is the legacy of the Congress Party, and I have absolute respect for the martyrs of the Telangana movement, and I want to pay my respects to them.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. He has not made any allegation. He has only clarified the position. When your turn comes, you can respond.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Chairperson Sir, I thank you for the opportunity to speak on the The Constitution (128th Amendment) Bill, 2023. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam is a powerful expression of respect for the rights of crores of mothers and sisters across the country. It ensures 33 per cent reservation for women in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies, with reservation of seats for SC and ST women so that representation is not only symbolic but also real. Now is the time to bring this transformative and historic Bill into reality. For decades, this issue has remained under discussion, and it is only in 2023, under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister, that this House passed this legislation unanimously, with the expectation that it must be implemented and not only remain a promise on paper.

Under the leadership of our hon. Prime Minister, this has moved forward with the courage of his convictions and his commitment to bringing about gender parity and ensuring that women assume their rightful place in the decision-making process of the country. When we talk about women empowerment, we must keep in mind several aspects. There is social empowerment, there is financial empowerment, and lastly, political empowerment. Since 2014, our hon. Prime Minister has been championing the cause of empowering women, and he has brought in path-breaking legislation, schemes, and reforms, just to give one example, like Triple Talaq.

The Nari Shakti Vandan Adhiniyam is not an isolated legislation or reform. It is the natural progression of a larger vision of our hon. Prime Minister

to bring about gender equality and inclusive democracy. At a time when India is the fourth largest economy in the world and the world's largest democracy, and we want to achieve the goal of *Viksit Bharat* by 2047, it is but natural that we make optimum utilisation of our human resources, which comprise 1.4 billion people, out of which 50 per cent are women.

Now, the idea is that if we are to make this optimum utilisation of our human resources, we have to bring women into the mainstream, and that is the idea behind this entire legislation. For centuries, women in this country have contributed without recognition, participated without power, and endured without a voice; that chapter is now closing. Women in India have never had it better. I feel it is a great time to be a woman in today's day and age, and this is the result of a leadership that has understood the soul of this nation. In this *Amrit Kaal*, under the stewardship of the hon. Prime Minister, we have witnessed not just governance, but social reform and action.

That is the reason why millions of women across this country have reposed their faith and trust in his leadership. Our hon. Prime Minister has stood for the dignity of women, their safety and healthcare. I just want to give one example. The paid maternity leave has been increased to 26 weeks and the IMR and the Maternal Mortality rate and the female foeticide occurrences have all come down. This is because of the success of the various schemes which the hon. Prime Minister's current Government has brought into being. Sir, now, women will stand as equal stakeholders in the destiny of our nation. And this is how a nation matures, democracy deepens and history is created.

I am just about to conclude, Sir. I just have to say to every woman of this country that this moment belongs to you. Your patience, your resilience, your strength and your silent contribution to this nation's journey has brought us here and Sir, I say this with full conviction that by the time, our country completes 100 years of Independence in 2047, the foundation we are laying today will ensure that women are not seeking space. They will be defining it as leaders and law-makers.

I conclude by requesting the Members of the Opposition to whole-heartedly support this revolutionary legislation rather than scuttle it under the pretext of the Delimitation Bill as an excuse.

Thank you so much, Sir.

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): Sir, give me an opportunity to speak for thirty seconds. I want to give a reply to the previous hon. Member.

HON. CHAIRPERSON: If your name is in the list, I can provide time for the speech. You can counter it in your speech when your turn comes.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, when your turn comes, you can counter it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No allegation is made against you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Sushri Iqra Choudhary Ji.

… (*Interruptions*)

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बेहद महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज मैं बड़े ही दुख के साथ यह बात कहना चाहती हूं कि इस सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 2023 में पास किया था, आज उसे फिर से लेकर आने और उसे डीलिमिटेशन एवं सेंसस की आड़ में छुपाने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार इस देश की महिलाओं के साथ फिर से एक धोखा करने जा रही है। पहले इन्होंने वर्ष 2034 में इसके इंप्लीमेंटेशन की बात कही और अब भी इनकी नियत वर्ष 2029 में इस बिल के इंप्लीमेंटेशन की नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने हिसाब से डीलिमिटेशन करने जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि सेंसस के आधार पर महिलाओं को उनके अधिकार देने से रोका जाए। आज चिंता महिला आरक्षण की नहीं है, महिला आरक्षण बिल तो सर्व-सहमति के साथ इसी सदन में वर्ष 2023 पास हो चुका है। चिंता इस बात की है कि इस आरक्षण की आड़ में मनमुताबिक डीलिमिटेशन के द्वारा राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023 में इसी सरकार ने देश को बताया था कि महिलाओं का आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसे न्याय और सटीकता के लिए आवश्यक बताया गया, लेकिन अब मात्र तीन वर्षों के भीतर वही सरकार कह रही है कि नई जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीन वर्षों में ऐसा क्या बदल गया? क्या संविधान बदल गया या सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं? यह अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए सरकार का यह बदलाव किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज पर आधारित है। पहले कहा गया कि अपडेटेड आंकड़ों के बिना प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण होगा और आज उसी सिद्धान्त को नज़रअन्दाज़ किया जा रहा है। यह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिज़्म है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार जान-बूझकर पुराने आंकड़ों का उपयोग करना चाह रही है। जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन सरकार उसे कराने में विफल रही।

सभापति महोदय, अब उस गलती को सुधारने के बजाय देश के प्रतिनिधित्व को वर्ष 2011 के आंकड़ों पर चलाना चाहती है, जो आंकड़े वर्ष 2029 में 18 वर्ष पुराने हो जाएंगे। यह विधेयक आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश है। जब नीति लोगों को उनके वर्तमान स्वरूप में देखना बंद कर देती है और उन्हें पुराने समय के आधार पर आंकती है, तो वह केवल असत्य ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा संवधान एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। आर्टिकल 82 यह सुनिश्चत करता है कि परिसीमन जनगणना के बाद हो और आर्टिकल 81 और 170 यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो, ताकि हर वोट का समान मूल्य रहे। लेकिन यह बिल सीधे 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को प्रभावित करता है।

माननीय सभापति महोदय, स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जब हम परिसीमन आयोग को दी जा रही शक्तियों का आंकलन करते हैं। यह आयोग सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, दोनों का निर्णय करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां सत्ता पक्ष पूरे देश के पॉलिटिकल मैप को अपने लाभ के लिए बदल सकता है, वह भी बिना किसी न्यायिक निगरानी के। इस शक्ति के दायरे को समझने की जरूरत है। आज सीमाएं तय करेंगी कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करेगा, किस समुदाय की आवाज सुनी जाएगी और किसकी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, डेमोक्रेसी में पावर के साथ-साथ चैक एंड बैलेंसेज़ होना बेहद जरूरी है। सरकार एक ऐसी संरचना बनाने जा रही है, जहां पॉवर केंद्रित हो और जवाबदेही अनुपिस्थत हो। जब इतनी व्यापक शक्तियां बिना किसी निगरानी के दी जाती हैं, तो यह केवल एक तकनीकी चिंता नहीं रहती, यह प्रतिनिधत्व की निष्पक्षता को प्रभावित करता है।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक लोक सभा की सदस्य संख्या को 50 प्रतिशत बढ़ाने की बात करता है। लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि संसदीय कार्य प्रणाली में कसी सुधार के इस सदन की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। एक सदस्य के लिए बोलने का समय घटेगा,

समितियों का संचालन कठिन हो जाएगा और छोटे दलों के लिए अपनी बात रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अत: मेरी मांग है कि सरकार पहले संसदीय सत्रों के नंबरों को बढ़ाने की गारंटी दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जरूरी बात रखना चाहती हूं, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। महिलाएं कोई होमोजिनियस ग्रुप नहीं हैं। वे एक समान, एकरूप समूह नहीं हैं। उनकी वास्तविकताएं, जाति, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूम से निर्धारित होती हैं। फिर भी यह विधेयक इस वास्तविकता को नज़रअंदाज़ करता है और पीडीए समुदाय, विशेषकर ओबीसी महलाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी है। यह इस विधेयक की संरचना में एक गंभीर कमी है। माननीय सभापति महोदय, आप सोचिए कि एक ऐसी युवा महिला, जो किसी पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक परिवार से आती है। जो अपने घर में पहली बार पढ़ाई कर रही है, पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन का सपना देख रही है। उसके पास संसाधन, नेटवर्क या राजनीतक समाधान नहीं है। बिना उप-कोटा के, वह इस व्यवस्था में कैसे पार्टिसिपेट करेगी, जहां पहले से ही असमानताएं मौजूद हैं? ओबीसी उप-कोटा के बिना, इस आरक्षण का लाभ पहले से ही सुविधासंपन्न वर्ग तक सीमित रह जाएगा, वंचित समुदायों की महिलाओं को एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक न्याय के बिना, ओबीसी कोटे के बिना महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ एक सीमित दायरे तक रह जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मेरी कुछ मांगें हैं, जो मैं इस सदन में रखना चाहती हूं। डिलिमिटेशन और जनगणना के आंकड़ों का महिला आरक्षण विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि सरकार महिलाओं के आरक्षण को जनसंख्या के आंकड़ों से जोड़ने पर तुली है, तो जिसे आधी आबादी कहते हैं, महिलाओं को उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के साथ 48-49 परसेंट आरक्षण देने का काम करे। महिला विधेयक को डिलिमिटेशन और सेंसेस से डीलिंक करके

वर्ष 2029 में लागू किया जाए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की महिलाओं के लिए भी इसमें एक कोटा दिया जाना चाहिए । गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए राज्यों द्वारा चुनावी खर्च का प्रबंध किया जाए। थैंक-यू।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, I rise to participate in this important discussion, and I wish to say, at the very outset, that I myself and my party unequivocally support the objective of enhancing women's representation in our Legislatures.

The data clearly shows that women remain significantly under-represented in Parliament and State Assemblies despite being nearly half of our population, and this imbalance must be corrected.

Sir, greater participation of women will undoubtedly make governance more inclusive, responsive and sensitive to societal needs. … *(interruptions)* However, the mechanism chosen for its implementation raises serious concerns, particularly the decision to link women's reservation with delimitation.

Sir, the operationalisation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam was contingent upon a fresh delimitation exercise after the next census. The delimitation in India has always been a deeply consequential exercise because it determines the political weight of States in this Union. When such an exercise is tied to population, it inevitably raises the question of fairness among States that have followed different developmental trajectories. Sir, States like Kerala and several other Southern States have over decades invested in education, healthcare and family planning. They have successfully

stabilised population growth and improved human development indicators. However, if delimitation is carried out strictly on the basis of population, these very States stand to lose their relative representation in Parliament. This creates a paradox. This is not merely a political concern, it is a constitutional and federal concern.

Sir, our Union is built on a delicate balance between population-based representation and federal equity. Any disruption of this balance risks deepening regional disparities and fuelling a North-South divide.

Sir, these three Bills ostensibly aim at the implementation of 33 per cent reservation for women in Parliament and State Assemblies, for which a series of amendments are being made in the Constitution, which was amended in 2001 and 2003. Amending Articles 81, 82, 170, 330 and 332 frees the existing seats which were fixed as per 1971 Census of Parliament and State Assemblies till 2026. Changes to this arrangement were to be made after the first Census after 2026. Parliament passed the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 unanimously in September 2023. This Act introduced Article 334(A) in the Constitution, mandating one-third reservation for women in Lok Sabha and Vidhan Sabhas to come into effect after the next census and the delimitation process, a stand taken by the Government. In fact, the Leader of the Opposition in Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge ji, had demanded that the reservation provision for women should be implemented from 2024 Lok Sabha elections itself. But the Government did not agree. Now, this very Government is amending Article 334(A) to effect reservation in 2029 and called this special

sitting in the midst of elections in five States where electioneering is at its peak in Tamil Nadu and West Bengal, which will be over by 29th. Sir, I do not understand what this tearing hurry is to bring in this amendment at this particular juncture.

This new proposal should have been discussed in an all-party meeting, but the intention became clear when the PM spoke in the House this morning, calling for consensus in passing this Bill. The PM was all the time emphasising on political advantage. It is very clear that the Government has brought this purely for political advantage. The intention is to put the Opposition in a bind. This kind of one-upmanship and underhand tactic on an issue on which there is unanimity in the House is very unfortunate on the part of the Prime Minister and this Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

ADV. FRANCIS GEORGE: The last decadal Census was due in 2021. This Government kept postponing it. We do not know why. Now, any delimitation has to be politically equitable. As I said earlier, States that have made great strides in population control and smaller States should not be at a disadvantage in our federal democratic setup. … *(interruptions)* When this delimitation is done on the basis of the 2011 Census, to cite an example, the Lok Sabha seat of UP will be hiked from 80 to 138. But in the case of Kerala, it will be just 23 from 20, if it goes by the 2011 Census. … *(interruptions)*

Now, the Government said that there will be a 50 per cent hike in seats for all States, but that is not mentioned in the Bill. If the Government bases

2011 Census for delimitation, how will it be possible?

Sir, women's reservation is a pretext for changing the very architecture of Parliament to the long-term advantage of the Ruling Party. These Bills subvert the Constitution by shifting the decision of delimitation from the Constitution to ordinary legislation, which any Government can pass with a simple majority. The Opposition will have no say in determining the basis for allocating seats in Parliament.

Sir, these Bills weaken the federal structure of States. The number of seats for every State will now be based on population proportion in the census to be chosen by the Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, I am concluding. If these amendments take effect, it will lead to a disproportionate higher increase for the Hindi heartland States. This goes against the spirit of India as a Union of States as defined in the Constitution.

Sir, once these amendments are accepted, the Opposition will have no say on which census will be used by the Government in the future. The purpose of these Bills is to change the playground to be permanently in favour of the BJP or the ruling dispensation. I oppose these Bills and request the Government to withdraw these Bills once and for all.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak at this historic moment in our nation's progress. I am grateful for this opportunity to speak on the Constitution Amendment Bill that

seeks to operationalise the Nari Shakti Vandan Adhiniyam and ensures 33 per cent reservation for women in Parliament and State Assemblies before the 2029 elections.

I come from the land of Basavanna, who in the 12th century established the Anubhav Mantapa, a remarkable forum of dialogue that embodied participatory and democratic values. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam reflects Bharat's enduring commitment to building an equal and impartial society, an idea long championed by Anna Basavanna.

As Basavanna said, I quote in Kannada, "*Baktanade lingavepati tano satikaan koodalasandamadev*" and this profound vachana reminds us that for a true devotee, the divine is the only husband, and the devotee, irrespective of gender, is the wife. It also simply reflects a deeply democratic vision where distinctions of gender dissolve in the pursuit of truth. Such ideas of equality were nurtured on this very land centuries ago. I also come from the land of violent women like Kittur Rani Chennamma, Onake Obavva, and Akka Mahadevi, our timeless symbols of courage, resilience and the true spirit of Nari Shakti.

Sir, in this regard, the Nari Shakti Vandan Act is not just a law but also a heartfelt honour by the NDA Government, led by PM, Shri Narendra Modi ji, to the strength, aspirations and dignity of every mother and daughter of this country. Modi Government has consistently placed Nari Shakti at the heart of India's development journey.

Hon. Chairperson, Sir, the mothers and daughters of this country will no

longer have to wait to realise their rightful place in decision making. Ending the uncertainty, the Modi Government has taken a decisive step to ensure that women's representation becomes a reality at the earliest. With the implementation of the Nari Shakti Vandan Act, a sustainable proportion of seats in the Lok Sabha and State assemblies will be reserved for women, marking a transformative shift in our democratic framework.

Sir, delimitation is being unnecessarily portrayed as a threat, whereas it is in fact a constitutional necessity to ensure fair and updated representation. I am confident that all legitimate concerns will be addressed by an independent Delimitation Commission and I urge the Government to ensure that the process is sensitive to the aspirations of all sections.

Sir, as the Member of Parliament from Shimoga, I wish to highlight a key issue concerning the people of my constituency. It is an exceptional case of Western Ghats and Hosanagara Assembly Constituency.

Sir, in the first week of April, the people of Hosanagara in my constituency came out in large numbers for a *padayatra*. Thousands and thousands of people, including Swamiji, women students, all-party leaders, elderly people and workers, walked kilometres in the heat, seeking rightful representation.

Sir, as we all know, Hosanagara existed as a separate Assembly constituency from 1972 to 2004, with a distinct political and administrative identity. However, in the 2008 delimitation, this taluk was split between two adjoining constituencies. This has been a matter of genuine concern for the

people because Hosanagara is not just another region. Settled in the foothills of the Western Ghats, it has a unique geography, economy, and set of challenges, very different from its neighbouring constituencies. It is the source region of rivers like the Sharavathi River and Varahi, with communities dependent on distinct needs that require focused representation.

HON. CHAIRPERSON: It has nothing to do with the Bill.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA: Sir, the Western Ghats – a 1,600-kilometre ecological backbone spanning six States like Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu – present unique geographical challenges. Moreover, vast, forested, and difficult terrains in regions like Malnad cannot be equated with compact urban constituencies, without creating a clear representational disadvantage.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA: I therefore urge the Government to ensure a terrain-sensitive approach in delimitation. In this context, restoring Hosanagara as a separate Assembly constituency is not merely a matter of administrative convenience but it is an issue of fairness, recognition, and our minimum duty to a region that has given so much. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you so much.

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में प्रस्तुत नारी शक्ति से जुड़े तीनों विधेयक देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम हैं। मैं इन विधेयकों के मूल उद्देश्य का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं डीलिमिटेशन का विरोधी नहीं हूँ, पर मेरे कुछ बुनियादी

सवाल हैं। क्या सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाने से बेरोज़गारी, महँगाई और भूखमरी जैसी हजारों समस्याएं क्या खत्म हो जाएंगी? जवाब है- नहीं। यह सीटों का विस्तार है, समाधान का नहीं। आज जनसंख्या के हिसाब से लोगों की सुविधाएं बढ़ाने की जगह हम सासंदों की सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमें सांसदों की सीट से ज्यादा देश के नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आम नागरिक का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक केवल प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम केवल जनसंख्या को ही मापदंड बनाकर सांसद बढ़ाते रहे, तो हर दशक में सांसदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यही होता कि जितनी संख्या में अभी सांसद हैं, उनको ही सशक्त किया जाता। सीटें बढ़ा देने से केवल प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, समस्याओं का समाधान नहीं। इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सांसद इतनी सैलरी, फ्री का हवाई सफर, ट्रेन की मुसाफिरी, घर, बँगले-सहित लग्जरी व विविध प्रकार की सुविधाएं और साथ ही सांसद न रहने पर पेंशन पाते हैं। सरकारी कर्मचारी हों या देश की रक्षा करने वाले सरहद के सैनिक, उनको पेंशन मिले न मिले, हम सांसदों को तो पेंशन भी मिलेगी। इसलिए सीट बढ़ाने से मुझे लगता है कि आम जनता को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इस खर्च की भरपाई तो आम आदमी ही करेगा। इससे आम आदमी की थाली, जेब और रोजगार पर इसका सीधा असर होगा।

महोदय जी, जहाँ तक महिलाओ के आरक्षण की बात है, तो अब उनके साथ छलावा बंद किया जाए। बिना झुनझुना पकड़ाए, बिना लॉलीपॉप दिए और बिना देरी के तुरंत आज ही नक्की कर आरक्षण लागू किया जाये।

महोदय जी, नारी कभी सामान्य नहीं होती। यह वही शक्ति है, जो झांसी की रानी और झलकारी बाई बनकर अंग्रेजों का साम्राज्य हिला देती है। वह महाकाली बनकर अन्याय का अंत कर देती है, तो सावित्री बनकर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस छीन लाती है। आज के युग में भी हमारी बेटियाँ, बहनें और माताएँ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और पराक्रम का इतिहास रच रही है।

महोदय जी, हमने सावित्रीबाई फुले, टेसी थॉमस, पी.वी. सिंधु, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा जैसी अनेक नारी शक्ति को देखा है। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं, महासागर की एक बूंद के समान, बाकि इसकी एक लम्बी और कभी समाप्त न होने वाली सूची है।

महोदय जी, हमने राजनीति में इंदिरा गांधी जी का पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने वाला ऐतिहासिक साहस देखा, तो शहीदो का बदला लेने वाला हमारी बेटियों के साहस और पराक्रम भरा ऑपरेशन सिंदूर देखा।

महोदय जी, हम नारी को हर क्षेत्र में अपनी योग्यता से इतिहास रचते हुए देख रहे हैं। शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, प्रशासन, सेना, यहां तक कि हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के रुप में सफल माननीय राष्ट्रपति बनकर नारी ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है।

भारत के इतिहास का हर अध्याय गवाह है। हर क्षेत्र में, हर दौर में, महिलाओं ने अपने साहस, धैर्य और वीरता से अपने आप को साबित किया है कि वह किसी से कम नहीं है, लेकिन नारी में हर प्रकार की हर क्षमता होने के बावजूद उसे आज भी बार-बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए, माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। एक ओर हम नारी को जगत जननी, नारायणी, शक्ति स्वरूपा कहकर पूजते हैं, लेकिन उनको अधिकार देने से कतराते है। शब्दों में सम्मान बहुत है, लेकिन अधिकार देने में अब भी हिचक है।

महोदय जी, क्या आज हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं या सिर्फ वादे दोहरा रहे हैं? राजनीति में महिला आरक्षण स्वागत योग्य है, लेकिन उसे सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ देना, मतलब साफ है, हक आज नहीं, भविष्य के भरोसे है। महिलाओं को उनका अधिकार अभी क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक अहम सवाल यह है कि ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? समानता की बात है, तो आरक्षण में भी सामाजिक न्याय जरूरी है, वह इस बिल में क्यों नहीं है?

महोदय जी, आज महिलाओं की वास्तविकता देखिए, लोक सभा में 15 प्रतिशत, राज्य सभा में 14 प्रतिशत, पुलिस में 11 प्रतिशत, सुप्रीम कोर्ट में 12 प्रतिशत, हाई कोर्ट में 13 प्रतिशत है। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज है। जब देश की 50 प्रतिशत

आबादी महिलाएं हैं, तो निर्णय लेने वाली जगहों पर उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों? मैं मांग करता हूँ कि महिला आरक्षण 33 प्रतिशत नहीं, बल्कि 50 प्रतिशत किया जाए। लोक सभा के साथ राज्य सभा में भी लागू किया जाए। मंत्रालयों में भी 50 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित की जाए। टाइम बाउंड रोडमैप के साथ तत्काल लागू किया जाए। आरक्षण के भीतर ओबीसी और कमजोर वर्ग की महिलाओं का कोटा हो। महिलाओ के लिए 15 साल का रोटेशन अन्याय पूर्ण है, क्योंकि बाकि जगह की महिलाओ को 15 साल तक मौका नहीं मिलेगा। कुछ महिलाओं को तो 30 साल तक मौका नहीं मिलेगा। इसलिए रोटेशन पॉलिसी 5 साल की की जाए। लोक सभा के अनुपात में राज्य सभा की सीटें बढ़ाकर उतना ही आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया जाए। महिलाओं के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर मंत्रालय में वूमेन रिप्रेजेंटेशन ऑडिट लागू किया जाए। मैं अंत में हमारे केंद्र शासित प्रदेश की बात रखना चाहता हूं।

महोदय, हम जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति चिंताजनक है। हमारे पास न विधानसभा, न पर्याप्त प्रतिनिधित्व, न नीति निर्माण में बराबरी की भागीदारी है। क्या यूटीज़ इस देश का हिस्सा नहीं हैं? क्या हमारी आवाज़ का मूल्य कम है? जरूरी यह नहीं कि कितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, जरूरी यह है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए हमारे जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को भी लोकतंत्र के मुख्य प्रवाह में लाया जाना चाहिए, जो हमारे लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार भी है।

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संघ प्रदेशों के लिए कुछ ठोस और निर्णायक मांगें रखना चाहता हूं। हमारे केंद्र शासित प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की जाए। यदि जनसंख्या बाधा है, तो छोटे यूटीज़ के लिए कॉमन असेंबली फ्रेमवर्क बनाया जाए। यूटीज़ के प्रशासन हेतु Department of Union Territories Affairs या पृथक मंत्रालय बनाया जाए। सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूटी कॉओर्डिनेशन सेल स्थापित की जाए। प्रत्येक मंत्रालय में यूटीज़ के लिए डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। फंड निर्गमन और प्रगति के लिए पब्लिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए। राज्यसभा में यूटीज़ को प्रतिनिधित्व दिया

जाए। यूटीज़ के लिए विशेष वित्तीय पैकेज और निश्चित बजट कोटा तय किया जाए। स्थानीय भर्ती (Local Employment Policy) को प्राथमिकता दी जाए। UT Civil Services Cadre बनाया जाए, ताकि प्रशासन जवाबदेह रहे।

महोदय, जब उत्तर-पूर्व के लिए अलग मंत्रालय बन सकता है, तो संघ प्रदेशों के लिए समर्पित तंत्र क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अब समय आ गया है कि यूटीज़ को प्रशासित क्षेत्र नहीं, बल्कि समान अधिकार और पूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाए।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल : सर, बस खत्म कर रहा हूं।

मैं सरकार से आख़िरी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए। हमारे जैसे छोटे प्रदेश का भी हक और अधिकारों की रक्षा करते हुए, हमें भी समान अवसर दिए जाएं।

मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

जय हिन्द, जय भारत।

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Today's women are not confined to the margins of society. From villages to global boardrooms, they are shaping the future of this nation. However, this progress is not reflected in our legislatures, where their representation is disproportionately low.

Women's representation in the current 18th Lok Sabha is a poor 14 per cent, well below the proposed 33 per cent reservation and far below the global average for women in national Parliaments. Justice delayed is justice denied. Sadly, the women of our country, our mothers, daughters, and sisters have been denied justice. The Women's Reservation Bill, which had been adopted by the Rajya Sabha and passed parliamentary scrutiny way back in 2010, 15

years ago, should have been implemented long ago, but it was not.

The current BJP Government has also been sitting on this very crucial issue for several years, and due to political and public pressure, they suddenly chose to hastily introduce a new Women's Reservation Bill in 2023, linking it to the upcoming 2027 Census and the delimitation. In spite of the Opposition's criticism for linking it to a future Census and delimitation, which would delay and prevent its immediate implementation in the 2024 elections, the BJP Government ignored it. The Government could have then used the 2011 Census for its immediate implementation in the 2024 elections.

The Government has completely reversed its earlier stand and completed a roundabout on this issue, and now chooses to use the 2011 Census for implementing the women's reservation, the increase in seats, and the delimitation. The increase of seats and delimitation are separate issues and should not be linked to the women's reservation. It is clear manipulation by the current Government to once again stall the women's reservation by linking it to the controversy around delimitation and seat increase.

Sir, I would also like to express my grave concern regarding the Delimitation Bill, which is a direct threat to the political representation of all the progressive States. Fifty years back, unprecedented population growth was a major reason for our country to be an underdeveloped economy, and as such, successive Union Governments along with the State Governments have worked aggressively to control our population growth. With a total fertility rate of less than 1.8 per cent, Tamil Nadu along with the Southern States have

effectively controlled population growth. Along with population growth control and the Dravidian social justice policy that ensured quality education and employment and healthcare to all sections of society, Tamil Nadu contributes nearly nine per cent to the nation's GDP. Tamil Nadu, likewise all Southern States, with effective population growth and progressive policies have contributed significantly to the nation building. As such, a delimitation of parliamentary constituencies based on population would disproportionately penalise progressive States while rewarding those States which have failed to control their population growth.

I urge upon the Union Government to ensure that Tamil Nadu's share of 7.18 per cent of the total Lok Sabha seats remain unchanged whatsoever. I also appeal to the Union Government to uphold the federal spirit of the Constitution by not diluting the political representation of progressive States by a delimitation exercise based on population. Anything on the contrary would be against the basic tenets of federalism, Constitution, and democracy. Thank you.

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

"हौसलों की उड़ान है नारी, सपनों की पहचान है नारी,
नर और नारी से ही मिलकर, बनता है संसार भारी।"

महोदय, यह केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

सभापति महोदय, मैं गर्व के साथ यह कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बालाघाट संसदीय क्षेत्र

की पहली महिला सांसद हूँ और पार्षद से संसद तक की मेरी यह यात्रा आपके समक्ष है। यह संभव हुआ है, क्योंकि 'मोदी है तो मुमकिन है।'

सभापति महोदय, मेरे मध्य प्रदेश के बालाघाट में लिंगानुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। यह केवल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि मेरे क्षेत्र की हर बेटी, हर बहन और हर माँ की आकांक्षाओं का प्रतीक है। आज मेरी आवाज़ उन सभी महिलाओं की आवाज़ है, जिन्होंने वर्षों तक अवसर का इंतज़ार किया है। आज भारत में नारी सशक्तिकरण को वास्तविक रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो वह हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अब राष्ट्र शक्ति बन रही है और मैं यह स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम आज महिलाओं को शक्ति नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी शक्ति को मान्यता दे रहे हैं।

महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर मोदी जी ने करोड़ों महिलाओं के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन है। यह सिर्फ़ सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन है।

सभापति महोदय, महिलाओं के सशक्त प्रतिनिधित्व के बिना लोकतंत्र अधूरा है। सदियों से महिलाएं समाज की आधारशिला रही हैं। माँ दुर्गा की शक्ति से लेकर लोकतंत्र की शक्ति तक नारी हमेशा भारत की ताकत रही है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रही। आज 33 प्रतिशत आरक्षण का यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह अधिनियम नए भारत की सबसे मजबूत नींव है।

सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार ने हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को अपनाया है। यह विधेयक उसी सोच का प्रतिबिंब है। यह केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन्हें देश के नीति-निर्माण में भागीदार बनाने का संकल्प है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, तो देश की नीतियां अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनेंगी।

महोदय, इस विधेयक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह दर्शाता है कि यह सरकार केवल महिला सशक्तिकरण ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय के प्रति भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

महोदय, कुछ विपक्षी दल इस विधेयक के क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन को लेकर। लेकिन, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इतनी व्यापक और प्रभावशाली व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक होती है। मोदी सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि यह कानून सही समय पर और प्रभावी ढंग से लागू हो सके। आज संसद केवल चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि एक नए भारत की नींव रख रही है।

सभापति महोदय, पहले नारी सम्मान पर राजनीति होती थी, आज नारी सम्मान के लिए राजनीति बदली जा रही है। यह परिवर्तन केवल नीतियों में नहीं, बल्कि सोच में आया है। इस परिवर्तन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यह विधेयक केवल आज की महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आया है। यह हमारी बेटियों को यह विश्वास दिलाता है कि वे भी इस देश के सर्वोच्च मंच तक पहुँच सकती हैं, वे भी नेतृत्व कर सकती है और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

अंत में, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि नारी सम्मान, नारी अधिकार और नारी सशक्तिकरण का एक भव्य उत्सव है। आइए, हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और एक ऐसे सशक्त भारत का निर्माण करें, जहाँ नारी को समान अवसर, समान अधिकार और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो।

जय हिंद, जय भारत।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि 17वीं लोक सभा के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने में मुझे भागीदारी करने का मौका मिला। आज इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया है। इस पर भी मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है। मैं सिक्किम की नारी शक्ति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और अपने नेता श्री प्रेम सिंह तानू जी की ओर से इस अमेंडमेंट बिल और डीलिमिटेशन बिल 2026 का समर्थन करते हुए अपनी एक-दो बात रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यहां जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यह बिल लाया गया है, मुझे लगता है कि यह कई दशक पहले आना चाहिए था। आज देर ही सही, लेकिन कम से कम वुमेन रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया है। जिस तरह से चेंज करके वर्ष 2029 से पहले ही इसको इम्प्लीमेंट करने का विचार किया गया है, इसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहां पुरुष प्रधान समाज के जो सोशल नॉर्म्स हैं, इसकी वजह से स्पेशियली पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है। जिस तरह से आज इनके लिए रिजर्वेशन किया जा रहा है, इसकी वजह से अभी पॉलिसी डिसीजन में और लॉ मेकिंग में भी हमारे माता-बहनों का ज्यादा भागीदारी रहेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से वेल्फेयर स्कीम्स उनके लिए बनते हैं, जिस तरह से हमारे देश को आगे ले जाकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसमें हमारी नारी शक्ति का योगदान भी रहने वाला है। हमने देखा है कि उनमें कैपेबिलिटी की कोई कमी भी नहीं है। चाहे एकेडमिक में हो, रिसर्च में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में हो, हर जगह हमने देखा है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉंग रहा है।

सभापति महोदय, अभी सिक्किम में एक सिर्फ एक ही लोक सभा सीट है। अगर लोक सभा

की सीटों को बढ़ा कर 800 कर ही रहे हैं तो सिक्किम की भी एक सीट को बढ़ा कर दो सीट किया जाए तो यहां पर डायवर्स प्रोस्पेक्टिव में जिस तरह का सिक्किम का प्रोस्पेक्टिव रखा जाना चाहिए, इसमें ज्यादा मदद होगी। उसमें एक सीट को अगर हम महिला के लिए आरक्षित करेंगे तो और भी ज्यादा होगा।

सभापति महोदय, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माननीय मंत्री जी को भी पता है कि लास्ट 2003 में लिंबू और तामंग को ट्राइबल घोषित किया गया। लेकिन उस समय की सरकार ने, उस समय के डीलिमिटेशन ने इसकी कोई प्रक्रिया नहीं की कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट दी जाए। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस नई डिलिमिटेशन प्रक्रिया में लिंबू और तामंग अनुसूचित जनजातियों की अविलंबित मांग, जो लास्ट पांच चुनावों से पूरी नहीं हो पायी है, इस डिलिमिटेशन में कृपया कर के किया जाए।

सभापति महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में एकता में है और मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि इस प्रक्रिया को संवेदनशीलता और समावेशिता के साथ लागू किया जाए।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे 31वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद और जोहार। लाडली बहना, माझी लाडली बहन योजना जैसे देश की अनेक महिलाओं के लिए लोक लुभावनी योजनाएं ला कर वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी सत्ता हासिल करने का काम कर रही है। चुनाव के बाद इन्हीं राज्यों में भाजपा के राज में बहन बेटियों के साथ अत्याचार तेज़ी से बढ़ रहा है।

महोदय, देश के इतिहास के पन्ने महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की दर्दनाक घटनाओं से भरे हुए हैं। इस देश की नारियों ने छुआ-छूत, भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा जैसे भयंकर अत्याचारों को हज़ारों सालों से सहन किया है।

महोदय, 19वीं सदी के प्रारंभ में त्रावणकोर साम्राज्य में तो आदिवासी और दलित महिलाओं पर स्तन टैक्स जैसे कर के कारण उन्होंने भयंकर यातनाएं सही हैं। महोदय, आदिवासी

समाज हमारी मातृसत्तात्मक रहा है और हमारी बेला भक्ति परंपरा में तो पुरुष से ज्यादा महिलाओं को महत्व दिया गया है। देश के ऐतिहासिक संघर्षों में आदिवासी वीरांगनाएं पीछे नहीं रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिला है। अगर हम बात करें हूल आंदोलन की, वीरांगना फूलो-झानों, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का भेष धारण कर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाली झलकारी बाई, गोंडवाना की धरती से मुगलों को खदेड़ने वाली रानी दुर्गावति की बहादुरी से सब परिचित हैं। महिलाओं को शिक्षा की रोशनी देने वाली सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को भी हमें नहीं भूलना चाहिए और हमारे भील आदिवासी समुदाय के अंदर शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली भील वीरांगना कालीबाई के इतिहास को भी सम्मान नहीं मिला है। आजाद भारत में चंबल की शेरनी फूलन देवी और बस्तर की क्रांतिकारी सोनी-सोरी नारियों को भी भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा है।

बीजेपी अपने राज में महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन यह देश नहीं भूलेगा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ था। यह आजाद भारत का काला अध्याय है। आज देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो आदिवासी दलित बाहुल्य क्षेत्र में महिला के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार में तो कई जगह आदिवासी दलित एवं महिलाओं को न्याय की तो दूर की बात है, अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो मुकदमा तक भी दर्ज नहीं हो रहा है।

अगर हम वर्तमान समय में महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने की बात करते है, देश में महिला साक्षरता की बात करते हैं तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के हिसाब से 52 प्रतिशत साक्षरता दर है और देश में आदिवासी दलितों की बात की जाए तो50 प्रतिशत भी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के हिसाब से नहीं है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा की सबसे पहले महिलाओं को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, उसके बाद वे अपने आप अपनी जगह बना लेंगी कि उनको विधान सभा में आना है या लोक सभा में आना है। संविधान निर्माण समिति में 15 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसमें एक भी आदिवासी समुदाय की महिला नहीं थी।

सभापति महोदय, अभी रात के बारह बजे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। अगर हम उस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमें अपनी बात को रखने दिया जाए। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही आ गया था और हम सब ने उसका समर्थन किया था। हम कह रहे हैं कि पहले जनगणना करा दी जाए और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन किया जाए और उसके बाद आप इसे लागू करें, लेकिन आपको वह नहीं करना है। आज आप वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लागू करके देश की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप जनगणना कराएं। हाल ही में राजस्थान में बीजेपी सरकार ने पंचायती राज का परिसीमन किया। एक जगह 3 हजार की जनसंख्या पर पंचायत समिति बनाई गई और दूसरी जगह, उनको लग रहा है कि वे नहीं जीत पा रहे हैं तो 7-7 हजार तक की जनसंख्या पर पंचायत समिति बना दी गई। गुजरात में 40 हजार महिलाओं के लापता होने के प्रकरण दर्ज हैं।

सभापति महोदय, माइक्रो फाइनेंस के जाल में आदिवासी महिलाओं को फंसाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन देश में जो महिलाएं हैं, उनमें से 70 परसेंट महिलाएं माइक्रो फाइनेंस से लोन ले रही हैं। इस पर विचार किया जाए।

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। भारत के लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ही लंबी यात्रा है। हमारी महिला शक्ति आधी आबादी है। प्रधान मंत्री जी उनका सपना साकार कर रहे हैं। यह नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस क्षेत्र से मैं आ रही हूं, वहां पर चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वहां की 36 कौमों ने मिलकर हर लड़ाई लड़ी है। महिलाओं के बलिदान, शक्ति और त्याग के बारे में कौन नहीं जानता है। चाहे वह रानी पद्मिनी हो, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जोहर किया

था। यह बहुत ही अद्भुत साहस है। अगर हम पन्नाधाय की बात करें तो उन्होंने राज्य बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का त्याग कर दिया था। मेरे ख्याल से जो एक महिला कर सकती है, वह कोई भी नहीं कर सकता है।

सभापति महोदय, हम मीरा माँ की बात करते हैं। उनके अंदर इतना आत्मबल था कि उन्होंने हर जगह भक्ति की बात फैलाई और मैं महाराणा प्रताप की बात करती हूं। आज आप देखेंगे कि लोक सभा के बाहर महाराणा प्रताप का स्टैच्यू है और शिवाजी के वंशज उसी क्षेत्र से महाराष्ट्र गए थे तो दोनों की माँ ने, जिन महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी की मां जीजाबाई और जयवंता बाई ने उनको विद्या दी, चाहे वह युद्ध की विद्या हो या चाहे वह लीडरशिप की विद्या हो।

HON. CHAIRPERSON: If the hon. Members agree, we will extend the House up to 0100 hours. There are so many Members, in particular women Members, who are yet to speak.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended up to 0100 hours of the next day. Hon. Member, please continue.

24.00 hrs

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ : चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे शिवाजी हों, दोनों की मांओं ने अपने पुत्रों को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज हम उनको देख कर आगे चलते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि इतिहास हमें यह सिखाता है कि महिलाओं में क्षमता की कमी कभी भी नहीं है। जब भी अवसर आया है, उन्होंने समाज को अपनी क्षमता से ज्यादा दिया है।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को केवल नारा नहीं, बल्कि नीति और कार्यक्रम के रूप में लागू कर रही है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'उज्ज्वला योजना', 'मिशन शक्ति' जैसे अनेक प्रयासों से महिलाओं को सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। 33 प्रतिशत आरक्षण केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि शासन की गुणवत्ता में सही दिशा है। परिवर्तन लाने वाला कदम है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में आएंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को अधिक संवेदनशीलता और प्राथमिकता मिलेगी। मैं अपने क्षेत्र राजसमन्द और पूरे भारत में जब निकलती हूं, तो स्वयं देखती हूं कि महिलाएं चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, मिहलाएं सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन, जब तक उन्हें नीति निर्माण में समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक उनका योगदान पूर्ण रूप से सामने नहीं आएगा।

सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। अधिकारों से अधिक आवश्यक है सम्मान। क्योंकि, सम्मान के बिना अधिकार अधूरा रहता है।

माननीय सभापति : मैडम, कंक्लूड कीजिए।

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ : ये भी उल्लेख है कि पिछले तीन दशकों से यह विधेयक विभिन्न कारणों से लंबित रहा है, लेकिन आज एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से इसे वास्तव में बदलने का कार्य इस सरकार ने किया है। नारी केवल घर की मर्यादा नहीं, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इस अधिनियम के माध्यम से हम केवल प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं, जहां निर्णय अधिक समावेशी और विकास अधिक संतुलित हो और समाज में अधिक न्याय हो। मेवाड़ की वीर भूमि से मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं और इस सदन से आग्रह करती हूं कि हम सभी राजनीतिक भेद-भाव से ऊपर उठ कर इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करें, ताकि हम नारी को केवल अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर और नेतृत्व भी दें, क्योंकि हमारे संस्कृति में हमेशा कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, इज्जत होती है, उस घर में देवता रहते हैं और उस घर में शांति रहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

I rise to speak on the 131st Constitution Amendment Bill, and, I place a

few pointed questions before the Government.

First, let me remind this House that women's reservation is not a new idea of this Government. It was a dream of our Iron Lady ex-Prime Minister Indira Maa for women empowerment. Sonia Gandhi Madam spearheaded its passage in the Rajya Sabha in 2008.

The vision was first institutionalized by Rajiv Gandhi *ji* and implemented through the 73rd and 74th Constitution Amendments under P.V. Narasimha Rao *ji*, ensuring one-third reservation in local bodies.

Today, it is expanded up to 50 per cent including in my State of Karnataka. From 1996 to 2010, it was the Congress that consistently fought for this reform.

So, my first question is this. Why is this Government presenting women's reservation as its own achievement while ignoring decades of groundwork laid by our Congress Party?

Second, the Bill amends Article 81, allowing Parliament, by simple majority, to decide which census will be used for seat allocation.

My question is this. Why is such a critical constitutional matter being left to a simple majority decision? Does this not open the door for arbitrary political choices in determining representation?

Third is the removal of the freeze under Article 82. My question is this. Is this Government aware that States, which have successfully implemented population control measures particularly the Southern States, including my State of Karnataka, will lose seat share if the freeze in the census year is

removed?

Fourth is about the process which is followed: No All-Party Meeting; no consultation with State Governments; no Inter-State Council discussion; and even the text of the Bill was shared barely two days before the Session. My question is this. Why is the Constitution Amendment of such a magnitude being rushed through in just three days?

The Government says that they want to increase the seats to hear more people's voices. Let me remind you of this House. In the 17th Lok Sabha, 42 per cent of Bills were passed in 30 minutes and 35 per cent within one hour. Farm Bill was one among them.

My question is: when adequate debate is not ensued even today, what is the guarantee that increasing seats will improve democratic deliberation? So, it is clear that this Government desperately wants to increase seats only for its political advantage.

Fifth one is on delimitation. This Bill shifts critical aspects of delimitation from the Constitution to ordinary law. My question is: why is the Opposition being excluded from influencing how seats are allocated? Why is transparency being diluted in such a crucial exercise?

Sixth, on women's reservation itself; why is there no provision for OBC women within this framework? Why is there no sub-quota to ensure equitable representation?

Finally, I would like to ask the Government: is this Bill truly about empowering women and strengthening democracy, or is it a political exercise

to redraw representation in a manner that benefits the ruling party?

Women's reservation should be implemented within a framework that does not create injustice between States, weaken federalism, and bypasses democratic consultation. Thank you so much, Sir.

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI (GUWAHATI): Thank you, Chairperson Sir.

00.07 hrs (17.04.2026) (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

I rise today not just as the representative of the Guwahati Lok Sabha constituency, but as a voice for the millions of women who have long been the silent architects of our nation's progress. Today, we are not merely discussing a piece of legislation; we are witnessing the correction of a historical imbalance. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam is a bridge between the aspirations of the modern Indian woman and the hallowed halls of this Parliament. Sir, I come from the land of *Maa Kamakhya*, where the spirit of Nari Shakti has never been a theoretical concept; it has been our reality. It was on our soil that Kanaklata Baruah braved British bullets to hoist the Tricolour at the age of 17. It was our Mungri, alias Malati Mem, who became the first female martyr of the Non-Cooperation Movement. Even today, from the tea gardens of Sibsagar to the weavers of Sualkuchi, the economy of Assam is carried on the strong shoulders of our women.

We have seen how the "Double Engine" Government has revolutionized the lives of women. While the Opposition gave only slogans, our Government gave 10.33 crore Ujjwala connections, liberating our mothers from the poison

of smoke. In Assam alone, through the Orunodoi Scheme and the Lakhpati Didi initiative, we have turned over 40 lakh women into entrepreneurs and financial decision-makers. Under PM Awas Yojana, 73 per cent of the 2.75 crore houses are registered in the names of women.

We did not just give them a roof; we gave them ownership and dignity. By ensuring 33 per cent reservation we have already seen the success of women's reservation in Panchayati Raj institutions, where lakhs of women have emerged as effective grassroots leaders, but comparatively, there is less participation of women in Parliament and Assemblies in India. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam will take this empowerment to the national stage, creating a new generation of women policymakers and nation-builders.

This is also a moment to honour the visionary leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, under whose guidance this long-pending reform is on the way to finally become a reality. By ensuring 33 per cent reservation in the Lok Sabha and State Assemblies, we are ensuring that when we discuss the floods in the Brahmaputra, the education of the girl child in the Northeast, or the expansion of our digital economy, a woman's perspective is not an "invitee" but a "decision-maker." Critics may speak of delays regarding delimitation, but I say to them: the path is now set in stone.

This is a "Guarantee" of Modi ji that transcends political cycles. We are moving away from the culture of "Tokenism" to a culture of "Rightful Ownership." As Guwahati is the gateway to the Northeast, this Parliament is becoming the gateway to a more inclusive India. As a representative of a

region that has always respected the power of Matree, I wholeheartedly support this, Bill. Let us not just pass a law; let us fulfil a promise we made to the daughters of India decades ago.

Jai Hind, Joi Aai Axom.

HON. CHAIRPERSON: I would request every hon. Member that there is a long list of speakers who want to participate in the debates on these Bills. In the list, we have many women hon. Members who have been waiting for a very long time. So, please cooperate in this regard, and stick to only three minutes.

Now, Shri Vishaldada Patil Ji.

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। राजीव गांधी जी पहली बार पंचायतों में 33 परसेंट रिजर्वेशन लेकर आए थे।

कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, जहां 50 प्रतिशत महिलाओं को दिया गया, जो आज भी जारी है।

आज अगर 543 सीट में सरकार 33 परसेंट रिजर्वेशन लाना चाहेगी तो सारा विपक्ष समर्थन करेगा, लेकिन महिला आरक्षण को सीटों की वृद्धि से जोड़ने का क्या मतलब है?

माननीय सभापति : अगर सीट बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत है?

… (व्यवधान)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील : सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, ऑबजेक्ट्स एंड रीज़न्स में कहा गया है कि सीटें बढ़ाने का कारण यह है कि पुरुषों को सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी सीटें कम न हों। क्या आप कहना चाहते हैं कि 500 पुरुष सदन में नहीं होंगे तो सदन नहीं चल पाएगा?

कांग्रेस ने ही पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश को दी थी, जिन्होंने देश अच्छे से चलाया।

कांग्रेस ही थी जिन्होंने पहली महिला राष्ट्रपति दी थी। कांग्रेस के ही काल में था कि वर्ष 2004 में महिला कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस को सत्ता में लेकर आयीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सीट बढ़ानी ही थी तो वह किस आधार पर बढ़ाना चाहते हैं। पहले कहते थे कि जनसंख्या के आधार पर बढ़ाएंगे। लेकिन जब विरोध होने लगा तो कहने लगे कि 50 फीसदी बढ़ाएंगे। 50 फीसदी बढ़ाने का इस पूरे बिल में कहीं उल्लेख नहीं है।

ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि विश्वास रखो। मैं अपने सामने वाले भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि विश्वास किस बात पर रखें। महाराष्ट्र में भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना चलायी। जिन्होंने यह योजना लेकर आए, उन्हीं एकनाथ शिंदे जी को निकाल दिया और बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया। क्या उन पर विश्वास रखें, जिन्होंने सीएम बनते ही 64 लाख महिलाओं को उस बेनिफिशियरी लिस्ट से निकाला गया।

I want to talk of how they have fooled India and all the States on GST. पहले कहा गया कि जीएसटी में सबको कम्प्नसेट किया जाएगा और फिर सैस लाकर डिविजिबल पूल का पैसा कम करके उन्होंने सेंट्रल पूल में ले लिया और स्टेट्स का नुकसान किया। Now, let us first talk on GDP contribution.

सर, मेरा महाराष्ट्र इस कंट्री का 14 फीसदी जीएसटी में देता है, लेकिन सिर्फ 8.5 फीसदी सीट्स हमारे पास हैं। If you compare Tamil Nadu which contributes 2.75 per cent and Bihar which contributes 2.8 per cent, they have the same number of seats.

उत्तर प्रदेश में 8.5 परसेंट जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 15 परसेंट सीट्स हैं। The entire Southern States contribute 31 per cent but they have only 24 per cent of seats.

I am not going to take too much of your time. I want to conclude by just putting this question. Why is there delay in *Jatiya Janaganana*?

जातीय जनगणना में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार जातीय जनगणना नहीं करना

चाहती है?

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL: I am just concluding. वर्ष 1971 में युद्ध हुआ तब भी जनगणना हुई। वर्ष 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तब भी जनगणना हुई। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have made your point. Thank you.

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील : सर, गृह मंत्री जी ने कहा कि घरों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन 33 क्वैश्चंस हैं और क्वैश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि घर का प्रमुख एससी, एसटी या अन्य है।

उसमें ओबीसी के बारे में क्यों नहीं पूछा गया है? आप जनगणना करवाइए, मराठों को आरक्षण दीजिए और हमारी आरक्षण की मांग को पूरा कीजिए तब यह बिल लेकर आइए। धन्यवाद।

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : माननीय सभापति जी, मैं आज इस सदन में प्रस्तुत तीन विधेयकों के पक्ष में अपना मत रखने के लिए खड़ी हुई हूं। ये तीनों विधेयक न केवल कानूनी बदलाव हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आने वाले वर्षों में नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक कदम हैं।

संविधान का 131वां संशोधन मील का पत्थर साबित होगा, जिससे विधान सभाओं और लोक सभा में में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण होगा। परिसीमन विधेयक, 2026, जो परिसीमन आयोग का गठन और सभी विधान सभाओं और लोक सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन करने का प्रावधान करेगा और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन, जो दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन को लागू करने का प्रावधान करेगा। यह तीनों विधेयक आपस में जुड़े हुए हैं।

माननीय सभापति जी, अगर हम इन तीनों विधेयकों को देखें, तो ये विधेयक महिलाओं को

सशक्त बनाते हैं, लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक बनाते हैं और भविष्य के लिए राजनीतिक ढांचे को तैयार करते हैं। यह केवल कानून नहीं हैं, यह भारत के लोकतंत्र का पुनर्निर्माण है।

अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने कुछ सवाल उठाए कि डिलिमिटेशन से वेटेज बदल जाएगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने साउथ का एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि आज भी उनकी टोटल वेटेज 23.76 है, जो कि वर्ष 1976 में तय की गयी थी और आने वाले डिलिमिटेशन के रिजल्ट के बाद भी यह सेम रहेगी, यानी वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन में आप घपला कर सकते हैं, तो उसे भी आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में जिस तरह से आपने डिलिमिटेशन आयोग का गठन किया था, वही सेम स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न हम रखेंगे, यानी अब वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।

अभी प्रियंका गांधी जी ने चाणक्य जी से हमारे गृह मंत्री जी की तुलना की थी, बिल्कुल सही की थी। एक ऐसे महान व्यक्ति चाणक्य जी थे, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से और नीतियों से भारत को मजबूत और संगठित किया, समृद्ध किया और आज यही काम हमारे देश के गृह मंत्री जी कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी जी ने कुटिलता की बात की।

मैं आज कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूं कि कुटिलता तो आपने की थी, वर्ष 1985 में शाहबानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, लेकिन आज जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, एक विशेष धर्म के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करके इन्होंने उस महिला के साथ अन्याय किया।

आज वर्ष 1972 से अब तक जो डिलिमिटेशन हुआ उसी आधार पर सारी सीटें रखी गयी हैं, लेकिन फिर आज इनको तकलीफ हो रही है। मैं कहना चाहती हूं कि जिंदगी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है, कुछ लोग शब्दों से ही गारंटी दे देते हैं और कुछ लोग गीता पर भी हाथ रखें, तो भी लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं।

आदमी के गुण और गुनाह दोनों जीवन में काम आते हैं। गुण उसको आशीर्वाद देते हैं और

गुनाह उसको प्रायश्चित करने के लिए छोड़ देते हैं।

आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के दल में हैं, लेकिन कभी भारत की सबसे बड़ी पार्टी वे लोग थे, जो आज मात्र दो आंकड़ों में सिमटकर रह गए और अभी 95 चुनाव ये हार गए हैं।

अभी मेरे एक साथी ने वहां से कहा कि महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप रास्ता बना लेंगी। मैं अपने उस साथी से कहना चाहती हूं :

मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं,
दिल में हैं अरमान यही, हम भी कुछ कर जाएं,
सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे,
सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे,
अपनी हद रौशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

यह बिल पास होगा ही, लेकिन ये अपनी आहूति डाल देंगे, तो हम भारत की आधी शक्ति इनको आशीर्वाद देंगे।

पहले भी इन्होंने साथ दिया, कोई सवाल डिलिमिटेशन पर नहीं है, उतना ही वेटेज रहेगा, कोई सरकार की इसमें कुटिलता नहीं है, सरकार की देश को लेकर एक राय है कि जल्दी न्याय हो, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करती हूं।

महोदय, आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 तथा संविधान का 131 वां संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, आज हम केवल एक विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की आधी आबादी, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकारों एवं उनके प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की दिशा तय करने वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि हम समाजवादी लोग, हमारी पार्टी की विचारधारा हमेशा से सामाजिक न्याय और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने की पक्षधर रही है।

महोदय, हम 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत और इसकी टाइमिंग को लेकर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। वर्ष 2023 में यह बिल पास हुआ। अगर सरकार चाहती तो उसी समय इसको लागू कर सकती थी। अब जब वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तब इस विधेयक को लाया जा रहा है। यह इस सरकार की मंशा को साफ जाहिर करता है।

महोदय, जब अधिकार देने का समय था, तब सरकार सोई रही और जब चुनाव आया, तो सरकार को महिलाओं का अधिकार याद आ गया। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब महिलाओं को केवल संसद और विधान सभा में ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक 33 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक और समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि सशक्त भारत की शुरुआत गांव से ही होती है।

महोदय, वर्तमान में सांसदों की संख्या 543 है। सभी सांसदों को अपने क्षेत्र और देश से संबंधित गंभीर मुद्दों को सदन में उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में बढ़ी हुई सीटों के साथ क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सांसद को सदन में अपनी बात को रखने का समय मिल पाएगा?

माननीय सभापति : आज 1 बजे रात तक सदन चल रहा है न।

श्री राम शिरोमणि वर्मा : धन्यवाद। भारत आधी आबादी वाला महिलाओं का देश है। महिलाओं का आरक्षण 33 पर्सेंट के स्थान पर 50 पर्सेंट होना चाहिए। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50 पर्सेंट आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को 50 पर्सेंट आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार के मंत्रिमंडल में भी 50 पर्सेंट आरक्षण लागू होना चाहिए और खेल के क्षेत्र महिलाओं के लिए 50 पर्सेंट आरक्षण लागू होना चाहिए।

महोदय, राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा और विधान परिषद में ओबीसी महिलाओं के चुनाव लड़ने के लिए भी सरकार को आरक्षण लागू करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमलेश जांगड़े (जांजगीर-चांपा) : महोदय, धन्यवाद। मेरे जांजगीर लोक सभा क्षेत्र की जनता-जनार्दन की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मैं इस विधेयक के समर्थन में अपने विचार रखना चाहती हूं।

आज का दिन हम सब यहां देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद में ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारतीय नारियों की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय और शक्ति स्वरूपा कहा जाता है।

महोदय, स्वाधीनता आंदोलन में हमारी नारी शक्ति ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं का स्थान गौण होता गया। कई दलों ने इस समस्या को स्वीकार तो जरूर किया, लेकिन इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिए गए। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिलाओं के लिए लोक सभा और विधान सभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके देश में नारियों को वह स्थान दिलाया, जिसकी वे हकदार हैं।

महोदय, राजनीतिक प्रक्रिया में नारियों के आगमन से संवेदनशीलता, धैर्य तथा करुणा जैसे मूल्यों का समावेश होता है। जब से भाजपा सरकार आई है, तब से सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्ण प्रयास किये गये हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पीएम आवास, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाओं से करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिलाओं के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को नारी शक्ति बंधन अधिनियम पूर्णता प्रदान करती है।

महोदय, यह अधिनियम महिलाओं को वोट बैंक से ऊपर उठाकर शक्ति केंद्र के रूप में

स्थापित करेगा। महिलाओं को विधायी शक्ति मिलने से उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों, संपत्ति के अधिकारों और कार्य स्तर पर सुरक्षा जैसे विषयों पर अधिक प्रभावित कानून बनाए जाने की संभावना बढ़ेगी। जब महिलाएँ नीति निर्धारक बनेंगी, तो वह महिला उद्यमिता स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियों को और सशक्त तरीके से लागू करने का प्रयास करेंगी।

महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहूँगी कि इस अधिनियम के लागू होने से केवल एक विधायी सुधार नहीं, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मील का पत्थर भी है। इस अधिनियम को यथाशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि महिलाएँ अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लगभग 30 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हम महिलाओं को सम्मान दिया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

SHRI SHAHU SHAHAJI CHHATRAPATI (KOLHAPUR): Sir, I rise to oppose The Delimitation Bill, 2026, on the following grounds. First, I must record my strong dissent to the consideration of the Women's Reservation Bill and the Delimitation Bill being taken up together. Such profound significant constitutional changes demand scrutiny, not hurried passage or circumvention of established parliamentary norms. The Delimitation Commission should assign appropriate weightage to multiple criteria including States' share in national tax devolution, women's voter turnout percentage, and population stabilisation achievements, ensuring equitable representation that rewards fiscal responsibility, gender participation, and demographic discipline alongside raw population figures. Proposing delimitation reform during ongoing State

elections poses several constitutional concerns. Adjusting the distribution of representatives from urban and rural constituencies violates the Model Code of Conduct impacting voter behaviour. Democratic credibility demands nationwide consensus via parliamentary and public debate rather than acting hastily out of electoral considerations. Hasty decision-making will undermine the credibility of the institution's objectivity. Delimitation raises concerns regarding federal balance and regional equity. India's federal structure is premised on ensuring that all States have a meaningful voice in national governance. However, a purely population-driven redistribution of seats could lead to concentration of political power in a few highly populous States. In such a scenario, Maharashtra, despite being a politically and economically significant State, may find its relative bargaining power reduced within the Union framework. This applies to all the southern States as well. The reliance on 2011 Census figures fails to capture dynamic demographic shifts including rapid urbanisation, internal migration, and emergence of new economic hubs, resulting in misaligned constituency boundaries disconnected from present realities. The 2026 Census would provide updated, accurate data for equitable delimitation. Moreover, excluding caste census is not correct. Now, coming to Women's Reservation Bill, 2026, Maharashtra's leading role in women's rights, especially Kolhapur, has been a symbol in women's empowerment and leadership in India. In 1902, Rajashri Shahu Maharaj, the visionary King of Kolhapur, started India's first reservation policies. They inspired Dr. Babasaheb Ambedkar's framework for affirmative action in India's Constitution. Rajmata

Jijabai and Maharani Tarabai contributed to India's women leadership significantly.

In summing up, I firmly appeal to the Union Government to ensure that transparency remains at the forefront of all delimitation-related matters and adhere to the fundamental concept of cooperative federalism by taking into consideration all the suggestions from various States. It is crucial to preserve the faith of the people in the electoral process of our country and ensure that the rich tradition of women's empowerment shown by Maharashtra is not diluted.

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): महोदय, मैं आज इस सदन में एक ऐतिहासिक बिल का हिस्सा बनने के लिए खड़ी हुई हूँ, जिसकी प्रतीक्षा भारत के करोड़ों माताओं-बहनों को दशकों से थी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा होना मेरे लिए न केवल एक राजनीतिक दायित्व है, बल्कि एक अत्यंत भावुक क्षण भी है।

महोदय, मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके दूरदर्शी विज़न के कारण आज यह बिल सदन में पेश हो रहा है।

मैं मेरे प्रदेश की जनता का भी तहेदिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा और आज मुझे उनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है।

महोदय, मैं उस दादरा एवं नागर हवेली का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं। लेकिन वहां की महिलाओं के हौसले पहाड़ों से भी ऊँचे हैं। वहां की धरती पर रहने वाली मेरी आदिवासी बहनें जल, जंगल और जमीन की रक्षक हैं। वे परिश्रमी हैं।

वे अपना परिवार चलाती हैं और समाज का ढांचा भी संभालती हैं। लेकिन जब नीति निर्धारण की बात आती है, तो उनकी आवाज़ अक्सर राजधानी के गलियारों तक पहुंचते-पहुंचते

धीमी हो जाती है।

महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि कई महान विभूतियों ने इस समाज को दिशा दी है। यह बिल हमारे उस गौरवशाली जनजातीय इतिहास और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच एक मजबूत सेतू का काम करेगा।

यह बिल उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे अब केवल पंचायत स्तर तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर में बैठकर देश के लिए कानून बनाएंगी।

मैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज हम पूरे देश की महिलाओं को विधायी शक्ति दे रहे हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी व अन्य केन्द्रशासित राज्यों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रहे हैं, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र- दादरा एवं नागर हवेली में, वहां की जनता और विशेषकर वहां की महिलाओं को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेरे प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली में कोई विधान सभा नहीं है और न ही राज्य सभा में हमारे प्रदेश से कोई प्रतिनिधि है।

इस सदन के माध्यम से, सरकार से मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र की प्राशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यहां पर विधान सभा के गठन पर विचार किया जाए ताकि हमारी बहनें अपने स्थानीय विधान सभा में भी इस ऐतिहासिक संशोधन का लाभ उठा पाएं।

भारत जैसे महान देश में जहां नारी को शक्ति और ममता का प्रतीक माना जाता है, वहीं लम्बे समय तक राजनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है।

इसी असमानता को दूर करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम महिलाओं को लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं न केवल समाज में, बल्कि वे देश की नीतियों और निर्णयों में भी अपनी समान भागीदारी निभा सकें। जब महिला सशक्त होती है, तो पूरा समाज सशक्त होता है।

यह अधिनियमन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अपनी आवाज़ उठाने और

नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर देता है।

महिला आरक्षण बिल उस संकल्प का एक राजनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मैं डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को भी तहेदिल से नमन करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से ही आज महिलाओं को अधिकार मिले हैं।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि सबका साथ, सबका विकास तभी सार्थक होगा, जब मेरे क्षेत्र की जनता को भी पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार मिलेगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

इसके साथ ही मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगी कि सरकार मेरी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं हमेशा उनके हक, अधिकार व न्याय के लिए संघर्ष करती रहूंगी।

जय हिन्द। जय दादरा नगर हवेली।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐलान है कि भारत की बेटी अब लोकतंत्र में मात्र दर्शक नहीं रहेगी, बल्कि वह भारत के भविष्य की सशक्त शिल्पकार बनेगी।

माननीय सभापति : भोला जी, आप बैठ जाइए। स्मिता जी बोल रही हैं, इसलिए आप बीच में खड़े मत होइए।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : सभापति महोदय, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात् जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता का वास होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और अभिनंदन व्यक्त करती हूं कि जिन्होंने महिला नेतृत्व विकास के संकल्प को साकार करने का साहसिक कार्य किया है। लगभग तीन दशकों से लंबित यह ऐतिहासिक कानून, जो वर्षों तक फाइलों और राजनीतिक बहसों में उलझा रहा है, आज उनके सशक्त नेतृत्व से यह वास्तविक बन सका है।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को नई संसद भवन में प्रथम विधायी कार्य के रूप में प्रस्तुत करना एक अत्यंत प्रेरक और प्रतीकात्मक संदेश था। नए भारत की नींव उन महिलाओं की शक्ति, गरिमा और नेतृत्व पर आधारित है। यह केवल प्रतीकात्मक शासन नहीं है, यह निर्णायक शासन है।

यह केवल महिला कल्याण नहीं है, बल्कि यह महिला नेतृत्व वाला विकास है। इसी विश्वास के साथ आज पूरा राष्ट्र गर्व से कहता है कि मोदी है, तो मुमकिन है।

माननीय सभापति महोदय, आज विपक्ष के सदस्य महिला सशक्तिकरण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। परंतु इतिहास की अपनी स्मृति होती है और संसद के अपने अभिलेख होते हैं। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया था। इसे कई बार समिति में भेजा गया था व कई बार चर्चाएं भी हुई हैं। वर्ष 2010 में यह राज्य सभा में पारित भी हुआ था।

जब लोक सभा में इसे पारित करने का अवसर आया था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निर्णायक कदम उठाने का साहस नहीं दिखाया था। उन्होंने 100 लोगों के समर्थन का अभाव जैसे बहाने प्रस्तुत किए थे।

माननीय सभापति महोदय, यह सहमति का अभाव नहीं था, बल्कि यह साहस का अभाव था। दशकों तक महिला सशक्तिकरण को कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने केवल राजनीतिक नारे के रूप में उपयोग किया है। चुनाव के वक्त वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब शासन से निर्णय लेने का समय आता था, तब मौन छा जाता था। यह कांग्रेस पार्टी की नीति रही है।

ये आज सशक्तिकरण की बात करते हैं, परंतु संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्षों तक लगभग 14-15 प्रतिशत तक ही सीमित रहा है। यह वैश्विक औसत से बहुत कम था।

यदि कांग्रेस की नीयत सच्ची होती, तब उनके पास अवसर था, तब उन्होंने यह विधेयक पारित क्यों नहीं किया था? कांग्रेस के लिए महिलाएं अक्सर वोट बैंक थीं, लेकिन मोदी जी के लिए महिलाएं राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह कानून केवल भावानाओं पर आधारित नहीं है, यह सुदृढ़

संवैधानिक आधार पर निर्मित है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 15/3 से शक्ति प्राप्त करता है, जो राज्यों की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है तथा वास्तविक समानता सुनिश्चित करता है।

माननीय सभापति महोदय, विश्व के अनेक देशों का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, वहां शासन अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी बनता है। जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, तब नीतियां अधिक समावेशी बनती हैं, प्रशासन अधिक उत्तरदायी बनता है और विकास अधिक स्थायी होता है। संदेश स्पष्ट है कि जब महिला आगे बढ़ती हैं, तब राष्ट्र आगे बढ़ता है।

माननीय सभापति : स्मिता जी, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : महोदय, हम लोग आज सुबह से सदन में बैठे हैं, लेकिन आप लोग हमें बोलने का समय ही नहीं देते हैं।

माननीय सभापति : आप सबको ही बोलने का अवसर दिया जा रहा है।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : माननीय सभापति महोदय, आज विपक्ष प्रश्न उठा रहा है तथा वह अतिरिक्त शर्तों की मांग कर रहा है। परंतु हमें पूछना चाहिए कि जब उनके पास पूरी सत्ता थी, तब यह चिंता कहां थी? जब महिलाएं लगभग 30 वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा कर रही थीं, तब यह तात्कालिकता कहां थी? आज जो लोग मांगें उठा रहे हैं, उनका उद्देश्य कानून सुदृढ़ करना नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन को टालना है।

उनकी राजनीति टालने पर आधारित है और हमारी शासन प्रदर्शन पर आधारित है। उन्होंने केवल बहस की, लेकिन हमने निर्णय दिया है। हमारी मोदी जी की सरकार ने आरक्षण सुनिश्चित किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह अधिनियम महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाकर महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। अब महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं रहेंगी, बल्कि वे योजनाओं की निर्माता बनेंगी। अब महिलाएं निर्णय कक्षों के बाहर

प्रतीक्षा नहीं करेंगी, बल्कि वे राष्ट्रीय निर्णय के केन्द्र में बैठेंगी । यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि यह आधिकारिक पुनर्स्थापना है।

माननीय सभापति महोदय, भारत की नारी सदैव साहस, त्याग व नेतृत्व की प्रतीक रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस व राजमाता जीजाबाई जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राष्ट्रनायक का निर्माण किया था।

माननीय सभापति : स्मिता जी, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें। अभी 12 महिला सदस्यों को बोलना है। आपको पूरा देश देख रहा है।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : महोदय, अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई, सावित्रीबाई फुले व माता रमाई जैसे अनेक उदाहरण हैं।

आज यह सदन भारत की हर उस महिला को नमन करता है, जो खेती का काम करती है, जो घर-परिवार को संभालती है और जो बिजनेस, प्रशासन, उद्यमिता, कृषि और रक्षा क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कहा है कि नारी शक्ति केवल सशक्तिकरण नहीं है, यह भारत के विकास की प्रेरक है।

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। आपको तीन मिनट्स से ज्यादा मिल चुके हैं।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : सभापति महोदय, मैं दो लाइनें बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं । नारी शक्ति केवल भारत की शक्ति नहीं है, बल्कि नारी शक्ति ही भारत का भविष्य है। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on a matter that will not just shape the next election but will define the architecture of Indian democracy for decades to come. There are three Bills, three days, and there is no pre-legislative consultation. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your mic is on. You should not be bothered about the

camera. The camera will automatically be on.

DR. PRABHA MALLIKARJUN: Thank you, Sir. Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on a matter that will not just shape the next election but will define the architecture of Indian democracy for decades to come.

There are three Bills, three days, there is no pre-legislative consultation, no all-party discussion, and there is a text circulated barely days before debate. This is not careful governance. This is compressed decision-making on a matter that demands national consensus.

ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने सुबह इस बिल पर उठाए गए सवाल पर बोला था कि मैं कल सब कुछ डिटेल में केजी के बच्चों को समझाने की तरह समझाऊंगा। मेरा उनसे एक और सवाल है कि यह सब आपने बिल को लाते टाइम क्यों नहीं किया?

सबकी राय क्यों नहीं ली? प्रजा-प्रभुत्व में संवाद और सहयोग देश की समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

Hon. Chairman, Sir, let me state clearly that the Indian National Congress has always supported women's reservation from Shri Rajiv Gandhi ji's seventy-third and seventy-fourth Constitutional Amendments to expanding representation at the grassroots.

Our commitment has never been conditional. What is being presented as *Nari Shakti* risks of becoming *Nari Pratiksha*, and empowerment that is postponed, procedural, and uncertain.

Hon. Chairman, Sir, there is a deeper structural concern. We are attempting to redraw India's political map without knowing India's present reality. There is no updated census, no clear migration mapping and yet we

are being asked to redesign representation for the next two decades.

Hon. Chairman, Sir, I stand here as a Member from the State of Karnataka that contributes nearly nine per cent to India's GDP. It is among the largest contributors to Central tax revenues and has made significant progress in education, health, and population stabilisation. So, I ask, should success be punished? Should responsibility be penalised? Should good governance lead to reduced representation?

Sir, let me now come to the most critical question in the entire debate. This Bill has been presented as a tribute to women, *Nari Shakti Vandan*, but I ask which women? This is because while this Bill includes reservation for SC, ST women, it completely excludes OBC women who constitute over half of India's women. Sir, this is not full representation, this is selective representation only.

Hon. Chairman, Sir, there is also a serious concern about process and power. This Bill concentrates enormous authority in a Delimitation Commission where elected representatives have limited say, decisions are final, judicial review is restricted.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

DR. PRABHA MALLIKARJUN: Hon. Chairman, Sir, let us also reflect on how this Bill has been brought before the House. There is no wide consultation, no meaningful engagement with State, there is a rushed timeline, and a Special Session.

HON. CHAIRPERSON: You have already made this point.

DR. PRABHA MALLIKARJUN: Sir, I will just complete. Hon. Chairman, Sir, we are not here merely to oppose, we are here to propose a better path forward. Implement women's reservation immediately, without conditional delay.

Sir, just half a minute. Conduct a time-bound census, ensure OBC sub-categorisation within reservation, build a fair federal framework, make the process transparent, consultative, and accountable. Let me conclude, Sir. Do not give India's women a promise for tomorrow, give them power today. Do not build a system where representation expands in number but shrinks in justice and do not create a democracy that is efficient in procedure but unequal in principle. Thank you, Sir. Jai Hind, Jai Karnataka.

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

सभापति जी, आज मैं इस पवित्र सदन में केवल एक कानून के समर्थन में नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी सुधारवादी क्रांति नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2026 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

सभापति जी, मोदी जी की सरकार में महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थियों के रूप से आगे बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने हेतु सरकार भारतीय महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है।

सभापति जी, लैंगिक भेदभाव को दूर करके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर यह पहल महिलाओं के जीवन में ठोस सुधार लाने में सफल रही है और देश की समग्र प्रगति में योगदान भी दिया है।

सभापति जी, आज मुद्दा सिर्फ महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। महिलाएं, जो जनसंख्या का आधा भाग हैं, वे वर्ष 2047 तक विकसित भारत

के ध्येय को प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सभापति जी, महिलाओं के सही सशक्तिकरण के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि वे एक विभिन्न दृष्टिकोण लाती हैं और विधायी चर्चाओं और निर्णय करने की गुणवत्ता को समृद्ध करती हैं।

माननीय सभापति जी, आज प्रस्तुत तीनों बिलों का मैं समर्थन करती हूं, क्योंकि ये तीनों बिल महत्वणपूर्ण बिल हैं।

महोदय, आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

धन्यवाद।

माननीय सभापति : आप लोगों को खुशी होगी कि अगर दस वुमेन पार्लियामेंटेरिन्स बोल रही हैं, तो उनके विचार रखने के बाद एक मेल पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है।

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Hon. Chairperson Sir, we are fully in support of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 for reservation of women. This Women's Reservation Act should be protected. Why should the Women's Reservation Bill be brought with the Delimitation Bill?

HON. CHAIRPERSON: It is mandatory.

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR: In delimitation, as per Articles 82 and 170(3) of the Constitution, there should be no fresh adjustment of the Constituency until the relevant figures for the first census taken after 2026 have been published.

00.47 hrs (17.04.2026) (Hon. Speaker *in the Chair*)

This shows the intention of the Government that it is not so serious

about women's reservation. I am saying this because when the Act is already there in a stage of implementation, it is lingering.

Sir, an Act of the Parliament cannot and should not bring any injustice to the people of any part of the country. In the present case, the 131st Amendment Bill is a gross violation of the declared policy of the Government of India for the political settlement in the North Eastern regions. If we seriously examine the ratio of the population to the representation of the population, it is also not justified. Sir, with a special reference to the North East regions, the politically negotiated settlements of these States have to be brought into working arrangements, especially for the Parliamentary representations before the present Bill is presented and put to debate. For example, in Nagaland, we have two agreements with the Government of India, namely the Framework Agreement and the Agreed Positions in which the agreement mentions about the lower House and the upper House. So, this Delimitation Bill is to be implemented after examining every aspect. Hence, I am strongly against this Bill and it should be withdrawn. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : आज रात एक बजे तक सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी हैं। आप महिला आरक्षण बिल पर इनकी प्रतिबद्धता देखिए। आप सदन के अंदर गिनती कर लीजिए। आज पुरुषों का समय नहीं है।

… (व्यवधान)

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में "निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2026" पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं अपने यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस विधेयक

को संसद में लाने का मार्ग प्रशस्त किया।

यह विधेयक हमारे लोकतंत्र की मूल भावना, समान प्रतिनिधित्व और न्यायपूर्ण भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज संसद तक समान रूप से पहुँचे। परिसीमन की प्रक्रिया इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2026 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

यह विधेयक केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह भारत की आधी आबादी को पूरा हक और हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को उनके अधिकारों और सम्मान को वास्तविक स्थान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार ने एक संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, जो पहले 2034 में लागू होने वाला था।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश सदियों से परंपरा का पालन करता आया है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि महिलाओं की राजनीतिक और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। यह अधिनियम उस ऐतिहासिक असंतुलन को सुधारने का एक सशक्त प्रयास है। वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन विधेयक 106वें संशोधन के रूप में भारी बहुमत से दोनों सदनों से पास हुआ।

मैं जयपुर लोक सभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की महिलाएँ शिक्षा, उद्यमिता, खेल, प्रशासन और सामाजिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में उनका संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाना समय की मांग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम महिलाओं को केवल आरक्षण ही नहीं देता, बल्कि उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाले मंचों पर आएंगी, तो समाज के हर वर्ग, विशेषकर बच्चों, वृद्ध और कमजोर वर्गों के हितों का बेहतर संरक्षण होगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने अनेक भाषणों में दक्षिण भारत के राज्यों की आशंकाओं पर भी विराम लगा दिया और उनको भरोसा दिया कि उनकी लोक सभा की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि महिलाओं के लिए जो सीटें होंगी, वे अतिरिक्त होंगी।

महोदय, मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस ऐतिहासिक विधेयक को प्रस्तुत किया, लेकिन साथ ही मैं कुछ और बात भी कहना चाहती हूं।

जब महिलाओं के समग्र विकास के लिए 33 परसेंट की बात होती है, तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए इस बिल को जल्दी से पास करना चाहिए। अब भागीदारी नहीं, प्रतिनिधित्व की बारी है। इस बिल का समर्थन कर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करें, ताकि यह कह सकें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास करने में हमारा भी योगदान रहा है।

जब एक महिला सशक्त होती है, तो लोकतंत्र कैसे कमजोर हो सकता है। जिन लोगों ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया है, उन्हें अपने घर में भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध क्यों किया। हो सकता है कि कल उनका भी नंबर आ जाए। मन में तो विपक्ष भी बहुत खुश है, लेकिन वे राजनीतिक मजबूरी के कारण विरोध कर रहे हैं।

मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूं। जब 33 परसेंट आरक्षण है, तो वह हर महिला के लिए है, चाहे वह किसी धर्म की हो, किसी पंथ की हो, किसी समाज की हो या किसी दल की हो। आप महिलाओं में भ्रम क्यों फैला रहे हैं?

मैं विपक्ष से भी यह निवेदन करूंगी कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सब लोग समर्थन करें।

मैं आपकी आभारी हूं, इस बात को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी । जय-जय राजस्थान।

श्रीमती कृति देवी देबबर्मन (त्रिपुरा पूर्व) : ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपनी बात को सभी को गुड मॉर्निंग बोलकर शुरू करूंगी, क्योंकि रात खत्म हो गई है and we have been patient enough. Thank you very much. A woman embodies strength, discipline, and moral unity within a family, and it is this strength that keeps a nation strong. That is what a woman represents. मैं त्रिपुरा क्षेत्र से आती हूं, जहां 50 परसेंट औरत ऑलरेडी सभी फील्ड्स में हैं । मैं एक छोटा सा पैरा अपने क्षेत्र त्रिपुरा के लिए बोलना चाहती हूं । Tripura has a glorious history of empowered women who have shaped the progress of our State. Maharani Tulsibati Devi took a pioneering step by introducing girls' education in Tripura paving the way for a generation of educated and independent women from 1896 to 1909.

Later, Rajmata Kanchan Prabha Devi played a critical role in securing the merger agreement ensuring Tripura's transition from a princely State to independent India. आप यह सोच सकते हैं कि हमारी महिलाओं में उस समय भी इतनी शक्ति थी । मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे यहां जो दोस्त हैं, उनको यह न लगे कि हमारी आबादी यहां बढ़ जाएगी तो कोई थ्रेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा । A woman always gives justice and if they are wrong, then we will be with you. We are with the nation. We are here to bring the women up there, what is rightfully hers. Women have always been natural administrators. Every day, they manage responsibilities at home, nurture children, contribute to social growth. This ability to multitask, take responsibility and make balanced decisions makes them well-equipped for leadership and governance. It is time that we recognised this quality in them

and bring them up in the forefront.

On this occasion, I urge all of us to rededicate ourselves to the cause of women upliftment and to actively participate in governance and decision-making process. Our hon. Prime Minister has already envisaged an inclusive future for Indian women in Viksit Bharat. Our State Government and responsible administration officers are committed to ensure that justice and security are not compromised by corruption. Tripura has a rich legacy and today, as the women of this great State, considering our dedication to the progress and empowerment to our sisters, let us stand united in our commitment of building a stronger, safer and a prosperous society for all. Thank you.

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाभारत के उद्योग पर्व के उद्घोष से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगी–

"पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः,

स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः।।"

यह मात्र एक श्लोक ही नहीं, बल्कि भारत का वह शाश्वत विचार है, जो नारी को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि इस राष्ट्र की 'दीप्ति' और 'श्री' यानी साक्षात समृद्धि मानता है।

महोदय, 'गृहदीप्ति' का भाव यह है कि जैसे एक दीपक पूरे घर के अंधकार को हर लेता है, वैसे ही भारत की बेटियाँ अपनी मेधा और जीवटता से राष्ट्र के भविष्य को आलोकित करने का सामर्थ्य रखती हैं। सदियों से हमने उन्हें पूजनीय तो कहा, लेकिन आज समय उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधान मंत्री जी की भावनाओं की अभिव्यक्ति में स्पष्ट किए भाव का उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि यह विधेयक हम पर कोई उपकार नहीं है, बल्कि उस विशेष रक्षा के संकल्प की सिद्धि है, जिसका अर्थ है नारी के मार्ग

की हर बाधा को हटा कर उसे निर्णय लेने वाली सर्वोच्च आसंदी पर आसीन करना।

आज महिलाएं आरक्षण इसलिए नहीं मांग रही हैं कि वे निर्बल हैं; बल्कि वे इसलिए मांग रही हैं, क्योंकि राष्ट्र की नीति निर्धारण की सर्वोच्च आसंदी पर उनका स्थान रिक्त है और उसे भरने के लिए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी यह कदम उठा रहे हैं।

मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आती हूं। छत्तीसगढ़ में लोक सभा की सीटों की संख्या 11 से बढ़कर 17 होने की जो प्रबल संभावना है, वह इस बिल के सफल क्रियान्वयन का सबसे मजबूत आधार बनेगी, क्योंकि 17 सीटों का 33 प्रतिशत होने पर छत्तीसगढ़ से 6 सीटें सीधे तौर पर हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षित होंगी। यह ऐतिहासिक कदम सुनिश्चित करेगा कि वर्तमान प्रतिनिधित्व को प्रभावित किए बिना हम बस्तर से सरगुजा तक की महिलाओं को नीति निर्धारण के केंद्र में ला सकेंगे।

01.00 hrs (17.04.2026)

जिससे न केवल नारी शक्ति को उनका संवैधानिक हक मिलेगा, बल्कि नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी उनकी नेतृत्वकारी भूमिका होगी।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल भारतीय महिलाओं के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सभासदों, तीन माननीय महिला सांसद इस विधेयक पर अपने विचार रखना चाहती हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो इनके भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मुद्दा केवल समानता या प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। इसका मूल प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। इसके प्रमाण स्पष्ट हैं कि जब महिलाएँ नेतृत्व करती हैं, तो सभी को लाभ होता है। जब अधिक महिलाएँ कार्यबल में शामिल होती है, तो अर्थव्यवस्था तेजी से

बढ़ती है।

इससे आय में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। भारत में पिछले दशक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनमें यदि हम देखें, तो 72 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम से हैं। आज मुद्रा योजना में यदि हम महिलाओं की भागीदारी देखें, तो 69 प्रतिशत महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है।

स्टैंड-अप इंडिया की बात करें, तो 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं। 32 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले, 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ीं। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।

शासन में महिलाएँ भारत के लोकतंत्र की ओर अपना अगला कदम बढ़ा रही हैं। आज भारत में हर चुनाव में महिलाएँ बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़ी दिखती हैं और अपना वोट डालती हैं। हाल के चुनावों में तो कई जगह महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा रही है। यह महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है कि अब महिलाएँ लोकतंत्र के किनारे नहीं, बल्कि उसके केंद्र में हैं। 2024 के चुनाव में भारत में 65.78 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला, जो पुरुषों से थोड़ा ज्यादा है। यह दिखाता है कि महिलाएँ लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय की मर्यादा को समझ रही हूं। मैं दो लाइनों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। गाँवों में हमने देखा है कि जब महिलाओं को मौका मिला है, अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से उन्होंने छोटे-छोटे बदलाव ही सही, जैसे पानी की सुविधा, स्कूलों की मरम्मत, साफ-सफाई, पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखा है।

ये बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़ रही है, तो इस कानून की जरूरत क्यों है? इसका जवाब यह है कि भागीदारी और प्रतिनिधित्व हमेशा एक साथ नहीं बढ़ते। इसलिए कभी-कभी नीति के माध्यम से संतुलन बनाना जरूरी होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर

है और इसका सही उपयोग हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा। अंत में मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त चाहूँगी-

"जो जननी है क्रांति-ज्वाला की, अब रण-हुंकार भरेगी,
सदन की पावन आसंदी से, नव-भाग्य-विधान रचेगी।
जिसके तप से वीरों ने पाया, साहस, तेज और मान,
वही शक्ति अब भारत का,स्वर्णिम इतिहास गढ़ेगी।"

***SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA):** Jai Jagannath! Jai Maa Subhadra!

Thank you, hon. Speaker, Sir, for this opportunity. I am here to speak i favour of the Bill. For every woman it's a matter of great pride to witness this golden phase of Amrit Kaal.After long periods of struggle, we have reached this stage only because of our Honorable, illustrious Prime Minister Shri Narendra Modi.

I express my sincere gratitude to him for restoring our dignity. For Indian democracy it is a revolutionary step, for which all the credit goes to our Prime Minister, whether the opposition likes it or not.

Right from Panchayat to Parliament, the women folk, will not only be the beneficiary, but will also play a decisive role. This is not just a bill, but a foundation stone for a progressive and developed India.

This Bill aims to empower women to play a key role in the decision making process.

If we observe keenly we can know that women voters are always more

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

in numbers than men voters. Women are active and enthusiastic participants in the democratic process. Women are responsible, handles any given task more efficiently.

Hon'ble Speaker Sir, the preparation for this historic step commenced long back,since 2014, since Sri Narendra Modi assumed power. Whether it's Beti bachao, beti padhao, Mudra Yojna, Lakhapati Didi and Drone Didi scheme or PM Awas Yojana which all of these makes woman more empowered.

Toilets were constructed in Swachh Bharat Bharat and women's dignity was restored. Now the final touch is being given by this "Nari Shakti Vandana" bill to make women a real force.

Our society either idolises the women as Goddess or paints them as "Abala" or Helpless. We want neither. This bill will strike the right balance and our Prime Minister should be applauded. We the women will participate in Nation Building.

Hindi shayari “Diya jalane Dijiye, wo jhilmilana Sikh lenge, agar Modiji saath hai,to hum desh chalana sikh lenge."I request everyone, irrespective of party lines, must come together to support this Bill. Vande Utkal Janani.

Let us celebrate it in the world. Jai Jagganath.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank you so much hon. Speaker Sir. 'नारी तू ही नारायणी'.

I rise today to speak on a Bill that is not merely a legislative amendment; it is the fulfilment of a promise made to the daughters of Bharat. I rise as a woman from the land of *Maa Manikeswari* and *Mahaprabhu*

Jagannath, where the *shakti* of our mothers and sisters has always been the backbone of our civilisation. I rise, most humbly, knowing that my place here is given today because of this Bill, which will come in the future.

In September 2023, this Parliament made history. After over two decades of deliberation, false starts, and broken promises, it was Shri Narendra Modiji who passed the Constitution (106th Amendment) Act - the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, reserving 33 per cent of seats in the Lok Sabha and State Assemblies. The Bill that was introduced in 1996, tabled and shelved by other Governments, was finally given life; it was given wings. Fifty per cent of the population is paving the way towards Viksit Bharat. I hail this Amendment Bill as nothing short of a revolution. The Bill is based on the 2011 Census to conduct the delimitation exercise. This masterstroke of governance means that 33 per cent reservation can be done in the 2029 Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. The proposed Amendment Bill will expand the Lok Sabha strength from 543 to 850, with one-third of the seats reserved for women. The reservation will follow a vertical quota system, ensuring representation within Scheduled Castes and Scheduled Tribes categories, upholding the principle of social justice. The Bill also extends these protections to Union Territories and Legislatures, including those of Delhi, Jammu & Kashmir, and Puducherry.

The NDA Government has taken all possible efforts which have been demeaned by the Opposition making no sense at all. I stand here today because it is the culmination of eleven years of transformative governance that has moved India from not women's development but women-led development.

Let me place before this House the record of this Government. Modi Ji is making not merely us women as voters but as policymakers. We are going to be voted for and not just voting. There is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana with LPG gas connections given to 10.33 crore. There is the Swachh Bharat Mission. There is the Jal Jeevan Mission. There is the Pradhan Mantri Awas Yojana -Gramin which has 2.75 crore homes built with 73 per cent ownership of women. These are women who own these houses, not just who live in them.

The Sukanya Samriddhi Yojana has crossed 4.2 crore active accounts. PM Jan Dhan Yojana has opened 52.3 crore accounts, 55.6 per cent of which belong to women. The Pradhan Mantri Mudra Yojana has given Rs. 34.11 lakh crore across 52.5 crore loan accounts, 68 per cent of those accounts are of women. There are schemes like *lakhpati didis*, *drone didi*, *Beti Bachao Beti Padhao.* The sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 930 now. The Janani Suraksha Yojana, Suman PM Matru Vandana Yojana and Mission Shakti's 819 one-stop centres have assisted nearly 11 lakh women in distress. These are not just mere numbers today. Each figure is a reflection of the commitment of our Modi Sarkar to deliver dignity, empower choice and make India a developed country. It was paved by our Prime Minister who in his first Independence Day Speech in 2014 did not speak about missiles, did not speak about markets but he spoke about the dignity of our women, our *didis*. As Prime Minister Modi Ji wrote very recently, any further delay in implementing women's reservation would be deeply unfortunate. I echo this sentiment with all the conviction that all the women here at 1 'o' clock possess.

India's women have waited long enough. The 2026 amendment says that time is now, it is here. I urge every Member of this House across all party lines to rise above narrow political considerations and support this Bill.

न्यूज़ में तो महिला के समर्थन में आप भाषण बहुत देते हैं,

पर जब हम बिल पास करने आते हैं तो आप डर कर भाग जाते हैं,

जो इतने सालों तक आपसे न हो पाया,

उसे पूरा करने का ही संकल्प आज मोदी जी ने उठाया,

उनका समर्थन करके कभी तो अपनी बुद्धि को दिखाओ,

कभी तो सही और अच्छे कामों के साथ खड़े होकर थोड़ा-सा चिल्लाओ,

महिलाओं ने कर लिया बहुत-बहुत इंतज़ार,

सब एक साथ मिलकर, प्लीज़ करो, इस बिल को पास।

नारी शक्ति, मां शक्ति का वंदन,

अब आया है मौका, आगे बढ़ेगा इंडिया,

आगे बढ़ेंगे हम, तोड़ कर सब बंधन।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, आज मैं इस सदन में अत्यंत गर्व और दृढ़ विश्वास के साथ खड़ी हूं। मैं यहां तीन महत्वपूर्ण विधेयकों - संविधान संशोधन विधेयक, संघ राज्यक्षेत्र विधि संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक - के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, ये विधेयक केवल तीन विधेयक नहीं हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक महिला सांसद के रूप में मुझे यह कहते हुए विशेष गर्व हो रहा है कि हम ऐसे निर्णयों के समर्थन में खड़े हैं, जो देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर नागरिक को न्याय और समान अवसर देने का मार्ग प्रशस्त

करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल विधेयक नहीं हैं, बल्कि ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले निर्णायक कदम हैं। परिसीमन विधेयक नारी शक्ति और नारी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हम जो बात कर रहे हैं, यह आज की आवश्यकता है, जो भारत के भविष्य को नयी दिशा देने वाला है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के पीछे यह भाव है -

नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी से यह जहान है,
और नारी की गरिमा से यह सारा हिन्दुस्तान है।

महोदय, आज जब मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूं तो मेरे मन में एक विशेष भावनात्मक स्मृति बार-बार उभर कर सामने आ रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पंच के रूप में, तीन बार सरपंच के पद पर रही हूं और आज मैं इस संसद में खड़ी हुई हूं। पंचायत से पार्लियामेंट तक का यह सफ़र केवल मेरा सफर नहीं हैं, बल्कि यह भारत की हर उस महिला का सफ़र है, जिसे अवसर मिला तो उसने इतिहास रच दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया है। यह उस सोच का परिणाम है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। यह संभव हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, जिन्होंने महिलाओं को केवल भागीदारी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनाने का संकल्प लिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस के माध्यम से एक कड़वा सत्य देश के सामने रखना चाहती हूं। यह वही महिला आरक्षण विषय है, जिसे तीन दशकों से लटका कर रखा गया था। वर्ष 1996 से वर्ष 2014 तक बार-बार विधेयक आया, चर्चा हुई, आश्वासन दिए गए, लेकिन निर्णय

नहीं हुआ। प्रश्न उठता है कि क्या उस समय महिलाओं की क्षमता कम थी?

क्या देश तैयार नहीं था या फिर इच्छाशक्ति की कमी थी? सच्चाई यह है कि हमारे विपक्ष और उनकी सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी। यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं थी, बल्कि यह देश की महिलाओं के साथ अन्याय था। यह उनके अधिकारों को टालने की राजनीति थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत आज का भारत निर्णायक भारत है। वर्ष 2014 के बाद देश ने एक ऐसी सरकार देखी है, जिसने केवल वादे नहीं किए, बल्कि उन्हें पूरा किया है। तीन दशक तक लटका बिल तीन दिन में पारित हुआ है। यही नीयत और नेतृत्व का अंतर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम केवल कानून नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक परिवर्तन है। आज हमारे सामने आंकड़े हैं, जो सच्चाई बताते हैं। लोक सभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 15 प्रतिशत के आसपास है।

राज्य सभा में लगभग 14 प्रतिशत है। जबकि वैश्विक औसत करीब 24 परसेंट है। अगर हम राज्यों की विधान सभाओं को देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 5 परसेंट से भी कम है, जैसे असम, पुडुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु। क्या यह स्थिति एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित थी? यही कारण है कि परिसीमन विधेयक का सबसे बड़ा प्रभाव विधान सभाओं में देखने को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां आज 5 -10 परसेंट महिलाएं हैं, वहां अब 33 परसेंट भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस अधिनियम के प्रावधान भी उतने ही मजबूत और दूरदर्शी हैं। यह भारत की राजनीति का चरित्र बदलने का संकल्प है। आज जब हम जी-20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो दुनिया भारत को केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि एक सामाजिक रूप से प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में भी देख रही है। वूमेन-लेड डेवलपमेंट - यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भारत की नई दिशा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस अधिनियम की गूंज केवल संसद तक सीमित नहीं है। देश की हर महिला चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, क्षेत्र या विचारधारा से हो, वे इसका स्वागत कर रही हैं। यह वह क्षण है, जहां राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की भावना जीत रही है।

अंत में, मैं इस सदन से और पूरे देश से एक स्पष्ट, दृढ़ और सच्चा संदेश देना चाहती हूं। तीन दशकों तक जो अधिकार रोका गया, आज वह अधिकार हमारी सरकार ने दिलाया है। कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को आश्वासन दिया, लेकिन अधिकार नहीं दिया।

जब निर्णय लेने का समय आया तो वे पीछे हट गए। यह केवल एक राजनीतिक चूक नहीं थी, बल्कि यह देश की आधी आबादी के सम्मान के साथ समझौता था। लेकिन, आज भारत समझौते का नहीं, संकल्प और सिद्धि का भारत है। आज आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में यह साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो, तो नारी सम्मान केवल भाषणों में नहीं, बल्कि कानून बन कर सामने आता है। आज हर बेटी के मन में एक नया विश्वास है। हर मां की आंखों में एक नई चमक है कि उसकी अब सीमाओं में नहीं, बल्कि संभावनाओं में जीते हुये देखना चाहती है। हर बहन के हृदय में एक ताकत है, जो अब अपनी पहचान खुद करने का साहस रखती है। यह उस बेटी के सपनों की उड़ान है, जो आसमान को छूने से पहले नहीं सोचती कि उसकी पंखों को अब कौन रोकेगा?

अब उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्हें अब टाला नहीं जाएगा। अब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। मैं पूरे आत्मविश्वास से कहती हूं कि यह तीन विधेयक नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ देशवासियों की चेतना का जागरण है।

अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के लिए केवल इतना ही कहती हूँ कि इतिहास ने आपको कई मौके दिए, लेकिन आपने हर बार देश को निराश किया। अब देश आगे बढ़ चुका है और पीछे मुड़ कर देखने का समय खत्म हो गया है।

महोदय, मैं नारी शक्ति के लिए केवल दो लाइनें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। समझ कर बेबस रौंदी गई

जो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। धन्यवाद।

जय नारी, जय भारत, जय हिंद।

माननीय अध्यक्ष : रात के एक बज कर बीस मिनट हुए हैं। महिला सदस्य बड़ी संख्या में बैठी हैं। क्या अब भी कोई महिला सदस्य बाकी है? सब बोल लिए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकान्त जी, आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा केवल आग्रह है कि यहां हम लोग कुछ दलित,शोषित और वंचित बैठे हुए हैं।

मैं, श्रीकांत, अनुराग जी, जगदंबिका पाल जी, यदि आपका आदेश हो तो कल हम लोगों को आपकी तरफ से आपके कोटे से मौका मिल जाए?

माननीय अध्यक्ष : आज मिल सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

01.24 hrs (17.04.2026)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 17, 2026/ Chaitra 27,1948 (Saka).

———

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Seventeenth Edition)